(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

ग्रंक अष्टम] विधान सभा के द्वितीय सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या 17

बुधवार,

दिनांक 24 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11–00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री बिरदमल सिंघवी,

मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध हास्पिटल्स में अधीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया

487 श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई नियम राज्य सरकार ने बनाये हैं ? यदि हां, तो यह नियम सभी अस्पतालों के लिए एक ही हैं अथवा अलग-अलग अस्पतालों के लिए अलग-अलग ?

(2) यदि ऐसे नियम नहीं बने हैं तो क्या राज्य सरकार इसके लिए कोई नियम बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह नियम कब तक बना लिए जावेंगे व अब तक न बनने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री छोगाराम बकोलिया) :

(1) जी नहीं।

(2) यह मामला विचाराधीन है तथा नियम शीघ्र ही बना दिये जाने के लिए पहल की जा रही है।

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या किसी अधीक्षक की नियुक्ति के बाबत यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जहां राज्य सरकार भी एक पार्टी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4-2-82 को आदेश दिए कि 30-5-82 तक यह नियम बना दिये जाने चाहिए और 30-6-82 तक मामला तय हो जाना चाहिए, एक प्रश्न तो यह है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जी हां।

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार इसमें पार्टी थी और यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था तो 30-5-82 तक तय कर दिया जायेगा उन्होंने यह निर्णय लिया था, नियम बन जाने चाहिए थे चाहे अलग-अलग बनें या शामिल बनें। तो क्या सचमुच निर्णय की पालना नहीं की गई, नियम नहीं

Page No. 2

(2)

(श्री बिरदमल सिंघवी)

बनाने के क्या कारण थे क्या वेस्टेड इन्टरेस्ट जो इन पदों पर नियुक्त हैं वह नियम नहीं बनाने देना चाहते, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जो जूनियर थे उनकी नियुक्ति कैसे कर दी गई सीनियर के स्थान पर ...

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो आदेश बने हैं उनकी पालना क्यों नहीं की गई....

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय अगर नियम नहीं है तो सुपरिन्टेंडेंट कैसे लगाये जाते हैं और क्या राज्य सरकार ने कभी इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट से भी इस बारे में पूछताछ की थी कि सुपरिटेंडेंट का सलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, क्या वहां से कोई टीम भी आई सर्वे करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिये इसके बावजूद भी नियम नहीं बन रहे हैं यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना नहीं है क्या और इसके लिए जो दोषी हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? और अब तक नियम नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न पर माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वास्तव में एक केस में डा. किरण की जोधपुर में मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट के पद पर पोस्टिंग हुई थी और उसके अगेंस्ट में डा. आर. एन. सिंह का मसला गया था और उस केस में यह आदेश दिए थे कि 31-5-82 तक इस प्रकार के आदेश जारी किये जाने चाहिये लेकिन इसके बाद में जब आदेश जारी नहीं हुए डा. किरण की पोस्टिंग हटा कर डा. सिंह को वापिस सुपरिन्टेडेंट लगाया था तो उसके अगेंस्ट में डा. किरण ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट आफ कोर्ट किया था लेकिन हमने प्रारूप तैयार कर लिया था उसकी मंशा के अनुसार आर्डर इश्यु किए गए तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट निरस्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उस प्रारूप के अनुरूप नियम बन रहे हैं और नियम बनाने के लिए कई सारे प्रोसीज अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं इसलिए देरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसी की अनुपालना के अन्दर नियम बना रहे हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मामला डा. किरण का नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं--

The State Government shall frame rules regulating appointment of Superintendents in hospitals attached to medical colleges all over the state by 31st may, 1982 at the latest and, while doing so, may make different rules

(श्री बिरदमल सिंघवी)

for different hospitals provided they can be validly classified.

यह केवल किरण का मसला नहीं है आपने चार साल तक नियम नहीं बनाए और नियम नहीं बनाने का कारण मैं जानना चाहता हूं वह कारण क्या थे ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिविल अपील नम्बर 1673/81 आर. एन. सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के आर्डर्स की आप बता रहे हैं इसमें आप कह रहे हैं कि अपील नहीं की गई और उन्होंने अपील की है । फलौदी से पधारने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं अब सुपरिन्टेन्डेंट के लिए जो सीनियर मोस्ट जो क्लिनिकल साइड से प्रोफेसर होते हैं उनका सुपरिन्टेन्डेंट की पोस्टिंग के लिए सलेक्शन किया जाता है और इंडियन इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद द्वारा इवेल्युएशन किया गया था और उनकी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी : अब यह नियम कब तक बन जाएंगे ?

श्री छोगाराम बकोलिया : इसमें जो इतना विलंब हुआ है उसमें आप चाहें तो मैं बता सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि नियमों का प्रारूप कार्मिक विभाग द्वारा 21.6.82 को तैयार हुआ, जिसका 26.6.82 को संशोधन हुआ कार्मिक विभाग द्वारा उसके बाद में संशोधित प्रारूप स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अनुमोदन 26.6.82 को हुआ, फिर विधि विभाग द्वारा वेटिंग किया गया संविधान की धारा 309 के तहत प्रारूप बनाने के लिए राय दी गई थी जो 20.8.82 को आई । फिर विधि विभाग को संशोधित प्रारूप की पत्रावली पुनः भेजी गई थी 27.9.82 को विधि विभाग द्वारा वापिस प्राप्त हुई 6.10.82 को इसी प्रकार कार्मिक विभाग को पत्रावली पुनः भेजी गई 22.10.82 को सहमति प्राप्त हुई और उन्होंने सलाह दी कि लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करें और लोक सेवा आयोग को पत्र 6.11.82 को लोक सेवा आयोग का उत्तर जिसमें अतिरिक्त सूचना चाही गई थी जो 22.11.82 को दी है आयोग द्वारा चाही गई सूचना प्रस्तुत की 21.2.83 को इसी प्रकार लाइक-वाइज में बताना चाहता हूं आपने डिले के रीजन्स पूछे हैं उनको सुन लीजिए जरा, लोक सेवा आयोग का उत्तर आया कि अलग नियम बनाने की बजाय वर्तमान नियमों को ही—

(व्यवधान)

इस तरह से माननीय सदस्य की जानकारी में आप चाहें तो मेरे पास आकर देख सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अब यह सारी कठिनाइयां पूरी कर ली अब कब तक नियम बना देंगे····

श्री छोगाराम बकोलिया : अब यह नियम इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बना दिये जाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं जो विवरण इन्होंने दिया क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते थे कि इन नियमों को बनाने में डिले किया जाय यह डिले योजनापूर्वक विभिन्न विभागों में इस तरह से फाइल को घुमाया गया।

एक स्पेशल आर्डर है, एक स्पेसिफिक आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उसकी पालना राज्य सरकार ने नहीं की। क्या मंत्री महोदय यह उचित समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विधिवत आर्डर होने के पश्चात् भी राज्य सरकार विभागों में फाइल घुमाती रही और उनके आदेशों की अनुपालना नहीं की। यह क्या वेस्टेड इन्टरेस्ट के आधार पर नहीं हुआ ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की मन्शा के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। चूंकि उस समय कोर्ट आफ कन्टेम्प्टेबल केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने उसको मान लिया---

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। कृपया बैठें, बहुत हो गये सवाल।

श्री छोगाराम बकोलिया : इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रकार के आदेशों की अवहेलना नहीं की गयी है। कार्यवाही हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें बहुत हो गये सवाल। अब सारी चीज स्पष्ट हो गयी। इन्तजाम कर देंगे, नियम बना देंगे। अब रहा क्या है। डिले हुआ है यह भी स्पष्ट हो गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह डिले नहीं है। इस कारण जयपुर के अस्पताल में····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वेस्टेड इन्टरेस्ट के आधार पर उस फाइल को लगातार घुमाया गया है। उनका अनावश्यक रूप से इस प्रकार से सहयोग किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : कार्यवाही हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की मन्शा के अनुसार ही कार्यवाही हो रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अनावश्यक रूप से उनका इस प्रकार से सहयोग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बैठें। श्री छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि क्लिनिकल विभाग से

Page No. 5

(51)

(श्री मोहन छंगाणी)

कुछ सीनियर डाक्टर्स की नियुक्ति के बारे में जो प्रारूप बना रहे हैं उसमें सोचा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल होना चाहिए या मैनेजमेण्ट का होना चाहिए। इस बारे में काफी वर्षों से चर्चा हो रही है। और क्लिनिकल का आज हमें एक्सपीरियंस है कि आज सुपरिन्टेन्डेन्ट की 50–50 हजार, लाख रुपये महीने की प्रेक्टिस हैं। वह न तो अपने जॉब में डीवॉट कर सकता है, न काम कर सकता है। नॉन-क्लिनिकल का भी हमने सोचा अब सवाल यह है वर्षों से चल रहा है, मैनेजमेंट में डाक्टर डिग्री लिया हो उसी को सुपरिन्टेंडेन्ट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए इस आधार पर इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के पास गयी, उनके यहां से 4–5 प्रोफेसर का दल आया उन्होंने एस. एम. एस. का और बीकानेर कॉलेज का सर्वे किया है। उन्होंने अपनी राय दी कि सुपरिन्टेन्डेन्ट की किस तरह से नियुक्ति की जानी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछना चाहूंगा कि इस राय के बारे में अभी भी यह क्लिनिकल नॉन-क्लिनिकल के चक्कर में फंसे हुए हैं और जो मैनेजमेंट किये हुए हैं उनको बनाया जाये कि नहीं सुपरिन्टेन्डेन्ट और जिसकी सलाह आज इन्स्टीट्यूट की उनके फेवर में है। इसलिए पूछना चाहूंगा कि जो प्रारूप बन रहा है सुपरिन्टेन्डेन्ट की नियुक्ति के लिए, सलेक्शन के लिए उस प्रारूप में उनके क्या आधार हैं ? पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं या आधार में कोई परिवर्तन आया है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका क्या सवाल है ? श्री भंवरलाल जी बहुत उतावले हो रहे हैं। श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : मुझे यह बतायें कि आपने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31.5.82 तक आगे बढ़ा देंगे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने पहल की 28.6.82 को यानी आपने पत्रावली 28.6.82 को दी है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बता तो दिया है। आप उसको रिपीट कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष : क्या डिसीजन निकालना चाहते हैं, आप परिणाम क्या निकालना चाहते हैं। काम की बात तो आ गयी कि नियम बना देंगे इस वर्ष।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं साहब छोड़िये इस बात को।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो···

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह पूछना चाहूंगा कि 31.5.82 तक जो पूरा होना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चाहिए था और आपने कार्यवाही बाद में की है इससे यह साबित होता है कि वेस्टेड इन्टरेस्ट के लिए इसको नहीं होने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं, जब आपने क्वेश्चन एप्रूव किया होगा, जब आपके पास जैसा माननीय छंगाणी ने अभी कहा, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से टीम आयी थी, उसमें सुझाव दिये हैं, वह आपको पुटअप नहीं किया होगा क्योंकि वह जो अधिकारी लोग हैं उनके खिलाफ जाता है। उसमें कहा गया था कि हॉस्पिटल सुपरिन्टेन्डेन्ट को होल टाइम जाब होना चाहिए, फुल टाइम जाब होना चाहिए, एडिशनल जाब नहीं होना चाहिए। दूसरा यह भी कहा गया था कि होस्पिटल इण्डस्ट्री की तरह माना जाना चाहिए। यह भी सुझाव आये कि इण्डस्ट्री का 82 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पर कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट से आपके अधिकारियों की और विभाग के आफिसर की जिनकी वजह से यह काम आपको पूरा नहीं करने देते हैं। आज के दिन स्थिति यह है न आप सीनियोरिटी से लेते हैं, न डी. पी. सी. करते हों, जिसकी मर्जी आये उसको आदेश जारी कर दिया, जिसकी मर्जी आये उसको हटा दिया. आज जिसका क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ है उस हास्पिटल में 1/4 अन्दर के हैं, 3/4 मैटर्निटि केस के हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। सिर्फ प्रश्न पूछ लीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि कोई काइटेरिया आपने बनाया नहीं है, कोई आप सीनियोरिटी से लेते नहीं, सलेक्शन करते नहीं, डी. पी. सी. करते नहीं, सीनियोरिटी को आप जज करते नहीं और कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट से, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या कोई केस ऐसा आपकी जानकारी में है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पोस्ट क्रिएट की जाय और डिमॉलिश किया जाये। आप इसका उत्तर दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, पूछ लीजिये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, से कि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट बोर्ड से कुछ डाक्टरों ने, प्रोफेसर्स ने जो सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिए ट्रेनिंग ली है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि क्लिनिकल और नान-क्लिनिकल जो पार्ट टाइम सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम करते हैं उसके बजाय फुल टाइम अधीक्षक, जिन्होंने इस प्रकार की ट्रेनिंग ली है उनको नियुक्त करने का राज्य सरकार विचार करेगी क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा है कि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ

(श्री छोगाराम बकोलिया)

मैनेजमेंट अहमदाबाद ने जो रिवेल्यूशन किया था उसमें इन्डिपेन्डेन्ट मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाने के लिए राय थी, उस पर विचार किया जा रहा है। और जहां तक माननीय शर्मा जी का प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की गयी है जिसमें डाक्टर सिंह का पोस्टिंग हुआ था उसको उन्होंने एग्जामिन किया था और प्रारूप के साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट को सब्मिट किया था। उन्होंने ठीक सोचा उस प्रारूप को सही रूप देने के लिए आगे की कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती विद्या पाठक : एक प्रश्न और पूछा था।

श्री मोहन छंगाणी : वह प्रारूप क्या था ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रारूप से सेटिस्फाई हो गये ?

श्री मोहन छंगाणी : कम से कम सदन को बतायें कि प्रारूप क्या था।

श्री अध्यक्ष : आपने जो भावना व्यक्त की है इस बारे में तो कह दिया कि इसके ऊपर विचार कर रही है राज्य सरकार। नेक्स्ट। श्री हरीश शर्मा।

श्रीमती विद्या पाठक : एक प्रश्न मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया है।

कोटा जंक्शन क्षेत्र की कालोनी में नियम विरुद्ध भूमि का बेचान।

488. **श्री हरीश शर्मा (खानपुर), श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में कोटा जंकशन क्षेत्र की पोश कालोनी में स्थित स्व. डा. हर नारायण की विशाल कोठी को और उसके खाली भू-भाग को जो कि मास्टर प्लान एरिया की बेश कीमती जमीन है, को अरबन लैंड (सीलिंग एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 176 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विक्रय के लिए इजाजत चाहने हेतु अरबन सीलिंग अधिकार को प्रार्थना पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो किसने ?

(2) क्या विक्रय की इजाजत चाहने वालों के प्रार्थना पत्रों में दर्शायी गई घोषणाओं में से कुछ घोषणायें गलत हैं ? यदि हां, तो इस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रार्थना पत्र पर कुछ कानूनी आवश्यकताए पूरी नहीं की गई हैं, और अधिकारियों ने प्रार्थना पत्रों पर जांच नहीं की है, ताकि निर्धारित अवधि निकल जाने पर स्वतः इजाजत होना मान लिया जाये ? यदि हां तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मंत्री नगरीय विकास (श्री छोगाराम बकोलिया) :

(श्री छोगाराम बकोलिया)

(1) श्री वेद प्रकाश वर्मा के मुख्तारनामा श्री शान्ती कुमार धारीवाल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, यह सत्य नहीं हैं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बड़े होशियार हैं, चतुर हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सांसद धारीवाल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हुआ यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी एक केस है प्रार्थना पत्र देने वालों में धारीवाल के अलावा और कौन-कौन शामिल थे, पहला। दूसरा मेरा सवाल है, क्या यह भू भाग 36 हजार वर्ग फीट है? तीसरा सवाल, हैं अधिकारियों ने अधिनियमों के तहत जिसका विक्रय किया वह ट्रान्सफर नहीं हो सकता है? चौथा सवाल है क्या यह भी सही है कि इस भूमि पर लाभ देकर, अध्यक्ष महोदय मुझे लोगों ने बताया वहां कोटा में कि यह भूमि देनी है, यह जमीन देनी है, लाखों रुपये की है। परन्तु 5 लाख रुपये में, सात लाख रुपये में, एक सभ्य आदमी ने लाखों रुपये लिये उनको धोखा दिया। तो मंत्री महोदय यह बता दें कि इसमें जांच अधिकारी कौन थे? क्या यह सही है कि दो महीने तक पेंडिंग रखा गया और वह जमीन उनके नाम हो गयी तो जांच अधिकारी ने क्या कार्यवाही की। जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें घोषणायें क्या थी, क्या यह घोषणायें सब सही थी। आप यह बता दें कि घोषणायें क्या थी और उसकी जांच की या नहीं, जांच रिपोर्ट क्या आयी?

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठें। मंत्री महोदया।

नगर विकास मंत्री (श्रीमती कमला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय सदस्यों ने जो तथ्य पूछे हैं वह यह है कि मूल में यह भूमि 5651.29 वर्ग मीटर थी। जब इनके फादर की डेथ हो गयी तो चार भाई को, इन चार भाई ने अधिनियम जो बना और फोर्स में आया उससे काफी समय पहले 7-7-72 को इसमें से 2409.16 वर्ग मीटर जमीन इन्होंने रजिस्टर्ड रूप से बेचान कर दी। अधिनियम जब लागू हुआ उस वक्त इनके पास में 3242.13 वर्ग मीटर भूमि थी जो इनके चार भाइयों के हिस्से में इस प्रकार से सत्य प्रकाश वर्मा 442.68 वर्ग मीटर, श्री ओम प्रकाश वर्मा 624.45 वर्ग मीटर, श्री वेदप्रकाश वर्मा 1034.22 वर्ग मीटर, श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा 1144.00 वर्ग मीटर। यह जो है, कोटा की 2000 मीटर की सीलिंग है। उससे नीचे की सीलिंग सीमा में आती है तो बेचान करने का मन किया तो उन्होंने धारा 26 के तहत में यह नोटिस दिया एप्लाई किया कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं। इस तरह की वह एप्लीकेशन दी धारा 26 के तहत। सिम्पल नोटिस देना होता है कि भूमि सीलिंग से ज्यादा नहीं है। नोटिस देने के बाद इसका अथोराइज्ड अथोरिटी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। इसके दौरान किन्हीं माननीय नागरिक की तरफ से शिकायत आयी कि इनके भाई ओम प्रकाश के पास दिल्ली में भूमि है तो इस शिकायत के आने के बाद राज्य

(श्रीमती कमला)

सरकार ने चारों भाइयों को नोटिस दिया और कहां-कहां भूमि है उसका विवरण दें कहा। उन्होंने नोटिस नहीं लिया तो उनके मुख्तयार धारीवाल थे उनको नोटिस दिया है उन्होंने ले लिया है। जवाब भी आ रहा है। इसके शिकायतकर्त्ता ने इसका कोर्ट के अन्दर केस किया है और यह मामला अण्डर इन्वेस्टीगेशन है। अगर कोई कमी और खामियां पायी गयी या तथ्य छुपाये हुए पाये गये तो अधिनियम की धारा के अन्तर्गत जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री हरीश शर्मा : घोषणायें क्या की गयी थी? माननीय अध्यक्ष महोदय प्रार्थना पत्र के साथ में घोषणा करनी पड़ती है यह घोषणा करनी पड़ती है कि मेरी कहीं जमीन नहीं है।

श्रीमती कमला : मैं घोषणा ही बता रही हू। उनके पास जब भूमि सीलिंग की सीमा से नीचे थी तो कहा कि मेरे पास इतनी जमीन है उसको बेचने की इजाजत दी जाये। यही तथ्य है, दूसरी बात नहीं है।

श्री हरीश शर्मा : इसकी जांच की गई गयी थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, बैठें माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चार भाइयों के डिवीजन की चर्चा की है अलग-अलग भूमि वह डिवीजन कब हुआ? प्रश्न 1 कोटा में इसकी विधिवत जानकारी विभाग को आयी और कौन सी तारीख को एप्लीकेशन दी और डिवीजन हुआ। पार्टिशन हुआ। नम्बर दो। यह जो 400-500 स्क्वायर मीटर जमीन इन चारों भाइयों की दिल्ली में है और क्या राज्य सरकार को यह भी जानकारी है कि चार भाइयों को दिल्ली की जमीन पर सीलिंग के तहत वहां नोटिस मिले हुए हैं। नं० 3 प्रश्न यह है कि, मंत्री महोदय, क्या यह बतायेंगे कि यह जो जमीन है उस पर इल्लीगल कन्सट्रक्शन जो कराया गया है : उस इल्लीगल कन्सट्रक्शन की क्या इजाजत वहां की नगर पालिका से ले ली गयी है। नं० चार मंत्री महोदय, मैं यह भी पूछूंगा कि जो जमीन बेची गयी है। बेचान करने की जो प्रक्रिया श्रीमान शांति धारीवाल महोदय, करना चाहते थे 6 लाख का गुपचुप सौदा करके 18 लाख में बेचने का और 12 लाख रुपया खा जाना चाहते थे ये। उस जमीन में अलग-अलग प्लाट्स बनाये उसकी क्या अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से इजाजत ले ली गयी है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन का कब बटवारा हुआ और यह क्या इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन कर चुके हैं और इस कन्स्ट्रक्शन के लिए यू. आई. टी. से परमिशन ली या नहीं ली इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि इस तरह की कन्स्ट्रक्शन की सूचना नहीं चाही गयी थी। सिर्फ यह चाहा था कि अरबन सीलिंग के तहत कोई जमीन आती थी और उन्होंने कोई तथ्य छुपाये हैं और उन तथ्यों के मुताबिक उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मैंने जवाब दिया कि जब शिकायत आयी कि यहां तो जमीन नहीं है दिल्ली में उनके

Page No. 10

(10)

(श्रीमती कमला)

पास जमीन है। उसके बाबत कार्यवाही कर रहे हैं, नोटिस दिया गया है। जवाब आया है उसकी छानबीन के बाद कार्यवाही करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस सीलिंग के....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : 3600 वर्ग फुट जमीन है....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया....

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : मैं भी कुछ कहूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में क्यों लड़ रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपने उत्तर में जानकारी दी है कि चारों भाइयों का इस जमीन का बंटवारा हुआ। मेरा यह कहना है कि बंटवारा नहीं हुआ। इसलिए मैंने तारीख पूछी थी। अब आप जांच करेंगी। एक सवाल और पूछना चाहता हूं जब अनापत्ति पत्र मांगने के लिए वह एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट को इन चारों भाइयों का मुख्त्यार बनकर या एक भाई का मुख्त्यार बनकर सांसद महोदय ने जब एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन पर अगर दो महीने में निर्णय नहीं होता है तो इस सीलिंग कानून में लिखा है कि अनापत्ति पत्र अपने आप स्वीकार कर लिया जायेगा।

मैं इसलिए आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली (बेगू) : सांसद का नाम कैसे लिया ?

श्री अध्यक्ष : इसमें मन्त्री महोदय ने नाम लिया है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शांति धारीवाल का नाम ले रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य, बैठें।

मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में नाम लिया है....आर्डर बैठें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाम ले रहा हूं। आरोप लगा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में नाम लिया है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : एम. पी. का नाम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : शांति धारीवाल का नाम लिया है। कृपया बैठें। माननीय सदस्य....

श्री सी. पी. जोशी : शांति कुमार इज नाट ए एम. पी.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आप मन्त्री महोदय से पहले पूछ लें कि क्या यह शांति कुमार धारीवाल आपके सांसद नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है कि अगर आरोप लगाते हैं तो पहले लिखित में सूचना देनी होती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाम दिया है इसमें। इसमें हम क्या करेंगे ? मन्त्री महोदय ने नाम लिया है अपने उत्तर में।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने कहा कि मैं जब उन्होंने बंटवारा किया उसकी तारीख नहीं बता रही हूं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अगर तारीख न भी हो तो जो फादर की डेथ के बाद प्रोपर्टी है वह चारों भाइयों में रोशनल शेयर से भी रखी जाय तो....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आरोप लगा रहा हूं हिन्दू अनडिवाईडेड फेमिली स्टिल एग्जिस्ट। बंटवारा नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया माननीय सदस्य बैठें। जवाब तो देने दीजिए

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा : मन्त्री महोदया, गुमराह कर रही हैं। धारीवाल को बख्शेंगे नहीं आज।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया, जवाब दे रही हैं, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : इस पूरी जमीन को चार हिस्सों में भी कर दें तो भी 2000 से कोई भी जमीन ज्यादा नहीं होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गलत बयानी कर रही हैं। चार हिस्सों में नहीं ले सकता है। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं....

श्रीमती कमला : क्या आरोप लगा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

Page No. 12

(12)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हिन्दू अनडिवाईडेड फैमिली अभी तक है। इन चारों भाईयों में जब तक बंटवारा विधिवत सरकार के पास जाकर एप्लीकेशन देकर नहीं किया जा सकता है तब तक बंटवारा नहीं हो सकता है। मैं आरोप लगा रहा हूं। यह मैं आरोप लगाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह जमीन सीलिंग में आ रही है, यह जमीन बिकती नहीं थी, यह जमीन बीच में रामेश्वर संघी को दलाल बनाया गया उससे नहीं बिकी है इसलिए शांति धारीवाल को इस बात के लिए मुख्त्यार बनाया मैं आरोप लगा रहा हूं 6 लाख रुपये की यह जमीन खरीदी है और 18....

श्री हरिमोहन शर्मा : यह राजनैतिक आधार पर आरोप है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपको भी समय दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 18 लाख रुपये में यह जमीन बेची जा रही है। 12 लाख रुपया खाया जा रहा है। मैंने आपको रिटन में दिया है कि आरोप लगाने के लिए..

श्री हरिमोहन शर्मा : इसकी जांच करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हरि-मोहन शर्मा।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह जी, आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह जिस जमीन और बिल्डिंग का विवरण है वह आज से 75 साल पुरानी है, क्या यह सही है। नं. 1 क्या इस बिल्डिंग के ओरिजनल मालिक का देहांत सन् 48 में हो चुका है? क्या इसके चार पुत्र हैं जिनमें सबसे छोटे पुत्र की आयु 55 वर्ष हो गयी है। इस विवरण के सम्बन्ध में राजस्थान हाई कोर्ट में एक मुकदमा विचाराधीन है। चार मेरे प्रश्न हैं। पांचवां है क्या लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्सेशन के तहत चारों भाइयों ने बंटवारा करने के लिए वह लैण्ड एण्ड बिल्डिंग अथोरिटी से बंटवारा कराया है?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बंटवारा करता है, क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....

श्री हरिमोहन शर्मा : इसके अलावा दिल्ली में जो चार भाई बताये गये हैं क्या इनकी सम्पत्ति जो इस एक्ट के प्रोविजन के तहत आती है तो इन्होंने, चारों भाइयों ने जो शपथ पत्र दे रखा है क्या उसको यहां पर जो लैण्ड एन्ड बिल्डिंग ऐक्ट में जो शपथ पत्र दे रखे हैं कि इनके पास दिल्ली में इस सीमा से अधिक, दो भाईयों के पास है नहीं मेरे जानकारी के हिसाब से, दो भाईयों के पास एक-एक सिंगल स्टोरी का सेकंड फ्लैट है, पर प्लाट है। क्या उन्होंने शपथ पत्र दे रखे हैं कि इस सीमा से लैंड एण्ड बिल्डिंग की सीमा से अधिक नहीं हैं, इसकी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री दाऊदयाल। आप पूछना चाहते हैं कुछ ... आर्डर प्लीज।

Page No. 13

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय विपक्ष के सदस्य जांच कर लें। भारतीय जनता पार्टी के लोग....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने जो 5-6 सवाल पूछे उसमें सवाल है कि क्या यह इतने वर्ष पुरानी जमीन है, इसकी तारीख तो मुझे पता नहीं लेकिन बहुत पुरानी जमीन है। दूसरा कि उनकी डेथ बहुत पहले हो गयी है यह बात सही है। तीसरा इन्होंने पूछा कि इन चार भाईयों ने क्या अपना बंटवारा कराया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पांचवां आपने पूछा कि क्या इन्होंने यह शपथ पत्र दिया है कि उनके पास दिल्ली या कोटा में मिला करके सीलिंग से अधिक कोई जमीन नहीं है। हां, अपने मुख्त्यार के द्वारा पेश किया है और उसमें यह लिखा हुआ है कि उनके पास में सीलिंग से अधिक जमीन नहीं है। आपने पूछा कि क्या हाईकोर्ट में इस तरह का केस चल रहा है वह मैंने पहले बता दिया कि वह चल रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कौन सी तारीख को शांती धारीवाल, सांसद महोदय ने प्रार्थना पत्र दिया और उसका निस्तारण कौन सी तारीख को ए. डी. एम. साहब ने किया, यह बताने की कृपा करें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जवाब आने दीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तीन जो नोटिस दिये थे वह दिये थे 24.7.84 और चौथा जो नोटिस दिया था वह दिया था 22.8.84 को और इनका जो फैसला हुआ है यह 30.7.84 को। पहले तीन थे और उसके बाद में आकर के इन्होंने किये हैं उसकी तारीख इसमें दी हुई नहीं है लेकिन कायदे के अन्दर रजिस्ट्रेशन हो गये थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके बारे में मैं एक सवाल करना चाहता हूं। क्या राज्य सरकार मन्त्री महोदय, यह जानकारी देंगे कि क्या अनापत्ति पत्र का अगर उसको यस और नो, उसकी परमिशन या नमाना करना, अगर दो महीने में प्रार्थी को प्राप्त नहीं होता है तो क्या यह मान नहीं लिया जाता है कि अनापत्ति पत्र अपने आप स्वीकार हो गया....

श्रीमती कमला : हां, यह कायदा है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दो महीने तक जब इसका निस्तारण नहीं हुआ....

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है मेरा, साथ ही आ जायेगा। क्या जो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक पूछ लेने दीजिये, कृपया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो महीने में प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यस और नो का तो क्या आटोमैटिकली प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह जमीन की खरीद फरोख्त कर दे....

श्री अध्यक्ष : यह तो नियम बता दिया है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इससे अधिकार नहीं हो गया कि खरीद फरोख्त कर दे उसकी।

श्री अध्यक्ष : यह तो नियम बता दिया और यह बात बारबार क्यों पूछते हैं आप ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक निवेदन किया है वह यह है कि तीन नोटिसेज उन्होंने 24.7.84 को जारी किये और उसके ऊपर जो प्राप्ति रसीद 30.7.84 की है तो दो महीने कैसे हो गये ? चौथा नोटिस है, उस चौथे नोटिस को जब 22.8.84 को दिया कि बीच में एक आपत्ति किन्हीं कुन्दनलाल पुत्र श्री ताराचंद की तरफ से आयी कि इनके पास में और भूमि है इसलिये इसको नहीं किया जाय। उसकी जांच के बाद में इसको भी रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर दिया....

श्री हरीश शर्मा : यह गुण्डे लग करके गये थे वहां। यह बहुत गम्भीर मामला है..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा आरोप यह है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि यह जो एक ...

श्री हरीश शर्मा : इनके साथ गुण्डे थे। गुण्डे लेकर गये कि मारो....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह जो मुख्तयार बने हैं माननीय श्री शांतिलाल जी धारीवाल सांसद महोदय यह इनके रिश्तेदार हैं या यह जमीन क्रय विक्रय का काम करते हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का सवाल पूछने से कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यही मेरा आरोप है -

श्रीमती कमला : आपका कोई भी आरोप -

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुन लें।

श्रीमती कमला : एक बात मेरी सुन लें। इस सवाल में न तो किसी को बचाने का सवाल है, न किसी को लाभ देने का सवाल है न कोई तथ्य छिपाने का सवाल है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लाभ तो हो गया ..

श्रीमती कमला : बीच में मत बोलिये..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लाभ तो धारीवाल ने प्राप्त कर लिया। 12 लाख रुपये का गोलमाल हो गया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्रीमती कमला : आपके कहने से गोलमाल हो जायेगा....

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि ..

श्रीमती कमला : मेरी बात सुन लें। इसमें अगर कहीं तथ्य छिपाने में गलती हुई है तो जो उन्होंने शपथ पत्र दिये हैं, जो स्टेटमेंट्स दिये हैं उसकी जांच भी हो रही है और हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है। किस तरह से कोई छिपायेगा और अगर धारीवालजी के मुख्तयार आम ने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नियमों का पालन कीजिये ।

श्रीमती कमला : मुख्तयार आम ने कोई गलत काम करने की चेष्टा की है तो कानून तो किसी को नहीं छोड़ेगा । आप जबर्दस्ती नाजायज होने की बात कहेंगे तो नाजायज नहीं हो सकता....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज—

श्री दाऊदयाल जोशी : हाईकोर्ट में....

श्री अध्यक्ष : बैठें । कृपया बैठें । दोनों तरफ से तारीखें आ गयी हैं अब तो कोई आवश्यकता नहीं रही है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैंने कह दिया । श्री ग्यारसी लाल । आर्डर प्लीज । बैठें कृपया । आर्डर प्लीज । आप बैठें । अंकित न हो ।

श्री हरिमोहन : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री हरिकुमार औदिच्य : × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर माननीय सदस्य । कृपया बैठें ।

श्री ग्यारसी लाल ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करता हूं । स्थगित किया मैंने । राज्य मन्त्री महोदय ने इसको स्थगन के लिये कहा है । 1966 से इसमें विस्तृत इन्फार्मेशन मांगी है । अभी 1966 से उनको इन्फार्मेशन प्राप्त नहीं हो पायी है। श्री दाऊदयाल जोशी । श्री हीरालाल आर्य । 490.

माही परियोजना के औद्योगिक क्षेत्र से स्टील के सरियों की चोरी

490. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि माही जल विद्युत परियोजना के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उप भंडार से करीब सवा लाख रुपये की लागत के स्टील के 25 टन सरिये रहस्यमय तरीके से गायब हैं ? यदि हां, तो यह कब, किस तरह गायब हुए ?

(2) क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) विद्युत मण्डल, बांसवाड़ा स्थित उप-भण्डार से करीब एक लाख सात हजार की लागत के स्टील के करीब 22 टन सरियों का स्क्रेप कम पाया गया है ।

(2) जी हां । उप–भण्डार के स्टोर-कीपर एवं उसके एक हैल्पर को उपरोक्त कमी का पता लगते ही तत्काल दिनांक 9.4.1985 को निलम्बित कर दिया गया था और विभागीय जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । इसके

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

अतिरिक्त जांच के आधार पर दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है। इस स्क्रेप की कमी के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी बांसवाड़ा को दिनांक 9.4.1985 को एफ. आई आर. भी दर्ज करा दी गयी है।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : सरिये बरामद हुए कि नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्रश्न-कर्ता पूछ रहे हैं, कृपया बैठें।

श्री शोपत सिंह : लोहा बरामद हुआ कि नहीं जो चोरी गया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह जो कमी का पता लगा, चोरी का पता लगा, कब और किस तरीके से लगा, यह बताने की कृपा करें।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : एक ओर, अध्यक्ष महोदय। जांच के दरम्यान वहां पर जो स्टोर कीपर थे, सहायक था उनको तो सस्पेण्ड कर दिया, और अधिकारियों की जांच करवा रहे हैं। उनको क्यों नहीं सस्पेण्ड किया गया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माही हाइडल प्रोजेक्ट द्वारा 177·81 टन सरिये का स्क्रेप स्टोर में जमा कराना बताया गया। इस स्क्रेप को नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नीलाम किया गया। नीलामी का जब वजन किया गया तब मालूम पड़ा 6.4.1985 को कि इसमें स्क्रेप 22 टन सरिये का कम है। ज्यों ही 6 4.1685 को मालूम पड़ा, तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। 9.4.1985 को, जो स्टोर इन्चार्ज था, हैल्पर था, तत्काल उनको सस्पैण्ड कर दिया गया साथ। ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दिये गये। पुलिस में भी केस दर्ज करा दिया गया। यह कार्यवाही की गयी।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह स्क्रेप कब खरीदा गया था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है इसका। कृपया बैठें। नेक्स्ट।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सरिया जो खरीदा था, कब खरीदा था ?

श्री शोपत सिंह : एक बहुत ही इम्पॉर्टेण्ट सवाल पूछ रहा हूं, एक ही सप्लीमैण्ट्री।

श्री अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह। कृपया बैठें।

श्री शोपत सिंह : मन्त्री महोदय, आज तक एफ. आई. आर. दर्ज कराने के बाद कितना माल बरामद किया ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो स्टोर

Page No. 17

(17)

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

कीपर ग्रौर हेल्पर थे उनको तो तुरन्त निलम्बित कर दिया लेकिन इसकी जांच में जो ग्रधिकारी ग्रौर कर्मचारी दोषी पाये गये हैं, वह कौन-कौन ग्रधिकारी ग्रौर कर्मचारी हैं जो दोषी पाये गये हैं ? उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, यह भी कारण बतायें ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ललित किशोर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं यह किन-किन के विरुद्ध कर रहे हैं ? एक प्रश्न । दूसरा यह कि इतने बड़े परिमाण में सरियों की चोरी केवल मात्र स्टोरकीपर के ग्राधार से ही हो सकती है, और कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस से सरकार कन्विन्स है ?

श्री ग्रध्यक्ष : हो गया, ग्रब कृपया ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एफ. ग्राई. ग्रार किन-किन के खिलाफ दी है ग्रौर किन धाराग्रों में दी है ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका क्या रह गया बांसवाड़ा का माही प्रोजेक्ट का ?

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : सरिये गायब हुए या जहां से खरीदे वहीं से कम ग्राये हैं ?

श्री ग्रध्यक्ष : यह तफ्तीश में मालूम होगा, माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : दोनों में से क्या हुग्रा ?

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो जांच से मालूम होगा । कमी हुई है, यह मालूम पड़ा है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ग्रध्यक्ष महोदय, सरिये गायब नहीं हुए हैं । सरिये जो काम में ग्राते हैं निर्माण के तहत, ग्रौर जो छोटे टुकड़े बच जाते हैं वह स्क्रेप भण्डार में जमा कराने के लिए भेजा गया था । भण्डार में जो जमा हुग्रा था उसकी नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ करके उनका वेट कराया गया तो इतने कम पाये गये । ग्रब कम पाये गये के कारणों की जांच की जा रही है । इस वक्त तो इस बात की जांच की गयी थी, जो ग्रॉफिसर इन्चार्ज थे, स्टोर कीपर थे, हैल्पर था, जे. ई. एन. वहां पर इन्चार्ज था, ए. ईन. इन्चार्ज था उस सब के होते हुए इन सब में कैसे कमी पायी गयी, इसकी जांच की गयी । जैसा कि ग्रापने बताया कि जांच रिपोर्ट 9-4-1985 को प्राप्त हुई उसके ग्राधार पर सी. एम. गोयल, सहायक ग्रभियन्ता ग्रौर के. के शर्मा कनिष्ठ ग्रभियन्ता को भी दोषी पाया क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी से काम नहीं किया । इनके निलम्बन के ग्रादेश जारी करने की....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री शोपत सिंह : हम पूछ रहे हैं, पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप इतने उतावले क्यों हो, जवाब देने दीजिए पूरा । ग्रॉर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्रादेश कब जारी किये, पूरा कर दें ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पी. एम. गोयल, सहायक अभियन्ता व आर. एस. चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित किये जाने के आदेश दे दिये जांच रिपोर्ट के आधार पर। इसी तरह से माही परियोजना के श्री के. के. शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को भी निलम्बित किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। ऑर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जी, बैठें। बैठें आप। आर्डर प्लीज, बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

जवाब नहीं आयेगा, उत्तर नहीं दिया जायेगा।

कृपया बैठें। जवाब नहीं आयेगा। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा। स्थगित प्रश्न। संख्या 3.

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 एवं 16 जुलाई, 1985)

शराब विक्रय के लाइसेन्स

3. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 1980 से मार्च, 1985 तक कितने शराब विक्रेताओं को शराब विक्रय के लाइसेंस दिये हैं? कृपया देशी व विदेशी शराब दोनों तरह की शराब के विक्रेताओं की स्थानवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सन् 1977 से 1980 तक राज्य में शराब विक्रय की कुल कितनी दुकानें थीं?

(3) राज्य में वर्ष 1980 से 1985 तक कितनी दुकानें नई शराब विक्रय के लिए खोली गयी हैं? कृपया देशी व विदेशी शराब की नई दुकानों की सूची सदन के पटल पर रखें।

आबकारी मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) 1980 में जब मद्य निषेध की व्यवस्था थी परमिटधारियों के लिए 483 देशी शराब की एवं 186 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें थीं, परन्तु जब 1981 में मद्य निषेध समाप्त कर दिया गया तो दुकानों की संख्या क्रमशः 1788 एवं 464 हो गयी। मार्च, 1985 में इनकी संख्या 1736 एवं 464 क्रमशः थी। पांच वर्षों की स्थानवार, विक्रेतावार सूची देना इतने अल्प समय में सम्भव नहीं है।

Page No. 19

(19)

(श्रीमती कमला)

(2) सन् 1977 से 1980 तक राज्य में दुकानों की संख्या निम्न प्रकार थी—

वर्ष	देशी मदिरा	भारत निर्मित विदेशी मदिरा
1977–78	1669	352
1978–79	1248	352 (आंशिक मद्यनिषेध)
1979–80	704	239 „

(3) सन् 1980 से 1985 तक की दुकानों की संख्या की स्थिति निम्न प्रकार रही है—

वर्ष	देशी मदिरा	भारत निर्मित विदेशी मदिरा
1980–81	483	186 (पूर्ण मद्य निषेध)
1981–82	1788	464 (मद्य निषेध समाप्त)
1982–83	1759	543 „
1983–84	1736	464 „
1984–85	1736	464 „

देशी एवं विदेशी मदिरा की वर्तमान दुकानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री डूंगर राम पंवार : इस मदिरा का नाम बदल कर सोमरस रख दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदया ने जो यह उत्तर दिया है मैंने सीधा-सीधा सन्वार सूची मांगी थी। लेकिन इसमें सन् का कोई कहीं नाम नहीं, कोई इंगित नहीं है कि कौनसी तारीख, कौनसा महीना, कौनसा सन्। यह बात तो यूं गोल हो गयी। मैं पूछना चाहती हूं कि यह जो नयी मदिरा की दुकानें आपने खोली, खुलवाई हैं, यह किस आधार पर खोली हैं? वह आधार बतायें।

श्रीमती कमला : इनके टेण्डर्स लेकर जो हाइएस्ट बिड देता उसको यह दी जाती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा मतलब यह नहीं था। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपने यह अपना जो अधिकार प्राप्त किया यह किन नियमों के तहत है? जो नियम कच्ची बस्ती, मन्दिर-मस्जिद, सघन बस्ती, श्रमिक बस्ती और गरीब बस्तियों के बीच में नहीं खोली जानी थीं, यह उन नियमों के तहत खोली गयी हैं या नहीं?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मदिरा की दुकानें खोलने के साथ-साथ यह पाबन्दी लगायी हुई है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं चाहे बस अड्डा हो, चाहे मन्दिर हो, चाहे सराय हो इनके 500 मीटर या ऐसा कुछ उन्होंने दायरा तय कर रखा है उसके भीतर शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडा रायसिंह) : क्या यह सही है कि पहले जो खुली नीलामी की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बदल कर इस समय मिनिमम गारन्टी सिस्टम की व्यवस्था आपने की है जिसके कारण उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जिनको आपने लाइसेन्स दिये हैं उन लोगों ने मैक्सिमम प्राइस तय नहीं की कि इस रेट में बेचेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। जवाब आ रहा है। बैठें श्री जगमाल सिंह जी आप भी पूछ लेना।

श्रीमती कमला : इसके टेन्डर्स आमंत्रित करके हायस्ट बिड आती है वह भी देते हैं। अगर यह लगे कि कम आई है तो ओपन नीलामी से भी करते हैं लेकिन उनके मूल्य पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : आबकारी मंत्रीजी मुझे यह बतायेंगी कि आपने जो नम्बर ऑफ शॉप्स 1977-80 तक यह डिकरीजिंग ट्रेन्ड था यानि दुकानें कम हुई और 1980 से 1985 तक आपकी दुकानें बढ़ी हैं, क्या यह इंगित नहीं करता है कि आप मद्य निषेध की नीति को तोड़ कर....

श्री अध्यक्ष : मद्य निषेध तो समाप्त कर दिया गया है—

श्रीमती कमला : मद्य निषेध हो गया तभी तो दुकानें बढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर माननीय सदस्य। श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : निश्चित मापदण्डों के आधार पर और नीति के खिलाफ जहां-जहां दुकानें स्कूलों के सामने, बस स्टेण्डस के ऊपर, सरे आम बाजार में और मन्दिर मस्जिद के सामने है क्या सरकार उनको हटाने का विचार रखती है ?

श्रीमती कमला : कई बार तकाजा करके पाबन्दी की हुई है लेकिन यह सही है कि अब भी बहुत सी जगहों पर हैं। माननीय सदस्य जहां जहां पर भी इस तरह की स्थिति हो और आप जानकारी देंगे तो उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोसिंह।

श्री नाथूसिंह : प्राइस कन्ट्रोल रेट—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पॉलिसी की बात है। आप आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रश्न से सम्बन्धित है नहीं....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय इसमें इन्कम टैक्स की चोरी होती है, सैल्स टैक्स की चोरी होती है....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से सवाल है....

श्री नाथूसिंह : पॉलिसी चैन्ज की है....

Page No. 21

(21)

श्री शोपतसिंह : माननीय सदस्य की इच्छा क्या है, महगी चाहते हैं या सस्ती चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह माननीय सदस्य का वहम् है कि टैक्स की चोरी होती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री खेमराज ।

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में क्या मद्य निषेध है ? अगर है, तो अब भी शराब वहां पर क्यों बिक रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूं लाल ।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदया ने बताया कि स्कूलों, मन्दिरों और मस्जिदों के पास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कई जगहों पर....

श्री अध्यक्ष : आपको कह दिया ना उन्होंने ।

श्री भैरूंलाल मीणा : मस्जिदों और मन्दिरों के पास जो दुकानें हैं उनको वहां से हटाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : हटाया जायेगा ।

(व्यवधान)

डा. उजला अरोड़ा । आर्डर प्लीज । आप पूछ चुके हैं । माननीय सदस्य बैठें । मा. मालारामजी बैठें । आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं । मैंने दुकानों की संख्या पूछी थी और आपने दुकानों की संख्या के साथ में उप दुकानों की संख्या और बताई है । यह उप दुकानें क्या हैं ? दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूं यह दुकानों निर्धारित स्थानों पर जहां आपने निर्धारित की थी या लाइसेन्स दिये थे....

श्री अध्यक्ष : आपके ध्यान में यदि कोई हो तो प्रश्न ही पूछ लें ना । आप प्रश्न पूछ लें ।

श्रीमती कमला : बाकी दुकानें कहां कहां हैं तथ्य मेरे पास नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीसरा प्रश्न मेरा यह है—

श्री अध्यक्ष : बैठें आप । आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला : आप जवाब तो सुन लें—

श्रीमती उजला अरोड़ा : शराबबन्दी क्रियान्वयन समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसकी सिफारिशों के आधार पर आपने क्या किया ? इन दुकानों को खोला है तो 3 मेरे प्रश्न है निर्धारित स्थानों पर जो दुकानें खोली गई थीं वह निर्धारित स्थानों पर नहीं है एक दुकान की बजाय बेनामी 4–4, 6–6– दुकानें चल रहीं हैं और उप दुकानें क्या हैं यह मुझे बता दें । क्रियान्वयन समिति शराब बन्दी की गोकुल भाई भट्ट को आश्वस्त करके की गई थी....

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट न करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : कहां कहां के लिये दुकानें निर्धारित की गई थीं यह उनको लाइसेन्स दिये गये थे उसके पेटे कहां कहां अनियमित रूप से दुकानें चल रही हैं उसकी तो कोई जानकारी मेरे पास नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्रीमती उजला उरोड़ा : उसकी क्या आप जांच करवायेंगी ?

श्रीमती कमला : उत्तर तो पूरा करने दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : मैंने कहा ना कि आपके पास कोई सूचना है, जानकारी है तो दे दीजिये, विभाग उस पर कार्यवाही करेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 30 की संख्या मेरे पास आई है उप दुकानें हैं—

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या इसका कारण यह नहीं है कि राजस्थान के सीमाबर्ती जिलों में सबसे ज्यादा यह दुकानें बढ़ी हैं, चौगुनी संख्या में बढ़ने का कारण मंत्री महोदया यह है कि पाकिस्तान में तस्करी होकर शराब जा रही है ? क्या इसका कारण यह नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मंत्री महोदया ने यह स्वीकार किया कि शराब का हमारा विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं है। मैं इसके पीछे कारण जानना चाहूंगा कि सरकार ने विक्रय मूल्य निर्धारित क्यों नहीं किया ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जिन ठेकेदारों को लाइसेन्सिंग करती है या ठेका देती है उस वक्त में इसकी प्राइस निर्धारित करने का अभी तक प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इस बात पर चर्चा चल रही है कि जो ठेकेदार हैं वह मनमाने ढंग से प्राइस राइज करते हैं, कभी नीचे कर देते हैं तो इस बारे में भी कुछ विचार किया जाकर प्रावधान किया जाना चाहिये, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। शायद इसमें कुछ निर्णय हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय प्रारम्भ में गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया गया था उस समय प्राइस निर्धारित थी उसमें जो परिवर्तन किया गया उसका कारण क्या है ? क्यों परिवर्तन किया गया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : पानी ज्यादा मिलाते थे।

Page No. 23

23

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस स्टेज पर, किस कारण से यह यह प्रावधान किया गया, यह इस प्रश्न में पूछा नहीं है इसलिये इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान।

आर्डर प्लीज। प्रश्न संख्या 145....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा भी प्रश्न है, सूची नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आने दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं। कोई जवाब नहीं आयेगा....

(व्यवधान)

मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री चुन्नीलाल जी। कृपया बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी : सीमावर्ती जिलों में शराब की तस्करी हो रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया। बैठ जायं। प्रश्न संख्या 145।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 जुलाई, 1985)

शिक्षा विभाग के अंशकालीन

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

145. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, पाली द्वारा अधीनस्थ उच्च प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 7–8 वर्षों से अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काफी संख्या में नियुक्त किए हुए है ?

(2) राज्य में ऐसे कितने अंशकालीन कर्मचारी हैं, जिन्हें बाद में दैनिक वेतन भोगी नाम दिया गया है, कब-कब से किस-किस जिलों में कार्यरत हैं ? उनमें से कितनों को नियमित किया

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

गया ? कृपया जिलेवार संख्या सूची सदन पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार की राज्य के इन अंश-कालीन कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में स्थाई स्ट्रेन्थ में नियुक्ति देने की मंशा है ?

(4) यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(5) गत दो वर्षों में विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्षवार कितने पद रिक्त रहे, व क्यों ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि पूर्व में अंश-कालीन कर्मचारियों में से ही पूर्ण-कालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किए जाते रहे थे। क्या अब यह प्रक्रिया बदल दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? इस नवीन प्रक्रिया से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे; एवं उनके नियोजन के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) पाली जिले में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति की गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जवाब दे दिया गया है, कृपया बैठ जायं। दूसरा प्रश्न चल रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके बाद में जवाब दिलवा दें।

श्रीमती कमला : (1) पाली जिले में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति की गई है।

(2) राज्य में 6539 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पद वर्तमान में स्वीकृत हैं। इन पदों के विरुद्ध 5844 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। इन की नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर की जाती है। इतनी बड़ी संख्या के कर्मचारियों के इतने वर्षों पुरानी नियुक्तियों की व्यक्तिवार तिथियां इस अल्प समय में देना संभव नहीं है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पद पर गत वर्षों से नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से 4722 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमित पद पर नियुक्त किया गया है। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस सम्बन्ध में प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) प्रकरण में विचारोपरान्त ही कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(5) गत दो वर्षों में सत्रान्त पर 1983-84 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 284 एवं 1984-85 में 603 पद रिक्त रहे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो पूरा दिलवा दीजिये ।

श्रीमती कमला : Sorry ।

(6) जी नहीं। केवल वर्ष 1978 तक नियुक्त ऐसे अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31-3-78 को दो वर्ष की सेवायें पूरी कर ली थीं, को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमित पदों पर स्क्रीनिंग द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था । 1-4-1978 के बाद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमित पदों पर नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है । किन्तु ऐसा प्रावधान न होते हुए भी विभाग में वरिष्ठता क्रम में ऐसे कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की गई है । नियमित नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 1963 में संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान में रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जावेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हीरासिंह चौहान-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से यह जानकारी करना चाहता हूं कि यह दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनका मासिक वेतन क्या है और इनका ग्रेड क्या है । क्या उनको वेतन के अलावा अन्य जो राजकीय कर्मचारी हैं, उनको जो सुविधायें मिलती हैं, उनको भी दी जाती हैं, इसके अलावा उनको राज्य सरकार के किस आदेश के तहत लगाया गया है, राज्य में कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ओवर एज हो गई है, उसके बारे में राज्य सरकार क्या विचार कर रही है। उनका अभी तक नियमितिकरण नहीं किया गया है और जो 1311 सृजित पद हैं उनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पंचायतों के सम्बन्ध में एक दुविधाजनक स्थिति है, जितने नियमित पद खाली पड़े हैं उनकी भर्ती के लिए नियोजन विभाग को लिखा जाता है और वहां से नाम आने पर आगे कार्यवाही की जाती है। लेकिन जो लोग कई वर्षों से लगे हुए हैं और कुछ की उम्र भी ज्यादा हो सकती है, अगर उनको आज के दिन सेवा में लेते हैं तो उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि वरिष्ठता के आधार पर जहां-जहां पर खाली स्थान हो उनको नियमितिकरण का अधिकार दे दिया जाय और नियमों में स्वीकृति दे दी जाय परन्तु अभी तक वित्त विभाग ने नहीं माना है और यह मामला पड़ा हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा-बूंदी-झालावाड़ में 77 से लोग एस.सी. एस.टी. के लगे हुए हैं, क्या होगा उन गरीबों का ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की

(श्री दाऊदयाल जोशी)

की कृपा करेंगी कि 1983-84 और 1984-85 में जो 888 पद रिक्त हैं और जो 1817 व्यक्ति दैनिक वेतन भोगी हैं, क्या उनको ही वहां पर लगाया जायेगा, क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति ली जायेगी ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से अपेक्षित स्वीकृति की आशा में हमने इनमें से नियमित पदों पर लगाये हैं और आज भी जारी है और जल्दी से जल्दी संशोधन हो जायेगा तो हम इसको भी जल्दी करेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जो यह अंशकालीन कर्मचारी हैं और जिनको पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है उन्होंने यह कहा है कि इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों ही एक सरक्यूलर निकाला है कि नियोजन कार्यालय से आने पर ही उनको लिया जायेगा और यह कहा है कि इस पर विचार कर रहे हैं तो यह विचार कब तक होता रहेगा। हजारों कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। इनके हितों को मद्देनजर रखते हुए कब तक इनको सेवा में लगा दिया जायगा नियमित रूप से।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भाग (2) में स्पष्ट किया है कि 4722 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमित पद पर नियुक्त किया गया है। इसलिये दे कैसे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने फरमाया कि सूची दी गई है, मुझे लगता है कि सूची नहीं दी गई।

श्री नत्थीसिंह : नियमानुसार सूची दी जानी चाहिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मुझे सूची नहीं गई है। दूसरी व्यवस्था में यह चाहता हूँ कि जो सूची दी जाती है उसको कोई पढ़ नहीं सकता। जो सूची दी गई है वह मैं आपके पास भेज रहा हूँ।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य की बात कण्ट्राडिक्टरी है. एक बात तो यह कही कि सूची नहीं मिली और वह सूची को दिखा रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि आयन्दा सूची समय पर उपलब्ध हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है, उनको क्या वेतन दिया जाता है ?

श्रीमती कमला : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 11/– प्रतिदिन दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : मेरे पास यह दौसा के बाबूलाल शर्मा का, जो शिक्षा विभाग में दैनिक वेतन पर उन्होंने लिखा है कि मुझे 1978 में अन्त्योदय योजना के तहत शिक्षा विभाग में रखा गया था, सब जगह 11/– रुपये मिल रहे हैं लेकिन मुझे 9/– दिये जाते हैं।

श्रीमती कमला : यह एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा हो तो मैं इसकी जांच कराऊंगी एक जने में कोई बात नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप नोट कर लीजिये, बाबूलाल शर्मा, शिक्षा विभाग, दौसा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट—श्री शोपतसिंह

गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़

187. **श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ जं. का कार्य कब शुरू हुआ व इस पर अनुमानित व्यय कितना था ?

(2) क्या यह सही है कि मिल का कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो सका ?

(3) क्या यह सही है कि मिल के प्रशासक व अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4 क्या यह सही है कि मिल सहकारी क्षेत्र में होने के कारण हिस्सेदारान की बैठकें साल में एक बार होना लाजमी है ? यदि हां, तो गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल के हिस्सेदार की कितनी बैठकें हुईं ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री शीशराम ओला)

(1) गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ का निर्माण कार्य जून, 1979 से प्रारम्भ किया गया। निर्माण कार्य पर प्रारम्भिक परियोजना लागत के अनुसार 551.00 लाख रुपये का व्यय अनुमानित था।

(2) जी हां।

(3) मिल प्रशासन के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त शिकायतों पर जांच कराई गई थी। एक अन्य परिवाद पर भी जांच धारा 70 के अन्तर्गत कराई जा रही है। प्रथम जांच प्रतिवेदन अपूर्ण पाये जाने पर धारा 70 के अन्तर्गत जांच कराने के आदेश दिये गये हैं।

(4) मिल की दो साधारण सभा की बैठकें दिनांक 12-11-79 व 30-12-80 को हुई हैं।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम निर्धारित समय पर नहीं हुआ और यह अनुमान कि इतने समय में पूरा हो जायेगा वह काम निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ उसके कारण सरकार को और कितनी धन राशि इसमें खर्च करनी पड़ेगी। नम्बर एक। कितनी धन राशि और खर्च करनी पड़ेगी। नम्बर दो जो जांच आप करने जा रहे हैं वह किन किन अधिकारियों के खिलाफ कर रहे हैं और यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी। नम्बर दो और नम्बर तीन इस जांच का जांच अधिकारी कौन है और यह कब तक पूरी हो जायेगी। नम्बर चार क्या अध्यक्ष महोदय सन् 80 से लेकर आज तक जो इसके पार्टनर हैं सहकारी समिति के हैं उनकी मीटिंग कब बुलाई गयी अगर नहीं बुलायी गयी तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अब काम पूरा होने में 2.29 लाख रुपये और अधिक खर्च होंगे। यह विलम्ब होने के कारण खर्च होंगे। इसके विलम्ब के कई कारण है।

श्री शोपत सिंह : क्या कारण हो सकते हैं आपकी अयोग्यता है और आपने भ्रष्टाचारी अधिकारी वहां पर भेज दिये जो वहां पैसा खा गये। और क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी इसके विलम्ब का कारण यह है कि समय पर पैसा उपलब्ध नहीं होना, समय पर सीमेन्ट उपलब्ध नहीं होना और समय पर लोहा नहीं मिलना और कई कारण दूसरे भी रहे। जो भी हों इसके ऊपर 2.29 लाख रुपया और अधिक खर्च होगा। यह बात सही है कि सन् 80 के बाद इस मिल की कोई जनरल मीटिंग नहीं बुलायी गयी और वह मीटिंग बुलानी चाहिये थी। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि अब तीन महीने के अन्दर इसकी बैठक बुलायी जाय और बैठक नहीं बुलाने के क्या कारण हो सकते हैं उसकी मैं जानकारी कर रहा हूं।

श्री शोपत सिंह : आपने जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था वह तो आप खा ही गये, आपने उसका तो जवाब ही नहीं दिया। इसमें जो जाँच अधिकारी दोषी थे वह कौन थे ? इसमें कितना घोटाला हुआ है और किन किन के खिलाफ आप यह कार्यवाही कर रहे हैं और कौन कर रहा है ?

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, जिस अधिकारी के खिलाफ में जिम्मेदारी निर्धारित की उसकी सूचना नहीं है।

श्री शोपत सिंह : जांच किसके खिलाफ है, कौन कर रहा है ?

(व्यवधान)

कोई जानवर तो है नहीं कोई आदमी होगा उसका नाम बता दो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शीशराम ओला : इसमें जो भी आदमी उसके अन्दर होगा ...

श्री शोपत सिंह : कौन है वह आदमी, अध्यक्ष है या चेयरमैन है या कौन है, कोई तो होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो इतना ही है और बिलकुल सीधा सवाल है, साफ है कि यह मिल तो जन्म से पहले ही मर गयी। अध्यक्ष महोदय, यह मिल हमारे यहां पर पब्लिक सैक्टर में लगी थी और इस मिल पर पांच करोड़ रुपये खर्च होने थे वह अब बढ़ कर इस पर आठ करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अब यह पूछ रहा हूं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है वह अधिकारी कौन हैं और यह तो बताओ कि यह किसकी जांच हो रही है।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि....

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : कौन अधिकारी जांच कर रहा है? यह तो बता दो।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, जो भी उस समय सीट पर प्रबन्ध संचालक रहा होगा या चेयरमैन रहा होगा उनके खिलाफ में जांच होगी।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : नाम क्यों नहीं बता रहे हैं वह कौन था, जो भी हो शर्म आती है। क्या बहु लगती है, या, बात क्या है, क्या हो रहा है मेरे पूछने का मतलब यह है कि किस अधिकारी के खिलाफ जांच हो रही है आप बता दें। पांच साल से ज्यादा समय हो गया उसकी जनरल बोडी की मीटिंग भी नहीं बुलायी गयी और सारे कानून कायदे ताक में रख दिये।

. **श्री शीशराम ओला** : ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी....

श्री शोपत सिंह : ऐसा क्या है यह पैसा पब्लिक मनी है, इट इज पब्लिक मनी। आप बताओ कि किस अधिकारी के खिलाफ जांच कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण भांभू (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनता का पैसा है और इस तरह से बरबाद किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मी नारायण भांभू : अध्यक्ष महोदय, यह आडिट रिपोर्ट में आया है उस आडिट रिपोर्ट में नाम आया होगा। माननीय मन्त्री महोदय, उसका नाम बतायें।

(व्यवधान)

वह कौन अधिकारी है, उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गयी और कौन अधिकारी जांच कर रहा है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माल खाने वाले अधिकारी का नाम कैसे बतायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री शीशराम श्रोला : माननीय अध्यक्ष जी, जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सरकार सख्ती से कार्यवाही करेगी ।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : क्या है आप बेगम साहब आप क्या कर रही हैं, आप तो हमारी इमदाद करें । अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह से नहीं जाने दूंगा करोड़ों रुपयों का सवाल है । करोड़ों रुपयों का घोटाला है । मैं पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक उसके खिलाफ में कोई इन्क्वायरी की या नहीं की ? आपने आज दिन तक तो कोई जांच नहीं की और आरम्भ की है तो किन-किन अधिकारियों के खिलाफ की और वह कौन हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर ।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उस इन्क्वायरी के रिजल्ट क्या आये और उस अधिकारी का नाम क्या था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री शोपत सिंह : किन किन के खिलाफ यह जांच हो रही है, कौन अधिकारी है जांच करने वाला और अब तक क्या कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, नाम बतावें उसका ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री शीशराम श्रोला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह जांच किसके खिलाफ हो रही है और जांच कौन कर रहा है यह बता दो ।

(व्यवधान)

श्री शीशराम श्रोला : अध्यक्ष जी, जांच सभी अधिकारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ हो रही है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह जांच कमीशन आफ इन्क्वायरी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

एक्ट के तहत हो रही है या किसके तहत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप तो जानते ही हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं अध्यक्ष महोदय, सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच की जायेगी तो जांच क्या कोआपरेटिव एक्ट के तहत हो रही है या किसके तहत।

श्री अध्यक्ष : को-आपरेटिव एक्ट के तहत।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि इन्क्वायरी तीन तरह से होती है एक तो इन्क्वायरी एक्ट के तहत, दूसरी को-आपरेटिव एक्ट के तहत या सर्विस रूल्स के तहत।

श्री शीशराम ओला : राजस्थान को-आपरेटिव एक्ट के तहत।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौन सी धारा के अन्तर्गत।

श्री शीशराम ओला : धारा 17 के अन्तर्गत।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, यह जांच हो ही नहीं रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर आर्डर। आर्डर माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ओन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता, आप कृपया बैठें, माननीय सदस्या आप कृपया बैठें, कृपया बैठें, माननीय सदस्या आप बैठें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर व्यवस्था है उसका पालन होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या, आप बैठें यह प्रश्न आपका नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य मुझे समाप्त करना होगा। आर्डर आर्डर।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य विपणन बोर्ड के अभियन्ताओं की पदोन्नति

670. गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड में कितने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर रखे गये हैं ?

(2) क्या बोर्ड में कार्यरत सभी उपरोक्त पदों के लिये योग्य अभियन्ताओं की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पदोन्नति कर दी है ? यदि नहीं, तो बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर रख कर अतिरिक्त खर्च करने का क्या प्रयोजन है ?

(3) क्या न्यूनतम योग्यता सम्पन्न व्यक्ति होते हुए भी बोर्ड प्रतिनियुक्ति पर अभियन्ताओं को अन्य विभागों से बुला रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग की तरह ही बोर्ड में डिप्लोमाधारी व डिग्रीधारी अभियन्ताओं की पदोन्नति के हितों को सुरक्षित रखा गया है ? यदि हां, तो इनमें पदोन्नति का प्रतिशत क्या है ?

उत्तर

बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर रखे गये अभियन्ताओं की स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1) सहायक अभियन्ता	13
(2) अधिशासी अभियन्ता	6
(3) अधीक्षण अभियन्ता	2

(2) दिनांक 1–4–1984 तक जो निर्धारित योग्यता में आते थे उनकी पदोन्नति की जा चुकी है। बोर्ड कार्यालय के सभी डिवीजन स्थाई नहीं हैं एवं कार्य की मात्रा के अनुसार बढ़ते घटते हैं। अतः बोर्ड में पदोन्नति के बजाय प्रतिनियुक्ति पर लेना ही उचित समझा गया है। वैसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने नीति निर्धारित करके एक आदेश भी निकाला था, जिस पर न्यायालय ने अस्थाई स्थगन दे रखा है एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) कृषि विपणन बोर्ड में निर्माण कार्य निरन्तर प्रगति के नहीं है. इसलिये आवश्यकतानुसार अन्य विभागों से अभियन्ताओं को लिया जाता है।

(4) यह मामला बोर्ड में विचाराधीन है।

पंचायत समिति मुख्यालयों पर उप तहसील की स्थापना

671. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर उप तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले की पंचायत समिति,, बायतू धोरीमन्ना एवं सिणधरी के मुख्यालय पर भौगोलिक दृष्टि के कारण उप तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

(3) क्या यह सही है कि जन प्रतिनिधियों ने बाड़मेर जिले में उक्त उप तहसीलें खोलने के लिये राज्य सरकार व जिलाधीश को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(राजस्व मन्त्री)

(2) केवल पंचायत समिति बायतू, मुख्यालय पर उप तहसील स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि विक्रय का अधिकार

672. श्री लालचन्द (भादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राजस्थान के उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदार को भूमि विक्रय के अधिकार धारा 42 टिनेन्सी अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णरूपेण हैं या नहीं ?

(2) गंगानगर जिले के खातेदार द्वारा भूमि विक्रय करने के लिए जिलाधीश की पूर्व अनुमति अनिवार्य है या नहीं ?

(3) क्या उपनिवेशन क्षेत्र में धारा 42 टिनेन्सी अधिनियम तथा धारा 13 उपनिवेशन अधिनियम की दोहरी मार काश्तकार के लिए दुखदायी नहीं है ?

(4) क्या सरकार कोई भूमि विक्रय के लिए समान कानूनी प्रावधान करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गंगानगर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में विक्रय करने के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

(3) दोनों अधिनियमों के प्रावधान अलग-अलग हैं। अतः दोनों ही अलग-अलग परिस्थितियों में आवश्यक हैं, तथा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए रखे गये हैं।

(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्पूर्ण राज्य में लागू है, जिसमें भूमि विक्रय के लिए प्रावधान है। उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान लागू रखना आवश्यक है।

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ

674. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से अपने ट्रक भेजकर दूध एकत्रित करता है ?

(2) यदि हां, तो संघ की तरफ से सहकारी समिति से ट्रक द्वारा दूध को प्राप्त करने पर क्या दूध प्राप्ति की रसीद ट्रक ड्राईवर समिति को देता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) समिति से दूध प्राप्त करने के बाद अगर ट्रक ड्राइवर उक्त दूध में कमी कर देता है तो उस कमी के लिये कौन जिम्मेवार है व कैसे ?

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(4) यदि संघ समिति द्वारा भेजे गये दूध को प्रमाणित नहीं करता है या कम प्रमाणित करता है, और उससे विवाद उत्पन्न हो जाये, तो किस तरह समाधान किया जाता है ?

(5) क्या संघ ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे ऐसे विवाद उत्पन्न न हो ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अपने क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से अपने अनुबन्धित ट्रक भेजकर दूध संग्रह करता है।

(2) सहकारी समितियों को दुग्ध प्राप्ती की रसीद ट्रक ड्राईवर द्वारा देने की व्यवस्था नहीं है। समितियां ट्रक ड्राईवर के पास उपलब्ध ट्रक शीट में केनों की संख्या, दूध की मात्रा लिखकर भेजती हैं जिसका डेयरी संयत्र पर दूध तोलते समय पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता हैं।

(3) समिति से दूध प्राप्त करने के पश्चात् यदि ड्राईवर उक्त दूध में कमी कर देता है तो ऐसा करते समय रंगे हाथों पकड़े जाने अथवा कमी करने के लिये दोषी प्रमाणित हो जाने पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार इस प्रकार की घटोती की राशि ठेकेदार के भुगतान बिलों से काट कर नियमानुसार समितियों को भुगतान कर दिया जाता है।

(4) समिति द्वारा भेजे गये दूध को समिति स्तर पर प्रमाणित नहीं किया जाता है कम प्रमाणित करने का प्रश्न ही नहीं है। अब यदि कभी-कभी का विवाद उत्पन्न होता है तो संघ की कृषक संगठन शाखा द्वारा समिति स्तर पर, ट्रक स्तर पर एवं डेयरी डाक स्तर पर जांच कर उचित निर्णय द्वारा विवादों का समाधान किया जाता है।

(5) वर्तमान में भी संघ अपने स्तर पर ऐसे पूर्ण प्रबन्ध कर रहा है जिससे इस प्रकार के विवाद उत्पन्न न हों।

जयपुर की आमागढ़ गांधी शक्ति बस्ती

675. **श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में आमागढ़ गांधी शक्ति बस्ती आमागढ़ पहाड़ी के नीचे लगभग 15 वर्षों से बसी हुई है और इस बस्ती में लगभग 3000 व्यक्ति निवास करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में पहाड़ी पर पत्थरों का खनन कार्य होने के कारण पहाड़ी से नीचे बस्ती में पत्थरों के गिरने से गत 3-4 वर्षों में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में पत्थर तोड़ने पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, परन्तु उसके बाद भी खानों के मालिक बराबर खान चलाते आ रहे हैं,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जिसकी खनिज विभाग को कई बार शिकायत भी की गई है, परन्तु आज तक खनन कार्य बन्द नहीं हुआ ? जिसके कारण उक्त क्षेत्र में बसे नागरिकों को हमेशा जान का खतरा बना रहता है।

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में खनन कार्य को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल कुछ व्यक्ति पिछले दो-तीन वर्ष से झोंपड़ियां बना कर रह रहे हैं।

(2) जी नहीं। दिनांक 4 मई, 1983 को पहाड़ की चट्टानें फिसलने से खान संख्या 18 में कार्यरत 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

(3) जी हां। पर यह सच नहीं है कि खानों पर बराबर कार्य हो रहा है। हां, कुछ व्यक्ति यदा कदा अनाधिकृत कार्य करते पाये गये हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) खानों का कार्य अत्यधिक असुरक्षित होने से खान सुरक्षा द्वारा बन्द कराया गया है। खानों की स्थिति सुरक्षित होने पर खान सुरक्षा विभाग के खनन कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश के पश्चात् ही राज्य सरकार द्वारा खान चालू करने पर विचार किया जा सकता है।

सीमेन्ट पोल फैक्ट्रीज के पोल्स का निरीक्षण

676. श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फरवरी एवं मार्च, 1982 में उदयपुर, चित्तौड़ एवं शिवगंज में स्थित सीमेन्ट पोल फैक्ट्रियों में बने पोलों का निरीक्षण करने में मेटेरियल इन्सपेक्शन सेल के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के बाद चार्ज शीट देने की टिप्पणियां की गई ? यदि हां, तो चार्ज शीट के बिन्दु क्या हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चित्तौड़ की फैक्ट्री के पोलों की खरीद कई महीनों तक लम्बित रही ? यदि हां, तो इनका निरीक्षण कब किसके द्वारा किया गया था, और किस काम के कारण उसकी खरीद लम्बित रही, और बाद में किस कारण से उन्हीं पोलों को किस तारीख को खरीद लिया ?

(3) कृपया मेटेरियल इन्सपेक्शन सेल की पत्रावली में उपलब्ध तीनों ही फैक्ट्रियों के उस अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ स्थित सीमेंट पोल फैक्ट्री में बने पोलों की 17/2/82 व 18/2/82 को किये गये निरीक्षण की जांच के लिये चार्ज शीट देने की टिप्पणी की गई किन्तु उदयपुर व शिवगंज स्थित पोल फैक्ट्रियों के निरीक्षणों में अनियमितता

(विद्युत मन्त्री)

न पाये जाने पर चार्ज शीट देने की कोई टिप्पणी नहीं की गई। चूंकि बाद में पुनः जांच करवाने पर पोल मापदण्डों के अनुसार पाये गये, इसलिये चार्ज शीट देने की आवश्यकता नहीं रही। चूंकि चार्ज शीट दी ही नहीं गई इसलिए चार्ज शीट के बिन्दु व विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। चित्तौड़गढ़ स्थित फैक्ट्री के पोलों की स्वीकृति कई महिनों तक लम्बित रही। इसका निरीक्षण, निरीक्षक अधिकारी श्री एस. एस. जैन, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दिनांक 17/2/82 व 18/2/82 को किया गया था। पर इन निरीक्षित पोलों की स्वीकृति शिकायत की वजह से लम्बित की गई और बाद में अन्य अधिकारी द्वारा जांच करवाने एवं मापदण्डों के अनुसार पाये जाने के बाद दिनांक 21/4/82 को 7.5 मीटर लम्बे पोलों को व दिनांक 6/10/82 को 8.0 मीटर लम्बे पोलों की स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) तीनों ही फैक्ट्रियों की इस अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

रानीवाड़ा विद्युत उपखण्ड द्वारा विद्युत कनेक्शन्स

677. श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अप्रेल, 1983 से जून, 1985 तक रानीवाड़ा विद्युत उपखण्ड को कितने कृषि कनेक्शन्स करने की अनुमति दी गई थी ? क्या कनेक्शन देने में किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना की गई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) अप्रेल, 1983 से जून, 1985, तक किन-किन किसानों के कृषि कनेक्शन्स किये गये ? कृपया उनका निम्न प्रारूप में विवरण सदन की मेज पर रखें—

(1) क्रम संख्या (2) फाइल प्राप्ति की दिनांक (3) काश्तकार का नाम व पता (4) प्रायोरिटी नं (5) कनेक्शन किये जाने की तिथि।

(3) अब कुल कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? इनका कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1983 से जून, 1985 तक रानीवाड़ा उपखण्ड में 195 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विजिलैंस चैकिंग के दौरान प्रारम्भिक जांच में कुछ अनियमितताएं पाई गई। उक्त अनियमितताओं के लिए तत्कालीन सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित किया गया।

(2) अप्रेल, 1983 से जून, 1985 तक जिन किसानों को कृषि कनेक्शन दिये गये उनका प्रश्न में चाहा गया विवरण सूची "अ" में संलग्न है।

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

(3) माह जून, 1985 के अन्त में उक्त उपखण्ड में 1007 कृषि कनेक्शन विचाराधीन थे। माह मार्च, 1985 तक जिन आवेदन-कर्ताओं द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करायी जा चुकी है उनके कनेक्शन देने के आदेश हाल ही में प्रसारित कर दिये गये हैं। शेष आवेदन-कर्ताओं को वित्तीय साधन एवं विद्युत उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

राक फास्फेट की श्रेणी बदलने हेतु पायलेट प्लाण्ट

678. श्री प्रभूलाल (नैनवा) : श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर के द्वारा निम्न श्रेणी के राक फास्फेट को उच्च श्रेणी में बदलने हेतु वेनिफिसियेशन परियोजना प्रारम्भ कर प्रयोगात्मक स्तर पर एक पायलेट प्लांट की स्थापना की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या पायलेट प्लांट से शोधित होने के बाद विक्रय किये गये राक फास्फेट प्राप्त आय के अध्ययन से यह लाभप्रद योजना साबित हुई है ? कृपया इसका आर्थिक विवेचन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रयोगात्मक स्तर पायलेट प्लांट 200 t. p. d. क्षमता का स्थापित किया गया। इस पायलेट प्लांट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित परिशोधन विधि को व्यवसायिक स्तर पर जांचना था ताकि उसके आधार पर बड़ा व्यवसायिक संयन्त्र लगाया जा सके। यह जांच कार्य पूरा हो चुका है तथा परिशोधित राक फास्फेट का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विवेचन किया गया। इससे पाया गया कि राक फास्फेट सभी प्रकार के फास्फेटिक उर्वरक बनाने के लिये उपयुक्त है। व्यवसायिक स्तर पर परिशोधन संयन्त्र लगाने तथा उसके खनन करने के सम्बन्ध में विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रारम्भिक रूप से प्राप्त हो गई है तथा उसका विवेचन किया जा रहा है। प्रारम्भिक संकेतों के आधार पर उच्च श्रेणी तथा निम्न श्रेणी के राक फास्फेट के खनन तथा परिशोधन की मिश्रित योजना लाभप्रद है।

करौली में देवस्थान विभाग के मन्दिर

679. श्री शिवचरणसिंह (करौली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्यों के विलीनीकरण के समय करौली में कितने मन्दिर थे, और आज कितने है ? इनमें से देवस्थान विभाग ने कितने मंदिर बेच दए ?

(श्री शिवचरणसिंह)

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व करौली रियासत के सारे मन्दिरों पर जागीरें थीं ? अब किस-किस मन्दिर को कितनी-कितनी सहायता किस रूप में मिलती है ?

उत्तर

(1) करौली रियासत के विलीनीकरण के समय 122 राजकीय मंदिर थे, तथा आज भी 122 राजकीय मन्दिर हैं। देवस्थान विभाग ने कोई मन्दिर नहीं बेचा है।

(2) जी नहीं। इन 122 मंदिरों में से 66 राजकीय मंदिरों को सहायता अनुदान राशि का चुकारा किया जाता है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

परबतसर में ए. सी. जे. एम. न्यायालय की स्थापना

680. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार परबतसर के लिए ए. सी. जे. एम. कोर्ट की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, परबतसर ए. सी. जे. एम. न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा वित्त विभाग द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव भी बजट में सम्मिलित कर लिया गया है। इस संबंधी नोटिफिकेशन, राजस्थान विधान सभा द्वारा बजट पारित किये जाने पर ही जारी किया जा सकेगा।

चक–7 एपीडी के पक्के खाले पर बनी पुलिया

681. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चक–7 एपीडी के पक्के खाले पर बनी पुलिया की ऊंचाई सड़क तल से कितनी है ?

(2) क्या यह पुलिया आवागमन के लिए चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस पुलिया को आवागमन के योग्य कब तक बना दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 7 ए. पी. डी. कोई चक नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में जन सम्पर्क निदेशालय का आवासीय भवन

682. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बम्बई जन सम्पर्क विभाग में जन सम्पर्क निदेशालय के उप निदेशक के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निवास के लिए राजकीय भवन की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसमें किसका कब्जा है, तथा कब से ?

(2) क्या ये अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(3) क्या सरकार इस भवन को सेवा निवृत्त अधिकारी से कार्यरत उप निदेशक को दिलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त उप निदेशक एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कार्यरत उप निदेशक को अपना त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में सेवा निवृत्त उप निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। इस आवास के कुछ कमरों में सेवा निवृत्त उप निदेशक, श्री चन्द्रसिंह पंवार का सामान रखा हुआ है। सेवा निवृति की तारीख 30.9.83 है।

(2) जी हां। श्री चन्द्रसिंह पंवार दिनांक 30.9.83 को सेवा निवृत हो चुके हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। परन्तु राज्य सरकार कमरे खाली करने की कार्यवाही कर रही है।

मात्री कुण्डिया डेम, चित्तौड़गढ़

683. श्री अमरचन्द (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मात्री कुण्डिया डेम जिला चित्तौड़गढ़ का कार्य कब प्रारम्भ हुआ, तथा कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

(2) मात्री कुण्डिया डेम पर लोहे के गेट विभागीय तौर पर लगाये जा रहे हैं, या ठेकेदार द्वारा लगाये जा रहे हैं ? अगर ठेकेदार द्वारा लगाये जा रहे हैं, तो किस दर पर लगाये जायेंगे ?

(3) क्या मात्री कुण्डिया डेम पर काम में ली गई सामग्री अच्छी किस्म की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या मात्री कुण्डिया डेम से पानी के लीकेज होने से काफी काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सीपेज को रोकने हेतु सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या मात्री कुण्डिया डेम से नहर निकालने के लिए सर्वे का कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो नहरों का निर्माण कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं, और अब यह कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) मात्री कुण्डिया डेम जिला चित्तौड़गढ़ का निर्माण कार्य वर्ष 1969-70 में प्रारम्भ हुआ था। इस कार्य के सप्तम पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) मात्री कुण्डिया डेम पर लोहे के 52 गेट्स ठेकेदार द्वारा लगाये जा रहे हैं। ठेके की स्वीकृत राशि 1,22,10,200 रु. एशकेलेशन इत्यादि अलग से होगा जिसकी राशि अभी बताना संभव नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। मात्रीकुण्डिया डेम से नहर निकालना प्रस्तावित नहीं हैं।

बालोतरा में ईंट निर्माण हेतु राजस्व भूमि का आवण्टन

684. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में ईंटों के निर्माण हेतु बालोतरा कस्बे के निकट कुछ लोगों को राजस्व भूमि लीज पर आवंटित की गई थी? यदि हां, तो किन-किन को, तथा प्रत्येक कि कितनी भूमि आवंटित की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवंटियों में से अनेक लोगों ने उक्त भूमि रिहायशी कार्य हेतु अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी जमीन बेच दी है?

(3) क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र

685. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले 6 माह से राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र खाली पड़े हैं, और कोई भर्ती की व्यवस्था नहीं हो सकी? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके लिये जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई?

(2) जुलाई, 1984 से अब तक प्रशिक्षण केन्द्रों का कब-कब और किस शीर्ष अधिकारी द्वारा मुआयना किया गया है? कृपया मुआयना की जांच रिपोर्ट की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या चल चित्र प्रोजेक्ट के लिए वाहन की व्यवस्था है? यदि हां, तो लोग-बुक के अनुसार चल चित्र दिखाने के लिए कहां-कहां और कब-कब इस वाहन का उपयोग किया गया है? कृपया एक वर्ष का चलचित्र प्रदर्शन के कार्यक्रम का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में 4 प्रशिक्षण केन्द्रों पर 3 प्रधानाचार्य व 16 व्याख्याता

(सहकारिता मन्त्री)

कार्य कर रहे हैं। एक पद प्रधानाचार्य का तथा चार पद व्याख्याता के रिक्त हैं। प्रधानाचार्य के रिक्त पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

व्याख्याताओं के रिक्त पदों की भर्ती केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के कम आने के कारण नहीं की गई है।

(2) जुलाई, 84 से अब तक श्री के. सी. भार्गव मुख्य कार्यकारी, द्वारा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। मुआयनों की जांच रिपोर्ट की सही प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं।

(प्रति विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामसर में गीर नस्ल की गायों के प्रजनन हेतु फार्म

686. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजमेर जिले में रामसर ग्राम में गीर नस्ल की गायों के प्रजनन एवं सर्वेक्षण हेतु एक फार्म की स्थापना की गई थी? अगर हां, तो कब?

(2) इस फार्म को कब डग स्थानान्तरित किया गया, व क्यों?

(3) डग में इस फार्म में गीर नस्ल की गायों की कितनी संख्या स्थानान्तरित की गई थी व अब कितनी मौजूद है?

(4) क्या डग की जलवायु माकूल नहीं होने से यहां गीर नस्ल नष्ट हो रही है? अगर हां, तो सरकार इस फार्म को वापस रामसर कब तक लायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां।

अजमेर जिले के रामसर ग्राम में गीर पशुओं के सम्बन्ध के संवर्धन हेतु एक पशु प्रजनन केन्द्र की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी।

(2) रामसर में पशुओं के समुचित विकास हेतु सवंर्धन सम्पूर्ण सुविधायें जैसे पीने का पानी, हरा चारा, आदि वांछित मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इस केन्द्र के सभी पशुओं को वर्ष 1976 में डग (झालावाड़) स्थानान्तरित किया गया था।

(3) डग में इस फार्म से गीर नस्ल की 68 गायें स्थानान्तरित की गई थी एवं वर्तमान में इनकी संख्या 49 है।

(4) डग की जलवायु एवं मिट्टी आदि व्यावहारिक रूप से गीर पशुओं को पूर्णतया अनुकूल न होने के कारण राज्य सरका अजमेर जिले में ही उपयुक्त स्थान पर गीर नस्ल के पशुओं के सवर्धन हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु विचार कर रही है।

थाणेश्वर महादेव मन्दिर (रायपुर) की भूमि

687. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर):

Page No. 42

(42)

(श्री हीरासिंह चौहान)

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यह सही है कि रायपुर (पाली) तहसील के गांव आसन जिलेलाव में थाणेश्वर महादेव जी का मन्दिर आया हुआ है, तथा इसके पुजारी को आपजी कहते हैं? वक्त सेंटलमेंट इस मन्दिर के पुजारी के नाम उक्त गांव में कितने बीघा जमीन थी, तथा सेंटलमेंट के पूर्व कितने बीघा भूमि खातेदारी में थी?

(2) क्या इस मन्दिर के पुजारी की भूमि जागीर अधिनियम के तहत अधिग्रहण की गयी? यदि हां, तो कितने बीघा, तथा कितने रुपये मुआवजे के किस पुजारी को कब दिये गये?

(3) वर्तमान में इस मन्दिर के खातेदारी में कितने बीघा भूमि है, और उस पर कौन काबिज है?

(4) क्या राजस्थान सरकार ऐसी डोली भूमि जो मंदिरों की रही है उस पर से अतिक्रमण हटाकर मन्दिर के पुजारियों को कब्जा सुपुर्द करना चाहती है? अगर ऐसा विचार है, तो कब तक कब्जा सुपुर्द कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील रायपुर के गांव आसन जिलेलाव में थाणेश्वर महादेव जी का मंदिर के आसन की गद्दी पर बैठने वाले को प्रय प्रावजी न कहकर आपजी कहते हैं। सेंटलमेंट रेकार्ड में पुजारी का नाम नहीं है तथा इस भूमि के लिए लिखा है "आसन जिलेलाव बएतनाय आसन नीगम रावल चेला सुखम रावल जागीरदार" खुदकाश्त के खाते में 8 बीघा 11 बिस्वा चाही अव्वल तथा गैर मुमकिन गैरा /4 में 1/2 हिस्सा है। सेंटलमेंट के समय जागीरदार की हैसियत से निम्न भूमि थी:—

खुदकाश्त	8 बीघा 15 बिस्वा
खातेदार	57 बीघा 8 बिस्वा

बिला कब्जा गै. मु. 5 बीघा 10 बिस्वा
बिला कब्जा गै. मु. 6093 बीघा 17 बिस्वा
वक्त सेंटलमेंट वह गांव जागीर का गांव था। इसलिए इससे पूर्व का विवरण नहीं दिया जा सकता।

(2) जी हां। जागीर अधिनियम के तहत आसन जिलेलाव की 6679 बीघा 6 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की जिसका मुआवजा श्री लाल रावल द्वारा 23.7.68 को बाड 1450 प्राप्त किये गये हैं।

(3) वर्तमान में रिकार्ड अनुसार आसन जिलेलाव बएतमान आसन नीगम रखबल चेला सुलम रावल के खाते में 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि है। इस पर रावल चेला लाल रावल काबिज है।

(4) जी हां। मन्दिर की मूर्ति का नाम भूमि अंकित कराने का प्रावधान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में ऐसे मामलों में रेफरेन्स हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल में जाते हैं। राजस्व मण्डल के निर्णय के पश्चात् मूर्ति के नाम भूमि किये जाने के फैसले पर पुनः कब्जा पुजारियों को सम्भलाया जाता है।

को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन में कार्यरत कर्मचारी

688. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जो अपने आपको बेरोजगार दर्शाते हुए कार्यरत हैं और इस संघ से वेतन उठा रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

राजफेड के लेखे

689. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजफेड, जयपुर के संचालक मण्डल द्वारा 22.5.81 को एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसमें राजफेड के 1974-75 से 1979-80 तक के लेखों को गलत मानते हुए उनको पुन: बनवाने का निर्णय किया गया था ? इस प्रस्ताव को पास करने के कारण तथा परिस्थितियां का विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रस्ताव के बाद लेखों को सही करने पर हजारों रुपये खर्च किये गये, तथा एक मुख्य लेखाधिकारी को राजफेड में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस सबके बावजूद लेखे सही नहीं हो सके तथा गलत लेखों के आधार पर ही आगे के लेखे बनाये गये ? इस सम्बन्ध में कृपया 1974-75 से 1981-82 तक की आडिट रिपोर्टों में की गई टिप्पणियां सदन पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजफेड की 1974-75 से 1978-79 तक की आडिट रिपोर्ट में संतुलन चित्रों पर आडिटरों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के संघ के लेखों को गलत बताया गया है ? कृपया उन प्रमाण-पत्रों की प्रतियां तथा सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्ताव पारित करने के कारण व परिस्थितियां निम्न प्रकार रही हैं:—

तलपट में अन्तर, समितियों, बैंकों व अन्य संस्थाओं से हिसाब का मिलान न होना, संघ की विभिन्न यूनिटों से हिसाब में मिलान में अन्तर।

(2) कुल 5500/- रुपये का व्यय हुआ है। संघ में लेखा सेवा के वरिष्ठ लेखाधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। विवरण सदन के पटल पर रख गया है। मुख्य लेखाधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेना मात्र हिसाब ठीक करना नहीं था अपितु संघ के लेखों को सुचारु रूप से रखने के लिए चाहा गया था।

(3) वर्ष 74-75 से वर्ष 77-78 तक के लेखों का मिलान सम्बन्धी कार्य प्रयासों के

(सहकारिता मंत्री)

बावजूद भी पूर्ण नहीं होने के कारण वर्ष 77-78 के लेखों को आधार मान कर आगामी वर्षों के लेखों को तैयार किया गया है। वर्ष 74-75 से वर्ष 78 79 तक के व 79-80 व 81-82 की आडिट रिपोर्टों में की गई टिप्पणियां संलग्न कर दी गई हैं। वर्ष 80-81 की आडिट रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(4) राजफैड की आडिट रिपोर्टों में सन्तुलन चित्र पर आडिटरों द्वारा जो प्रमाण पत्र दिये गये हैं उनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमि विकास बैंक का प्रशिक्षण केन्द्र

690 श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान भूमि विकास बैंक का प्रशिक्षण केन्द्र नये भवन में कब स्थानान्तरित हुआ, एवं पूर्व व वर्तमान भवन का मासिक किराया क्या है ? क्या किराये की गणना पी. डब्लू. डी. रेट्स से की गई है ?

(2) प्रशिक्षण केन्द्र भवन के लिये एग्रीमेंट किससे व कब किया गया ? क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से स्वीकृति ली गई ? यदि हां, तो कृपया एग्रीमेंट की प्रतिलिपि मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का होस्टल व मैस कौन चलाता है, और होस्टल का क्षेत्रफल क्या है, तथा इसमें कितने प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था है ? क्या प्रशिक्षणार्थी से मेस चार्जेज के अलावा सर्विस चार्जेज भी लिये जाते हैं ? यदि हां, तो मेस एवं सर्विस चार्जेज क्या-क्या हैं ?

(4) क्या उक्त बैंक द्वारा स्वयं फर्नीचर न खरीद कर मकान मालिक को फर्नीचर खरीदने के लिये ब्याज मुक्त एडवांस दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कितनी राशि क्या सामान खरीदने के लिए, कब दी गई, और फर्नीचर कब उपलब्ध कराया गया ?

(5) क्या इस प्रशिक्षण केन्द्र में क्लास रूम पर्याप्त नहीं है और इस सम्बन्ध में नाबार्ड का आक्षेप भी है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रशिक्षण केन्द्र नये भवन में दिनांक 26–12–84 को स्थानान्तरित हुआ। पूर्व भवन का किराया 1385) रु० मासिक था व वर्तमान भवन का मासिक किराया 4960) रु० है।

किराया की गणना बैंक में प्रतिनियुक्ति पर लगे इन्जीनियर द्वारा पी. डब्लू. डी. रेटस के अनुसार गणना कर तय की गई है।

(2) प्रशिक्षण केन्द्र भवन के लिए एग्रीमेंट श्रीमती मनोरमा गुप्ता जयपुर नगर से दिनांक 20–12–84 को किया गया है। जो नहीं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। एग्रीमेंट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No. 45

45

(सहकारिता मंत्री)

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का होस्टल श्रीमती मनोरमा गुप्ता चलाती हैं और होस्टल का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है। इसमें 25 प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था है। जी नहीं मैस चार्जेज के अलावा सर्विस चार्जेज नहीं लिये जाते हैं। लेकिन एस्टेबलिशमेंट कास्ट 15) रु. प्रति प्रशिक्षणार्थी ली जाती है जो उनको देय स्टाइपंड में समायोजित होता है।

(4) जी हां। मकान मालकिन से भवन किराये का जो इकरारनामा किया गया था उसके अनुसार फर्नीचर खरीदने हेतु ब्याज मुक्त अग्रिम दिये जाने की भी शर्ते थी जिसका समायोजन 24 बराबर किश्तें देय किराये में से किया जाना था। क्योंकि मकान मालकिन ने फर्नीचर के लिये पृथक से कोई किराया नहीं लिया। यह राशि कुल 99200 थी दिनांक 20–12–84 को उपलब्ध कराई। मकान मालकिन द्वारा यह फर्नीचर व मैस का सामान गत फरवरी व अप्रेल के बीच उपलब्ध कराया गया।

(5) जी नहीं वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए क्लास रूम पर्याप्त हैं। इस सम्बन्ध में नाबार्ड ने बड़े क्लास रूम रखने की उपेक्षा की है जिसके लिए पृथक से बड़ा क्लास रूम बनाने का विचार विमर्श चल रहा है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

कठूमर क्षेत्र की वन भूमि

691. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में वन विभाग की भूमि कहां-कहां व कितनी-कितनी है, तथा वर्तमान में किस काम में ली जा रही है ?

उत्तर

कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में वन विभाग की 353 है० भूमि है उक्त भूमि आरक्षित वन खण्ड रूंध मेघना की है। वर्तमान में 353 हैक्टर में से 200 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है। अवशेष 153 है० क्षेत्र स्थानीय मवेशियों की चराई के लिए कार्य में आ रही है। इस रूंध में 7 बीघा 15 बिस्वा क्षेत्र पर 4 व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

निदेशक, पशुपालन विभाग

692. श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निदेशक, पशुपालन विभाग का पद कितने समय से और क्यों रिक्त है ?

(2) क्या अब राज्य सरकार पशु पालन निदेशक का पद भरने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निदेशक, पशुपालन विभाग का पद रिक्त नहीं है। इस पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिनांक 1-9-81 से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत हैं।

Page No. 46

(46)

(पशु पालन मंत्री)

(2) पशुपालन सेवा के अधिकारी को इस पद पर पदस्थापित किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन चल रही है।

दुर्घटना बीमा योजना

693. **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार का पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा करने वालों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का विचार है ? यदि हां, तो इसकी क्या रूपरेखा है, और कब से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) किस-किस राज्य के परिवहन निगम ने दुर्घटना बीमा योजना चालू की हुई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार का परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा "दी राजस्थान मोटर व्हीकल्स एक्सीडेन्ट्स (पेमेन्ट आफ एक्सग्रेसिया अमाउन्ट) स्कीम" निगम में दिनांक 1–9–1981 से लागू की हुई है जिसके अन्तर्गत स्टेज केरिज में यात्रा करने वाले किसी यात्री की मृत्यु होने की स्थिति में रुपये 15 000–00 का एक्सग्रेसिया भुगतान करने का प्रावधान है। इस स्कीम की रूप-रेखा संलग्न कर दी गई है।

(2) अन्य राज्य पथ परिवहन निगमों में दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित सूचना निगम में उपलब्ध नहीं है।

(अध्यादेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयुर्वेद रसायन शाला, अजमेर द्वारा उन्नाव की खरीद

694. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शाला, अजमेर हेतु मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर को दिनांक 8-1-1985 को बत्तीस हजार एक सौ पैंसठ रुपये नब्बे पैसे की उन्नाव किन औषधियों के निर्माण हेतु खरीदने का कब, व किसके द्वारा निर्णय लिया गया और इस उन्नाव को खरीदने हेतु कब-कब व किस-किस माध्यम से निविदाएँ आमन्त्रित करने का विज्ञापन व प्रकाशन किया गया और किस-किस व्यापारी ने कब-कब व किन-किन शर्तों पर निविदाएं प्रस्तुत कीं ? कृपया विज्ञापन प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रसायन शाला में यह उन्नाव प्राप्त होने पर इसमें से दिनांक 30-6-1985 तक कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग कर कब-कब व कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस औषधि का निर्माण किया गया और

(श्री हरि शंकर भाभड़ा)

निर्मित औषधियों को किस-किस औषधि वितरण केन्द्र पर कब-कब सप्लाई किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इस उन्नाव के क्रय आदेश देने से पूर्व बाजार से भावों का जायजा भी लिया गया था ? यदि हां, तो किस माध्यम से और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी जयपुर से शर्बत उन्नाव, शर्बत एजाज लऊक सपिस्ता, मर्तबुल फसादे खून, जोसांदा, गोजिन्हादि क्वाथ एवं जन्मघुटी औषधियों के निर्माण हेतु बत्तीस हजार एक सौ पैंसठ रुपये नब्बे पैसे की उन्नाव खरीदी गई । यह माल रसायन शाला, अजमेर के स्टाक में दिनांक 9-1-1985 को जमा किया गया । व्यापारी द्वारा प्रस्तुत बिल की तारीख दिनांक 8–1–1985 थी ।

उक्त औषधियों के निर्माण हेतु उन्नाव की निविदा जारी कर भण्डार क्रय समिति द्वारा दिनांक 19-11-84 को दरें अनुमोदित करने के पश्चात निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 23542–49 दिनांक 3–12–84 से क्रय आदेश दिये गये थे ।

इस माल को खरीदने हेतु सदस्य सचिव (लेखाधिकारी, निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर) द्वारा दिनांक 6-7-84 को निविदा विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी जिसके प्रचार व प्रकाशन हेतु जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाने के लिये भेजी गई । जन-सम्पर्क निदेशालय, जयपुर से उनके पत्र क्रमांक 3539/85 दिनांक 7 7-84 द्वारा निम्न समाचार-पत्रों को प्रकाशित करने हेतु भेजी—

(1) दैनिक नवज्योति संयुक्त, जयपुर ।

(2) नवभारत टाईम्स, दिल्ली ।

(3) साप्ताहिक इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकत्ता ।

इस निविदा की अन्तिम तिथि 23-8-84 में प्रथम वृद्धि 10-9-84 तथा द्वितीय वृद्धि दिनांक 21-9-84 को गई थी ।

जिन व्यापारियों के द्वारा निविदाएं प्रस्तुत की गई उसका विवरण मय निविदा देने की दिनांक तथा व्यापारियों द्वारा दी गई शर्तों (परिशिष्ट–क) सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विज्ञापन, सम्बन्धित माल के लिए प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) निर्माण एवं वितरण का विवरण, क्रमश: संलग्न परिशिष्ट—(ख एवं ग) सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(शर्त व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सिरोही जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त हायर-सैकण्डरी विद्यालय

695. **श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही):** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार सिरोही जिला मुख्यालय पर राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों की भांति एक अतिरिक्त हायर सैकण्डरी विद्यालय, अत्यधिक छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए खोलने की आवश्यकता का अनुभव करती है, जिसके लिए गत 10 वर्षों से जन प्रतिनिधिगण निरंतर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या वर्तमान शिक्षा सत्र से सिरोही में एक अतिरिक्त हायर सैकण्डरी स्कूल की स्थापना कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिरोही के अतिरिक्त 10 जिला मुख्यालय हैं जहां छात्रों के लिये एक ही हायर सैकण्डरी स्कूल है एवं छात्र संख्या की दृष्टि से भी सिरोही में अतिरिक्त स्कूल खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(2) वर्ष 1985-86 में हायर सैकण्डरी विद्यालय खोलने हेतु कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है । अतः सिरोही में हायर सैकण्डरी विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत पदोन्नति

697. **श्री पोकर लाल परिहार (देसूरी) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत पदोन्नति लागू कर दी है ? अगर हां, तो कबसे ?

(2) क्या व्यक्तिगत पदोन्नति लागू करने के बाद जो व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर सेवा में थे, तथा अल्प अवधि बाद सेवा निवृत्त हो गए उन्हें पदोन्नति का मौका दिया अथवा नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालयों में जानबूझ कर कई लोगों की पदोन्नति नहीं की गई ? जिन-जिन व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर की पदोन्नति सेवा निवृत्ति से पूर्व नहीं की गई, कृपया उनकी सूची सदन पटल पर रखें ।

(4) क्या सरकार इस प्रकार से अधिकारों से वंचित रहे व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर को अपने अधिकार देना उचित मानती है ? यदि हां, तो कब तक पदोन्नति की जाएगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना दिनांक 3.10.83 को अध्यादेश संख्या 7 सन् 83 के द्वारा लागू की गई ।

(2) चयन समिति की बैठक के समय जो अध्यापक सेवारत थे तथा पदोन्नति के पात्र थे उन सभी की पदोन्नति के विषय में विचार किया गया था ।

(3) जी नहीं । ऐसे अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(शिक्षा मन्त्री)

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

अजमेर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था

698. श्री रघुवर दयाल (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के विक्रय द्वारा वितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितनी दुकानें किस किस को कब कब से स्वीकृत हैं, तथा वे कहां कहां पर स्थित होकर किस किस वार्ड या क्षेत्र के लिए खोली गई हैं? उनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या व इकाइयाँ हैं?

(2) वित्तीय वर्ष 1984-85 में इन दुकानों को कब कब क्या क्या सामग्री कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध करायी गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपभोक्ताओं की ओर से इन दुकानदारों के विरुद्ध इस वर्ष में दुकानें नहीं खोलने और आवश्यक उपभोक्ता सामग्री नहीं उपलब्ध कराने आदि अनियमितताओं की शिकायत हुई थी? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध कब कब हुई, और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट 'क")

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "ख")

(3) उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर दुकानदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "ग")

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र से निकाली ड्रेन्स पर पुलियायें

699. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में डूंगरोली, पीपल्दा खुर्द, करजोदा, रोण, कवल्दा, अरनिया, रावल जावल, मटवाड़ा, पारलिया, विनायका, दूधली, जलोदा खातियान, अयानी, रामपुरा, इटावा, नारायणपुरा, खेडली, बेरीसार, ठींपरी, मियाना, नीमोला, उदयपुरा, नोनेरा आदि गांवों में निकाली गई ड्रेनों पर पड़ने वाले रास्तों पर पुलियाएं नहीं होने से रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा पुलियाएं नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार जनहित को मद्दे नजर रखते हुए उक्त स्थानों पर शीघ्र पुलियाओं का निर्माण कराने के आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) ग्राम पीपल्दा खुर्द, कवल्दा, अरनियां, बिनायका, दूधली, जलोदा खाति-

(सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री)

यान, अयानी व रामपुरा में पुलियाओं का निर्माण करा दिया गया है। शेष गांवों के लिए बजट में प्रावधान होने पर पुलियाओं का निर्माण करा दिया जावेगा।

(2) उत्तर प्रश्न के भाग एक में दिया जा चुका है।

नगर परिषदों में कार्यरत विधि अधिकारी

700. श्री माणकचन्द डागी (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में नगर परिषदों में वर्तमान में कितने विधि अधिकारी कार्यरत हैं ? कृपया अधिकारी के नाम व कार्यरत स्थान की सूची सदन पटल पर रखें।

(2) क्या विभाग ने विधि अधिकारी के पद राजस्व अधिकारी प्रथम के समकक्ष माना है तथा दोनों के वेतनमान समान हैं ? अगर हां, तो किन-किन विधि अधिकारी को अब तक पदोन्नति दी गई ? अगर नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

(3) क्या ब्यावर में कार्यरत विधि अधिकारी ने कभी अपनी पदोन्नति के अवसर की मांग की है ? अगर हां, तो कब एवं क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) अभी एक विधि अधिकारी नगर परिषद में कार्यरत है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वेतनमान समान है। परन्तु विधि अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के पदों में पदोन्नति के अवसर समान नहीं हैं, क्योंकि इनके कार्यों में भिन्नता है।

(3) जी हां। वर्तमान नियमों में पदोन्नति का प्रावधान नहीं होने के कारण मांग अस्वीकार की गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर को आर्थिक क्षति

701. श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1981-82 में खेतानाड़ी योजना में 2? दुकानों के निर्माण के पश्चात् नीलामी द्वारा निष्पादन अथवा किराये पर नहीं देने से न्यास की पूंजी रु. 4,02,694 अवरुद्ध हुई, जिससे न्यास को रु. 1,28,832/– की ब्याज की हानि हुई, एवं नीलामी की चौथाई राशि के रिफण्ड में अनियमितताओं से रु. 58,860/– की अतिरिक्त हानि पहुंची जिसका उल्लेख लोकल फण्ड आडिट द्वारा भी आक्षेप संख्या 7 में किया गया ? कृपया सम्बन्धित आडिट पेरा की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या आडिट हुए अब दो वर्ष व्यतीत हो गये हैं ? यदि हां, तो राज्य

(श्री नारायण राम बेड़ा)

सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 93 [ए] के अन्तर्गत उपरोक्त हानि कब तक वसूल कर लेगी, एवं उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, लोकल फण्ड ऑडिट ने अपने आक्षेप संख्या 7 में इस प्रकार की हानि होने का जिक्र किया है। सम्बन्धित ऑडिट पैरा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) न्यास के प्रति पालना रिपोर्ट मांगी गई है। प्रति पालना रिपोर्ट एवं ऑडिट आक्षेप के सम्बन्ध में मामले का परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षण करने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर के विरुद्ध ज्ञापन

702. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी): क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर शहर जिला कांग्रेस (आई) कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक चौदह पेज का ज्ञापन अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर के भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक कार्यवाहियों के विरुद्ध दिनांक 15.4.1983 को माननीय मुख्य मन्त्री एवं माननीय नगरीय विकास राज्य मन्त्री को प्रेषित किया ?

(2) यदि हां, तो कृपया उपरोक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें। उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा ज्ञापन जो दिनांक 15.4.1983 को माननीय मुख्य मन्त्री जी एवं माननीय नगरीय विकास राज्य मन्त्री को प्रेषित किया गया हो, इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (छबड़ा) में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

704. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग सब डिवीजन छबड़ा (जिला कोटा) में वर्ष 1978 से कौन-कौन श्रमिक कब से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नाते कार्य कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त श्रमिकों में से कुछ श्रमिकों को 1 जुलाई, 1982 से कार्य मुक्त

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कर दिया था ? यदि हां, तो कृपया उन श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या निकाले गये कर्मचारी श्रम न्यायालय में गये थे, एवं श्रम न्यायालय ने उनको पुनः काम पर लगाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उपरोक्त आदेश के अनुसार निकाले गये श्रमिकों की नौकरी को खंडित नहीं माना गया ?

(5) इतने समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को राज्य सरकार ने क्या स्थायी कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार इन्हें कब तक स्थायी कर देगी ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग सब डिवीजन छबड़ा (जिला कोटा) में 1978 से संलग्न तालिका के अनुसार 20 श्रमिक दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(2) जी हां । कार्य मुक्त किये गये श्रमिक संलग्न सूची क्र० सं० 1 से 17 तक दर्शाये गये हैं ।

(3) जी नहीं, निकाले गये कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों को महा मंत्री पी. डब्लू. डी. वर्क्स यूनियन बारां के द्वारा हुये दिनांक 22-4-82 के समझौते के अन्तर्गत 1-9-82 से पुनः कार्य पर ले लिया गया था । शेष 12 कर्मचारियों को मुख्य अभियन्ता के आदेश से पुनः काम पर लगा दिया गया था ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं । वर्तमान नार्म्स के अनुसार सेमी परमानेन्ट के रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण नार्म्स का संशोधन जो विचाराधीन है वह फाइनल होने पर यदि रिक्त पद उपलब्ध होंगे तो सेमी परमानेन्ट किया जावेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

राजस्व रेकार्ड में नामांकन

705. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम वासी सिहागान तहसील बीकानेर करीब दो सौ घरों का आबाद गाँव है ? लेकिन राजस्व रिकार्ड में इस नाम से कोई गांव अंकित नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां, ग्राम वासी सिहागान की आबादी लगभग 150 घरों की है । इस ढाणी को नवीन ग्राम घोषित करने हेतु जिलाधीश बीकानेर तथा राजस्व मण्डल अजमेर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

Page No. 53

(53)

सिलोरा (किशनगढ़) में हैण्ड पम्प्स

707. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र सिलोरा में गत एक जनवरी, 1985 से 15 जून, 1985 तक किस किस ग्राम पंचायत में कितने कितने और कहां कहां हैण्ड पम्प लगाये गये ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त लगाये गये हैण्ड पम्प में से अधिकांश हैण्ड पम्प बन्द पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कहां कहां और कब से क्यों बन्द पड़े हैं ? उन्हें कब तक चालू कर दिया जायगा ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त माहों में लगाये गये हैण्ड पम्प्स चुनाव को मद्दे नजर रखते हुए अनुपयुक्त स्थानों पर एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के खेतों व मकानों के सामने लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो गलत स्थानों पर लगाये गये हैण्ड पम्प्स के लिए कौन जिम्मेदार है ? इस हेतु क्या कार्यवाही सरकार करेगी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

टोंक में हत्यायें

708. श्री ग्यारसी लाल (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1984–85 में जिला टोंक में कितनी हत्याएं हुई, कितनी आत्म हत्याएं हुई ? क्या इन हत्याओं के सभी अभियुक्तों को पुलिस पकड़ने में सफल हुई ? उनके नाम सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) आत्म हत्याएं तथा हत्याओं के कितने मामले पुलिस ने गुप्तचर विभाग को स्थानान्तरित किये ? उनमें कितने मामलों की जांच पूरी हो चुकी है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न में चाही गयी सूचना सूची "अ" में संलग्न है।

(2) वांछित सूचना सूची "अ" में अंकित कर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सरपंच, लाखना द्वारा पद का दुरुपयोग

710. श्री थान सिंह (सलूम्बर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर

(श्री थान सिंह)

की पंचायत लाखणा के वर्तमान सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग कर अन्य खातेदार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 527, 528 व 529 के एक हिस्से पर अवैध रूप से भवन निर्माण कार्य चालू करवाया था।

(2) क्या इस मामले की उक्त सरपंच के विरुद्ध दिनांक 2-6-1985 को पुलिस थाना, सांगानेर में कोई एफ. आई. आर. दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो पुलिस थाना सांगानेर ने इस केस में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अभियोग संख्या 127/85 धारा 447 ता. हि. के अन्तर्गत दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सम्पर्क सड़क

711. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तबीजी डबल फाटक से पिसांगन वाया डूमाड़ा, भावता, बुद्धवाड़ा रामपुरा डाबला, पिचोलिया सड़क जाती है ?

(2) क्या दस किलोमीटर को छोड़ कर बाकी सड़क ग्रेवल रोड बनी हुई है, और उसके पत्थर खुद जाने के कारण ग्रामवासियों तथा वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर 5 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय आते हैं ? यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ने की सरकार की कोई योजना बनी हुई है ?

(4) क्या यह सड़क जिला मुख्यालय से पंचायत समिति मुख्यालय को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण सड़क को पक्की बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। डबल फाटक से भावता तक डामर की सड़क है इससे आगे पीसांगन से पिचोलिया सड़क ग्रेवल सड़क है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। यह पूरा सड़क मार्ग पक्का बनाने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में सम्मिलित किया हुआ है योजना में स्वीकृति होने पर काम किया जा सकेगा।

राजस्व ग्राम

712. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जायल में कितनी ऐसी

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

ढाणियां हैं, जिनको राज्य सरकार की नीति के अनुसार राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है ?

(2) क्या ऐसी ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने की कोई प्रार्थना जिलाधीश नागौर को पेश हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही अभी तक हुई है ?

(3) क्या सरकार स्वयं ही जिलाधीश से राज्य सरकार के आदेशों की पालना में रिपोर्ट मंगाकर ऐसे राजस्व गांव घोषित करने में रुचि रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील जायल में 16 ऐसी ढाणियां हैं, जिन्हें घोषित नीति के अनुसार राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है ।

(2) जी हां । आवेदन पत्र पर जिलाधीश नागौर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां, जिलाधीश नागौर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी ।

बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसिन के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

713. श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसिन राजस्थान, जयपुर के कर्मचारियों का आयुर्वेद विभाग में स्थानान्तरण हो सकता है ?

(2) यदि हां, तो क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों के विगत 5 वर्षों में बोर्ड से आयुर्वेद विभाग में कितने स्थानान्तरण किये गये हैं, तथा किस-किस के और किस-किस कारण से ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) यदि स्थानान्तरण अवैध हैं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) एक श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा को बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसिन, राजस्थान, जयपुर से जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुन्झुनू के द्वारा सामान्य नियमों के विपरीत वर्ष 1981 में स्थानान्तरण करके राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, काजड़ा (झुन्झुनू) में पदस्थापित किया गया था ।

(3) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय चिकित्सालय, भवानी मन्डी

714 श्री दीप चन्द (डग) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भवानी मण्डी राजकीय चिकित्सालय में एक्सरे मशीन कब से खराब पड़ी हुई है, व

(श्री दीप चन्द)

उसे ठीक कराने में क्या कठिनाई आ रही है ? सरकार इस मशीन को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

राजकीय चिकित्सालय की एक्सरे मशीन दिनांक 20.12.84 से खराब है। जिसको ठीक कराने के लिये सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड को लिखा जा चुका है, तथा शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है।

विदेश में उपचार हेतु भेजे गये कर्मचारी

715. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री के निजी सचिव व निजी सहायक आदि कर्मचारियों में से किसी को विदेश में इलाज के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो किसको कब, कहां पर किस रोग के इलाज के लिए भेजा गया, तथा इस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

(2) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति निर्धारित कर रखी है कि अमुक श्रेणी के अधिकारी को विदेश में इलाज के लिए सरकारी खर्चे में भेजा जायेगा ? यदि हां, तो किस श्रेणी तक के ? इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं, यदि हां तो कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री एस. एल. जैन निजी सचिव, मुख्य मन्त्री, राज., जयपुर को कोरोनरी बाइपास सर्जरी को चिकित्सा के लिए डॉ. एस. आर. मेहता प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियन्त्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के परामर्श एवं सिफारिश के आधार पर माह जून, 1985 में विदेश भेजा गया। इनको चिकित्सा हेतु डा. मेहता द्वारा अनुमानित व्यय राशि 9,000 पौण्डस लिखी गई, जिसके अनुसार उन्हें इलाज हेतु 1,25,000/– रुपये का अग्रिम स्वीकृत किया गया।

(2) ऐसी कोई नीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की हुई है। विशेष परिस्थितियों में राजस्थान सिविल सर्विसेज (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के नियम 7 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करके इस तरह की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

कामां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्र

716. श्री शमशुल हसन (कामां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1980 से 1985 के बीच कामां तथा नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उपकेन्द्र खोले गये है ? यदि हां, तो कहां कहां पर, नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या कामां में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो कहां कहां कितनी कितनी ? अब कब तक रिक्त

(श्री शमशुल हसन)

पदों की पूर्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कामां तथा नगर पंचायत समिति क्षेत्रों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये। पंचायत समिति क्षेत्रों में वर्ष 1980-81 से वर्ष 84-85 के बीच खोले गये उप केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है–

प्रा. स्वा. केन्द्र, नगर	प्रा. स्वा. केन्द्र, जुरहेरा (कामां)
1. खकावली	1. बिलोद
2. खोहरी	2. इन्दोली
3. खेमली	3. धोशिजा
4. डडावली	4. नन्देरा
5. हसेपुर	5. सबलाना
6. सेमला कलां	6. पथवारी
7. झझारपुर	7. धोलेट
8. रामसिंहका पुरा	8. भोरी
9. जलालपुर	9. थलचाना
10. करकेन	10. भोजपुर
11. मुदेरा	11. सामलेर
12 छापरा	12. भटटपुरा
13. बोठाली	
14. जमश्री	

(2) कामां में स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर स्टाफ की कमी का विवरण निम्न प्रकार है:—

उप केन्द्र का नाम	रिक्त प्रसाविका	पद का नाम अंशकालीन वर्कर
1. बिलोद	1	1
2. इन्दोली	1	1
3. धोलेट	1	1
4. सामलेर	1	1
5 भट्टपुरा	1	1

प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

राजकीय चिकित्सालय, खैरथल में महिला चिकित्सक

717. श्री चन्द्र शेखर (खैरथल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय चिकित्सालय, खैरथल, जिला अलवर में महिला चिकित्सक का पद कब से स्वीकृत है, और अब तक कौन कौन महिला चिकित्सक कार्य करती आ रही हैं ? कृपया समयवार नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में महिला चिकित्सक के पद पर कार्यरत महिला चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं रहती है, और राज्य सरकार से बदस्तूर अपना वेतन उठाती आ रही है ? क्या विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) खैरथल में महिला चिकित्सक का पद कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, खैरथल में महिला चिकित्सक का पद मई, 1978 से स्वीकृत है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में डा. श्रीमती रेणु पौरुष ने लम्बे अवकाश का उपभोग कर दिनांक 10.7.85 को पुनः कार्य ग्रहण कर लिया है। उक्त डाक्टर को अक्टूबर, 84 से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(3) खैरथल में महिला चिकित्सक श्रीमती रेणु पौरुष पदस्थापित हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

अधिकारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण

718. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1982 से जनवरी, 1985 तक राजस्थान में किन किन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजपत्रित अधिकारियों के मकान बनाने हेतु ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, तथा किन किन को कितना कितना ऋण किस किस जिला मुख्यालय या राज्य सरकार के विभाग से दिया गया ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे ऋण आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि राजस्थान में उनका और कोई मकान नहीं हो ? यदि हां, तो इसकी जांच करने की क्या प्रक्रिया है ?

(3) क्या सरकार ऋण देने के पश्चात् यह जांच करवाती है कि ऋण प्राप्त कर्त्ता ने ऋण का उपयोग मकान बनाने में ही किया या अन्य प्रकार से ? यदि हां, तो जांच से प्राप्त सूचना कृपया सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) यह सही है कि ऐसे ऋण आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि राजस्थान में उनका और कोई मकान नहीं हो और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये यह आवश्यक है कि भारत में उनका और कोई मकान नहीं हो। इसकी जांच के सम्बन्ध में ऋण स्वीकृताधिकारियों द्वारा आवेदनकर्त्ता से शपथ पत्र लिया जाता है।

(3) भवन अग्रिम नियम 11 (2) (VI) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार ऋण स्वीकृताधिकारियों द्वारा ऋण की किश्त स्वीकृत करने से पूर्व जांच की जाती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ट्रस्टों द्वारा भूमि की खरीद

719. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़), **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवी सिंह भाटी)

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के ग्राम जयमलसर, कोलायत, गजनेर (तीतरों का बाड़ा) तथा बीकानेर शहर में अम्बेडकर सर्किल के पास 1. राम नारायण राठी चेरिटेबल ट्रस्ट 2. रामादेवी राठी चेरिटेबल ट्रस्ट 3. पूनम सेवी निधि ट्रस्ट नाम से ग्राम पंचायत तथा शहरी भूमि की खरीद की गई है। क्या यह ट्रस्ट कहीं रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन नम्बर ट्रस्ट के संविधान की प्रति तथा ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त ट्रस्टों ने किस किस प्रयोजन हेतु जिला बीकानेर में कहां कहां भूमि आदि खरीद कर निर्माण कार्य करवाये हैं? कृपया विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अवैधानिक ट्रस्टों की जांच कर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस संबंध में देवस्थान विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। उक्त तीनों प्रन्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। मामले का सर्वेक्षण कराये जाने पर ज्ञात हुआ है कि इन प्रन्यासों को कलकत्ता में पंजीकृत करवाया हुआ है। प्रन्यासियों द्वारा स्वयं की ओर से कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग बीकानेर से मामले की जांच कराई जा रही है।

(2) ऐसी कोई शिकायत अथवा सूचना देवस्थान विभाग में प्राप्त नहीं होने से जिला बीकानेर में इन संस्थाओं द्वारा क्रय की गई भूमि का विवरण तथा उसके प्रयोजन का विवरण इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) उक्त तीनों प्रन्यास देवस्थान विभाग में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। फिर भी जांच कराई जा रही है।

छीपाबड़ौद एवं छबड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

720. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा), श्री प्रभूलाल (नैनवा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष 1985-86 में छीपा बड़ौद एवं छबड़ा पंचायत समितियों के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा, व कितने कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 1985-86 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः वर्ष 1985-86 में

(ऊर्जा मन्त्री)

ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल कृषि कुओं के कनेक्शन हेतु जिन आवेदकों द्वारा दिनांक 31-3-85 तक एल फार्म एवं डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करानी थी उन आवेदकों को कनेक्शन देने का फेज प्रोग्राम दिनांक 5-7-85 को प्रसारित कर दिया गया है। उक्त प्रोग्राम में पंचायत समिति छीपाबडौद व छबड़ा के क्रमशः 27 व 2 कनेक्सन देना सम्मिलित है।

विद्युत मण्डल के लेखा लिपिक द्वारा ठेके लिया जाना

721. श्री खेमराज (उदयपुर ग्रामीण): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के जयपुर वृत्त में कार्यरत लेखालिपिक श्री नरेन्द्र कुमार माथुर ने "गौरव ट्रेडर्स" तथा अन्य कई नामों से बाइंडिग के कितने ठेके लिये ? यदि हां, तो कितना भुगतान प्राप्त किया ?

(2) क्या उक्त लिपिक ने "गौरव ट्रेडर्स" के नाम से एक बार ठेका न मिलने के कारण टी.सी.सी. (II) के लेखाधिकारी श्री महेश्वरी के विरुद्ध एक समाचार पत्र में लगातार समाचार प्रकाशित करवा कर उन्हें ब्लैक मेल किया है ?

(3) क्या इस कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यह कितने वर्षों से जयपुर में कार्यरत है, तथा इसका स्थानान्तरण बाहर नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) श्री नरेन्द्र कुमार माथुर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर वृत के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है न कि लेखा-लिपिक के पद पर। "गौरव ट्रेडर्स" से या अन्य किसी से इनके सम्बन्ध की जानकारी विद्युत मंडल को नहीं है। मैसर्स गौरव ट्रेडर्स से जो टेन्डर प्राप्त हुआ है उसका मालिक श्री संदीप दर्शाये गये हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार गौरव ट्रेडर्स से विद्युत मंडल के जयपुर स्थित निम्न कार्यालयों के बाइन्डिग का कार्य कराया गया है। गत कुछ वर्षों में किये गये भुगतान की राशि उनके नाम के सामने अंकित कर दी गई है:—

क्रमांक	कार्यालय का नाम	भुगतान की राशि	अवधि
1	2	3	4
1.	लेखाधिकारी (परि. एवं सघा), जयपुर	रु. 281.20	1982-83
2.	लेखाधिकारी (ज. न. वृ.), जयपुर	रु. 5191.00	1984-85 1985-86

Page No. 61

(61)

(विद्युत मन्त्री)

1	2	3	4
3.	लेखाधिकारी (टी. एण्ड सी.), जयपुर	रु. 2305.80	1983-84
4.	लेखाधिकारी (भंडार), जयपुर	रु. 855.00	1983-84
5.	लेखाधिकारी (जयपुर जिला वृत), जयपुर	रु. 160.00	1985-86
		(अभी भुगतान किया जाना है)	

(2) कार्यालय अभिलेख में इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) चूंकि इस प्रकार की घटना की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अतः श्री माथुर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त कर्मचारी विद्युत मंडल में जयपुर स्थित विविध कार्यालयों में दिनांक 1.12.1973 से कार्यरत है। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को यथा सम्भव स्थानीय स्थान पर ही रखने का प्रयत्न किया जाता है।

विद्युत मण्डल कार्यालय में एल फार्म की चैकिंग में अनियमिततायें

722. श्री परसादी लाल (लालसोट): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या वर्ष 1984-85 में सहायक अभियन्ता, लालसोट के कार्यालय में एल फार्म चैकिंग में अनियमितता, करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(2) क्या उपरोक्त बारे में मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता को भी शिकायतें मिली हैं?

(3) क्या शिकायतों पर कोई निर्णय किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शिकायतकर्त्ताओं को भी कोई सूचना दी गई है?

(4) क्या एल फार्म चैकिंग में समानता नहीं बरती गई है? संपूर्ण एल फार्म जो 1984-85 में चैकिंग किये गये उनकी सूची मय चैकिंग करने वाले अधिकारियों द्वारा एल. फार्म पर दी गई रिपोर्ट की प्रतियां कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। "एल" फार्म चैकिंग में अनियमितता व अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(3) विभिन्न शिकायतों पर जांच के आदेश दिये गये हैं। कुछ एक शिकायतों के संदर्भ में जैसे ग्राम होदायली के कनैक्शन के बारे में अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर जिला वृत के आदेशानुसार अधिशासी अभियन्ता, दौसा ने स्वयं मौके का निरीक्षण किया एवं पाया कि 'एल" फार्म संबधित शिकायत निराधार है एवं उपभोक्ता द्वारा फिटिंग पूर्ण नहीं कराई गई थी। अधिशासी अभियन्ता द्वारा मौके के निरीक्षण के समय उपभोक्ता स्वयं भी मौके पर उपस्थित था।

(विद्युत मंत्री)

शिकायत कर्त्ताओं को कोई अलग से सूचना नहीं दी गई।

(4) जी नहीं। कृषि कनैक्शन हेतु प्राप्त "एल" फार्म जो वष 1984-85 में चैक किये गए हैं उनके सम्बन्ध में चाही गई सूचना परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका, कापरेन द्वारा नालियों पर व्यय

723. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)।

श्री हरीश शर्मा : (खानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगर पालिका, कापरेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वार्डों में नाली निर्माण पर अब तक कितना व्यय किया गया तथा वर्ष 1985–86 के दौरान कितना प्रस्तावित व्यय निर्धारित किया गया है ?

(2) नगर पालिका कापरेन में कितने व्यक्ति (कर्मचारी) पृथक पृथक पदों पर कार्यरत हैं, और इन्हें कितना मासिक वेतन दिया जाता है ?

(3) क्या राजस्थान के समस्त स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के अलावा सभी पदों पर अनु. जाति/जनजाति के लोगों का कोटा (आरक्षण) पूरा है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सभी नगरपालिकाओं में स्वीकृत पैटर्न के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है ? कृपया पैटर्न के अनुसार कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका कापरेन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वार्डों में नाली निर्माण पर वर्ष 1984–85 तक, 27,626.00 रु. व्यय किये गये। वर्ष 1985–86 में 55,000/– का प्रावधान किया गया है।

(2) नगर पालिका, कापरेन में विभिन्न पदों पर 68 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें 32,860/– रु० मासिक वेतन दिया जाता है।

(3) जी नहीं। नियमों में प्रावधान है। नगरपालिका को कोटा पूरा करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं।

(4) पैटर्न के अनुसार नगरपालिका अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार भर्ती करती है। सफाई कर्मचारी पैटर्न के अनुसार एक हजार जनसंख्या पर 4 एवं 25 सफाई कर्मचारियों पर एक जमादार निर्धारित है।

Page No. 63

(63)

बीज निगम द्वारा क्रय केरेट्स

724. श्री जगदीश प्रसादी तिवाड़ी (बस्सी) । क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य बीज निगम ने आवश्यकता से अधिक केरेट्स क्रय किये हैं ? यदि हां, तो 10 हजार केरेट्स क्रय करने का क्या औचित्य था, तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उड़न केरेट्स साधारण की दर रु. 77.00 एक पार्टी द्वारा लिखित में दिये जाने पर भी रु. 79.89 की दर वाली पार्टी से क्रय किये गये ? यदि हां तो क्यों, और इससे निगम को कितने रुपये की हानि हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, निगम द्वारा आवश्यकतानुसार ही केरेट्स क्रय किये गये थे ।

(2) जी नहीं, यह खरीद निगम के क्रय नियमों के अन्तर्गत समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक प्रचार द्वारा सील बंद निविदायें प्राप्त कर न्यूनतम निविदा के आधार पर की गई थी । निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर रु० 79.89 प्रति नग पर खरीद आदेश जारी कर दिये गये थे । निविदा दाता फर्मों में से ही एक फर्म ने समस्त प्रक्रिया के बाद 77/–रु० प्रतिनग के हिसाब से क्रेट देने की पेशकश की थी जो क्रय नियमों के अन्तर्गत मान्य नहीं थी । अतः 'सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय समिति की सिफारिश पर इस पेशकश को निरस्त कर दिया गया था ।

जोधपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम

725. श्री नरपत राम बरवड़ (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान, उदयपुर, तथा जोधपुर विश्वविद्यालयों के समान नियम बनाने वाली समन्वय समिति ने जोधपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 15 लाख रुपये भवन निर्माण हेतु तथा 5 लाख रुपये वाहन खरीद हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सिफारिश की है ? अगर हां, तो यह सिफारिश कब की थी, तथा उसके बाद आज तक ऋण उपलब्ध नहीं करवाने के क्या कारण हैं ? अब ऋण का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को गृह निर्माण एवं वाहन खरीद की सुविधा उपलब्ध है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा केवल वाहन अग्रिम हेतु ऋण दिया जाता है एवं भवन अग्रिम हेतु बैंकों से ऋण दिलाया जाता है । जोधपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को गृह निर्माण एवं वाहन अग्रिम की राशि हेतु अनुदान का मामला विचाराधीन है ।

(शिक्षा मन्त्री)

तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक दिनांक 9/10 जून, 1983 में विश्वविद्यालय के भवन निर्माण एवं वाहन ऋण हेतु धन राशि उपलब्ध कराने हेतु सहमति इस शर्त पर व्यक्त की गई कि यदि बजट में धनराशि उपलब्ध हो तो इस उद्देश्य हेतु धनराशि आवंटित की जावे।

जोधपुर विश्वविद्यालय को इस हेतु धन राशि उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है।

आवासन मण्डल का संचालक मंडल एवं उप समितियां

726. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के वर्तमान में कार्यरत संचालक मण्डल का गठन कब किया गया ? कृपया नामावली मय योग्यता व पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालक मण्डल के अतिरिक्त कितनी कितनी उपसमितियां कब कब से बनी हुई हैं ? कृपया नामावली योग्यता पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) संचालक मण्डल एवं उपसमितियों के सदस्यों को क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ? सुविधायें किस आधार पर दी जाती हैं ?

(4) क्या समय समय पर सदस्यों को दी गई सुविधाओं की राज्य सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक था ? यदि हां, तो क्या, वह ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) वर्तमान संचालक मण्डल एवं उपसमितियों की 1 वर्ष में कब कब बैठकें आयोजित की गईं व उक्त बैठकों में सदस्यों के यात्रा व्यय एवं अल्पाहार पर कितना व्यय हुआ ?

(6) क्या आवासन मण्डल में क्वालिटी कन्ट्रोल की जो कमेटी बनी है उसमें एक भी टैक्निकल मेम्बर नहीं होने के बावजूद भी उक्त कमेटी ने राज्य के कई हिस्सों में प्रवास किया है ? यदि हां, तो कहां कहां क्या क्या मेटेरियल चैक किया, व कमियां पाईं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान संचालक मंडल का गठन दिनांक 23.12.83 को हुआ तथा नये अध्यक्ष की नियुक्ति दिनांक 3.6.85 को की गई। संचालक मंडल के सदस्यों के नाम व पते परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालक मंडल के अतिरिक्त उप समितियाँ बोर्ड की बैठक संख्या 109.19 के निर्णयानुसार दिनांक 25 व 27.2.84 एवं दिनांक 25.4.84 व 22.3.85 को गठित हुई। उप समितियों की नामावली परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(आवासन मन्त्री)

(3) संचालक मंडल एवं उपसमितियों के सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु उन्हें यात्रा भत्ता व 50 रुपये प्रति दिन दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

(4) सुविधायें नियमानुसार ही दी गई हैं ।

(5) वर्तमान संचालक मंडल एवं उप-समिति की एक वर्ष में (वर्ष 1984–85) विभिन्न बैठकों की तिथियां परिशिष्ट "स" पर संलग्न है तथा संचालक मंडल की 7 एवं उप समितियों की 59 बैठकों में सदस्यों पर यात्रा एवं अल्पाहार पर क्रमश: 50,283.64 व 4,786.97 रुपये व्यय हुआ है ।

(6) जी नहीं, क्वालिटी कण्ट्रोल की कमेटी में दो तकनीकी मेम्बर आवासन आयुक्त व उप आवासन आयुक्त हैं । उक्त कमेटी ने एक बार अलवर एवं एक बार अजमेर प्रवास किया । अलवर में चुनाई आदि का निरीक्षण कर उसे तुड़वाया गया तथा अजमेर में वर्कमैन शिप का निरीक्षण कर जो खराबी पाई उसके लिये साइट पर ठीक करवाने हेतु संबंधित आवासीय अभियन्ता/उपआवासन आयुक्त को निर्देश दिये गये ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

नगरपालिका केशवराय पाटन द्वारा सामान की खरीद

727. श्री मानिक चंद सुराना (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1983-84 व 1984-85 में नगर पालिका केशवराय पाटन जिला बूंदी द्वारा ट्यूब लाइटें, बल्ब बिजली की सामग्री आदि खरीदी गई थी ? यदि हां, तो कब कब किस किस फर्म से खरीद की गई ?

(2) सामान का भुगतान नकद तथा चैक द्वारा कब कब किया गया ? कृपया खरीदे गये सामानों की सूची भुगतान राशि, तिथि सहित सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । बिजली का सामान खरीदा गया है, उन फर्मों का नाम मय खरीदने की दिनांक के विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) खरीदे गये सामान की सूची मय भुगतान की तिथि सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3–7–85)

अजमेर जिले में अकाल राहत के तहत तालाबों का निर्माण

47. गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले की अजमेर तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में

(श्री गोविन्द सिंह)

अकाल राहत के तहत कितने तालाबों का नवनिर्माण कराया गया, कितनों की पाल, चादर, आव व मोरी आदि की मरम्मत कराई गई व उस पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ?

(2) उपरोक्त तालाबों में से कितने ऐसे हैं जिनका इस अवधि में एक बार से अधिक कार्य कराया गया ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की अजमेर तहसील में पिछले 5 सालों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिर्फ एक नाहरदाता कारनोस बांध का नव निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 76 तालाबों पर आव/मिट्टी का कार्य/चादर/नहरों आदि पर मरम्मत किस्म के कार्य करवाये गये जिन पर कुल रु. 75.52 लाख खर्च किये गये।

(2) उपरोक्त तालावों में से 39 तालाब ऐसे हैं जिनकी पिछले 5 वर्षों की अवधि में एक से ज्यादा बार मरम्मत की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री बिरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवासन मण्डल द्वारा स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मकान आवंटित करने के सम्बन्ध में।

2. श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक में अनियमितता के सम्बन्ध में।

3. श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में।

4. श्री मोहन प्रकाश, श्री यदुनाथ सिंह, श्री नवरंग सिंह, श्री सम्पत सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण किसान, श्री लालचन्द डूडी और श्री केसरदेव, सदस्य विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में डी. पी. सी. न बैठाये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से नगर पालिका कापरेन में नाजायज चुंगी वसूली के सम्बन्ध में।

6. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नोखा तहसील के ग्राम पांचू में वर्षा से मकान गिर जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

1. श्री मोहन लाल बाल्पाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जायल विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कमेडिया के मिडिल स्कूल में अध्यापकों के अभाव के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक शहर को रेल्वे लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में। यह केन्द्र सरकार का विषय है।

3. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में चोरी, लूटपाट एवं डकैतियों के सम्बन्ध में।

4. श्री नवनीत लाल निनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान वित्त निगम में सहायकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में।

5. श्री शिवचरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पहाड़ी क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से शराब की दुकानें नीति के विरुद्ध गलत स्थान पर होने से अपराधों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

7. श्री चुन्नीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ तहसील के विद्यालयों में अध्यापिका न होने के सम्बन्ध में।

8. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर), सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत ऊपनी, तहसील डूंगरगढ़ के सरपंच द्वारा गबन के सम्बन्ध में।

9. श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना नगरपालिका में स्टाल रखने से रास्ता बन्द होने के सम्बन्ध में।

10. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

11. डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में सफाई की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

12. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में गटर मैन होल खुले रहने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों का विषय स्थगन प्रस्ताव की परिसीमा में नहीं आता। अतः इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की भी अनुमति नहीं होगी।

1. श्री महेन्द्र शास्त्री, श्री जगत सिंह दायमा, और श्री रघुवर दयाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ट्रक यूनियन में एकाधिकार के कारण उद्योग प्रभावित होने के सम्बन्ध में।

2. श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से 41 यूनानी औषधालयों में हकीम न होने के सम्बन्ध में।

3. सुश्री पुष्पा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह होस्पिटल के सामने आदिनाथ मार्ग पर बांगड़ धर्मशाला के लिए भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर नगरपालिका द्वारा भूमि बेचने व सड़क निर्माण में धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में।

5. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षण संघ द्वारा आन्दोलन व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री मोहन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजाखेड़ा में निर्मित नलकूप बन्द रहने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि 32 में से 18 नलकूप बन्द हैं। 6 पर पानी की मांग नहीं है और 8 नलकूप चालू हालत में हैं।

2. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से बी. एड. की छात्रा के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि दिनांक 14.7.1985 को रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अनुसन्धान जारी किया गया। कुमारी माया का मेडीकल परीक्षण करवाया गया। परीक्षण रिपोर्ट अपेक्षित है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

3. श्री सम्पत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा नगर में वितरित किये जा रहे पेयजल में टी. डी. सी. की मात्रा अधिक होने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि वितरित किये जा रहे पानी में टी. डी. सी. की मात्रा खतरनाक नहीं है और पानी पीने योग्य है।

4. श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई अस्पताल में लेडी डाक्टर को अनुपस्थिति की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। केन्द्र पर पदस्थापित अन्य स्टाफ प्रसूती चिकित्सा सुलभ करवाता है। चिकित्सा के अभाव में मृत्यु की कोई सूचना नहीं।

5. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना बन्द करने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि योजना का प्रथम चरण 30 जून, 1982 को पूरा कर लिया गया है। द्वितीय चरण के पुनरावलोकन के लिए कार्यकारी दल बनाया गया है। जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है। द्वितीय चरण की रिपोर्ट का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। निर्णय होने पर ही द्वितीय चरण का कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। गत वर्ष और इस वर्ष में 469 पद समाप्त किये गये।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये हैं उन माननीय सदस्यों को, जिन पर बोलने की अनुमति दी है, क्रम से पुकारूंगा। वह अपनी बात संक्षेप में कहेंगे।

Page No. 69

(69)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था नहीं दी, वह समय पर पहुंच गया था।

श्री अध्यक्ष : कौन सा स्थगन प्रस्ताव... वह मैंने रख लिया है आपसे बात करने के बाद व्यवस्था दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात करने की बात नहीं है बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, आपसे चर्चा करके मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव नलकूप के बारे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बोल लीजिये, आपको बोलने की इजाजत है, जिन पर सरकार से जानकारी आई है और जिन पर व्यवस्था दी है, आप अपनी बात कहेंगे, कृपया बैठें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव इस स्थगन प्रस्ताव की परिधि में नहीं आता, आपने सुझाव दिया है। कृपया बैठें। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री हीरालाल आर्य : बोलने की अनुमति दें, वहां चोरियां-डकैतियां हो रही हैं—

श्री अध्यक्ष : कृपया सहयोग करें, आप नियमों का पालन करते हैं, अनुमति मैं नहीं दूंगा। मुझे माननीय सदस्यों को एक बात की ओर सूचना देनी है....मैं आपकी भावना समझ रहा हूं। कृपया बैठें। आपकी मेरी बात हो चुकी है, आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को एक और जानकारी देना चाहता हूं। यह मैं जानता हूं माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में जो भी आपके क्षेत्र की समस्या है उनका समाधान वह चाहते हैं, लेकिन कमेटी भी नियमों के अन्दर सीमा है उसी के आधार पर मैं व्यवस्था दे सकता हूं। मैं माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए इतना कर सकता हूं कि जो भी स्थगन प्रस्ताव के रूप में आपके क्षेत्र की समस्यायें हैं, मेरे को दी हैं, जिन पर मैंने माननीय सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी है उन सब प्रस्तावों को मैं अपने पत्र के साथ और इस निर्देश के साथ राज्य सरकार के पास भेजूंगा कि जो भी कार्यवाही की है, जो भी वस्तु स्थिति है, आगे जांच करनी है। उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को पन्द्रह या बीस दिन के अन्दर सूचित करें चाहे विधान सभा चल रही हो या समाप्त हो। कृपया बैठें। सहयोग करें। आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण की व्यवस्था यहां नहीं दे सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : मेरा छोटा सा निवेदन है, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे 17-18 दिन हो गये सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है, मैं देख रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : दोनों का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप रोजाना जानबूझ कर पूछते हैं और बैठकर हंसते हैं। कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं, आपके पास माननीय सदस्य बैठें हैं आप उनसे पूछ रहे हैं, गम्भीरता बताते हुए और फिर बैठकर हंसते हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे बारे में कह रहे हैं

श्री अध्यक्ष : आपके साथ जो माननीय सदस्य बैठें हैं। श्री महेन्द्र शास्त्री।

एक माननीय सदस्य : मेरा स्थगन प्रस्ताव डेयरी के बाबत था वह भी....

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आप अपनी व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी चाहें कि राज्य सरकार से जानकारी आई है या नहीं मुझ से चेम्बर में मिल लें मैं आपको बताऊंगा क्या स्थिति है।

श्री नाथूसिंह (टोडाराय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हुए भी पाइन्ट आफ आर्डर उठाते हैं, आप जानते हुए भी पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट ही डिसकशन का नहीं है। पाइन्ट आफ आर्डर के आधार पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट सुनें तो....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। मैं नहीं सुनूंगा। कृपया बैठें। श्री महेन्द्र शास्त्री।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुंडावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अलवर जिले के संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं। अलवर जिला विकास की दृष्टि से औद्योगिक रूप से भी और कृषि की दृष्टि से भी बहुत विकसित जिला है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 8 साल से इस जिले के औद्योगिक विकास में और साथ ही साथ खाद्य और कृषि उत्पादन के व्यापार में भारी कमी आई है और उसका एकमात्र कारण यह है कि पिछले 8 साल से इस संबंध में राज्य सरकार के सामने भी बराबर यह चर्चा आती रही है कि अलवर जिले में ट्रक यूनियन है। उस ट्रक यूनियन को यह अधिकार है कि वह किराया एकाधिकार रूप में उन्होंने अपनी मन मर्जी से तय किया हुआ है। इसके साथ ही साथ किराया ही तय नहीं किया हुआ है बल्कि जितना सामान ले जाना है ट्रक में उसकी निश्चित मात्रा का किराया वह निश्चित रूप से लेंगे चाहे ट्रक में कितना ही सामान क्यों न हो। दूसरे लोग अगर अपना ट्रक चलाना चाहते हैं या कहीं बाहर के लोग अपना ट्रक लाते हैं तो उनके टायर फाड़ दिये जाते हैं, उनके ड्राइवरों को पीटा जाता है, उनके इंजनों को तोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में स्थिति यह उत्पन्न हो रही है कि अलवर जिले की दो हजार औद्योगिक इकाइयों में से लगभग

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

एक हजार औद्योगिक इकाइयां इसलिए बंद हैं कि वहां का सामान दूसरे शहरों में अनुपादित रेट से जाकर नहीं बिक सकता। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अलवर जिले से यदि कोई चीज ले जानी है अलवर से बाहर और हम को दिल्ली ले जानी है तो 8.25 रुपया प्रति क्विन्टल किराया देना पड़ता है जब कि वह सामान अगर जयपुर से दिल्ली जाता है तो सिर्फ 6 रुपया प्रति क्विन्टल किराया देना पड़ता है। अलवर से अगर कोई सामान पटना जाना है तो एक ट्रक के 5000 रुपये देने पड़ते हैं जब कि दिल्ली से 2800 रुपया, चण्डीगढ़ से 2800 रुपया, आगरा से 2800 रुपया और भरतपुर से 3000 रुपया देना पड़ता है। इसी तरह से अगर कलकत्ता जाना है तो अलवर से 5600 रुपया देना पड़ता है जब कि दिल्ली से 3300 रुपया, आगरा से 3300 रुपया, चण्डीगढ़ से 3300 रुपया और भरतपुर से 4000 रुपया देना पड़ता है। इसी तरह से गोहाटी का है और इसी तरह से दूसरे किराये हैं। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले का व्यापार राजस्थान सेल्स टैक्स के कारण और इसके साथ ही साथ सामान दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता। ट्रक यूनियन के एकाधिकारों के कारण चौपट होता जा रहा है और आज स्थिति यह है कि जगह जगह झगड़े होते हैं। सब लोग तो अपने ट्रक की व्यवस्था नहीं कर सकते, सारे उद्योगपति अपने ट्रक की व्यवस्था नहीं कर सकते, सारे व्यापारी अपने ट्रक की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसके कारण से अलवर की मण्डी का और अलवर के उद्योगों का व्यापार दिनों दिन गिरता जा रहा है। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या का, जो पिछले आठ दस साल से ज्वलंत रूप में खड़ी है, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि ट्रक वालों की बात नहीं सुनी जाये लेकिन ट्रक वाले उचित रूप से अगर रेट निर्धारित करके चलें। हमारे आज का कम्पीटीटिव युग है और इस कम्पीटीटिव युग में जहां दूसरी जगह से सस्ता माल जाता है अलवर से अगर महंगा माल जायेगा तो उसका वह कोई भी औद्योगिक मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। यह वहां की ऐसी ज्वलंत समस्या है कि जिसके कारण वहां के उद्योग, वहां का व्यापार दिनोंदिन गिरता जा रहा है। यही मुझे आपसे अनुरोध करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगतसिंह।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता श्री महेन्द्रजी शास्त्री ने इस बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। मैं तो इस बारे में सिर्फ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारा भिवाड़ी क्षेत्र जो कि औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी यही बातें हो रही हैं और वहां पर ट्रक यूनियन को लेकर आपस में बड़े झगड़े हो रहे हैं। इसमें अगर सरकार दखल दे तो आपस के झगड़े होने से बचें।

(श्री जगतसिंह दायमा)

यही मेरा निवेदन है और जितने भी ट्रक हैं या तो जो किराया तय कर रखा है उसको निर्धारित करें या सभी ट्रक वालों को जिस ट्रक से ले जाना चाहते हैं उनको ले जाने की छूट दी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवर दयाल।

श्री रघुवर दयाल (रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में कुछ ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स यूनियन एक संस्था बनी हुई है जिसमें इस प्रकार उन लोगों ने एकाधिकार अलवर जिले की ट्रान्सपोर्ट में बना रखा है उससे निश्चित रूप से न केवल व्यापार में बल्कि उद्योग धंधों में भी आज मरणासन्न स्थिति है। यूनियन बनाना मैं समझता हूं कि बुरा नहीं है लेकिन इस रूप में बुरा है कि एकाधिकार और तानाशाही का जो रूप उन्होंने पैदा किया हुआ है उससे व्यापार और उद्योग दोनों ही अलवर जिले के मरणासन्न है। उन्होंने मनमाने तरीके से किराये तय किये हुए हैं और कम्पीटीटिवली यह किराया जो कि अन्य प्रदेशों में है उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है। अलवर से कोई माल चाहे दिल्ली जाये या जयपुर जाये या अन्य प्रान्तों को जाये वह किसी ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स यूनियन के माध्यम से ही लेजा सकता है। यदि कोई ट्रक वाला इस सामान को ले जाने की हिम्मत करे तो न केवल इंजिन को उनके टायरों की और भी मैं समझता हूं कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। यदि यह प्रवृत्ति नहीं रोकी गयी तो मैं समझता हूं कि आज जो एकाधिकार की प्रवृत्ति जिसके कारण व्यापार और उद्योग दोनों अलवर जिले के चौपट हो रहे हैं अन्य जिलों में भी फैलेगी और यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से बहुत घातक सिद्ध होगी। व्यापार और उद्योग दोनों ही जिस प्रकार अलवर जिले में चौपट हो चुके हैं अन्य जिलों में चौपट होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को जो उन्होंने पैदा की हुई है इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति जो उन्होंने ट्रान्सपोर्ट के महकमे में बना रखी है उसको यदि सरकार ने नहीं रोका और कोई कदम नहीं उठाये तो यह हवा जो आज अलवर जिले की बन चुकी है, उद्योग धंधे बन्द हो चुके हैं, व्यापार ठप्प हो चुका है, केवल किराये की वजह से, अन्य जिलों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ेगी और यह दुखदायी होगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रवृत्ति पर तुरन्त अंकुश लगाया जाये और अन्य ट्रक वाले जो यूनियन के अन्दर शामिल नहीं होना चाहते और अलग से ट्रक चलाना चाहें, अलग से काम करना चाहें उनको करने के लिए पूरी सुविधा मिले आपका प्रोटेक्शन उनको मिले यही आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह सरकार आयुर्वेद और यूनानी दोनों को समाप्त करने के लिए है। सन् 79 से बाड़मेर के बुडहान के तले में आयुर्वेद औषधालय और यूनानी चिकित्सालय में कोई हकीम नहीं है 79 से जिसका रिप्लाई दिया है प्रश्न में बड़ी बेशर्मी के साथ कि यह

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सही है कि 79 से इस बुडहान के तले में कोई यूनानी हकीम कार्य नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन है कि उसके बाद लगातार 80 में 17 हकीमों की कमी थी, 81 में 6 हकीमों की कमी थी, 82 में 1 हकीम की कमी थी, 83 में 4 हकीमों की कमी थी, 84 में 8 हकीमों की कमी थी और 85 में 5 हकीमों की कमी थी। मेरा निवेदन करना है कि जहां एक ओर यूनानी चिकित्सालयों का चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो, अध्यक्ष महोदय, जब कमी है लगातार, राजस्थान में करीब 78 के करीब यूनानी चिकित्सालय चलते हैं उनमें से 41 चिकित्सालयों में कोई हकीम नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है कि जब कमी चल रही है तो आप हर साल खोलते क्यों जा रहे हैं? जिन औषधालयों के अन्दर यूनानी हकीम नहीं पहुंचते उनकी तो व्यवस्था करो पहले। अभी तक यह जो उप-चुनाव हुआ किशनगढ़ का तो किशनगढ़ के अन्दर मई के अन्दर उप-चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए दवाखाना खोला गया। भीलवाड़ा के अन्दर श्रीमान मुख्य मंत्री जी ने वोट प्राप्त करने के लिए 85 के अन्दर यूनानी चिकित्सालय खोल दिया। फतहपुर के अन्दर मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बस्ती में यूनानी चिकित्सालय खोल दिया। जब आपके पास लगातार हकीमों की कमी चल रही है तो फिर चिकित्सालय खोलते क्यों हैं? यह आप घोषणा कीजिए कि हम जब तक राजस्थान में अच्छे यूनानी चिकित्सक नहीं मिलेंगे तब तक हम किसी प्रकार का कोई यूनानी औषधालय राज्य में नहीं खोलेंगे। मेरा निवेदन करना यह है कि जब कमी चल रही है और उसकी पूर्ति नहीं करना चाहते हैं। पिछले सत्र में लगातार एक महिने तक विधान सभा के बाहर यूनानी संकाय के विद्यार्थी लगातार आन्दोलन करते रहे। यूनानी चिकित्सा के साथ अन्याय है, यूनानी संकाय कायम करो, यूनानी चिकित्सा पद्धति में यूनीवर्सिटी के माध्यम से उसकी परीक्षा करवाओ लेकिन आज तक इन सारी बातों पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। जबकि यूनीवर्सिटी ने स्पष्ट कहा है कि 60 हजार रुपये हमारे यहां जमा करा दो, हम आपकी परीक्षा की समुचित व्यवस्था करा देंगे। 60 हजार रुपये जमा नहीं हो रहे हैं। मुझे दुख है कि पिड़ावा के अन्दर माननीय सदस्य जो सामने बैठे हैं कांग्रेस के पिडावा में सन् 80 से यूनानी औषधालय खोल रखा है एक भी यूनानी चिकित्सक सन् 80 से वहां पर नहीं है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं की। जब 41 हकीमों की कमी चल रही है तो 45 व्यक्तियों के एडवरटाइजमेंट निकाले। छोटे छोटे पत्रों में दे दिया। 33 में से 28 लोगों के प्रार्थना पत्र आये। 28 में से 6 योग्यता के आधार पर आये और 6 में से भी अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं दी। दिसम्बर सन् 84 में से इस प्रकार का इन्टरव्यू काल किया था। इन्टरव्यू जो काल किया उसकी वाइड पब्लिसिटी नहीं की। अगर अखिल भारतीय स्तर पर अखबारों में उसकी पब्लिसिटी की होती तो तिब्बिया कालेज

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दिल्ली के विद्यार्थी राजस्थान की ओर आकर्षित होते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि हर जिले में एक एक यूनानी कालेज राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रारम्भ करे लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट प्राप्त करने वाली यह सरकार मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिये अपना प्रभाव तो काम में लेगी लेकिन उन मुसलमानों की चिकित्सा पद्धति है उस चिकित्सा पद्धति की ओर सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो 41 पद राजस्थान में चले आ रहे हैं तुरन्त भर्ती की जाये और इसके साथ ही यूनानी यूनिवर्सिटी के माधमय से परीक्षण कराया जाये और यूनानी संकाय की स्थापना की जाये, और तुरन्त वाइड पब्लिसिटी करके राजस्थान के 41 पदों को भरा जाये।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा।

सुश्री सुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गरीब जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निजी स्वार्थ के लिये

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान का मोबाइल सर्जीकल यूनिट। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का मोबाइल सर्जीकल यूनिट अपनी सेवाओं के लिए हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूं कि हिन्दुस्तान में पहले नम्बर का एक ऐसा मोबाइल सर्जीकल यूनिट है जिसकी तारीफ जितनी की जाय....

श्री अध्यक्ष : आपका तो बांगड़ धर्मशाला के बारे में है। आप तो मोबाइल सर्जीकल यूनिट पर बोल रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं उसी पर आ रही हूं। यह मोबाइल सर्जीकल यूनिट की ही जमीन है जिसको बांगड साहब ले रहे हैं धर्मशाला बनाने के लिये....

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस मोबाइल सर्जीकल यूनिट की जमीन जो अस्पताल के सामने आदिनाथ मार्ग पर स्थित है करीब सरकारी आंकड़ों के अनुसार बता रही हूं, 6 हजार गज जमीन है। 6 हजार गज जमीन की कीमत और उसके ऊपर बने हुए मकानात, गैरेज जितने भी बने हुए हैं कुल मिलाकर कम से कम दो करोड़ से भी ज्यादा उसकी कीमत होगी आज की तारीख में। उस रोड़ पर दो हजार गज जमीन आज बिकती है कोई लेने जाये तो। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार धर्म के नाम पर दातारों के लिये बड़ी दातार है कोई गरीब जमीन का कोई टुकड़ा मांग ले तो राज्य सरकार नहीं देगी लेकिन श्री बागड़ जो हिन्दुस्तान के माने हुए सेठ हैं जो जगह जगह धर्मशाला बनाने के नाम पर सरकारी जमीन ले लेते हैं उनको राज्य सरकार ने यह जमीन मुफ्त दे दी और किस काम के लिये दे दी। धर्मशाला बनाने के लिये। श्री बांगड़ ऊपर धर्मशाला बनायेंगे और नीचे कामर्शियल काम्प्लेक्स बनायेंगे शोरूम। जिसका किराया

(सुश्री पुष्पा जैन)

खायेंगे जिससे उनको आमदनी होगी। 10 लाख रुपया वह धर्मशाला पर लगायेंगे और दो करोड़ की जमीन श्री बांगड़ को मुफ्त दे दी। मैं पूछना चाहती हूं राज्य सरकार से आपके माध्यम से वह जमीन उन्होंने उनको कैसे इनायत कर दी क्या यहां जयपुर में सेठों की कमी थी क्या धर्मशाला बनाने वाले दातार सारे के सारे मर गये, क्या राज्य सरकार के पास कमी हो गई थी वह धर्मशाला यह राज्य सरकार नहीं बना सकती थी। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखती हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिन हालत को मैं अभी बताने जा रही हूं, यह जमीन बांगड़ को दी गई है उस हालत में मैं प्रस्ताव करती हूं यह जमीन आप मुझे दे दीजिये मैं आपको एक लाख रुपया ऊपर से दूंगी। ऊपर धर्मशाला भी बनवाऊंगी और नीचे कार्मशियल काम्पलेक्स भी बनाऊंगी। क्या राज्य सरकार मेरे प्रस्ताव को मन्जूर करती है। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल सर्जीकल यूनिट के डाइरेक्टर ने बार बार उसको मना किया कि यह जमीन हम नहीं दे सकते। इस जमीन पर बड़े वैल्युएबल सामान रखे हुए हैं। ऐसे कन्स्ट्रक्शन्स बने हैं जो दूसरी जगह बना नहीं सकते गरीबों के लिये यह जगह जरूरी है। इन उपकरणों को अगर दूसरी जगह फैंक दिया गया तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जायेगा और राज्य की गरीब जनता को जो मदद हम दे सकते हैं वह सर्विसेज हम नहीं दे पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल सर्जीकल की एक यूनिट जो मरीजों को भर्ती करती है उसके लिये निहायत जरूरी है कि एस.एम.एस. अस्पताल पास हो ताकि कोई एमरजेन्सी आ जाये तो उस जगह पर ले जा सकें उसके लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं सोचा, निष्ठुरता से उन्होंने कहा कि हम सामान कहां ले जायें तो यह बोले आप मैन्टल अस्पताल में अपना सामान फैंक दीजिये। कभी बोले आप अपना छापरवाड़ा में फैंक दीजिये कभी कहां फैंक दीजिये कभी कहां। अगर आपके पास कोई इन्तजाम नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर नहीं है आप जल्दी से जल्दी इसको खाली कीजिये क्योंकि राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री खेतसिंह जी को उसका उद्घाटन करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं इस सम्बन्ध में जो पत्राचार हुआ है। 12-3-84 को डिप्टी सेक्रेट्री मेडिकल का पत्र है प्रिन्सीपल मेडिकल कालेज को जिसमें उन्होंने पूछा कि मोबाइल सर्जीकल यूनिट की मौजूदा जमीन की क्या कीमत आयेगी वहां गैरेज भवन गिराने की क्या कीमत होगी वैसी जमीन बताई जाये तो क्या कीमत होगी, आदि आदि। इस सम्बन्ध में जो डाइरेक्ट मोबाइल सर्जिकल यूनिट थी, उन्होंने एक पत्र लिखा है उन्होंने लिखा है—

"My dear Doctor,

With reference to my personal discussion with you on 10.6.85 in your chamber, I am putting the following facts for your kind

(सुश्री पुष्पा जैन)

perusual and further necessary action.

The details of the present store, where a dharamshala is proposed to be constructed, are as follows :—

The area of the plot is 48, 480 sq. ft. out of which 13240 sq. ft. is the covered area where the accommodation is listed as follows :—

(a) 18 garages, ten towards West and eight facing East (list enclosed as annexure I). They are all with heavy valuable articles worth lakhs of rupees.

(b) Central store in the middle portion covered by a huge tin shade, all full of medicines, linen, furniture, insruments and equipments etc.

(c) Extension of the tin shade where apartments for tailor and the carpenter is located.

(d) One Matron's office with W. C. and a small veranda adjacent to it for controlling the staff.

(e) small covered space near the main gate for chowkidar on duty round the clock.

The open area in the campus, which is 35240 sq. ft. is full of various important valuables lying for want, of covered space, namely tents, accessories, iron beds huge iron boxes etc. (list enclosed herewith as annexure II).

In an open area facing West 20 vehicles are parked (detalis enclosed as annexure III).

Besides the equipment, the transport electrical and mechanical sections are located in the present store premises.

From the perusal of these annexures, it is very obvious that the present store is accommodating valuable equipment of the Government worth lakhs of rupees for keeping the Mobile Surgical Unit of 500 beds in a fit condition to remain on wheels for the service of poor mass of Rajasthan through the year.

Now at present physical verification work of all sections is going on with all the repair works pending for commencing session. All vehicles to be checked

(सुश्री पुष्पा जैन)

and taken care of to be got ready for the journey ahead throughout the year.

To summarize, the entire hospital on wheels is divided into various sections with respective incharges, senior compounders and the medical officers all working at one place.

The safety and security is observed being a compect campus without any encroachment which is very important under the circumstances."

और भी कई बातें इन्होंने लिखी हैं—

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : "Yours sincerely, Mrs. C. P. Sharma."

अध्यक्ष महोदय, इसके बदले में उन्होंने यह कहा सामानात छपरवाड़ा में फेंक दीजिये तो डाइरेक्टर महोदय ने कहा कि वहां तो इतना कीमती सामान नहीं फेंका जा सकता। यह सामान करोड़ों रुपये की कीमत का है फेंकेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा और गरीब लोगों को हम सर्विसेज नहीं दे पायेंगे। दूसरा उन्होंने कहा जिस जमीन के लिये आप कह रहे हैं उस जमीन पर धोबियों ने कब्जा कर लिया है वहां धोबी घाट बना लिया है लिहाजा या तो आप वह जमीन खाली करवा दीजिये उसमें कुछ बिल्डिंग बनाकर दीजिये ताकि यह सामान शिफ्ट कर सकें वरना हम जाने से मजबूर हैं। उन्होंने साफ लिखा है अपने लैटर में

"It will not be advisable to shift this huge establishment to Moti Doongri campus during this rainy season without any protection."

अब अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं लिख सकते गवर्नमेंट को। तत्काल मोबाइल सर्जिकल यूनिट के डाइरेक्टर श्री सुधाकर डांडिया ने भी सख्ती से मना किया कि यह सारा सामान शिफ्ट नहीं किया जा सकता उस हालत में लिहाजा आप शिफ्ट न करें 5–7–84 को मेडीकल सेक्रेटरी मजीठिया साहब लिखते हैं कि 2500 गज जमीन तुरन्त खाली कर दीजिये। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ गेरेज बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, वह कैसे खाली हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, उसके दोनों तरफ गेरेज बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं किस तरीके से 2500 गज का टुकड़ा खाली हो जायगा तो फिर इन गेरेज का क्या होगा, सामान का क्या होगा। उन्होंने कहा बांगड़ चेरिटेबिल ट्रस्ट को दे दीजिये। उन्होंने 16-7–84 को वापिस जवाब लिखा कि गाड़ियों और तम्बुओं की मरम्मत चल रही है इसलिए अभी यह स्थान खाली नहीं किया जा सकता है फिर डिप्टी सेक्रेटरी साहब लिखते हैं गेरेज और उसके सामने की जमीन खाली हो जानी चाहिये, आप अपने लिये और कहीं व्यवस्था कर लें....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें. माननीय सदस्या। कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है, थोड़ा सा समय लूंगी, क्षमा चाहती हूं। 30.7.84 को उन्होंने जवाब लिखा सारा सामान खराब हो जायेगा बरसात का मौसम है, व्यवस्था नहीं हो सकती है लिहाजा खाली नहीं किया जा सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी साहब 31.7.84 को फिर लिखते हैं....

(व्यवधान)

तुरन्त खाली कर दीजिये। सामान मेन्टल हास्पिटल में ...

श्री अध्यक्ष : इस सारी कारसपोन्डेन्स से क्या मतलब है। माननीय सदस्या, आप अपनी बात कह दीजिये। यह तो बहुत लेटर लिखे गये होंगे, एक दूसरे के प्रति।

सुश्री पुष्पा जैन : अब, अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यवस्था नहीं बैठी तो 7.1.85 के लेटर में कहते हैं कि बांगड़ साहब एज ए गुड गेस्चर तीन गैरेज छापरवाड़ा जमीन पर बनाना मंजूर कर लिया है, जैसे कोई बड़ी इनायत कर दी। दातार जैसे कोई भीख दे रहा है, तीन गैरेज मंजूर कर लिये और वो भी कहते हैं यहां जमीन जो आदिनाथ मार्फत जो दरवाजे हटायेंगे कहने लगे वो दरवाजे वगैरह सब वापिस काम आ जायेंगे। एज ए गुड गेस्चर बांगड साहब वहां पर आपको धर्मशाला बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि जिन गैरेजेज का जिक्र कर रहे हैं यह देखिये (मा. अध्यक्ष को फोटो दिखाते हुए) इतने बड़े बड़े जंगी गैरेज जो आज की तारीख में आप बनवायेंगे तो एक गैरेज पर एक लाख से कम खर्चा नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सारा सामान, बड़े बड़े ट्रक मोबाइल सर्जीकल यूनिट के गैरेज के बाहर पड़े हुए हैं। यह दो दिन पहले खाली करवाया, जबरदस्ती से सारा सामान रेनी सीजन में बाहर पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सारा सामान भीग रहा है। इसकी गवर्नमेंट को कोई चिन्ता नहीं, गवर्नमेंट को चिन्ता है तो उस धर्मशाला की जो श्री बांगड़ बना कर देने वाले हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार से आज तक तो वह धर्मशाला नहीं बनी। क्या राजस्थान की जनता मर रही है, उस धर्मशाला के बिना। क्या राजस्थान में दूसरी व्यवस्था नहीं होगी, जयपुर में। और धर्मशाला ही बनानी है तो राज्य सरकार दूसरी जमीन पर बना सकती है। उस जमीन पर क्या जरूरत है बनाने की। अध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों रुपयों का सामान, किस तरह यह बक्से वगैरह बाहर पड़े हुए हैं। दो गैरेज खाली करवा लिये जबरदस्ती उनसे, देखते हैं दुख होता है कि एक तरफ हम मितव्ययिता की बातें करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान का बजट घाटे में चल रहा है और दूसरी तरफ आय के स्त्रोत उसमें हम × × × उसको किस तरह से समाप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पत्राचार जो हुआ उसमें जल्दीबाजी इसलिए की गई कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण जी माथुर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री खेत सिंह राठौड़ को सितम्बर में उसका उद्घाटन करना था। अब सवाल

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(सुश्री पुष्पा जैन)

पैदा होता है कि सितम्बर में उद्घाटन कैसे हो....

श्री अध्यक्ष : उद्घाटन या शिलान्यास। उद्घाटन का तो भवन ही नहीं बना, किसका करें।

सुश्री पुष्पा जैन : शिव चरण जी द्वारा मैं फोटो दिखा रही हूं जो पत्थर लगा हुआ है उनके कर कमलों से। यह उसकी तस्वीर है, उसमें इबारत लिखी हुई है और यह तस्वीर वह है जिसमें पत्थर लगा हुआ है। इसमें लिखा है बांगड़ धर्मशाला का शिलान्यास माननीय मुख्य मन्त्री श्री शिव चरण जी माथुर के कर कमलों से दिनांक गुरुवार 6 सितम्बर, 1984 को माननीय खेत सिंह जी राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्ष महोदय, सितम्बर के बाद दिसम्बर में पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले थे राजस्थान को बड़ी चिन्ता हो रही थी कि किस तरह करोड़पति लोगों से पैसा वसूल किया जाय। उन्होंने जागीर की जमीन को बेच दिया, राजस्थान की जनता के हितों को गिरवी रख दिया। अध्यक्ष महोदय, गरीब जनता वोट देती है यह विश्वास करती है कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरीके से गरीबों के हित की आड़ में राज्य सरकार जमीन को सेठों के पास गिरवी रख देगी। क्या कमी है बांगड़ सेठ को ? क्या वह और कहीं जमीन नहीं खरीद सकते थे। अगर यही जमीन देनी थी—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : सबसे बड़ी बात बताना चाह रही हूं—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : स्टेच्यू सर्किल पर बना लें....

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : माननीय यदुनाथ सिंह जी कौनसी जमीन का जिक्र कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : स्टेच्यू सर्किल पर जो उनकी जमीन पड़ी है....गेस्ट हाऊस बना रखा है....

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराणा : यह स्टेच्यू सर्किल की जमीन तो अरबन सीलिंग में सरेन्डर हो चुकी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें, कृपया बैठें, बैठें माननीय सदस्य...

Page No. 80

(80)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जिन डाइरेक्टर्स ने चूंकि एतराज किया था कि वह जमीन देने में असमर्थ हैं तो आप देखिये डाइरेक्टर्स का कितनी जल्दी जल्दी तबादला किया गया है। डा. पी. एन. माथुर 1.6.84 10.6.84 को ट्रान्सफर कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सारा विषय बदल दिया। कृपया बैठें माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : डा. सी पी. शर्मा 11.5 85, 15.7.85 को ट्रान्सफर कर दिया। डा. के. एन. हल्दिया 16.7.85 को आये और उनसे कह दिया गया कि अगर आपने भी जल्दी से जल्दी खाली करके जगह राज्य सरकार को नहीं सौंपी तो पहले वाले डाइरेक्टर्स की तरह ही आपका भी हश्र होगा और आपको भी बे-इज्जत करके यहां से निकाल दिया जायगा। लिहाजा डा. के. एन. हल्दिया ने वह दोनों गैरेज खाली करवा दिये। अब मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहती हूं कि श्री बांगड़ अगर इतने दाता हैं और इनको गरीबों का इतना ख्याल है तो पाली में इनकी उम्मेद मिल है, करोड़ों रुपया पाली से वह कमाते ही हैं। आज पाली की हालत क्या है। पाली में इन्होंने बांगड़ हास्पिटल बनाया है। मैं बताना चाहती हूं कि वहां जो आज कालेज है....

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर न हों, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप पाली में जा करके देखिये एक एक वार्ड में कितने कितने आदमी भरे हैं। वहां तो वार्ड नहीं बना सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर नहीं हों, माननीय सदस्या....।

सुश्री पुष्पा जैन : विषयान्तर नहीं हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं अगर इन्सान की मन्शा ईमानदारी से सेवा करने की है तो पहले पाली के हास्पिटल की हालत को ठीक करिये। वहां तो लोगों से भीख मांगी जा रही है। पाली के हास्पिटल के लिये कि पैसा दीजिये दूसरे कमरे बनाने पड़ेंगे....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या। समाप्त करें....। कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : वहां तो उनको ख्याल नहीं आया। बेचारे मजदूरों के लिये वहां स्कूल नहीं है। बांगड़ सेठ वहां स्कूल भवन नहीं बना सकता। वहां जो कालेज की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, उसको क्या वह पूरा नहीं कर सकता ..

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : वहां पर कालेज की बिल्डिंग अधूरी है, वहां पर कोई होस्टल नहीं है तो क्या बांगड़ सेठ होस्टल नहीं बना सकता लेकिन बांगड़ सेठ जयपुर में धर्मशाला बनायेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या। कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं राज्य सरकार से आपके मार्फत कहना चाहूंगी कि तुरन्त इस सारे काण्ड की जांच हो कि वह किस तरह से बांगड़ सेठ को जमीन देने का प्रस्ताव रखा इसके पीछे क्या वजूहात हैं। अगर धर्मशाला ही बनानी है तो नीचे फिर कामर्शियल कम्पलेक्स बनाने की क्या जरूरत है। इसलिए कार्मशियल कम्पलेक्स बनाया जा रहा है कि 10 लाख रुपया वह धर्मशाला में लगायेंगे और उसके नीचे जो कार्मशियल कम्पलेक्स बनायेंगे, शो रूम बनायेंगे और एक-एक शो रूम की वह पांच-पांच लाख रुपया पगड़ी लेंगे और उसमें पांच नोमीनी बनायेंगे। पांच में से दो करोड़ की जमीन जो राज्य सरकार दे रही है, उसके तो दो मेम्बर होंगे और जो कैश 10 लाख रुपया धर्मशाला में लगा रहे हैं उसके तीन मेम्बर होंगे। यह पांच आदमियों की मैनेजिंग कमेटी बनेगी इसको आप जस्टीफाई करते हैं, अध्यक्ष महोदय। मैं आप पर फैसला छोड़ती हूं कि राज्य सरकार को हिदायत दें कि सारे मामले की जांच करके इस सदन में स्टेटमेंट दें। इस सत्र में वरना/मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार श्री बांगड़ के साथ नहीं।

मैं एक और मसला इस सदन में उठाऊंगी जबकि गोलछा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या....। आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय. राज्य सरकार को सारे मामलात की जांच करानी पड़ेगी और इस तरीके से गरीबों की जमीनों को नहीं बेचा जा सकता है। राज्य सरकार ने यदि....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, बैठें माननीय सदस्या। माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : एक्शन नहीं लिया तो मैं चुनौती देती हूं कि इन जमीनों पर राजस्थान की गरीब जनता को बसाया जायेगा और उनकी रक्षा राज्य सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मैं एक मिनिट में कहना चाहता हूं—अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं देखकर आया हूं लाखों रुपयों का सामान गैरेज से बाहर निकाल कर पटक दिया गया है। कोई आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट नहीं हुआ है। मोबाइल सर्जिकल यूनिट हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर। यह गरीबों की सेवा करने का एक चिकित्सा का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करे। उन गैरेजेज में से लाखों रुपयों का सामान और मशीनरी बाहर फेंकी जा रही है, उसको रोकें और रोकने के बाद सारे मसले पूरे विचार करने के बाद में निर्णय लें जल्दी के अन्दर यदि गैरेजेज और सारे उस एरिया को खाली कराया गया तो मोबाइल सर्जिकल यूनिट बिल्कुल तहस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहस हो जायेगी, जो गरीबों की सेवा का माध्यम है, वह समाप्त हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार तुरन्त इसके ऊपर कार्यवाही करके आज जवाब दे, इस हाऊस में जानकारी दे और यदि जानकारी नहीं दी तो गलती हमारी नहीं होगी। सामान वहां से निकलेगा नहीं, जबरदस्ती का झगड़ा होगा, गरीब लोग वहां पहुंचेंगे। अध्यक्ष महोदय आप ताज्जुब करेंगे धर्मशाला बनायेंगे या और कुछ बनायेंगे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दो करोड़ रुपये की जमीन 10 लाख की धर्मशाला बनाने के लिये दे दी जाय, यह किसी भी आदमी के दिमाग में नहीं उतर सकती है। मैं सकेत के रूप में सरकार को कहना चाहूंगा कि इस काम को तुरन्त टेलीफोन करके रुकवायें। बरसात में सामान बाहर न फेंका जाय और जब तक इस सारे मसले पर पूर्ण विचार न हो जाय तब तक शिलान्यास की आड़ में उस जमीन को खाली कराने का प्रयास न करें।

(1.00 म. प.)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे।

व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धोलपुर नगर पालिका में जो व्यवहार हो रहा है वह जल्दी से जल्दी रोका जावे। लगातार चिट्ठी लिखने के बाद भी वहां कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। उसके बाद मैं आपके पास आकर आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान धोलपुर की नगरपालिका की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। क्योंकि जब तक राज्य सरकार इस पर कड़ी नजर नहीं डाल कर सख्त कदम नहीं उठाएगी तब तक यहां कुछ काम होने वाला नहीं। इलेक्शन के हाल ही बाद मैंने नगरपालिका के 24 वार्डों का चक्कर लगाया और यह पाया कि किस तरह से वहां के लोग जानवरों की जिन्दगी गुजार रहे हैं। पीने को पानी नहीं था, घर के ऊपर छत नहीं थी, रास्ते में पानी भरा हुआ था। मच्छर सब जगह गन्दी नालियों में भरे हुए थे। बत्ती और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, रात को चोरी होती थी उसकी वजह से। मैंने जब चिट्ठी लिखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो मेरे पास जवाब आया उनका जिसमें उन्होंने यह बताया कि वार्ड नम्बर 1, 2, 7, 8, 9 और 24 की सफाई करा दी गई है। सम्बन्धित सफाई निरीक्षकों से अनुपालना रिपोर्ट ले ली गई है। उसके अलावा रोशनी की व्यवस्था समुचित करा दी गई है। × × × अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे ...

श्री अध्यक्ष : × × शब्द को एक्सपंज किया जावे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : असत्य बोला, माफी चाहती हूं असत्य बोला। क्योंकि मैंने फिर चक्कर लगाया और पाया कि अभी भी वह चीजें मौजूद हैं जो पहले से थीं। उसके बाद मैंने फिर चिट्ठी लिखी उन्हें और

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया कि यह चीजें अभी तक हुई नहीं हैं। फिर से चिट्ठी लिखी उन्होंने मुझे और यह कहा कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि वार्डों की सफाई, रोशनी और खरंजा निर्माण का कार्य संतोषजनक और प्रगति पर है। गन्दे नालों की सफाई के कार्य युद्ध स्तर पर कराए जा रहे हैं। उक्त पत्र की प्रति अधिशासी अधिकारी को दी गई है और निर्माण विकास के बारे में मण्डल ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वार्ड में दस हजार रुपयों के कार्य कराए जायेंगे।' बहुत अच्छी बात थी। मैंने फिर चक्कर लगाया। बताया गया कि दस हजार रुपयों की चार हजार ईंटें हर वार्ड में ले जाकर रखी जा रही हैं। पर आज चार महीने हो गए वार्ड में ईंटें डाले हुए, उसका अभी तक उन्होंने यूज किया नहीं है। या तो वार्ड मेम्बर के घर में रख दिया गया है या वहीं के वहीं ढेर पड़े हुए हैं जिनके ऊपर वार्ड मेम्बर निगरानी डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि काम होगा तो कब होगा। वार्ड नम्बर 9 में उन्होंने बताया मुझे कि कुंआ लगा दिया है, उसमें मोटर पम्प लगा दिया गया है, डेढ़ महीना हो गया परन्तु कनेक्शन नहीं हुआ है। कनेक्शन नहीं हुआ है तो उस पम्प का और उस कुए का क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : वार्ड नं० 22 में पांच महीने पहले हैण्ड पम्प लगाया गया है पर उस हैण्ड पम्प से पानी नहीं आता। मच्छर सब जगह हैं। उन्होंने बताया कि सोबिंग की मशीन आउट आफ आर्डर है। और पानी तो अब इतना हो गया है बरसात के मौसम में कि, जो म्युनिसिपल आफिस है उसमें तैर कर जाना पड़े, इतना सारा पानी हो गया है। प्याऊ 15 प्याऊ थीं पुराने जमाने की। उन 15 प्याऊ में से 8 पर तो कब्जा कर लिया गया है। जिसमें से युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और नगरपालिका के आज चेयरमैन हैं उन्होंने उनमें से दो प्याऊ पर कब्जा करके अपनी दुकान लगा दी है। और दो कांग्रेस आई के नेता जो हैं उन्होंने दो प्याऊ इस्तेमाल कर ली है। पी. डब्ल्यू. डी. ने एक का कबाड़ा कर दिया है और जो तीन बचे थे उस पर चाय और चाट वाले की दुकान बन गई है। आप बताइये कि इस तरह से काम चलेगा ? आप अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क नहीं कराओगे, उनका ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं करोगे, उनको बताओगे नहीं कि यह काम होना है, वह धौलपुर के मालिक नहीं बल्कि नौकर हैं, तनख्वाह पाते हैं और जो काम कर रहे हैं कोई अहसान नहीं कर रहे हैं, तब तक यहां कोई काम नहीं होने वाला है। देखा है ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, कृपया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : थोड़ा सा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : रोड्स जो इलेक्शन में शुरूआत की गई थी वह आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं। आज आप देखोगे,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

80 हजार रुपया इस पर खर्च किया गया है, इनकम्पलीट पड़ा हुग्रा है। इस पर जब तक ग्राप कम्पलीट डामर नहीं लगाग्रोगे तो यह बरसात के मौसम में पूरा तो बहने ही वाला है। 80 हजार रुपया पानी में मिल जाएगा। चेयरमैन का स्टेटमेंट है इसके ऊपर, नगरपालिका के युवा कांग्रेस के जो हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि ग्राप लोगों ने, धौलपुर के लोगों ने बनवारीलाल जी को हराया है, इस वजह से ग्रब यह रोड नहीं बन सकती है, दिस इज ग्रोन रिकार्ड। उसके बाद वार्ड मेम्बर जो भी हैं नाजायज कब्जा कर रहे हैं। हर वार्ड मेम्बर ने ग्राज दो दो, तीन तीन दुकानें बना कर रख दी हैं ग्रौर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(म० प० 1.05)

(श्री गिरीराजप्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप मेहरबानी करके राज्य सरकार के ग्रौर मंत्री महोदय को यह उनके सामने रखें ग्रौर उन्हें कहें कि जल्दी से जल्दी जवाब दिया जावे। हमें बता दिया जावे कि इसमें क्या बात होने वाली है। मंत्री महोदया बैठी हुई हैं, ग्राप मेहरबानी करके उन्हें जो मैंने बातें ग्रापके सामने रखी हैं उनके ध्यान में लावें। मैं ग्रापके माध्यम से लाना चाहती हूं ग्रौर जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूं कि धौलपुर नगरपालिका का उद्धार हो ग्रौर मुझे सूचित किया जावे कि वहां किस तरह से काम हो रहा है। मैं पूरी तरह से जानना चाहती हूं ग्रौर मंत्री महोदय के द्वारा जानना चाहती हूं कि यह काम सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं होते हैं यह इलेक्शन पोलिटिक्स नहीं हो रहे हैं ग्रौर वाकई में ग्राप उस क्षेत्र का उद्धार करने में कुछ करने वाले हैं। जो 25 साल से कांग्रेस सरकार ग्राज तक नहीं कर पाई है ग्राज तो करके दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके मंत्री महोदय को भी ग्राप यह बता दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय तो यहां नहीं हैं किन्तु भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदया हैं, उनके माध्यम से वर्तमान मंत्री महोदय को मेरी बात पहुंच जाय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री तो हैं। पूर्व भी थीं ग्रौर ग्रब भी हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदया हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे विषय की ग्रोर मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं जिससे राजस्थान का सारा शिक्षक समाज ग्रान्दोलित है। ग्राज पचास लोग राजस्थान विधान सभा के बाहर शिक्षक गिरफ्तारी दे रहे हैं। यह पहला दिन है जब गिरफ्तारी पचास लोगों की हो रही है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भर के जितने शिक्षक संघ हैं, उन्होंने मिल कर शिक्षकों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की समस्याओं की दृष्टि से इस आन्दोलन को चलाया है। आज के बहुत दिन पूर्व सरकार को नोटिस दिया था निवेदन किया था कुछ मांगों के बारे में और मांगें थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि जिस पर एक बार शिक्षक संघर्ष समिति की जो सारे शिक्षक संघों ने मिल कर बनाई है, उसका एक लिखित समझौता हुआ था सरकार से और लिखित समझौता होने के पश्चात् भी राजस्थान की सरकार ने जिन मांगों को मान लिया था, जिन मांगों के बारे में आदेश प्रसारित करने का निर्णय ले लिया था, उन आदेशों को प्रसारित नहीं किया है। राजस्थान सरकार का वह ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं उन मांगों की ओर कि जिनका करने का निश्चय राजस्थान सरकार ने स्वयं किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 18 फरवरी 1985 से 25 फरवरी, 1985 तक राजस्थान भर के शिक्षक संघों का आन्दोलन हुआ। सात दिन तक आम हड़ताल हुई। शायद चुनाव के पहले का मौका था इसलिए राज्य सरकार ने उनको बुला लिया। बुलाकर बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने पर जो उनका मांग पत्र था, एक एक मांगों पर विचार किया गया। कई मांगों की स्वीकृति हो गई। एक रिटिन डाकूमेंट तैयार हो गया संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच में और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में और स्पेशल सेक्रेट्री एज्यूकेशन के जो थे उन्होंने लिखित रूप से संघर्ष समिति के लोगों को जो जो मांगें मानी थी उनको दे दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू राज्य सरकार को कि जिन लिखित मांगों को माना है, आदेश दिये हैं उसकी भी क्रियान्विति राज्य सरकार नहीं कर रही। एक मांग थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने मंजूर किया था कि 15 दिन का उपार्जित अवकाश शिक्षकों को भी दिया जाय। उन्होंने तय किया था, निश्चय किया था मांग के बारे में कि एक वर्ष में 8 दिन का उपार्जित अवकाश अगले सालों के लिए केरी-ओवर कर दिया जाय। मैं आपके माध्यम से वह समझौते की दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, राज्य सरकार ने 15 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया है उसमें से 8 दिन प्रतिवर्ष तक केरीओवर करने तथा निर्धारित नियमानुसार समर्पित करने, नकद भुगतान करने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है शेष दिन केवल नियमानुसार केरीओवर किये जायेंगे। यह रिटेन डाकूमेंट है यह राजस्थान सरकार ने जो मांग स्वीकार की है उसकी पत्रावली है, उसका पत्र है। राजस्थान सरकार ने आदेश तो किया स्टे लगा दिया उस आदेश पर, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं जब समझौता हो गया यह मांग मान ली गयी और वह जो आदेश भी प्रसारित किया है जिसको स्टे कर दिया। मैं पहले तो प्रश्न करना चाहता हू कि उस आर्डर को स्टे करने का कारण क्या था, क्या राज्य सरकार एक चुनावी समझौता हो गया था क्या राज्य सरकार ने जो समझौता किया था उससे फिरना चाहती है जो स्टे कर दिया है आर्डर, उसके बारे में भी शिक्षकों की शिका-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

यत है। सब जगह सर्वमान्य प्रथा है, सब प्रकार के विभागों में उपार्जित अवकाश वर्ष के आरम्भ में अर्थात् एक जनवरी को ही जोड़ दिया जाता है किन्तु जो आदेश स्टे किया गया, रोका गया उस आदेश में यह कहा गया कि नहीं यह साल के अन्त में हम जोड़ेंगे। क्या शिक्षक विमाता के पुत्र हैं, क्या अन्य कर्मचारियों से अलग हैं? एक दूसरी बात जैसे कैरी ओवर करने की बात थी; मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह तो आपके दिये हुए शब्द हैं, अपनी मांगों को तो जो मांगें स्वीकार कर ली हैं रिटेन डाक्यूमेंट है उस आदेश को अविलम्ब प्रकाशित करें, उसका आदेश तुरन्त निकालें। एक और मांग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मांग की थी कि शहर में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो शहरों में ग्रामीण भत्ता है वह बढ़ाया जाय। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा इस आन्दोलन के पहले 23 जनवरी को शहरी क्षेत्रों के लोगों का किराया, मकान किराया में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी। बड़े बड़े शहर उसमें आ गये, शिक्षकों ने सैक्शन के समय मांग रखी कि छोटी नगरपालिका का है और ग्रामीण क्षेत्र है उनमें वह मकान किराये का भत्ता बढ़ाया जाय, राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। ग्रामीण लोगों का भत्ता 10 रुपये से 15 रुपये कर दिया। शहरों का बढ़ गया 23 तारीख को 23 जनवरी को ग्रामीण क्षेत्रों का 10 से 15 रुपये, बहुत कम, किन्तु स्वीकार किया था किन्तु यह बीच की जो नगरपालिका हैं जिनका 30 रुपये किराया भत्ता है, राज्य सरकार ने मांग मानने के पश्चात् भी इस 30 रुपये के किराये में किसी प्रकार का विचार नहीं किया। यह कैसा भेदभाव है। शहर का किराया बढ़ गया, ग्रामीणों का बढ़ा दिया और बीच की जो छोटी नगरपालिका हैं बी. एम. सी. मांग मान ली किन्तु राज्य सरकार ने उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया। एक और मांग के बारे में राजस्थान सरकार ने सहमति प्रकट की थी; मांग को मंजूर किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को 1978 से पचायत के शिक्षक लगते आ रहे हैं, टैम्परेरी लगते हैं, वर्ष पूरा हो जाता है दूसरे साल फिर लग जाते हैं चाहे वह आयोग ने उन्हें विधिवत चयनित नहीं किया था, चयन आयोग था नहीं किन्तु सरकार ने चयन आयोग गठित कर लिया और इन शिक्षकों को फिर 1978 से वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी जाय जैसे और बाकी शिक्षकों को दी जाती है यह मांग थी। शिक्षकों की बड़ी मांग है कि 1978 से जो टेम्परेरी शिक्षक रहते थे हर साल हटाये जाते थे इनकी वेतन वृद्धि भी उसी प्रकार हो जाय जैसे और शिक्षकों की होती है, राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया किन्तु ऐसी सरकार आज तक देखने का मौका नहीं मिला जिसका कमिटमेन्ट है, रिटन कमिटमेन्ट है, फर्म कमिटमेन्ट है, आदेश प्रसारित नहीं किये। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से राज्य सरकार ने द्वितीय वेतन श्रृंखला और प्रथम वेतन श्रृंखला के जो शिक्षक हैं, पर प्रमोशन एवेन्यूज बहुत कम हैं, बातचीत हुई थी, तृतीय श्रेणी के लोगों की बात तो मान ली, आदेश भी प्रसारित कर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दिये कि अगर कोई किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिलेगा तो एक प्रकार का प्रमोशन उनको देने की कोशिश की जायेगी किन्तु द्वितीय वेतन शृंखला और प्रथम वेतन शृंखला, मांग मान ली है विचार लिखा है इस पर क्योंकि जिस समय चुनाव के पहले बातचीत हुई थी शिक्षा मन्त्री महोदय कहने लगे कि बातचीत हो रही है और अभी चुनाव का मामला है और अगर ऐसा क्लियर लिख देंगे तो शायद अदालत के कठघरे में खड़े हो जायेंगे कि हम वादा क्यों कर रहे हैं इसका उपयोग करके द्वितीय वेतन शृंखला का प्रमोशन तय कर दिया 15 वर्ष के बाद एक प्रमोशन, किन्तु प्रथम वेतन शृंखला और द्वितीय वेतन शृंखला वालों को नहीं दिया। चौथी जो बड़ी मांग है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस बातचीत के दौरान में तय हुआ था कि स्थानान्तरण की जो नीति होगी, उन्होंने कहा था कि उस पर राज्य सरकार विचार करेगी एक नीति का निर्धारण करेगी और पुरानी नीति को बदलना है तो और जो नीति बन जायेगी उसके बाद स्थानान्तरण किये जायेंगे। मैं आपके माध्यम से भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री महोदया हैं यहां राज्य सरकार की मेरी बात पहुंच जायेगी, दूसरे मन्त्री महोदय बैठे हैं क्या हो रहा है, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री महोदय, ऐसा तो है ही नम्बर दो वह तो है ही बहुत प्रमुख....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस समय शिक्षा भी उन्हीं के पास है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, वह तो ठीक है। मैं तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि × × × सरकार का जो उनका कमिटमेन्ट है, फर्म कमिटमेन्ट है, राजस्थान में शिक्षक सड़कों पर आ रहे हैं, सारे शिक्षकों की संघर्ष समिति मिलकर संघर्ष करेगी, गिरफ्तारी देने के लिए प्रस्तुत करेंगे, यहां आ गये हैं विधान सभा के बाहर इस प्रकार रिटन समझौता करने के पश्चात् शब्द उमूली आज यह तो राज्य सरकार का जो सोचने का ढंग है वह किसी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं स्थानान्तरण के बारे में कह रहा था कि राज्य सरकार ने यह मान लिया कि शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन करना होगा तो हम करेंगे उसके बाद लगायेंगे किन्तु 23 हजार तो शिक्षा विभाग में हो गये स्थानान्तरण, पति पत्नियों को अलग अलग

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

किया जा रहा है। हजारों लोग, हजारों शिक्षक ऐसे हैं इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं कि जिनके बारे में नियम है कि उनको अपने स्थानों से नहीं हटाया जाय, मेडिकल फैसिलिटी के कारण, उनके साथ क्या व्यवहार किया है इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, स्थानान्तरण में इस प्रकार की बात हो रही है, घोटाले हो रहे हैं यह चर्चा का विषय नहीं है किन्तु इन सब विषयों को लेकर आज राजस्थान का शिक्षक विधान सभा के चौराहे पर, दरवाजे पर, जयपुर की सड़कों पर आन्दोलन पर खड़ा हो गया है। अगर × × × × × मेरी बात को सुने तो जो आपका कमिटमेंट है, उसको पूरा करो, जो आपने तय कर लिया

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उनका तो आदेश निकालें। राजस्थान के शिक्षक को आन्दोलन की भट्टी में मत भुलसने दो और इसीलिए मैं राजस्थान सरकार का ध्यान अपने इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहता था और मुझे लगता है कि आपकी भी सहमति मेरे साथ होगी कि राज्य सरकार ने कम से कम जो कमिटमेन्ट किये हैं उनके आदेश प्रसारित करे, इस बात की तो यहां घोषणा करें। यह तो उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं का वायदा है इसलिए वायदा खिलाफी और वायदा वह तो न करें और शिक्षकों को इस आन्दोलन में जो शुरूआत हो गयी है उससे कहें कि हमने जो मांगें मान ली हैं उन मांगों को हम मान्य करेंगे। यही मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में जो भू जल योजना सरकार द्वारा चलायी गयी 66 में और जिसको राजस्थान में लागू करने का श्रेय है श्री नाथूराम मिर्धा साहब को उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है इसका सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वह पूर्ण रूप से असत्य है। हमारे यहां 39 ट्यूब वेल सन् 1966 में बनाये गये कि गांव के लोग इससे सिंचाई करें। 39 ट्यूब वेल में से सात ट्यूब वेल ऐसे हैं जिनमें मोटर लगाई ही नहीं गई और यह कह दिया गया कि यहां का पानी विषैला है जिसको पीने से पक्षी मर जायेंगे, खेत खराब हो जायेंगे। जब कि उसी गांव के अन्दर जो व्यक्तिगत ट्यूब वेल लगे हुए हैं उनमें बहुत अच्छा पानी है और बड़े आराम से सिंचाई हो रही है। वहां भी जिन ट्यूब वेल को यह कह कर बंद कर दिया गया बोर करने के बाद कि इसका पानी विषैला है, उनका पानी जब टैस्ट हुआ तो गांव वालों ने पीया, बच्चों ने पीया, कोई नहीं मरा, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन उन गांव के सात जो ट्यूब वेल हमारे थे उनको बंद कर दिया गया। आज सरकार ने जवाब दिया है 18 ट्यूब वेल बंद पड़े हैं, 8 ट्यूब वेल में लोगों ने कह दिया कि हमको पानी की आवश्यकता नहीं है और 8 ट्यूब वेल ऐसे हैं जो चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यह जो तीनों अंकों के आंकड़े हैं, तीनों गलत हैं। यह भी कोई सोच सकता है, गांव वालों ने यह कह दिया कि हमको पानी की आवश्यकता नहीं है, ट्यूब वेल बंद कर दो, जहां पर एक भी नहर नहीं हो, जहां बांध न हो, जहां पानी का इन्तजाम न हो वहां गांव के लोग कह देंगे कि हमको पानी की जरूरत नहीं है आप ट्यूब वेल बंद कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी घोर अनियमितताएं इस विभाग में वहां पर हैं कि राजाखेड़ा में योजना है, उसका हैड आफिस यानी मंडल के अधिकारी बैठते हैं वह भरतपुर में बैठते हैं। पूरे भरतपुर में योजना नहीं है, योजना है राजाखेड़ा में, 125 किलो मीटर दूर उसके अफसर बैठते हैं। इसका जो हैड आफिस है वह जोधपुर में है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मशीन और मोटर क्या क्या गायब हो रही है, उसकी सूचना

(श्री मोहन प्रकाश)

तो बाद में दूंगा, पहले तो जयपुर कार्यालय से 1980 में एक ट्रक चोरी चला गया जिसका आज तक कोई पता नहीं पड़ा कि वह ट्रक कहां चोरी चला गया। उसके बाद सन् 84 में उसी कार्यालय से एक जीप चोरी चली गई और उस जीप का भी कोई पता नहीं है। सारे के सारे जिन जिन ट्यूबवैल की चर्चा इन्होंने की है कि 18 हमारे यहां बंद पड़े हैं, इन 18 ट्यूबवैल की मशीनें आगरा की किरण इलेक्ट्रिकल्स में पड़ी हैं जो कि बेच दी गई हैं। मैं आपको लिस्ट वाइज बता देना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि 6 ट्यूबवैल चल रहे हैं, यह छहों ट्यूबवैल चालू हालत में जरूर हैं लेकिन उनमें चल एक ही ट्यूबवैल रहा है, यानी सरकार ने करोड़ों रुपया इस पर लगाया है, करोड़ों रुपया लगाने के बाद इतना बड़ा महकमा है, इसमें सैकड़ों कर्मचारी भरतपुर और राजाखेड़ा में कार्यरत हैं लेकिन एक नये पैसे की रेवेन्यू नहीं आ रही है। पहले यह ट्यूबवैल डीजल से चला करते थे, उसमें करोड़ों रुपये के डीजल की इस तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में खपत हो गई। और अब अब तो जब से बिजली पर चलने लगे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू, इसमें नियम कर दिया कि जो आपरेटर होगा वह नकद पैसा लेगा, नकद पैसा लेने के बाद किसानों को पानी देने का इन्तजाम करेगा। इसमें हो यह गया कि आपरेटर ने जम्फर डाल कर मोटर चलाना शुरू कर दिया, किसान को पानी देना शुरू कर दिया और जो आमदनी इस किसान के द्वारा सरकार को हुई है उस पैसे को उसने अपनी जेब में रख दिया और अपने हिसाब से जिस तरह से हिस्सा बटता है उसी तरह से हिस्सा बटने लगा। नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ, यह जो विभाग है, घाटे में जाने लगा और सरकार ने यह एक पक्ष ले लिया कि यह ट्यूबवैल चूंकि घाटे में जा रहे हैं, इसलिये हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में है इसको कमाण्ड एरिया में कर दीजिये, जिस किसान को जितना पानी लेना है उस हिसाब से पैसा जमा करा देगा। पैसा आप पहले ले लीजिये या बाद में ले लीजिये, जिस ढंग से भी आप चलाना चाहते हैं। इस तरीके से नकद पैसा पहले लेने पर आपरेटर के ऊपर आप छोड़ देते हैं, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। इस विभाग का पूरा चिट्ठा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास है। मैं इस सदन का वक्त नहीं लेना चाहता लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतनी अच्छी योजना इस प्रदेश में चलाये जाने के बाद सरकार को इतनी फुरसत नहीं है कि एक तहसील में भी एक जगह पर भी यह योजना चल रही है या नहीं। इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है इस सदन में इस सरकार के लिये कि सरकार यह जवाब दे रही है कि 18 बंद पड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 18 जगह नहीं 34 जगह पर बिल्डिंग बनी हुई है, उन बिल्डिंग्स के किवाड़ तक लोग निकाल कर ले गये हैं। इसका भौतिक सत्यापन करा लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है इस सदन से, आपसे यह मांग है कि कम से कम सरकार से इस बात पर हमको जवाब

(श्री मोहन प्रकाश)

दिलावें कि आखिर क्या वजह है 18 ट्यूबवेल अगर सरकार कहती है तो 18 भी क्यों बंद पड़े हैं और कब से बंद पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की आंख खुल जायगी, यह ट्यूबवेल इसलिये बंद पड़े हैं कि भूतपूर्व विधायक के इंजन की एजेन्सी है, अगर यह ट्यूबवेल चलने लगेंगे तो लोग अपने इंजन नहीं लगायेंगे, अपना ट्यूबवेल नहीं बनायेंगे। सिंचाई का साधन न होते हुए भी, पिलाई होते हुए भी बंद पड़े हैं और सरकार यह जवाब देकर हट जाना चाहती है कि 18 ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। जब कि असलियत यह है जिन आठ को भी सरकार कह रही है आठ ट्यूबवेल के लिये गांव वालों ने कहा कि हमको पानी की जरूरत नहीं है, मैं यह कहता हूं कि यह सरासर असत्य है, असंभव है। अगर पानी का इन्तजाम हो, तो किसान क्यों नहीं पानी लेना चाहेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ साथ हमारी मांग है कि जिन 7 ट्यूबवेल को सरकार ने या विभाग ने यह कह कर बंद कर दिया कि इनका पानी उपयोग लायक नहीं है, मेरा दावा है कि पुन: इसकी जांच करायी जाय, अगर एक जगह का भी पानी विषैला निकल जायगा, उपाध्यक्ष महोदय, तो जो आप सजा मुझे देना चाहेंगे वह मुझे मंजूर है क्योंकि उसी गांव में उस ट्यूब वेल के चारों तरफ जो पानी है वह अगर विषैला नहीं हैं तो एक ट्यूबवेल, जिसको सरकार ने खोदा है उसमें पानी कैसे विषैला आ सकता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कितने ही ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनकी मशीन तक नीचे चली गई है, मोटर तक नीचे चली है गई है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है।

मेरा आपसे इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन है कि हमको आप स्पष्ट सरकार की तरफ से यह जवाब दिलवाइये कि इसकी वजह क्या है, कब से यह बंद हैं और सरकार इनको कब तक चालू कराना चाहती है। और अगर मेरी बात में असत्यता है तो आप, उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कर दें। यह सवाल इस तरीके से टाला नहीं जा सकता है। यह मेरे क्षेत्र के किसानों से सम्बन्धित मामला है, 20 साल टाला गया होगा लेकिन अब इस सवाल को टाला नहीं जायगा। इसमें जो लगे हुए भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ जितने भी चार्जेज है, अगर सरकार चाहती है तो मैं देने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं मेरे क्षेत्र में जितने ट्यूबवेल हैं, एक-एक ट्यूबवेल चले। सिंचाई की आप व्यवस्था करेंगे नहीं, लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था करेंगे नहीं लेकिन जिनमें करोड़ों रुपया आपने लगा रखा है उनका कम से कम आप उपयोग तो करिये, हम आपको रेवेन्यू तो दें, किसान का खेत तो सिंचित हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा जो अभी धौलपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था, एक चीज जो उनके स्थगन प्रस्ताव में है आप मुझे इजाजत देंगे धौलपुर शहर ही शायद मेरी जानकारी में ऐसा शहर होगा, मैं सब जगह घूमा हूं लेकिन धौलपुर शहर मुझे ऐसा शहर मिला जहां पर घरों से पखाना इकट्ठा करके नगर पालिका द्वारा मुख्य सड़क पर डाला जाता है। और जगह भी होगा लेकिन और जगह इकट्ठा करके कहीं सुरक्षित जगह डाला जाता है। यहां पर मंदिर के पास, मुख्य सड़क

(श्री मोहन प्रकाश)

जो मन रोड धौलपुर की है, उस पर इकट्ठा किया जाता है। और भगवान जाने हम लोग तो उसके आदी हो गये हैं। लेकिन यह कम से कम....

एक माननीय सदस्य : धौलपुर में ही ऐसा होता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी भी सुन लो, क्या यह कहना चाहते हैं। यह तो खुद ही कूड़े से परेशान हो रहे हैं।

श्री मोहन प्रकाश : जो कार्यालय अभी भरतपुर में इसका है वह चूंकि 125 किलोमीटर दूर पड़ता है। भरतपुर में भू-जल की कोई योजना नहीं है, राजखेड़ा में योजना है। पहले धौलपुर और भरतपुर जिला एक था, इसलिये शायद डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर इसका कार्यालय खोला गया होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर करना है तो धौलपुर कर दें वरना आप इस कार्यालय को राजाखेड़ा स्थानान्तरित करेंगे, इस पर हमको जवाब दिलवाने की कोशिश करें। यह सवाल ऐसे मुस्करा कर छोड़ा नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान 13 जुलाई को राजस्थान विश्वविद्यालय से बी. एड. कर रही छात्रा, जो उदयपुर की है और यहां राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में महारानी लक्ष्मीबाई होस्टल में रहती है, के साथ एक रेलवे कर्मचारी और रेलवे इंजन के एक ड्राइवर के पुत्र द्वारा किए गये बलात्कार की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13.7.85 को दोपहर में यह लड़की अपने घर जाने के लिए उदयपुर का रिजर्वेशन कराने के लिए रेलवे स्टेशन गयी और रिजर्वेशन के लिए लाइन में खड़ी थी तो वहां योगेश सहगल जो एक इंजन ड्राइवर का लड़का है और जिसका यह धन्धा है वहां भोली-भाली लड़कियों को रिजर्वेशन करवा कर उनको फंसाया जाय और उनके साथ बलात्कार किया जाय जिसमें यह योगेश सहगल ही नहीं उसके साथ पूरी गैंग शामिल है। उसने उस लड़की को कहा कि क्या आपको रिजर्वेशन करवाना है। उस लड़की ने कहा कि मुझे उदयपुर का रिजर्वेशन चाहिए। उस योगेश सहगल ने कहा कि मैं आपका रिजर्वेशन पांच मिनट में करवा सकता हूं। उस लड़की ने उसे सौ रुपये दिए। उस लड़की को योगेश सहगल ने वेटिंग रूम में बैठा दिया और गोपाल जो इस मामले में दूसरा अभियुक्त है जो टी.टी.ई. है, उसको पैसे देकर अन्दर भेज कर रिजर्वेशन करवा लिया। जब रिजर्वेशन करवाने के बाद लड़की ने टिकट और पैसे मांगे तो उन श्रीमान सहगल साहब ने कहा कि आप बाहर चलिए मैं पैसे और टिकट लेकर आता हूं। उसके बाद वह मोटर साइकिल लेकर सदर थाने के सामने जहां लड़की खड़ी थी वहां गया और उसको जानकारी थी कि यह लड़की होस्टल में रहती है तो उसने कहा कि आप कहां जायेंगी, मुझे तो राजस्थान विश्वविद्यालय जाना है। तो उस लड़की ने, अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, उसको कहा कि मुझे भी होस्टल छोड़ दीजिए और उसके

(श्री कालीचरण सराफ)

साथ लड़की मोटर साइकिल पर बैठ गई। उसके बाद मोटर साइकिल रवाना की तो उन सहगल साहब ने कहा कि गणपति नगर में मेरा घर है वहां पर एक कागज मुझे घर पर देना है उसके बाद मैं आपको होस्टल में छोड़ दूंगा। उस लड़की को गणपति नगर में रोड तीन पर एच–1 मकान पर ले गया जो भारतीय रेलवे के कर्मचारी के नाम पर अलाट है जिसमें यह गोपाल रहता है। वहां जाकर उसके बाद, क्योंकि उसके पास फ्लेट की डुप्लीकेट चाबी थी वह फ्लेट खोला और अन्दर ले जाकर उस लड़की को चाकू दिखाया और उसे शराब पीने के लिए बाध्य किया। इतनी देर में गोपाल जो वालीबाल का ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है, जो टी. टी. ई. है रेलवे में, वह भी वहां आ गया और उन दोनों ने जबरन उस लड़की को शराब पिलाई और तीन बजे से लेकर शाम साढ़े सात बजे तक उस लड़की के साथ उन दोनों कुख्यात बदमाशों ने लगातार बलात्कार किया। लगातार बलात्कार के कारण लड़की बेहोश हो गई और वह रात भर लड़की के साथ बलात्कार का प्रोग्राम बना कर खाना खाने के लिए उस मकान का ताला बंद करके चले गले। इस बीच लड़की को होश आया और उसने अपने को मकान के अन्दर ताले में बन्द पाया तो घबराई और खिड़की जो एक मात्र सहारा थी उसको खोलकर चिल्लाई और पड़ौसियों की मदद से लड़की को बाहर निकाला। वहां से लड़की खून से लथपथ गिरती पड़ती विश्वविद्यालय गई और होस्टल में वार्डन को पूरी दास्तान सुनाई। 14 तारीख को दूसरे दिन सवेरे वार्डन के साथ लड़की सदर थाने में गई और उस बलात्कार की एफ. आई. आर. दर्ज कराई परन्तु मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि आज दस दिन होने के बावजूद और नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं कि पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी भी कि नहीं क्योंकि यह जो गैंग रेलवे स्टेशन पर इस बात की हरकतें करती हैं इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है। रेलवे विभाग, सदर थाना पुलिस और 20-25 लोगों की गैंग मिलकर भोले-भाले यात्रियों को फंसाते हैं और उनका आरक्षण करवाने के नाम पर 20-20, 25-25 रुपये एक-एक यात्री से लेते हैं और यदि कोई भोली-भाली लड़की फंस जाए तो इस प्रकार का कृत्य करके उन भोली लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र, मैं सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पूरे विश्वविद्यालय जगत में ही नहीं, जयपुर शहर का प्रमुख शिक्षा जगत, जन साधारण इस बात को लेकर उद्वेलित है। पुलिस और अभियुक्तों की मिलीभगत से आज बलात्कार के जो दोषी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इस बात को जयपुर शहर का छात्र जगत कभी सहन नहीं करेगा। मैं मांग करना चाहता हूं कि उन अभियुक्तों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाय और दोषी पुलिस अधिकारी जो इस गिरफ्तारी में बाधा डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और उनका निलंबन किया जाय और इस प्रकार की हरकतें रेलवे के जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। आपको जानकर आश्चर्य

(श्री कालीचरण सराफ)

होगा कि रेलवे विभाग में कार्यरत वह टी. टी. ई. गोपाल जो वालीबाल का ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है उसके ऊपर रेलवे विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुझे शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े लड़की के साथ बलात्कार किया गया और आज तक वह गिरफ्तार नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं सरकार से कि अभियुक्तों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय। इसमें जो पुलिस अधिकारी शामिल हैं उनको निलंबित किया जाय और जो टी. टी. ई. अभियुक्त है उसके खिलाफ रेलवे विभाग कार्यवाही करे। धन्यवाद।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह काण्ड हुआ, विधान सभा का सत्र चल रहा था। मैं मांग करना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने जो यह स्थगन प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया, आपने सरकार को जानकारी के लिए भेजा, उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार में नारी समाज के लिए जरा भी लज्जा होती तो सरकार को तुरन्त जवाब देना चाहिए था मैं आपसे मांग करती हूं कि सरकार ने इस पर जानकारी क्या की, वह पूरी सदन में बताई जाय। वह अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं वह क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर वह कौन से वजूहात हैं जिनके कारण आप अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं? राज्य सरकार जवाब दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मामला नहीं है जिसको सदन में बोल कर दफना दिया जाय, यह ऐसा मामला है जिसमें अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में किसी में हिम्मत नहीं हो कि लड़कियों की तरफ आंख उठा कर देखे आज राज्य सरकार और गृह मन्त्री महोदय बैठे हैं सदन में क्या आप बता नहीं सकते कि जिन हालात में लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसकी हालत पर जरा गौर कीजिए, वह लड़की जिसे उसके माता पिता ने जयपुर में पढ़ने के लिए भेजा उसके पिता हार्ट पेशेंट हैं क्या हालत है उस बाप की, उसकी मां की जो उदयपुर में बैठ कर सोचती होगी कि उनकी लड़की पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगी और आगे जाकर उनका सहारा बनेगी कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार लड़की की इस तरीके से रक्षा नहीं कर सकती, उसके साथ इस तरह का व्यभिचार हो जाय सरकार उन अपराधियों को पकड़ नहीं सकती उनको सजा नहीं दे सकती, पुलिस इसमें सहयोग करे और सरकार चलते हुए सत्र में खामोश बैठी रहे आखिर इसका कारण क्या है? मैं आवाज लगाना चाहती हूं कि यदि आपने सदन में बयान नहीं दिया, यदि बताया नहीं कि कौन से हालात हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो मैं आरोप लगाऊंगी कि इसमें सरकार की मिली भगत, साजिश है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा युनिवर्सिटी के फस्ट एम. बी. बी. एस. इम्तिहान का बायो-केमेस्ट्री के नतीजे में हेराफेरी और फर्जी तरीके अपनाने के विषय में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ

(श्रीमती विद्या पाठक)

दिन पूर्व मुझे एक पत्र मिला उसके बाद कुछ बहुत एजीटेटेड विद्यार्थी मिले और मुझे दर्द है कि एक बड़ा रैकेट, उस रैकेट को खोलने की जिम्मेदारी भी मात्र महिलाओं ने ली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जून, 85 में प्रथम एम. बी. बी. एस. के इम्तिहान हुए जिसमें बायो केमेस्ट्री के भी इम्तिहान हुए, यह यूनिवर्सिटी के इम्तिहान होते हैं जिसमें दो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं और दो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं। एक डिपार्टमेंट के होते हैं और दूसरे जो इसमें प्रोफेसर होते हैं वह होते हैं। एक्सटर्नल में एक दिल्ली से मि. पी. एन. अग्रवाल आए हुए थे, एक जम्मू से मिसेज गुट्टू आई हुई थी और यह इम्तिहान जून, 85 में हुए उसी दिन मुझे एक पत्र मिला उस सैकेण्ड इंटरनल एग्जामिनर का जिसने यह इम्तिहान लिया जून, 85 में। मा. उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइन पढ़ कर सुनाना चाहूंगी, 22 वर्ष की उनकी नौकरी है और वह इतनी दुखी हैं कार्य प्रणाली से कि उन्होंने लिखा है, इम्तिहान के रिजल्ट के बारे में—

Ten students were failing but when the result was declared this number has miraculously increased to thrity while the result sheet was in the possession of the examiner, who is the head examiner, i. e. Mr. Bhardwaj.

ये प्रोफेसर भारद्वाज हैं उन्होंने यही नहीं और लिखा है—

Brilliant students securing top positions in Anatomy and Physchology are hardly getting pass marks.

और उन्होंने इस तरह की जो शिकायतें लिखी हैं जैसा मैंने अभी कहा कि शिकायत मि. भार्गव प्रोफेसर बायो-केमेस्ट्री है उनके खिलाफ यह शिकायतें लिखी हैं। पहली बार शिकायत नहीं की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'डाक्टर भार्गव जो यहां प्रोफेसर हैं यह एक्चुअली एग्जामिनर बनने के अधिकारी ही नहीं हैं। जनता सरकार के समय उनकी क्वालिफिकेशन को चैलेन्ज किया गया। जनता सरकार के समय उनका जोधपुर ट्रान्सफर हो गया। इन दोनों के खिलाफ यह रिट में गये सुप्रीम कोर्ट में इनका केस पहुंचा। यानी मि. भार्गव, गवर्नमेंट वर्सेज मि. भार्गव जो गवर्नमेंट के सरकारी पक्ष के ग्राफिसर इन्चार्ज हैं, जिनको इस केस को लड़ने के लिए यहां से भेजा है और जो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है उसकी प्रति है और यह कहते हैं, मैं थोड़ा सा पोर्शन चार लाइन में है, आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगी, वह लिखते हैं अपने एफिडेविट में

That in reply to the contents of para 12 of Special Leave Petition it is submitted that the petitioner is neither a qualified person nor is eligible for the appointment to post of Professor or even Reader in the Department of Bio-Chemistry in any of the affiliated Medical Colleges.

(श्रीमती विद्या पाठक)

यह डिस्क्वालिफाइड, उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि यह श्रीमान बायो केमेस्ट्री मेडिकल के लिए ग्रावश्यक है। उसमें न पोस्ट ग्रेज्युएट, न पी.एच.डी.। यह पोस्ट ग्रेज्युएट हैं साइंस केमेस्ट्री में हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रजेन्ट पोस्ट यह होल्ड किये हुए हैं यह बिल्कुल इल्लीगल होल्ड किये हुए हैं। यह फिर इन्होंने उस चीज को धोने के लिये, उस चीज की सफाई के लिए तीन पेपर्स में ग्रपीयर हुए, तीन पेपर मेडिकल के लिए क्वालिफाइड करने के लिए। उसके बावजूद यह क्वालिफाइड नहीं कर पाये। क्यों नहीं कर पाये क्योंकि उन्होंने जो तीन पेपर दिये, उसके साथ डेजर्टेशन जरूरी था, जो इन्होंने नहीं दिया ग्रौर यह दे भी नहीं सकते। इसी तरह सारे मेडिकल कौन्सिल के रूल्स, रेगूलेशन जो क्वालिफिकेशन के लिए होने चाहिए, प्रोफेसर के लिए वह इन पर पूरे खरे नहीं उतरे। यह पिछले 10 वर्षों से एग्जामिनर, 10 वर्षों से प्रोफेसर बने हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सारी मैं इसलिए बता देना चाहती हूं क्योंकि ग्रागे जो बात बता रही हूं उनके लिए यह इनकी बेसिक नेचर है, पर्सनली बात विधान सभा में बोलना बहुत गलत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं मगर यह बताने के लिए इनका व्यक्तित्व, नेचर सभी सेमीपरवर्टेड है। मैं ग्रापको यह बताना चाहूंगी कि इनकी पिछली एक वाईफ है, वह दिनेश स्वामी की रिश्तेदार, साली है जो ग्रपने एक सेक्रेटरी हैं जयपुर से रहे हैं, एक इनकी दूसरी वाईफ, इनके टीचर की वाइफ है जो इनके पास रह रही है, तीसरी एक ग्रौर वाइफ है जिनका भी बिहेवीयर ग्रच्छा नहीं है। दिस इज ग्रॉनली टू रिफ्लेक्ट कि इनकी पर्सनल इन्टेग्रिटी क्या है ग्रौर इनकी बेसिक नेचर कितनी परवर्टेड है और इसी पीड़ा से ग्राज पूरे राजस्थान के विद्यार्थी बहुत पीड़ित हैं, जयपुर मेडिकल कालेज के विद्यार्थी बहुत पीड़ित हैं। ऐसे एग्जामिनर, इस तरह के एग्जामिनर ने, उपाध्यक्ष महोदय, जून 85 में इम्तिहान लिया ग्रौर जैसा मैंने ग्रापको निवेदन किया कि चार एग्जामिनर्स होते हैं. ग्रौर चारों एग्जामिनर्स ने रिजल्ट शीट साइन की और रिजल्ट शीट साइन करते वक्त टोटलिंग करना जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कि एग्जामिनर्स ने ग्रब्जेक्शन दिया था कि टोटलिंग करना टेब्यूलेटर का काम है हमारा काम नहीं है। इन्होंने मार्क्स उन लोगों ने, दोनों महिलाग्रों ने यह देखा, जो एग्जामिनेशन इन्टरनल की थी, दूसरी एग्जामिनर सरला भार्गव ग्रौर एक दूसरी जम्मू से ग्राने वाले मिसेज मोंटू, उन लोगों ने यह एश्योर किया कि सारे नम्बर चढ़ा दिये जायें मार्क लिस्ट में ग्रौर नम्बर चढ़ने के बाद टोटलिंग चढ़ा दी गयी ग्रौर उन्होंने यह किया उन लोगों ने मार्क्स भी नोट किये। जब रिजल्ट बनी तो एक डिस्टिंक्शन था रोल नम्बर-342 ग्रौर 10-11 विद्यार्थियों के पास पास फेल हुए। जो रिजल्ट निकला है उसमें दो डिस्टिंक्शन है, रोल नम्बर 250, 342 ग्रौर लगभग 30-31 स्टूडेन्ट फेल हो गये। इसी वजह से इस लड़की ने जो सैकिण्ड एग्जामिनर है इन्टरनल उसने चिट्ठी लिखी, वाइस चान्सलर को, चान्सलर को, रजिस्ट्रार को टेलिफोन से कान्टेक्ट करने की कोशिश

(श्रीमती विद्या पाठक)

की मगर किसी ने बात करना पसंद नहीं किया। मैं आपको यह लिस्ट बताना चाहती हूं, इम्तिहान की जो लिस्ट जिस तरह से नम्बर चढ़ाये जाते हैं और टोटल कर टेब्यूलेटर उसमें दस्तखत करता है। तो इस तरह की जो लिस्ट थी उस लिस्ट में हेराफेरी एग्जामिनर महोदय ने उसके बाद की। आज विद्यार्थी बहुत डरे हुए हैं, शिकायत में भी हम से आकर तो बात करते हैं पर कोर्ट केस में ले जाना या एक्सपोज होना कोई नहीं चाहता क्योंकि टेक्निकल इन्स्टीट्यूट है। यह मार्क्स की हेराफेरी होना कोई नयी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी रिजल्ट में ऊपर और नीचे करना कोई नयी बात नहीं है। सब इनको कितना डिप्लाई करते हैं अगर यह आपको देखना है तो मेडिकल की दीवारों को देखिये जिसकी फोटो मैं इस सदन में पेश कर सकती हूं। वहां जिस तरह की गालियां, लोगों ने अपने एक्सप्रेशन वहां लिखे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक मुख्य शिकायत यह थी कि रिजल्ट बनने के बाद उसमें ओवर राइटिंग हुई है, रिजल्ट बदला गया है। जैसा मैंने अभी कहा है कि टेब्यूलेशन का कालम खाली छोड़ा जाता है। सारे एग्जामिनर ने नम्बर भर कर दिये और इनकी कस्टडी में हेराफेरी की, डिपार्टमेंट की कस्टडी में रहता है। बात करते हैं तो यह कहते हैं कि हर एक में दस्तखत हैं और मुझे विधान सभा में यह कहा गया है कि जितनी ओवर राइटिंग है, जितनी कहीं काटा है उन सब पर एग्जामिनर के दस्तखत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक जांच का विषय होगा मंत्री महोदय यह नोट कर लें, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं यह नोट करवा दें, कुछ रोल नम्बर्स मैं बता देना चाहती हूं जिनमें भारी हेराफेरी हुई है। रोल नम्बर–250, इसमें नम्बर बढ़ाये हैं, रोल नम्बर–342 यह तत्कालीन सैक्रेटरी महोदय की पुत्री, इन के नम्बर बढ़ाये, इनके नम्बर बढ़ाने के साथ ही जो पहले टाप कर रहा था रोल नम्बर–372 उसके नम्बर घटाये गये। यद्यपि यह सैक्रेटरी मजीठिया साहब की सुपुत्री तीन डिस्टिंक्शन के बाद भी टाप पोजिशन पर नहीं पहुंच रही थीं इसलिए इन नम्बरों को घटाना जरूरी हो गया। इनके नम्बर घटा कर सेक्रेटरी साहब की लड़की क्योंकि सैक्रेटरी साहब ट्रान्सफर भी कर सकते हैं, घटनाओं को दबा भी सकते हैं, कहीं गड़बड़ हुई उस कागज को दबा भी सकते हैं, यह कोई और मामूली आदमी कहां से करता है, इसलिए इनके नम्बर बढ़ाये गये और उसको बढ़ाने के लिए, उसको पोजिशन दिलाने के लिए पुराने दूसरे लड़कों के नम्बर घटाये गये। रोल नम्बर 292 इनके नम्बर बढ़ाये गये, 253 इनके नम्बर बढ़ाये गये हैं, 295 इसके नम्बर घटाये गये, 312 इसके नम्बर घटाये गये। डिस्टिंक्शन मार्क्स एक था पहले पर दो डिस्टिंक्शन कर दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिस्टिंक्शन 112.50 पर जाता है पर 119 नम्बर पर डिस्टिंक्शन दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओवर राइटिंग इस तरह की हुई। आप बात पर विचार करें, सदन में मुझे जवाब दिया गया कि सिर्फ एक जगह है। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहती हूं कि ओवर राइटिंग किस तरह की गयी है। इसलिए इनका यदि कन्फर्म करना है तो यह सिर्फ ओवर राइटिंग का मामला नहीं है, चेंज करने का भी मामला है। अगर इनके

(श्रीमती विद्या पाठक)

इनिशियल एग्जामिन कराये जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, विद्यार्थियों के जीवन से उनके रिजल्ट से सम्बन्धित मामला है, मामूली मामला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्जामिन कराया जाये, उन एग्जामिनर्स से पूछा जाये कि क्या यह दस्तखत उनके हैं। छोटी-छोटी चिड़िया मंड रही है उनको बताना मुश्किल है कि यह किस के दस्तखत हैं ग्रौर इस तरह की ग्रोवर राईटिंग हुई है जिनके ऊपर सारे एग्जामिनर्स कहने के लिए तैयार होंगे कि सिग्नेचर स्पष्ट नहीं हैं ग्रौर एक जगह नहीं 15-20 जगह काटा-पीटी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे पास है रिजल्ट यूनिवर्सिटी से निकला है, यह ग्रारिजनल रिजल्ट है जो डिपार्टमेंट से निकला है। इन दोनों में एक जगह ग्रोवर राईटिंग बताई है। तो यह तो मैं एग्जामिनेशन के लिए दे सकती हूं परन्तु मैं निवेदन एक करना चाहूंगी, कि इन दोनों में कितना फर्क है। सरकार ने गलत जवाब दिया है यह बहुत बड़े ग्रपराध की बात है, ग्रपराधियों के साथ मिल कर साजिश करने की बात है, विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो तथ्य ग्रापके सामने रखे हैं उससे ग्राप भी सहमत होंगे कि इम्तिहान की सैंक्टटी, इम्तिहान की पवित्रता, यूनिवर्सिटी की निष्पक्षता को बनाये रखना बहुत जरूरी है। वरना हमारी यूथ में जो विकृति ग्राने लगी है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाय, यह जो गड़बड़ी हुई है, बहुत जरूरी है, वरना कल को यह यू. पी., मध्यप्रदेश ग्रौर बिहार इस तरह के प्लेसेज हैं जहां टीचर्स की पिटाई होगी, हर एग्जामिनर पिटने के लिए तैयार होकर जायेगा ग्रौर एग्जामिनर एग्जाम लेने से मना कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन के लिए, इस सरकार के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। सदन से ग्रापके माध्यम से, सी. एम. महोदय को, मुख्यमन्त्री महोदय को, ग्रापके माध्यम से मैं इस सदन की ग्रात्मा को ललकारना चाहती हूं। मैं इसलिए गवर्नर महोदय जो स्टेट के भी हैड हैं ग्रौर यूनिवर्सिटी के भी हैड हैं उनको ग्राप हम सब लोगों की भावनायें, सदन की भावनायें पहुंचाये, इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें ग्रौर एग्जामिनर्स से पूछा जाए ग्रौर ग्रावश्यक हो तो राइटिंग एक्सपर्ट से यह पहले हो चुका है। इस विभाग में राईटिंग एक्सपर्ट ने कई इस तरह के ग्राश्चर्यजनक रिजल्ट दिये हैं। वैसा ही रिजल्ट इस केस में भी निकला है, मैं ग्रावश्यक समझती हूं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उसकी फाईडिंग्स सदन में रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : जिस तरह का गम्भीर मामला रखा है मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त इसके कागजात जब्त करवायें। कभी भी इस पत्रावली में हेराफेरी हो सकती है। जब टेबुलेशन की लिस्ट के ग्रन्दर हेराफेरी हो सकती है, मार्कशीट में हेराफेरी हो सकती है तो इस आरोप से बचने के लिए उन पत्रावलियों में भी हेर फेर किया जा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं चाहे हमको नहीं दिखायें लेकिन अपनी जानकारी के लिए इन सारी पत्रावलियों को तुरन्त जब्त करायें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्जामिनर्स को बुलवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपके नेता महोदय ने कह दिया अब आपका ठीक नहीं रहेगा।

श्रीमती विद्या पाठक : आप आश्वासन तो दें कि यह बात गवर्नर महोदय तक पहुंच जायेगी। इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी।

श्री हरि शंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : आपने कहा कि उन्होंने कह दिया मामला कितना गम्भीर है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए। आश्वासन देना चाहिए जांच करायें। जब्त करेंगे और रोल नं. तक बताये गये हैं। एडीशन हुआ है। आल्ट्रेशन हुआ है।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य, इस सदन में इस पीरियड के अन्दर जितने भी मुद्दों पर जो भी बातें करते हैं उन सबको दर्ज करके संबंधित विभाग उसके मुताबिक कार्यवाही करते हैं। उसी प्रकार इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, आप तो यह आश्वासन दें कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदया इसको बहुत सीरियसली ले रही हैं, तभी तो बीच में बोली हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे रूलिंग चाहती हूं, आप इसको कैसा समझते हैं, इस पर आप क्या आदेश देते हैं? आज विद्यार्थी आपसे पूछना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पवित्र आसन पर बिराजते हैं। आज विद्यार्थी वर्ग आपसे पूछना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी तो कुछ कमिट करें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जवाब दे दिया कि सरकार जो सुझाव आते हैं उनको बिल्कुल गौर करती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सक्षम हैं। कभी-कभी तो अपने अधिकार का प्रयोग करिये। कभी कभी तो मौका मिलता है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं चाहती हूं कि गवर्नर महोदय इसकी जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कह दिया है। वह देख लेंगे। मैं कहता हूं कि जो सुझाव दिया है, माननीय नेता उसको नोट कर लें।

श्री सम्पतसिंह।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था नगर कस्बे में पानी के मामले में जो जलदाय विभाग की तरफ से पानी वितरित किया जा रहा है उसमें पांच हजार टी. डी. एस. की मात्रा पायी गयी है और कोई बीस दिन में जाकर सरकार ने सदन को सूचित किया है कि इस तरह की कोई मात्रा नहीं है और पानी पीने योग्य है। मैं सदन में आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और खास तौर से जलदाय विभाग के मन्त्री महोदय से कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कहां से इत्तला मिली। यह तकनीकी राय ली गयी थी और पानी का सेम्पल लिया गया था उसमें यह तय हुआ कि पांच हजार टी. डी. एस. की मात्रा है और दूसरे अवयव हैं वह खतरनाक हैं पानी के लिए और आदमी की तन्दुरुस्ती के लिए ही नहीं जानवरों की तन्दुरुस्ती तक के लिए वह मात्र नुकसानदायक है। यह सर्वविदित है कि 1200 से लेकर ऊपर-जितनी मात्रा जायेगी वह तन्दुरुस्ती के लिए खतरनाक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अचरज की बात है कि सरकार ने 20 दिन लिए हैं, विज्ञान के युग में इतनी सी खबर देने के लिए कि नगर कस्बे में जो पानी वितरित किया जा रहा है वह पानी पीने योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो खबर है वह सच्चाई से कोसों दूर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई अधिकारी जिन्होंने जिम्मेदारी ली होगी वहां से इत्तला देने की उनसे तफतीश पूछी जाय और दुबारा सेम्पल लेकर तय किया जाय तो इसमें सरासर पानी गलत निकलेगा। वर्ना क्या वजह थी एक महीना पहले उन्होंने दूसरी जगह कोशिश की पानी दूसरी जगह तलाश करने की, कस्बे से कोई एक किलोमीटर दूरी पर, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह इत्तला तो सरासर गलत है। मन्त्री महोदय, इसमें ध्यान दें और संबंधित अधिकारी को इसके लिए जवाब तलब करें। हर बात में 21वीं सदी की बात करते हैं। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई दूसरा मुल्क होता और हमारे इस समाज में सभ्य समाज में पानी जैसी व्यवस्था एक पोस्ट कार्ड से सही हो जानी चाहिए उसमें मैं सदन का बहुमूल्य समय ले रहा हूं आपकी इजाजत से यह कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी के लिए गुहार करनी पड़ती है, पानी के लिए आक्रोश दिखाना पड़ता है, पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज का युग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से यह कोई अच्छी बात नहीं है।

नगर क्षेत्र ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां से दो वित्त मंत्री दिए हैं पिछड़े गांव ने एक केन्द्र को और एक प्रान्त के लिए दो चीफ इंजीनियर यहां के रहे हैं, जलदाय विभाग में दो-दो एक्स. ई. एन. उसी कस्बे ने दिये हैं, दो-दो आई. ए. एस. एक पिछड़े वर्ग का और एक सवर्ण जाति से। अगर वहां पानी जैसी समस्या की पूर्ति भी नहीं की जायेगी तो कितना मन लगेगा पढ़ने में और कितना मन लगेगा समाज सेवा करने में, कैसे आदमी अपना सामान्य जीवन बसर करेंगे। पहले निवेदन किया था कि

(श्री सम्पतसिंह)

उस पानी को पीने से लोग कुबड़े हो रहे हैं। बचपन में ही बाल सफेद हो रहे हैं, आंख की दृष्टि खराब हो रही है। इतनी सी बात के लिए सदन का कीमती समय लिया जाय मैं भी उचित नहीं समझता हूं।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कितने बढ़िया लोग हैं हमारे साथ दोहरी नागरिकता का सा बरताव कर रहे हैं। एक तरफ शहरों में सारी व्यवस्था है दूसरी तरफ गांवों में पानी के लिए भी संघर्ष करें तो यह दोहरी व्यवस्था कम से कम मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि यह दोहरी व्यवस्था अब तो करनी बंद करें।

अब यह है प्रजातन्त्री वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट में भी पानी, बिजली, दवाई के लिए, किताबों के लिए भी अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो राजाओं और अंग्रेजों का राज क्या बुरा था? माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

जो उन्होंने इत्तला दी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को सार्वभौमिक सदन को, जिसको अधिकार है और इतना सार्वभौमिक सम्पन्न यह जो सदन है उसको गलत इत्तला दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े अदब से यह कोई नगरपालिका नहीं है कि कोई झूठ-मूठ इत्तला दे दे और उससे पूछा न जाय। मैं आपके माध्यम से पुरजोर निवेदन करना चाहूंगा, दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा सरकार से, जो दोषी व्यक्ति हैं जो, गुमराह करने की कोशिश की है। जो मौलिक अधिकार है पीने के पानी का जिससे उसे महरूम करने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त खिलाफ कार्यवाही करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वर्ना दूसरी जगह है जहां नगरपालिका के खिलाफ लोग न्यायालयों में गये हैं अगर यहां से व्यवस्था नहीं होती है, सरकार से नहीं होती है तो न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पानी के प्रश्न पर जाया जायेगा और मान लीजिए कि वहां से कोई व्यवस्था आ गयी? मान लीजिए कि पुरानी रिपोर्ट आ गई तर्क की आधार पर जो इन लोगों ने दी है। विभाग ने दी है। फिर क्या होगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े सदन का यह अपमान नहीं होगा कि यहां से न्याय नहीं मिला, यहां से तो कोई व्यवस्था नहीं हुई और न्यायालय से व्यवस्था हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैंने एक मुसलमान से पूछा था तुम रोजे क्यों रखते हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा आप तो इतने पैसे वाले हो आपको क्या गरज पड़ी है, कुदरत को याद करो। खुदा को याद करो। आप रोजे क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा भइया मैं रोजे इसलिए रखता हूं कि मुझे भी पता लगे और मेरी जैसी स्थिति के लोगों को पता लगे कि भूख और प्यास क्या चीज होती है। एक व्यक्ति एक इन्डीजुवल ऐसी बात के लिए कैसे कैसे उपक्रम करता है रोजमर्रा की जिन्दगी में

(श्री सम्पतसिंह)

और पूरी सरकार, पूरी संस्था, पूरी स्टेट, वेलफेयर स्टेट दावा करती है।

(2.00 म. प.)

उसको यह खबर नहीं, उसको इस बात की तवज्जो नहीं कि पानी की समस्या कितनी विषम हुआ करती है। उपाध्यक्ष महोदय.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके ऊपर निवेदन करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दिनों में खास तौर से हमारी छोटी, बड़ी बहनें तीज और रक्षा-बन्धन के पर्व पर गांव आई हुई हैं। वह आई हैं तसल्ली के लिए, वह आई हैं घर परिवार में घुलने मिलने के लिए। उनको दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और वह धिक्कार करती हैं हम सब नागरिकों के लिए, वह हमको चिढ़ाती हैं, लानत देती हैं कि भाई हम आये आपके घर में मिलने के लिए, हमको पानी ढोना पड़ता है जबकि पहाड़ जैसी टंकी आपके विभाग ने बना रखी है। तो मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा हमारा कोई कुसूर नहीं है अगर इसके बाद कोई टूट-फूट होती है उस शहर में, अगर कोई सरकारी कार्यालय पर घेराव होता है और उसकी मारफत कोई कानून व्यवस्था खराब होती है, मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी जैसी आम बात के लिए अगर हम लड़ें तो हमको लानत नहीं दी जाय, सरकार को लानत दीजिए हम लोगों ने कर दिये हैं, हम लोगों ने खून पसीना दिया है, हमारे पूर्वजों ने खून पसीना दिया है और उसके बदले में हमको पीने का पानी भी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जिन्होंने जान देके मयकदे की आबरू रखी उन्हें कतरे कतरे के लिए तरसाया जाता है मैं बड़े अदब से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पानी जैसे प्रश्न पर, इस सदन से बहिर्गमन करता हूं। जय हिन्द। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ग्यारसीलाल।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था निवाई में लेडी डाक्टर के संबंध में उसी सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव का जो वहां से जवाब आया है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि वहां लेडी डाक्टर समय पर नहीं आती और करीब तीन-चार महीने से उनको वेतन भी नहीं दिया गया है। इसके मायने है कि वहां लेडी डाक्टर बिल्कुल नहीं रहती। इस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हू कि लेडी डाक्टर हमेशा इस चीज की आदी रही है कि वह कहीं भी जाती है, कभी भी अपने हास्पिटल में अपने ... से बड़े अधिकारी या सम्बन्धित अधिकारी को छुट्टी पर जाने की पूर्व सूचना नहीं देती है। यह उनका रिकार्ड है। दूसरा, वहां जितने भी स्टॉफ हैं, नर्स हैं, कम्पाउन्डर्स, एक नर्स, कम्पाउन्डर डेपुटेशन

(श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल)

टेशन पर लगे हुए हैं, जिनका मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि उनकी कतई जरूरत नहीं है। मगर किसी कारणवश उस नर्स को वहां लगा रखा है जिससे कि वहां का वातावरण बहुत खराब होता जा रहा है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि वहां से उस नर्स को फौरन हटाया जाय। वहां का माहौल उसकी वजह से बहुत गलत होता जा रहा है, इस समय मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं वहां जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, जिनमें बराबर तीन साल से स्टाफ रह रहा है, बराबर तीन साल से वहां का मैं आपको फोटो भी बता सकता हूं, उन सरकारी क्वार्टर्स में रहने के बावजूद कंटिन्यू तीन साल से प्रति महीने उनका वेतन या हाउस एलाउंस बराबर उठाया जा रहा है जिसका रिकार्ड मौजूद है मेरे पास। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां लेडी डाक्टर के नहीं होने से इस तरह की परेशानियां हैं कि जो हमारी छोटी-बड़ी माताएं-बहनें जो अपनी अंडर-डिजीज एक डॉक्टर को नहीं कह सकतीं या उनको नहीं बता सकतीं सिर्फ एक लेडी डाक्टर को ही बता सकती हैं या कह सकती हैं उस पोजीशन में जब वह वहां जाती हैं तो उनको वहां लेडी डाक्टर नहीं मिलती है और उसकी वजह से वह वापस नर्वस होकर के अपने घर लौटती हैं। उसकी वजह से काफी संख्या में आज मेरे यहां माताएं-बहनें अपनी उन बीमारियों से पीड़ित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेडी डाक्टर के वहां नहीं रहने से सबसे बड़ा जो हमारे लिये वहां खतरा है या सबसे बड़ी जो परेशानी है वह यह है कि जो हमारी माताएं-बहनें जो जच्चा हैं, जिनकी डिलेवरी का टाइम करीब होता है वहां जाती हैं, चेकअप करवाने वाली बात है, इंजेक्शन लगाने वाली बात है वह वहां नहीं मिलती है और नहीं मिलने की वजह से वह वापस अपने घर पर आती हैं और जो प्राइमरी नर्सेज, दाइयां जिसको कहते हैं कि लट्ठ मारती हैं उस तरीके से वह अपना काम करती हैं और उसमें कई माताएं-बहनें मर चुकी हैं और उसकी वजह से जब वहां लेडी डाक्टर नहीं मिलती तो फिर भागा दौड़ी करनी पड़ती है वाहन के लिये कि उनको जयपुर ले जाया जाय, टोंक ले जाया जाय और वहां मेरे यहां ऐसी कोई टैक्सी या वाहन की माकूल व्यवस्था नहीं है, इस वजह से उसको ढूंढने के चक्कर में ही इतना टाइम हो जाता है कि माताओं-बहनों को सही समय पर ले की बजाय कई बार ऐसा हुआ कि वह वहीं दम तोड़ देती हैं या रास्ते में दम तोड़ देती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना जोरदार मसला है, मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूं कि इसकी वजह से हमें इतनी परेशानी है कि वहां से इस लेडी डाक्टर को फौरन हटाया जाय। मुझे यह पता लगा कि उनकी डिलिवरी हुई थी तो उनकी जब डिलिवरी हुई थी लेडी डाक्टर की तो क्या हमारे यहां सरकार का दायित्व था कि वहां अगर लेडी डाक्टर मान लो उनकी डिलिवरी थी छुट्टी गयी हुई थी दो महीने के लिये या महीने के लिये तो किसी दूसरी लेडी डाक्टर का इन्तजाम करना चाहिये था। यह जानने के बाद कतई वहां देखा ही नहीं गया कि यहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

Page No. 103

103

(श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं इसीलिये आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फौरन उसकी व्यवस्था की जाय और वहां जो स्टाफ है उनको बदला जाय और जो स्टाफ सरकारी क्वार्टर्स में रह रहे हैं और रहने के बावजूद वह हाउस एलाउंस उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसको तो निवेदन कर दिया, कागज आज लाया नहीं था, माननीय अध्यक्ष महोदय को।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचन्द का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मन्त्रीजी क्या हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सिंचाई मंत्री) : कल या परसों ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : लालचन्द जी, कल या परसों जानकारी पूरी हो जायेगी, इसको ले लेंगे। किसी उचित समय बना करके ठीक करके। कल के लिये नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस विषय में ध्यानाकर्षण किया है वह बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। रावी व्यास के सम्बन्ध में जो समझौते हुए हैं उसका पालन किस सीमा तक किया है। 1981 के समझौते में इसमें कलानाथ भी है। हम सब लोगों ने एक प्रस्ताव दिया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करने के लिये मैं चाहूंगा कि उस पर चर्चा निर्धारित कर दी जाय तो यह भी विषय आ जायेगा। उन सारे विषय पर चर्चा भी हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें मैं निवेदन करूंगा सारा....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसमें कर लेने दें, उसमें कवर हो जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष : सारे इकट्ठे हो जाय स्पीकर साहब के यहां।

आधे घण्टे की चर्चा

रतनगढ़ कस्बे में महाविद्यालय की मांग

(तारांकित प्रश्न संख्या 78, दिनांक 4 जुलाई, 1985)

आधा घण्टे की चर्चा श्री हरिशंकर भामड़ा। रतनगढ़ कस्बे में महाविद्यालय की मांग के विषय में तारांकित प्रश्न है, उसके बारे में है जो दिनांक 4 जुलाई को दिया गया था उससे उत्पन्न मुद्दों के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा।

श्री हरिशंकर भामड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से एक प्रश्न पूछा था जिसकी संख्या अभी आपने बतायी है। उसकी पृष्ठ भूमि संक्षेप में पहले निवेदन कर देना चाहता हूं। रतनगढ़ की आबादी 47 हजार के करीब है। चार सौ से अधिक विद्यार्थी वहां रोज चूरू कालेज में पढ़ने के लिये जाते हैं और यह सवाल रतनगढ़ में कालेज बनाने का सन् 1977 से तजवीज

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

था लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणों से वहां पर यह कालेज बनाया नहीं, पिछली विधान सभा में रतनगढ़ क्षेत्र के जो विधायक थे....

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : अगर मैं पहले आपको तथ्य बता दूं तो शायद आपको बहुत कुछ बात कहनी न पड़े, अगर आप इजाजत दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, मैं थोड़ी सी आपको भूमिका बता दूंगा फिर आप बतायेंगी। मेरा प्रश्न है उसी की भूमिका बता रहा हूं....

(व्यवधान)

भूतपूर्व विधायक, जो कांग्रेस के थे, ने इसी सदन में यह कहा कि यदि रतनगढ़ में कालेज सरकार ने नहीं खोला तो मैं आत्म-दाह कर लूंगा। इस सदन में यह घोषणा की।

एक माननीय सदस्य : की कि नहीं ?

श्री यदुनाथ सिंह : वह तो हो गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस घोषणा के बाद 22.12.84 को भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने रतनगढ़ में कालेज खोलने की घोषणा भी विधिवत कर दी। इसके पश्चात्, चुनावों के पहले 11.1.1985 को रतनगढ़ में भूत-पूर्व नहर मन्त्री चन्दनमल बैद और भूतपूर्व विधायक महोदय ने एक ग्राम सभा बुलाई। उस ग्राम सभा में यह घोषणा की कि 8.1.1985 को राज्य सरकार ने रतनगढ़ में अपनी ओर से कालेज चालू करने का निर्णय ले लिया है क्योंकि वहां पर एक सेठ थे उन्होंने कालेज बनाया नहीं इसलिए सरकार उस कालेज को बनायेगी। तत्पश्चात् 13.1.1985 को रामगढ़ से कालेज के प्रिन्सिपल श्री मित्तल की नियुक्ति वहां पर कर दी गयी 13.1.1985 को और वह रतनगढ़ आ गये। रतनगढ़ में उन्होंने अपनी ड्यूटी भी रिज्यूम कर ली। जब तक चुनाव चलता रहा, चुनाव की सारी कार्यवाही तब तक वह वहीं पर रहे। जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए मित्तल, जो प्रिन्सिपल थे वहां के, वहां से हटा लिया गया। इस आधार पर मैंने प्रश्न दिया था सरकार को तो मैं चूंकि माननीय मन्त्री महोदया जवाब देंगी इसलिए उनसे यह पूछना चाहता हूं, इसमें जो मैंने कहा है, यह तो इन्होंने मान लिया है कि मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी। यह इस प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया है कि रतनगढ़ में कालेज बनाने की घोषणा मुख्य मन्त्री ने की थी, यह बात सही है। यह इन्होंने स्वीकार कर ली है। प्राचार्य की नियुक्ति भी कर दी गयी थी, यह बात भी इन्होंने स्वीकार कर ली है। यह दोनों बातें स्वीकार की हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह निर्णय राज्य सरकार ने कालेज खोलने का कब लिया और मन्त्रिमण्डल से इस निर्णय पर कब उन्होंने अपनी छाप लगवाई। फिर चुनावों के निर्णय के बाद, चुनावों का निर्णय जैसे ही हुआ तो प्रिन्सिपल को वहां से हटाकर किस तरह से वहां कालेज नहीं खोलने का निर्णय लिया गया ? यह प्रारम्भिक बात है। बाकी मन्त्री महोदया जवाब देंगी उसका मैं....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ में कालेज खोले जाने का मामला कई वर्षों से चल रहा था। सबसे पहले झालान ट्रस्ट द्वारा दिनांक 31.3.78 को विभाग को लिखा गया कि इस कस्बे में महाविद्यालय खोला जाय। उस समय राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं हुआ था। इसके बाद 10.4.1981 को श्री चम्पालाल उपाध्याय, संयोजक, झालान महाविद्यालय समिति ने विभाग को फिर निवेदन किया कि कालेज खोलने की स्वीकृति दी जाय। राज्य सरकार ने इस पर विचार करके, अपने आदेश संख्या 14/2/शिक्षा/1/81 दिनांक 16.5.1981 द्वारा सेठ सूरजमल, झालान ट्रस्ट को रतनगढ़ जिला चूरू में महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी:—

—महाविद्यालय में पर्याप्त छात्र संख्या प्रविष्ट करें।

—विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों की पूर्ति ट्रस्ट द्वारा की जाय।

—राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों की अनुपालना में ट्रस्ट द्वारा उस समय कालेज नहीं खोला गया। एक वर्ष की अवधि के उपरान्त यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो गयी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ/4/1 शिक्षा/3/83 दिनांक 25.8.1984 के द्वारा झालान ट्रस्ट को फिर लिखा गया कि वे महाविद्यालय खोलने हेतु एक सप्ताह में कार्यवाही प्रारम्भ करें और इस विभाग को अवगत करायें वरना प्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा। किन्तु ट्रस्ट द्वारा इस पर भी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने इस दौरान झालान ट्रस्ट को अपने पत्र क्रमांक एफ/4/लेखा/निकासी/78/5010 दिनांक 12.10.1984 एवं 1.12.1984 को पुनः इस बारे में स्मरण पत्र भेजे गये। इन दोनों स्मरण पत्रों के बावजूद भी झालान ट्रस्ट ने महाविद्यालय नहीं खोला। राज्य सरकार ने एक बार फिर अपने आदेश संख्या दिनांक 10.12.1984 द्वारा सत्र 1984-85 में महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु झालान ट्रस्ट को स्वीकृति जारी की। यह स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी:—

—उक्त महाविद्यालय झालान ट्रस्ट की सोसाइटी भारतीय विद्या भवन द्वारा चलाया जायेगा।

—संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा।

—राज्य सरकार द्वारा संस्था को इन कार्यों हेतु किसी प्रकार का विशेष अनुदान देय नहीं होगा।

—टी. डी. सी. प्रथम वर्ष कक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्र-छात्राओं की संख्या प्रवेश हेतु उपलब्ध हो।

इस नवीन स्वीकृति के बावजूद भी जब ट्रस्ट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो राज्य सरकार द्वारा इस आशा में कि दानदाता भवन उपलब्ध करा देगा, दिनांक 8-1-1985 को राजकीय कालेज प्रारम्भ करने तथा प्रारम्भिक कार्यवाही करने हेतु प्राचार्य नियुक्त करने के आदेश दिये। श्री

(श्रीमती कमला)

जगमोहन मित्तल, प्राचार्य, राजकीय कालेज, रामगढ़ का रतनगढ़ में स्थानान्तरण किया गया। उन्होंने अपना कार्यभार दिनांक 12-1-1985 को सम्भाला और प्राचार्य ने विश्वविद्यालय से इस महाविद्यालय को सम्बद्ध करने हेतु पत्राचार किया। छात्रा कोई भर्ती नहीं हुई थी क्योंकि यह सत्र का प्रारम्भ नहीं था। भवन निर्माण की कोई कार्यवाही न की गयी, न कालेज के लिए कोई निजी भवन उपलब्ध हुआ, न किराये का भवन उपलब्ध हुआ। इस प्रकार जो भवन की आशा की गयी थी वह पूरी नहीं हुई। श्री मित्तल को पुनः दिनांक 20-4-1985 को रामगढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया। भवन निर्माण का प्रस्ताव वर्षों से चल रहा है किन्तु कालेज हेतु भवन बना कर अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कालेज खोला जाना अभी सम्भव प्रतीत नहीं होता।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कमला जी जब शिक्षा मन्त्री की ओर से जवाब दे रही हैं तो फेयर रहेंगी। क्योंकि अब मैं असली बात, जिसको इन्होंने मिलाने की कोशिश की है, सदन के सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, 5-6-1977 को सबसे पहले रतनगढ़ से श्री चम्पालाल उपाध्याय ने सरकार को लिखा कि हम कालेज भवन बना कर देने को तैयार हैं आप कालेज चलाइये। भवन हम बनायेंगे सरकार कालेज चलाये। उस समय 15-6-1977 को, श्रीमान् भंवरलाल जी शर्मा बैठे हुए हैं, इन्हीं के हस्ताक्षरों से यह आया कि हम कालेज नहीं चला सकते, स्वीकृति नहीं दी गयी। तब 31-3-1978 को जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, मोहनलाल झालान ने एक पत्र दिया कि मैं भवन बनाने के लिये तैयार हूं, आप कालेज चलाने की स्वीकृति दें, कि कालेज सरकार चलायेगी भवन मैं बनाकर दूंगा। इस पत्र को भी 15-2-1980 को इसी सरकार ने जो पहले सरकार थी उसने अस्वीकृत कर दिया और कहा कि हम कालेज चलाने में असमर्थ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भवन बनाने के जो दो प्रस्ताव आये थे उन प्रस्तावों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद मोहनलाल झालान ने अपने जीवनकाल में जब देखा कि सरकार कालेज चलाना नहीं चाहती, रतनगढ़ में कालेज होना जरूरी है तो अपनी ओर से कहा कि चलो, सरकार न चलाये, सरकार मेरे को जमीन दे दे, मैं भवन बनाऊंगा और मैं कालेज को चलाऊंगा। इस पर सरकार ने उनको यह स्वीकृति दी कि आप भवन बनाइये और चलाइये। इस बीच मोहन लाल झालान का एक्सिडेण्ट हो गया। सन् 1981 में उसने एप्लाई किया था और एक्सिडेण्ट होकर दो साल तक वह खाट पर पड़े रहे, और उनकी मृत्यु हुई। परन्तु मरते मरते उन्होंने भारतीय विद्या भवन को यह इन्स्ट्रक्शन दे दिये और रुपया भी जमा करा दिया कि मेरे नाम से यह भवन बनाना है। लेकिन सरकार की हालत यह रही कि सरकार ने, उन्होंने जो जमीन मांगी थी काफी बड़े झगड़े के बाद में उसको 48 बीघा जमीन दी गई। वह जमीन सरदारशहर रोड पर थी जिसका फ्रन्टेज करीब 1400 फीट, क्योंकि आखिर करोड़ों रुपये

(श्री हरि शंकर भाभड़ा)

लगाने वाला आदमी यह चाहता है कि मेरा नाम हो मेरा नाम रहे और मेन जगह पर मेरी बिल्डिंग बने। वह जगह ऐसी है जिसमें 30-30 फीट के सेण्ड ड्यून्स है। समतल जमीन नहीं है उसको समतल करना पड़ेगा। 30 फीट एक जगह ऊंची है, 30 फीट खड्डा है। इस तरह से असमतल वह जमीन है। तो उनको पहले 14 सौ फीट का फ्रन्टेज देने की बात कही गई। उसके बाद 22-2-1984 को रीको ने, एक नन्दलाल टाटिया एक बड़े व्यापारी हैं, उनके कौलोबोरेशन में जिंक फाइबर की फैक्ट्री लगाने के लिये वहीं पर उन्होंने जमीन मांगी और उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जो जमीन कालेज के लिये दी गई थी, उस जमीन के अन्दर यानि वह जो 13 सौ फीट का फ्रन्टेज था उसको कम करके 8 सौ फीट का उसको फ्रन्टेज करके बिलकुल एडजेसेन्ट, जो कहते हैं, 19 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी यह जिंक फाइबर फैक्ट्री, बिलकुल एडजेसेन्ट वह जमीन उनको दे दी गई। इस पर मोहन लाल भालान ने आपत्ति की कि मेरे को 13 सौ फीट फ्रन्टेज मिला था इससे कम फ्रन्टेज मिलने पर मैं यह बनाऊंगा नहीं। या तो मुझे इतना का इतना फ्रन्टेज दिया जाय और यदि यह इतना फ्रन्टेज मुझे नहीं मिलता है तो फिर मुझे यह कालेज बनाने का सवाल नहीं है। तो सवाल जो घोषणा राज्य सरकार ने की है उससे भिन्न है और वह अभी भी पेण्डिंग है। इसके बीच में मैं पड़ा और मैंने इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट और रीको और उनकी मीटिंग करवाई। उसमें करीब 150 सौ फीट का झगड़ा था। उसमें बीच का रास्ता निकला। वह एक अलग दास्तान है, लेकिन मैं मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि जिस दिन उन्होंने 8-1-1985 को यह घोषणा की, मैं 1984-85 इन दोनों सालों का उनको समय देता हूं उसमें एक भी पत्र मोहनलाल भालान का या भारतीय विद्या भवन का आया हो कि हम भवन बना कर देने के लिये तैयार हैं और सरकार चलाये, वह सदन की मेज पर रख दें। यदि वह इस तरह का पत्र रखने को कहें क्योंकि वह जो पत्र पहले दिये थे वह तो सरकार ने मना कर दिये। वह प्रपोजल तो खतम हो गया और मोहन लाल भालान ने अपना कालेज बनाने की बात की। वह कालेज भवन बनायेंगे और सरकार चलायेगी, यह सवाल कभी आया ही नहीं। जब आया था तब मना कर दिया। लेकिन जिस दिन इन्होंने 8-1-1985 को घोषणा की कि हम कालेज चलायेंगे उस दिन सरकार के पास कोई पत्र मोहनलाल भालान या मोहनलाल भालान ट्रस्ट या भारतीय विद्या भवन का नहीं है कि जिसमें उन्होंने यह आफर की हो कि हम भवन बना रहे हैं और आप कालेज चलाइये और इसलिये सरकार ने वहां पर प्रिंसिपल भेज दिया। यह जो सरकार कह रही है, इन दोनों प्रश्नों को मिला रही है। यह गलत बात है। भारतीय विद्या भवन अलग से बनाने की बात कर रहा है, उसकी जमीन का झगड़ा अलग से है लेकिन यह चुनाव के वक्त में, मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि तत्कालीन भूतपूर्व नहर मंत्री, चन्दनमल वैद भालान से खुश नहीं थे और जिस दिन वहां पर मीटिंग हुई उस मीटिंग

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

में उन्होंने झालान को गालियां निकाली और कहा कि हम झालान से कालेज चलवाना नहीं चाहते। सरकार यह कालेज बना करके देगी और इसलिये सरकार ने 8-1-1985 को निर्णय कर लिया है कि वह कालेज बनायेगी और 13-1-1985 को वहां प्रिन्सिपल आ गया। तो झालान के इस भवन से इसका कोई ताल्लुक नहीं था इस घोषणा का। सरकार ने यह जो जवाब दिया है कि चूंकि भवन नहीं बना इसलिये कालेज चालू नहीं हुआ, यह दो अलग अलग प्रश्न को जोड़ा गया है। मैं केवल मंत्रीजी से पहले तो यह कहूंगा कि इस तरह का कोई भी पत्र 1984 या 1985 में जो झालान या भारतीय भवन या किसी भी ट्रस्ट की तरफ से उनके पास आया हो कि हम भवन बना कर देने को तैयार हैं आप कालेज चलाइये तो अभी सदन की मेज पर रख दें। उसके बाद मैं बाकी बात बताऊंगा।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ नये तथ्य यहां प्रस्तुत किये हैं कि इस तरह से हुआ, उन्होंने जमीन का किया। जमीन उन्होंने कितनी मांगी और कितनी उनको चाहिए थी, इस सम्बन्ध की विभाग में जो पत्रावली है उसके अन्दर तो कोई कागजात नहीं हैं। लेकिन एक पत्र श्री चम्पालालजी का जो उन्होंने शिक्षा सचिव को लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि कालेज के संचालन की स्वीकृति भारतीय विद्या भवन, बम्बई को आपके द्वारा सितम्बर, 1983 में आदेश क्रमांक : फला-फलां दिनांक 29-9-1983 से दे दी गई थी। जुलाई, 1984 से यह अस्थाई गवर्नमेंट कालेज प्रारम्भ करने की योजना थी परन्तु भूमि की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब के कारण दानदाताओं ने अस्थायी भवन में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करना उचित नहीं समझा। अब इस भवन को इसी सत्र से शिक्षा कार्य प्रारम्भ करने का पुनः लिखा गया। यदि किसी कारणवश यह सत्रमें शिक्षण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो तो अगले सत्र से स्थाई भवन में कालेज प्रारम्भ कर दिया जाय। यह उनकी चिट्ठी है। इसका मतलब जो आप कह रहे थे कि उनको कोई पत्र मिला नहीं....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कौनसी तारीख की चिट्ठी पढ़ी आपने ?

श्रीमती कमला : जो मैंने अभी पढ़ा था क्रमांक एफ ५(2)/शि/1/81

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1981 की है।

श्रीमती कमला : हां तो, यह उनको मिली है चिट्ठी। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन चाहे जमीन के कारण से, चाहे और कोई उनके इन्टरनल, अपने मामले हों उनके कारण से, एक बार को मैं यह भी मान लूं कि वह भवन नहीं बना सके लेकिन जब वहां प्राचार्य पहुंच गये तो कोई भी निजी भवन भी उपलब्ध करा कर उस व्यवस्था को रख सकते थे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि उस कस्बे के भी नागरिकों को क्या समझ आई, एक इतनी बड़ी चीज वहां पहुंच गई उसको एक भवन न देने के कारण से वह रख नहीं पाये। क्योंकि ऐसा भी नहीं

(श्रीमती कमला)

है कि कोई बहुत छोटा गांव हो, जिसमें कोई मकान उपलब्ध नहीं हो। कम से कम उसको कायम रखने के लिए कोई भी भवन किराये का या निजी कुछ समय के लिए जब तक सैटल नहीं हो जाए कि भवन के लिए जमीन मिल गई है, वह प्रारम्भ कर रहे हैं या हो जाय, तो साल भर के अन्दर निजी भवन में या किराये के भवन में भी उसको चला सकते थे। पर यह क्यों संभव नहीं हुआ इसका मेरे पास कोई विवरण नहीं है। माननीय सदस्य अगर कुछ बतायेंगे तो पता लगेगा। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से 2-2, 3-3 बार उनको स्वीकृतियां भेजी गई हैं और तकाजे भी भेजे गये हैं। यह मैं आपको उनकी प्रतियां भी दे सकती हूं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि यहां से जागे करके उनको नहीं पहुचे। क्योंकि अभी भी जो उनको स्वीकृति लास्ट में दी गई थी उसके बाद भी तबादला किया गया है फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो यह सोचा कि प्राचार्य वहां जायेंगे। तो जरूर कोई न कोई मकान दुःख-सुख पाकर यह लोग करेंगे ही लेकिन वह भी जब नहीं किया तो फिर प्रिन्सिपल को वापिस हटाना पड़ा। जो वस्तुस्थिति या जो डाकुमेन्ट्स हैं उनके आधार पर यह स्थिति दिखती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, मैंने क्रूशियल क्वेश्चन पूछे थे कि यह निर्णय कि राजस्थान सरकार वहां पर कालेज खोल रही है, 8-1 को जिसकी घोषणा हुई उसकी स्वीकृति मन्त्रि मण्डल से कब हुई? देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप झालान को छोड़िये, वह बनाये या न बनाये, उनका झगड़ा सलटे या न सलटे, वह दूसरी बात है, वह सवाल दूसरा है। पहले तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो 8-1 को घोषणा की और 13 को जो प्रिन्सिपल भेजा उस वक्त में यह प्रस्ताव किसी का नहीं था कि भवन वह बना कर देंगे। यह आपने एज्यूम कर लिया। अनुमान कर लिया कि भवन बनाकर शायद कोई दे देंगे और इसलिए प्रिन्सिपल वहां नियुक्त कर दिया।

श्रीमती कमला : मैंने यह जरूर बात कही कि किराये का या निजी भवन या बना कर, जो भी आश्वासन होवे, खड़ाखड़ी कोई मकान थोड़े ही बनता है, यह तो हम भी जानते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं यही बताना चाहता हूं चूंकि झालान जो कालेज बनाना चाहते हैं वह स्वयं चलाना चाहते हैं। इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपने वह स्वीकृति दे दी, जमीन दे दी। उसमें आपका कोई लेन देन नहीं रहा। वह अपना कालेज भवन बनायेंगे, भारतीय विद्या भवन के अन्तर्गत उसका सारा खर्चा उठायेंगे, यू. जी. सी. से उनको ग्रान्ट मिलेगी, न मिलेगी, वह उनका अपना मामला है लेकिन सरकार ने जो वहां पर प्रिन्सिपल की नियुक्ति की थी, चुनाव के पहले और यह घोषणा वहां पर की गई थी कि चूंकि झालान कालेज नहीं बना रहा है, भवन नहीं बना रहा है इसलिए इस कालेज को सरकार चलायेगी, सरकार बनायेगी। इसका क्या हुआ, इसमें सरकार कहां है?

श्रीमती कमला : सरकार की तरफ से भवन बना करके काम करने का न तो कोई पत्रावली में है न कोई निर्णय है। सरकार ने यह सोचा कि जब वहां जायेगा प्रिन्सिपल तो स्वतः ही नागरिक इस बात को सोचेंगे कि हम फिलहाल कोई किराये का मकान दे दें और साल भर के अन्दर भालान ट्रस्ट उसको बना दे। लेकिन दोनों ही तरफ से कोई भी ओफर नहीं थी····

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब यह सवाल है कि सरकार की पत्रावली में कुछ नहीं है और वहां पर प्रिन्सिपल भेज दिया गया। इससे एक बात साफ है कि यह चुनावी स्टन्ट था, चुनाव जीतने के लिए····

श्रीमती कमला : मैंने कहा मकान बनाने के लिए, कालेज खोलने के लिए थोड़े ही कहा मैंने। मकान सरकार खुद बनायेगी, इसका कोई पत्रावली में उल्लेख नहीं है। कालेज खोला गया है, इसका तो मैंने आपको 3-3 बार लेटर्स का उल्लेख किया है····

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपको फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कालेज खोलने का निर्णय आपने कब कैबिनेट ने या गवर्नमेंट ने लिया यह आप बता नहीं रही। आप बार-बार उसको भवन से जोड़ रही हैं···

श्रीमती कमला : जब हम आदेश जारी कर चुके हैं, उसकी चिट्ठियां बता चुकी हूं, क्रमांक बता चुकी हूं फिर आदेश की तिथि बाकी कहां रह जाती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सवाल यह है कि भवन निर्माण करने की बात आपको भालान····

श्रीमती कमला : बात क्या, मन्त्रि-मण्डल के या सम्बन्धित विभाग के निर्णय के बिना थोड़े ही आदेश जारी करता है, यह तो आप सभी जानते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी बात आप सुन नहीं रही हैं। मैं उठता नहीं हूं बीच-बीच में। अब जरूर उठूंगा। असली बात यह है कि उस वक्त इन्होंने प्रिन्सिपल चुनाव जीतने के लिए भेज दिया। चुनाव हार गये तो प्रिन्सिपल हटा दिया। दूसरी बात जहां तक भालान का सवाल है, अब मैं आपको बताता हूं। आपके पास नहीं है, मेरे पास तथ्य है, मान्यवर, भालान यह चाहते हैं कि उनके फन्टेज के लिए जब कालेज बनेगा तो उसमें 600 फीट जमीन इनको चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रही हैं ना कि उनके पास नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं पूछ रहा हूं जो वह कह रही हैं उसी का फाइनल····

श्रीमती कमला : इसका तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं, तो इनको फिर बाद में जमीन तो मिल गई। इसका तो फिर आपने ही जवाब दे दिया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने एक बात कह दी कि केवल चिट्ठी भेजी, प्रिन्सिपल इस अनुमान पर भेज दिया कि वह भवन बना देंगे····

श्रीमती कमला : आप बार-बार एक बात क्यों कह रहे हैं? मैं बनाने की बात

(श्रीमती कमला)

नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि निजी भवन या किराये का भवन उपलब्ध हो जायगा और इन ड्यू कोर्स मकान वह बना देंगे। आप एक ही बात कहते हैं कि बन जाएगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अच्छा, क्या सरकार इस बात पर अभी भी स्थिर है कि यदि भवन वहां पर दे दिया जाय, या किराये के भवन को व्यवस्था हम कर दें तो सरकार कालेज चालू कर देगी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूं कि आप जो यह बार-बार कह रहे हैं कि यह चुनाव का स्टन्ट किया गया, इतने लम्बे समय से, इतने वर्षों से यह कार्यवाही चल रही है तो यह चुनाव स्टन्ट का कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा आप जो इस वक्त यह कह रहे हैं कि अब आप इसको शुरू कर देंगे क्या? मैं इस बारे में इस वक्त इसलिए नहीं कह सकती कि जो इनको पहले स्वीकृति दे दी गई थी वह स्वीकृति लेप्स हो गई है, वे नहीं हुई है, नई परिस्थितियों में गवर्नमेंट उसकी मन्जूरी देगी, नहीं देगी और जो कुछ भी शर्तें सरकार के और ट्रस्ट के बीच में होनी वह क्या होंगी आज यहां खड़े हुए मैं कुछ भी कह नहीं सकती हूं। इसलिए आप जो मुझसे यह भरोसा चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं, यह मैं आपको माननीय मुख्य मन्त्रीजी से बात करने के बाद कि आज सरकार की इस बारे में क्या नीति होगी और ट्रस्ट के साथ बात करने के बाद ही बता सकती हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अन्तिम मेरा एक....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिद न करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक बात मेरी आखिरी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार उसको कहने से क्या फायदा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें एक बात साबित हो गई, सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि वहां पर कालेज चालू करेगी, या नहीं करेगी, इसका जवाब देने की स्थिति में आज मन्त्री महोदया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जो कहा है वह....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह बात साबित हो गई। अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि चलिये आप तो कालेज, बनायेंगी कि नहीं बनायेंगी, मुख्य मन्त्री जी से बात करना, बजट करना, देखना। वह झालान ट्रस्ट ने जो जमीन ली, 48 बीघा वह जमीन उनको मिल गई। उस जमीन में 148 फीट जमीन रीको को आवन्टित कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में 27 मई, 1985 को इण्डस्ट्रियल सेक्रेटरी के पास एक मीटिंग हुई जिसमें मैं था और चीफ मेनेजर प्रोजेक्ट रीको या भार्गव, और मिस्टर अग्रवाल

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रिप्रेजेन्टेटिव थे जिप्सम फाइबर बोर्ड के और बी. एस. सिंह डिप्टी सैक्रेटरी थे। उसमें यह तय हुआ कि भई यह कालेज–यदि 148 फीट जमीन का ही झगड़ा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जमीन का जो मसला है यह अलग से बैठ कर तय करने का है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अलग से नहीं है, पालिसी बता रहा हूं। उसमें यह तय हुआ था अल्टीमेटली

"However, this land यानि 148 can be subsequently utilised, if need arises, for the extension of the college."

आज मैं आप से, मन्त्री महोदया से यह आश्वासन चाहता हूं कि 48 बीघा जमीन पर यदि आप उस झालान ट्रस्ट को अपनी दीवाल बनाने की इजाजत दे देते हैं तो वहां पर कल से ही कालेज बनाने का काम शुरू करवाने की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं, इसमें सरकार का कोई लेन-देन नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं कि जो यह जमीन का मामला है, यह हाऊस में नहीं होगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जमीन का नहीं है कालेज का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कालेज का मसला है, लेकिन कालेज की जमीन का मसला है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जमीन मिल चुकी है।

श्रीमती कमला : जमीन तो आप कह रहे हैं मिल चुकी उनको ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मिल चुकी।

श्रीमती कमला : फिर क्या बात है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यही बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं। वह सुन लीजिये न। इस 148 फीट जमीन का फ्रन्टेज का झगड़ा है। उसमें यह तय हुआ था कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसके बारे में अलग से बात कर लें। उद्योग विभाग से बात हुई है, शिक्षा विभाग है, यह दो-तीन विभागों का मसला है, इसको बैठकर के अलग से तय किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : हिम्मत चाहिये जमीन मत लेने दो। कहीं भी ले लेगा रीको। मैं तो रोजाना यह काम करता हूं, कैसे ले लेगा आप अगर मरने के लिए तैयार होंगे तो कोई लेगा क्या ? जनता आपके साथ होगी अगर आज। कैसी बात करते हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार वहां लॉ-एण्ड-ऑर्डर सिच्युएशन को बिगाड़ना चाहती है, चार सौ लड़के वहां जा करके रीको ने 148 फीट जमीन में एक ट्यूब वैल बना लिया है, बावजूद इस डिसीजन के।

श्रीमती कमला : भाभड़ा जी, एक बात मुझे बताइये। 148 बीघा जमीन दी है उसमें कुछ फीट जमीन अगर रीको के पास

(श्रीमती कमला)

है तो 48 बीघा जमीन तो बहुत बड़ी होती है। अगर कुछ फीट जमीन रीको के पास है भी और उसको ले भी लें तो 48 बीघा में से कुछ निकल भी जाय तो क्या फर्क पड़ता है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जमीन का नहीं है, फन्टेज का है।

श्री उपाध्यक्ष : माना लेकिन रीको, शिक्षा विभाग और झालान ट्रस्ट इसके बीच में तीनों का मसला है। तीन का फैसला हाउस में थोड़े ही तय होगा। यह अलग से करने का प्रश्न है। यह उलट सकता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक प्रश्न मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहूंगा, राजस्थान के शिक्षा जगत के इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण बता सकती हैं वह कि जब कि न मकान का तय हुआ है, न पढ़ाने का तय हुआ है और प्रिन्सिपल वहां भेज दिया गया है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण बता सकती हैं ?

श्रीमती कमला : ऐसी भी कोई दूसरी बस्ती आप बता सकते हैं कि जो बराबर इतने वर्षों से तकाजा कर रही है कालेज का और जिसके वहां पर प्रिन्सिपल भेजा गया और वह एक मकान भी नहीं दे सके कि एक बार तो हम रख देंगे, किराये के मकान में।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह स्टंट है चुनाव का। It is a political stunt, and you have failed.

श्रीमती कमला : चुनाव का कहीं ताल्लुक नहीं है, बहुत वर्षों की बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं, आखिर मुझे भी थोड़ा अनुभव है। कुचामन नम्बर 11/72 से ट्राई कर रहा था। आज उसने अपनी हिम्मत करके स्वयं कालेज चला लिया, मकान बना लिया और चल रहा है, सरकार ने उसको दिया क्या, एक उदाहरण बता रहा हूं बिल्कुल सत्य....

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री को कहना चाहता हूं कि चुनाव स्टन्ट था केवल मात्र, जीतना चाहते थे वहां, चन्दनमलजी बैद उस जिले के अन्दर प्रभारी मन्त्री होने के नाते, उस सीट को जिताना चाहते थे, फेल हो गये, आज यह स्थिति पैदा हो गई और ऐसी फजीहत शिक्षा विभाग में हो रही है इस घटना के कारण। मैं कहना चाहता हूं, मुझे जानकारी है कि शिक्षा विभाग के प्रत्येक कर्मचारी से, प्रत्येक अधिकारी से पूछ लीजिये। कहता है सरकार ने ऐसी स्थिति कभी नहीं की हमारी, जैसी इस बार की है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको पालिटिकल स्टन्ट बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : यह पालिटिकल स्टन्ट बना रहे हैं। इस कालेज

(श्रीमती हमीदा बेगम)

के सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं-

श्रीमती कमला : मैं आपकी बातें सुन चुकी हूं। भंवर लाल जी, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आपके जो ख्याल हैं आप अपने ख्याल कह दीजिये। उनकी बात है, वह वहीं रख दें। अपने अपने सुझाव हैं, इसीलिये वह रख दीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहती हूं कि यह पालिटिकल स्टन्ट नहीं है तो क्या है कि एक बार तो ट्रस्ट यह कहता है कि भवन भी हम बना देंगे, कालेज भी हम चला लेंगे आप तो स्वीकृति दे दो। सरकार ने कहा, भाई, ठीक है हम स्वीकृति देते हैं, विशेष अनुदान कुछ नहीं देंगे। फिर सरकार ने यह कहा कि आप क्यों नहीं चला रहे हो। इसको चलाओ, इसको खोलो, तो उन्होंने यह सोच कर कि भई भवन तो ये बना देंगे, चलो बाकी खर्चा अपन उठाओ। उसके बाद भी ट्रस्ट को यह समझ नहीं आती है कि इसको कम से कम रखने का अपन काम तो करें। जमीन सरकार से मांगी जमीन दे दी गई, उसके बाद भी सरकार के ऊपर ही कहां से इस तरह का लांछन रह गया। खुद तो गलती कर रहे हैं, खुद जिम्मेदारी झेल नहीं रहे हैं. बार बार सरकार तकाजा कर रही है बस्ती के लोग भी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो मांग कर रहे थे वर्षों से और सरकार के ऊपर आप लांछन लगा रहे है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तब राजनीति की परिभाषा मुझे सिखाना पड़ेगी मन्त्री महोदया को।

श्रीमती कमला : आपको भी राजनीतिक स्टन्ट की परिभाषा समझानी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती हमीदा बेगम : उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस कालेज के सम्बन्ध में मुझे मालूम है रतनगढ़ के अन्दर चम्पालाल उपाध्याय, जिन्होंने मोहन झालान ट्रस्ट के केस के ऊपर हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री से इस बात के लिए कहा कि आप प्रिन्सिपल को भेज दीजिये हम हमारे विद्यालय के कुछ कमरे महाविद्यालय के लिए अर्पण कर देते हैं। बाद में हम जमीन ले करके भवन बनायेंगे। उस चम्पालाल उपाध्याय के केस के ऊपर, मुझे मालूम है, कक्ष में यह बात हुई थी और उनके बाद में राज्य सरकार ने रतनगढ़ के लिए प्रिन्सिपल और यह सब भेजा था। यह कोई पालिटिकल स्टन्ट नहीं बल्कि चम्पालाल उपाध्याय, जो कि मोहन झालान ट्रस्ट का कर्त्तावर्ता था, के कहने के ऊपर, यह कालेज ओपन किया गया था। वहां के लोगों ने बाद में पता नहीं क्यों ट्रस्ट इस बात से हटा और आज यह सरकार को ब्लेम देते हैं जबकि गलती पूरी तरह से चम्पालाल उपाध्याय की है।

श्री उपाध्यक्ष : हमीदा जी ने समापन किया। अब आप क्या कहेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : समापन ही करूंगा, साहब। आपने जब प्रिन्सिपल भेजा यह सोच कर के कि इसको भेज देंगे तो कोई न कोई स्कूल की कालेज की व्यवस्था बिल्डिंग की हो जायेगी। तो उस समय आप किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को या नागरिक को यह पत्र भी लिखा क्या कि साहब हम प्रिन्सिपल को भेज रहे हैं, आप भवन की व्यवस्था कर दें ? ऐसा कोई पत्र आपने किसी को लिखा, किसी को सूचित किया, किसी पर जिम्मेदारी डाली ? यह जवाब दीजिये, यदि ऐसा कोई किया हो आपने हम प्रिन्सिपल भेज रहे हैं, ऐसा किसी को लिखा है क्या आपने ? आपने किसी को लिखा या नहीं लिखा।

श्री मोहन प्रकाश : अगर व्यवस्था की वहां कठिनाई है तो कम से कम विद्यार्थी लोग क्यों सफर करें इसके लिये ?

श्रीमती कमला : विद्यार्थी तो भर्ती नहीं हुए हैं अभी।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : अगर कोई वायदा खिलाफी कर रहा है तो....

(व्यवधान)

व्यवस्था करना तो काम है—

श्री हरि शंकर भाभड़ा : कालेज चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है न कि संस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कालेज पौलिटिकल साईन्स का था या किसका था ?

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये राज्य सरकार की कालेज चलाने की जिम्मेदार थी लेकिन तब जब बस्ती के लोग यह सहयोग नहीं करें कि जब तक नया भवन नहीं बनेगा दूसरे किसी भवन में राज्य सरकार को मदद करके, जैसे आज गांवों के अन्दर प्राइमरी स्कूल चलते हैं....

श्री भंवर लाल शर्मा : आपने किसी को लिखा क्या ? भाई, आपने किसी को लिखा क्या कि आप पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं....

श्रीमती कमला : बहुत सी जगहों पर लोग भवन बना कर बैठे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि गांवों में तो आम तौर पर सब कुछ गांव के लोगों से मांगा जाता है इसका भी किस्सा इसीलिये टूट पड़ा कि पहले ट्रस्ट ने सब कुछ करने को कह दिया। अगर पहले दिन से ही ट्रस्ट यह कहता कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ आपको करना है और आप इस हिसाब से करो तो सरकार उस हिसाब से फिर सोच कर करती।

श्री भंवर लाल शर्मा : आपने ट्रस्ट को लिखा क्या कि हम प्रिन्सिपल भेज रहे हैं। आपने लिखा क्या प्रिन्सिपल भेजने के लिये ट्रस्ट को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस पर चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री मोहन प्रकाश : और कोई भी लोग जो तैयार हैं...

श्री भंवर लाल शर्मा : यह राजनीतिक स्टन्ट था।

श्रीमती कमला : आप तो ऐसी बात पूछ रहे हैं कि दोपहर के बारह बजे नहीं हैं, आप कहते हैं कि सूरज ढल गया। उजाला है क्या, दिन है क्या? गांव के अन्दर प्रिन्सिपल पहुंचा हुआ है, वहां पर काम करने के लिये गया है, किसी को पता नहीं है।

श्रीमती हमीदा बेगम : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट पिछे आई थी इस बात के लिये कि वहां गवर्नमेंट कालेज लेकिन इसी ट्रस्ट ने कहा वहां पर गवर्नमेंट नहीं ट्रस्ट ही कालेज को चलायेगी।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने किसी को यह लिखा था क्या.....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो साथ साथ नहीं बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने किसी को यह लिखा होगा, ट्रस्ट को लिखा होगा, किसी संस्था को लिखा होगा किसी नागरिक को लिखा होगा कि हम प्रिन्सिपल भेज रहे हैं। आप व्यवस्था तो करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलाल जी। अब इस को समाप्त करता हूं।

श्री मोहन प्रकाश : वहां फिर चुनाव होने वाला है। हम लोग जिम्मा लेते हैं, वहां कालेज के लिए व्यवस्था कर देंगे। ऐसा आश्वासन दे दें....।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कालेज बनाना है तो पालिटिकल स्टण्ट नहीं कहिये। आपस में बात करलें।

श्रीमती कमला : आप तो उनसे कहिये जो जमीन की है उस पर भवन बनाना शुरू करें।

श्री मोहन प्रकाश : बस्ती के लोग व्यवस्था करेंगे आप कालेज के लिए आश्वासन दे दीजिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के भावों में उतार-चढ़ाव

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नाथू सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के भाव में उतार चढ़ाव, विषय, पर चर्चा। श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया है इसके सन्दर्भ में संक्षेप में इतना अवगत कराना चाहूंगी कि विभाग की निर्धारित नीति, कार्यक्रमों और उसकी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मार्च, 1985 में विदेशी मदिरा के ठेके स्वीकृत किये गये थे और 1 अप्रेल, 1985 से यह कार्यरत हो गये। जयपुर शहर के अन्दर और जयपुर शहर के समीप तीन जगह सांगानेर, आमेर, हरमाड़ा में, इनके ठेके के संबंध में आपस में खूब प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गयी। क्योंकि मार्च 1985

(श्रीमती कमला)

में जिसको ठेका दिया गया था वह नया ठेकेदार था और पुराने ठेकेदार को ठेका नहीं मिला इसलिये उस ठेकेदार ने समीप के गांवों में अपनी दुकानों में सांगानेर, जयपुर, आमेर में सीमा से भी नीचे भावों में मदिरा को बेचना प्रारम्भ कर दिया जिससे जयपुर शहर के नये ठेकेदार को बहुत नुकसान हुआ और यह 15.6.1985 तक चला। पहले प्रतिस्पर्धा खूब चली, उनके आपस में इस तरह की प्रतिस्पर्धा चली इसके कारण मदिरा की कीमत में काफी कमी आ गयी। जब शहर में ठेकेदार ने देखा कि उसकी बिक्री कम हो गयी है क्योंकि शहर वाले लोग सांगानेर, आमेर, हरमाड़ा से जाकर बहुत कम रेट पर शराब ले आते थे और जब वहां से लाने लग गये तो नये ठेकेदार की अच्छी कीमत पर बिक्री बराबर नहीं हुई तो और उसको जब खूब घाटा पड़ा तो आखिर हार कर इन दोनों ने 15-6-85 के लगभग प्रतिस्पर्धा समाप्त करके समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर लेड डाउन है उस सीमा से नीचे जिन्होंने बेचना प्रारम्भ कर दिया था उन्होंने वापस ऊंची कीमत पर उसको बेचना प्रारम्भ कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने सुबह इस प्रश्न के जवाब में मैंने बताया था कि इसके बेचने के सम्बन्ध में, वर्तमान में उनकी रेट के निर्धारण नियन्त्रण का सरकार का प्रावधान नहीं किया हुआ है। इस सम्बन्ध में की शर्त संख्या 23 में लिखा है कि लाइसेन्स पर अपनी अवधि के दौरान विदेशी मदिरा बीयर को छोड़कर इस के विक्रय की व्यवस्था पर कोई नियन्त्रण नहीं लागू होगा।

प्रतिस्पर्धा का कारण यह था कि 1983 से 1985 के वर्ष अर्थात् 1-4-83 से 31-3-85 तक सम्पूर्ण राजस्व जिले जयपुर की भारत में बनी विदेशी मदिरा का ठेका सुशील कुमार एण्ड पार्टी के नाम था लेकिन वर्ष 1985-86 हेतु जब जयपुर शहर की 65 दुकानों के टेण्डर मांगे गये तो सुशील कुमार एण्ड पार्टी का टेण्डर नीचा रहा और उच्चतम टेण्डर मैसर्स घनश्याम दास एण्ड पार्टी का दिनांक 28-3-85 को स्वीकार हुआ। टेण्डर की राशि 4,77,77,791.00 रुपये है। सुशील कुमार एण्ड पार्टी का वर्ष 1985-86 में यह व्यवसाय जयपुर शहर का प्रतिस्पर्धा का कारण बन गया था। दिनांक 13.3.85 को जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों की नीलामी थी। सुशील कुमार एण्ड पार्टी ने जयपुर के समीपस्थ स्थानों, आमेर, सांगानेर, हरमाड़ा की दुकानों में से एक-एक खुदरा दुकान भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ले ली। जयपुर तथा आसपास की विदेशी मदिरा की थोक दुकान भी सुशील कुमार एण्ड पार्टी के पास थी। आमेर, सांगानेर तथा हरमाड़ा की जयपुर शहर के आसपास की तीन दुकानों पर बिक्री दर सुशील कुमार एण्ड पार्टी के द्वारा कम रखी गई जिससे विदेशी मदिरा शहर में आ सके एवं जयपुर के ठेकेदारों को आर्थिक हानि हो। प्रतिस्पर्धा के कारण शराब के ठेकेदारों को हानि जो 15-6-1985 तक हुई वह आगे नहीं हो इसलिये ठेकेदारों ने आपसी सद्भाव बनाकर दरें निर्धारित कर ली और अब करीब करीब एक जैसी दरें जयपुर शहर तथा आसपास के उक्त 3 कस्बों में तथा अन्य स्थानों पर परिचालित हैं और अब

(श्रीमती कमला)

जो दरें हैं वह गत वित्तीय वर्ष की दरों से कुछ ही ज्यादा हैं। ठेकेदारों ने इन अधिक दरों का एक कारण यह बतलाया है कि उनकी लाइसेंस फीस एकाकी विशेषाधिकार राशि गत वर्ष से ज्यादा है इस बढ़ोतरी में ट्रेड इन्क्रीज 10 प्रतिशत भी शामिल है। गत वर्ष राजस्व जिले जयपुर की दुकानों की राशि 5,04,73,005 थी। जो इस वर्ष 5,61,15,419 है। इस प्रकार 56, 42,414 की बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के बीयर के बेचान से प्राप्त राशि को गारन्टी पूर्ति राशि में शामिल ही नहीं किया जा रहा है। अतः उस कमी को पूरा करने हेतु भी भाव बढ़ाये गये। भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ठेकेदारों द्वारा मिलावट किये जाने और उपभोक्ताओं को नकली मदिरा मिलने से उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह कहना भी गलत है कि न्यूनतम गारण्टी प्रणाली प्रारम्भ करने से राज्य सरकार को होने वाली आय में कोई कमी हुई है। राज्य सरकार की आय में इस प्रणाली से हर वर्ष काफी बढ़ोतरी हुई है।

वह यह है कि 1980-81 में जहां 13.46 करोड़ रुपये की प्राप्ति होती थी, वहां उसके पेटे में 1981–82 में 33.66 करोड़ रुपये हुई, 1982–83 में 53.52 करोड़ रुपये हुई, 1983 84 में 63.95 करोड़ रुपये हुई, 1984–85 में 76.17 करोड़ रुपये हुई और 1985-86 में 85 करोड़ रुपये के करीब आशा है। न्यूनतम गारंटी प्रणाली के आधार पर मदिरा सम्बन्धी व्यवसाय में कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया है, यह भी वस्तुस्थिति के अनुकूल नहीं है। क्योंकि इस वर्ष में घनश्याम दास एण्ड कम्पनी जिसमें बीस से अधिक लोग शामिल हैं, जयपुर शहर में विदेशी मदिरा की दुकानों का ठेका लिया है, सुशील कुमार एण्ड कम्पनी में भी इसी प्रकार और दूसरे हिस्सेदार हैं। इसी प्रकार जयपुर जिले में फुलेरा, कोटपूतली, दूदू, शाहपुरा आदि राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी किसी एक के पास ठेका नहीं है, अलग-अलग हैं, कुछ लोगों का या किसी ग्रुप का जिलों में एकाधिकार नहीं है, अलग-अलग दुकानों की अलग-अलग नीलामी की जाती है और अगर न्यूनतम गारंटी राशि से कम बोली आती है तो उसे ग्रुप बनाकर भी उन दुकानों का नीलाम किया जाता है।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया यह आसान मामला नहीं है। पहली बात आपने यह कही कि इसका एकाधिकार नहीं है, इन्होंने फर्म्स बना रखी हैं, सुशील कुमार एण्ड कम्पनी, घनश्याम दास एण्ड कम्पनी। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी फर्म जब बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहां होना जरूरी है। लेकिन इनमें से एक भी कम्पनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अलग--अलग लोग मिलते हैं और इन्कम टैक्स की चोरी करने के लिए, विभाग यह काम कराता है, इन्कम टैक्स की चोरी करने के लिए इस प्रकार की फर्जी फर्म्स बना रखी हैं। इन्कम टैक्स विभाग इनकी जांच पड़ताल करें तो इंडिविजुअल इनको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। उपाध्यक्ष

(श्री नाथूसिंह)

महोदय, इसके अलावा जब यह माल बेचते हैं उसमें टर्म्ज एण्ड कंडीशन सबकी होती है जिनका यह उल्लंघन करते हैं। इसकी यह टर्म्ज एण्ड कंडीशन है धारा 14(1), 10, 9 है, जिसमें नौ के अन्दर है, जहां इनकी दूकानें हैं वहां पर कोई पी नहीं सकता। लेकिन इन्होंने हर दूकान में बार बना रखी है। इसके अलावा वहां पर दूसरे लोगों को सामान बेचने के लिए सोडा की बोतलें या दूसरी चीजें नमकीन या और कुछ एक्स्ट्रा बेचते हैं, इसका अलग से लाभ उठाते है, इसके अलावा कैश मीमो नहीं देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : नमकीन का क्या है ?

श्री नाथूसिंह : यह अनुभव की बात है। हमारे शिवचरण सिंह जी अनुभवी हैं यह बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके लिये अब अलग से विशेषज्ञ होते हैं क्या नमकीन के ?

श्री नाथूसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर यह कैश मीमो नहीं देते और उसके बाद....

श्री दिग्विजय सिंह : आपका कौन-से नमकीन से मतलब है ?

श्री नाथूसिंह : जो आप समझ जायें।

श्रीमती हमीदा बेगम : मुझे लगता है कि लार टपक रही है।

श्री नाथूसिंह : कैश मीमो नहीं देते उसके बाद फर्जी एण्ट्री करते हैं। मांगने पर भी नहीं देते, फर्जी एण्ट्री करते हैं। प्राइज कंट्रोल एक्ट बना हुआ है उसका उल्लंघन होता है। जैसा मंत्री महोदया ने स्वीकार किया है कि इनके ऊपर प्राइज कंट्रोल करने की कोई पाबन्दी नहीं है। इसमें धारा 20 है कि लाइसेंस की अवधि के दौरान मदिरा के विक्रय मूल्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। यह राज्य सरकार ने जानबूझ कर छूट दी है, क्यों दी है ? उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब नीलामी सिस्टम था उस समय दस प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते थे। इस समय हालत यह है कि 15.6.1985 के पहले जो बोतल पैंतीस रुपये में बिकती थी आज वह बोतल पिच्चासी रुपये में बिक रही है, और कुछ दिनों में वह एक सौ रुपये की बिकेगी।

श्री शोपत सिंह : कौन-सी ?

श्री नाथूसिंह : डिपलोमैट है, एरीस्टोक्रेट है, कई हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य को कौन-सी रुचि है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भी कोई ब्लैक है क्या ?

श्री नाथूसिंह : हां-हां, यही कह रहा हूं इसमें जो लागत आती है उससे कई गुना कीमत उपभोक्ता से वसूल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग पीते होंगे, कुछ पीने को बुरा मानते होंगे....

एक माननीय सदस्य : हमारी उजला जी बुरा मानती होंगी....

श्री नाथूसिंह : लेकिन सवाल इस बात का है कि 1980 के अन्दर जब शराब बन्दी थी उस समय 22 हजार परमिट डाक्टर्स की एडवाइज पर जारी किये गये कि यह लोग पीये बिना नहीं रह सकते। डाक्टर की मेडिकल एडवाइज पर....

श्रीमती इकबाल कौर : आपको क्या चिन्ता है, डाक्टर को चिन्ता होती रहे।

श्री नाथूसिंह : आपको भी चिन्ता है, गंगानगर से आई हैं....

श्रीमती इकबाल कौर (गंग.नगर) : गंगानगर वालों को क्या चिन्ता है, आपको खरीदनी है तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय जो लाइसेंस देते थे, कई लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल एडवाइज से पीनी पड़ती है, कई लोग पार्टीज में पीते हैं। इसका मतलब यह नहीं है एक ओर जहां उपभोक्ताओं की लूट हो रही है, उनको पीने की छूट है और उनकी लूट हो यह ठीक नहीं है। पीने की छूट का मतलब, उपभोक्ताओं की लूट, यह उचित नहीं है। इसीलिये उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर जहां उनकी लूट हो रही है दूसरी ओर सरकार को एक्साइज ड्यूटी में घाटा हो रहा है, सेल्स टैक्स में नुकसान हो रहा है, इन्कम टैक्स का नुकसान हो रहा है। जानबूझ कर राजस्थान के अधिकारी और सरकार, केन्द्रीय सरकार के इन्कम टैक्स में जिसका हिस्सा हमको मिलता है उसकी चोरी करवाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम बिन्दु पर जब शराब फैक्टरी से निकलती है, कम्पनी से खरीदी जाती है उस समय सेल्स टैक्स लगाते हैं, उसके बाद उन पर कोई रोक नहीं है कि कितने रुपयों में बेचें। मेरे पास आंकड़े हैं, चार करोड़ अट्ठहत्तर लाख का ठेका दिया, जयपुर का। एक्साइज ड्यूटी नहीं दी जब आपने शराब बेची, इसका मतलब यह हुआ अस्सी लाख रुपये का सेल्स टैक्स इनको देना पड़ेगा प्रथम बिन्दु पर। यदि यही शराब पर अन्तिम बिन्दु पर सेल्स टैक्स लेते तो इससे सरकार को डेढ़ करोड़ रुपये की आय होती, अकेले सेल्स टैक्स से। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक तरफ सेल्स टैक्स की चोरी हो रही है, इन्कम टैक्स को छिपकर खा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी का भी लॉस हो रहा है तो मन्त्री महोदया ने बात कही है कि इस बारे में पिच्चासी लाख रुपये मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि इनका मिनिमम गारंटी सिस्टम नहीं होता और नीलामी सिस्टम होता तो कम्पीटीशन होता और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 1.25 करोड़ रुपये की इन्कम राज्य सरकार को होती। जो सेल्स टैक्स 80 लाख रुपये का जयपुर शहर में बताया था, मैंने जयपुर का बताया, 22 करोड़ रुपये का, पूरे राजस्थान का है। इस प्रकार सवा तीन करोड़ रुपये इनको सेल्स टैक्स के मिलेंगे इस हिसाब से। यदि यह अन्तिम बिन्दु पर सेल्स टैक्स लगाते हैं तो इनको पांच और छ: करोड़ के बीच इन्कम होती है। उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये का राजस्थान सरकार को नुकसान हो रहा है। अब 35 रुपये की बोतल 85 रुपये में बेच रहे हैं, सरकार को क्या मिल रहा है....

श्रीमती कमला : अच्छा है कम पीयेंगे।

श्री नाथूसिंह : इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्र सरकार के निर्देश हैं राज्य सरकारों को कि कोई भी चीज पैंतास रुपये की जिस पर जो टैक्स दे रहे हैं उसको पिच्चासी रुपये में बेचें, जनता से वसूल कर रहे हैं। इतना टैक्स खा रहे है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं कि हर एक चीज पर भाव अंकित होना चाहिए, लेकिन इन बोतलों पर कोई प्राइज टैग नहीं है। अमरीका में, दिल्ली में भी है, कई जगह है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य खाली बोतलों की क्या पोजिशन रहती है ?

श्री नाथूसिंह : खाली बोतल में नहीं देखता। यह काम सरकार का हो सकता है, खाली बोतल समेटने का।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि किसी की शिकायत नहीं आई है कि किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ है या कोई नुकसान हुआ है। अगर तीनों माननीय सदस्यों का स्वास्थ्य खराब न होता तो आपको सूचना नहीं देते। आपने इसीलिये सदन में गलत उत्तर दिया है, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ है तभी सूचना दी है, शिकायत के रूप में।

श्रीमती कमला : इसीलिये कह रही हूं कि हमें खाली बोतलों का पता है, उनको भरी बोतलों का पता है।

श्री दिग्विजय सिंह : अभी तक स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, अगर मिलावट हुई तो अब हो ही जायगा।

(3.00 म० प०)

श्री नाथूसिंह : इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। क्यों नहीं आप इनको यह कहते कि बोतलों के ऊपर प्राइस तय कर दें कि मैक्सीमम इससे ज्यादा की आप नहीं बेच सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी प्राइस लिस्ट दुकानों के ऊपर लगी हुई नहीं है, किसी पर भी। बार बना रखी हैं शाप्स में, उपाध्यक्ष महोदय, गैंग बना हुआ है, बहुत बड़ा इनका। इनको अधिकारी भी गलत सूचना देते हैं। अनआथोराइज्ड शाप्स इन्होंने खोल रखी हैं। अब यह अधिकारी क्या देते हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि नहीं साहब इससे लाभ हो रहा है, घाटा हो जायेगा नीलामी करेंगे तो, लाइसेंसिंग प्रणाली से, नहीं यही चालू रहने दो क्योंकि यह अधिकारी उनसे मिले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं है जितनी शराब वहां से उठती है इसकी 30 से 40 पर्सेन्ट यहां पर खपत होती है और बाकी खपत नहीं होती तो यह लोग क्या करते हैं कि यहां से गुजरात और पाकिस्तान को शराब भेजते हैं। तस्करी होती है इसकी और इस बार क्योंकि गुजरात के अन्दर आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल गया, पंजाब आन्दोलन से पाकिस्तान के बार्डर पर और ज्यादा सिक्योरिटी चेक हो गयी तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसका रुख बदला और अभी भी उपाध्यक्ष महोदय, आपने समाचार पत्रों में कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा कि 20 लाख रुपये की शराब ले जाते हुए इन्दौर में पकड़ी है और उसका कोई मालिक नहीं बन रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें सेल्स टैक्स की चोरी हुई है। 20 लाख रुपये की एक्साइज ड्यूटी का लॉस हुआ है। मन्त्री जी आप

(श्री नाथू सिंह)

बतायें कि उसकी एक्साइज ड्यूटी कटी है या नहीं ? तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केरल जा रही थी यह शराब जो इन्दौर में पकड़ी । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी तस्करी होती है और अब यह सब चीजें बन्द हो गयी तो इधर जाना शुरू कर दिया और यहां पर मिलावट शुरू हो गयी । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमारे पास मिलावट की कोई शिकायत नहीं आई और मिलावट नहीं हुई । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसीलिये मन्त्री महोदय इसमें इतनी भारी मिलावट हो रही है, पानी मिलाकर एक बोतल की दो बोतल में करके बेचते हैं–डबल । इसीलिये उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एडल्ट्रे-शन शब्द है ।

श्री नाथूसिंह : हां, एडल्ट्रेशन । इसी-लिये उपाध्यक्ष महोदय, यह मिक्स-अप करके बेचते हैं । इसमें मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि बाकी कहीं बंगलोर जैसा काण्ड नहीं हो जाये । दूसरी जगह शराब पी-पी कर लोग मरे हैं ऐसा काण्ड न हो जाये मद्रास और तमिलनाडु में सब जगह में हुए हैं तब सरकार की आंख खुलेगी कि हां अब मिलावट हुई है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने....

श्री डूंगरराम पंवार (टी बी) : एक एक बोतल मगाकर मन्त्री जी देखें कि उसमें मिलावट है या नहीं ।

श्री नाथूसिंह : इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, 3 साल से रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पालिसी जो सरकार ने अपनाई है यह गलत है । फेयर कम्पीटीशन होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय । रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पालिसी कानूनों और नियमों के विरुद्ध है । मोनोपोली आपने उनको दे दी । यह मोनोपोली इसीलिए दे दी उपाध्यक्ष महोदय, कि जैसे पार्टी बन कर लोग आये हैं । दो ही फर्म थी जिन्होंने बाद में समझौता कर लिया । फिर इसमें कम्पी-टीशन कहां रहा ? इसीलिए मोनोपोली होगी और मोनोपोली के आधार पर आप उनको यह छूट दे दें कि चाहे जितनी मात्रा में लूट करो उपभोक्ताओं की, सरकार की टैक्स की चोरी करो । यह ऐसी इजाजत उपाध्यक्ष महोदय, नहीं दी जानी चाहिए । मेरा निवेदन यह है कि 1982–83 के पहले लाइसेंसिंग प्रणाली थी उस समय श्री चन्दनमल जी बैद थे और जब चन्दनमल जी हाउस में नहीं हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इस मामले में कि उस समय भी अधिकारियों ने उनको ऐसी ही एडवाइस दी थी लेकिन वह उन्होंने नहीं मानी । सब अधिकारी और ठेकेदार लोग मिलकर कोशिश कर रहे थे बराबर कि किस तरह से यह प्रणाली, मिनिमम गारन्टी सिस्टम की प्रणाली शुरू हो ताकि लाभ हो सके और इसमें हम कमा सकें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत हो गया ।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मसला है । राजस्थान में जो बजट के अन्दर आप टैक्स लगा रहे हैं यह उन टैक्सों की बचत हो सकती है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में जब वृजसुन्दर जी आये 1982-83 में तो उन्होंने यह पॉलिसी एडाप्ट की । उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रणाली के चलते हुए मैं आपकी

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रणाली के चलते हुए उपाध्यक्ष महोदय, आज इन ठेकेदारों को एक पैसा नहीं लगाना पड़ता क्योंकि दो तीन महीने के लिए उधार लेते हैं और सरकार को केवल गारन्टी देनी पड़ती है । तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लाखों रुपये अधिकारी और जो पॉलिसी बनाने वाले थे उन्होंने मिलकर खाये । मन्त्री महोदय इसलिए इस पालिसी को चेन्ज कीजिए । इनके ठेके आप कैंसिल कर सकते हैं । आपको अधिकार है उपभोक्ताओं के हित के लिए और राज्य सरकार के कोष को नुकसान न हो इसके लिए आप इनको तुरन्त कैंसिल कीजिए । कीमतें घटायें और इसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गंगानगर जिले में बबल की ज्यादा बिकती है । उसका कोई इलाज है क्या ? उसकी कोई डिग्री ही नहीं है....

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब दे दें माननीय मन्त्री महोदय ।

श्रीमती कमला : नहीं मैं अलग-अलग दूंगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो मुद्दों के ऊपर बारबार घूमघूम कर बहुत स्ट्रेस किया । एक तो यह कि सैल्स टैक्स का अगर आप आखिरी बिन्दु पर रखते तो सरकार को न जाने 125 करोड़ रुपये मिलते या कितने मिलते । आप और हम सब जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आखिरी बिन्दु पर जब सैल्स टैक्स लगता है तो कितनी उसकी चोरी होती है और जितना आज हम पहले बिन्दु पर रख रहे हैं वह भी शायद मिलता कि नहीं मिलता....

श्री यदुनाथ सिंह : गलती से उल्टा बोल गए ।

श्रीमती कमला : ....इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सैल्स टैक्स जो ड्यू बनता है उसको फर्स्ट पाइन्ट पर ले लें और इसीलिए सरकार ने उसको कायम किया है ।

जहां तक आपने तस्करी की और इन्कम टैक्स की चोरी का मामला कहा है इसके सम्बन्ध में दूसरे विभाग जो इसको डीलविथ करते हैं, देखते हैं उनको इसके लिए और तकाजा किया जायेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा और चैक-अप करें ।

मिलावट का जो मामला है इतने माननीय सदस्यों ने कहा है तो बिना शिकायत के भी यह मानकर कि कहीं न कहीं कोई शिकायत है इसलिए सरप्राइज चैकिंग हो, उसकी जांच पड़ताल हो और कहीं कमी खामी पाई जाये तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें जिससे इसके जो आदी हैं वह कम से कम शुद्ध तो पीयें ।

(श्रीमती कमला)

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाव की जो बात कही है मैंने सुबह भी कहा था कि इसके बाबत में विचार चल रहा है और इसके भावों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की जाये यह मैंने प्रश्न के उत्तर में सुबह कहा भी है।

श्री नाथूसिंह : क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक करके। पहले यदुनाथ सिंह जी।

श्रीमती कमला : मैं यह कह रही हूं कि भावों को नियन्त्रित करने के बाबत चर्चा जारी है कि उसको किस तरह से किया जाये।

श्री नाथूसिंह : कब तक कर देंगे ?

श्रीमती कमला : अभी तो चर्चा ही किस तरफ मोड़ खा रही है यही पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इतनी लूट हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने जो कहा है कि दुगने भाव हो गये हैं। यह दुगने तो आप को इसलिए लग रहे हैं कि जो इन्होंने आपस के झगड़े में रीजनेबल रेट से भी नीचे कर रखे थे वह बराबर में आकर खड़े हुए तो आपको दुगने लग रहे हैं अन्यथा पिछले वर्ष के जो भाव थे उसके आसपास ही भाव इस समय हैं। थोड़े बहुत ही ज्यादा हैं।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : डबल। यह जवाब तो है मेरे पास। जवाब तो आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : यदुनाथसिंह जी अब कह तो दिया कि भाव नियन्त्रित किये जायेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : भाव का प्रश्न नहीं है। इसमें चाहे पांच सौ रुपये बोतल लीजिए। भाव का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : हम भुगत रहे हैं, हमें पता है। एक-एक दिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल से निकल रहा है इसलिए जल्दी से यह भाव नियन्त्रित हों।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शराब के व्यापारियों द्वारा, आबकारी के अधिकारियों के द्वारा करोड़ों रुपये का रेकट किया जा रहा है। बहुत बड़ा रेकट हो रहा है और आप आश्चर्य करेंगे कि किस प्रकार से यह रेकट में फंसे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रेकट को अलग से कह देना। यह भावों के उतार चढ़ाव का विषय है।

श्री यदुनाथसिंह : आप मेरी बात सुनेंगे भी उसके पहले ही आप मानस कैसे बना रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : नियन्त्रित कर देंगे।

श्री यदुनाथसिंह : कैसे नियन्त्रित कर देंगे। नहीं कर सकते नियन्त्रित।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार विचार कर रही है।

श्री यदुनाथसिंह : सरकार क्या करती है यह बता रहा हूं मैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : सरकार क्या करती है ? मैं बताऊंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप

(श्री यदुनाथसिंह)

ताज्जुब करेंगे जो कुछ मैं कहूंगा.......

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो अध्ययन करना पड़ेगा ।

श्री यदुनाथसिंह : यह बहुत बड़ा रैकट हो रहा है, राजस्थान में कोई कन्ट्रोल नहीं है ...

श्रीमती कमला : मैं निवेदन करना चाहती हूं जो भाव बढ़े हैं मध्य जून के बाद में उससे सम्बन्धित कोई बात हो, रैकट हो रहा है वह अलग बात है.....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : आपकी डिमाण्ड सप्लाई....

श्रीमती कमला : मेरे पास कोई सूचना नहीं है, जवाब क्या दूंगी ।

श्री यदुनाथसिंह : देखिये, यह माल बेचने के लिए दूसरी जगह ले जायेंगे उसको गुजरात भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, आप के पास रिपोर्ट्स है । भाव का सम्बन्ध नहीं है, कैसे सम्बन्ध नहीं है, क्यों सम्बन्ध नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : रैकट बन जाता है बड़ा खतरनाक है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो प्रश्न था, जो मुद्दा था उससे उत्पन्न जो स्थिति है उसी के बारे में....

(व्यवधान)

अलग से प्रश्न रखने का क्या फायदा ।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त करना चाहते है ? क्या बात है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहता हूं अलग से प्रश्न है—

श्री यदुनाथसिंह : शासन ने व्यवस्था कर दी । हमको बोलने दीजिए आप । उनके पास जवाब होगा दे देंगी नहीं जवाब होगा, नहीं देंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सीमित, उसी में कहेंगे ..

श्री यदुनाथसिंह : मैं बोला ही नहीं उससे पहले आप सीमित और असीमित कैसे कर रहे है । मैंने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों को शराब कम और जहर ज्यादा पिलाई जा रही है और पिछले दिनों आपने यूनीवार्ता से एक सर्वे किया था हिन्दुस्तान के सारे अखबारों में छपा था, स्टेटसमैन में इसकी रिपोर्ट आई, पिछले महीने 15 तारीख को और माननीय मन्त्री महोदया कह रही हैं कि कोई शिकायत नहीं है । पिछले दिनों भरतपुर में इतना बड़ा स्कैण्डल पकड़ा गया । वहां का जो शराब का ठेकेदार है वह नकली शराब खुद ही बनाता है और बाटलिंग भी करता है । यह कहना गलत है कि शराब में मिलावट नहीं हो रही है.... ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मालूम है, यह उपाध्यक्ष को भी मालूम है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया मुझे तो इसका अध्ययन करना पड़ेगा।

श्री नत्थीसिंह : वह तो आपके पड़ोसी हैं।

श्री यदुनार्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है

श्री उपाध्यक्ष : खाली बोतलों का तो मैंने पढ़ा है दो चार दिन पहले।

श्रीमती कमला : चर्चा की कुछ सीमा तो रखें।

श्री यदुनार्थासिंह : चर्चा होने दो तब सीमा हो ना ?

श्रीमती कमला : आप भी हैं क्या इस चर्चा में शामिल ?

श्री यदुनार्थासिंह : जी हां।

श्रीमती कमला : आप तो बैठे थे, दूसरे लोग बोल रहे थे।

श्री यदुनार्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है करोड़ों रुपये का सैल्स टैक्स बच रहा है, इनकम टैक्स बच रहा है, एक्साइज ड्यूटी बच रही है, मैं बताता हूं किस तरह से बच रही है। हो क्या रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कुछ लोगों ने इम्पोर्ट लाइसेंस ले रखे हैं, इम्पोर्ट लाइसेंस से शराब मगाते हैं और उन्हीं लोगों ने एक्सपोर्ट लाइसेंस ले रखे हैं। करते क्या हैं, शराब मंगाई दूसरे राज्यों से, डिस्टलरी से आई उस शराब को सिर्फ एक्साईज ड्यूटी पे कर के एक्सपोर्ट करते हैं और वास्तविकता में यह बाहर जाती नहीं है। बोर्डर क्रास किया, उत्तर प्रदेश में घुसे और एक दो जगह घूमे क्योंकि हमारे यहां पर आमतौर पर वापस माल पहुंचता है। यहां से ऊंचे नगले से करावली होते हुए, इधर सैयां होते हुए वापस ट्रक वहीं आ जाता है। करते क्या हैं यह लोग, एक दो नजीरें देना चाहता हूं, बहुत नजीरें हैं। यहां से एक्साइज ड्यूटी जो 47 रुपये पर बल्क लीटर है और एक्सपोर्ट की दो रुपया दे कर चले जाते हैं। दो रुपये पर बल्क लीटर देकर शराब को बाहर ले जाते हैं। मैं नजीर दूंगा, अजीब तमाशा हो रहा है....

श्रीमती कमला : एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट नहीं है....

श्री यदुनार्थासिंह : क्यों नहीं है। शराब यहां आयेगी, बिकी नहीं तो भाव बढ़ेगा नहीं।

श्रीमती कमला : इसके कारण से नहीं बढ़े हैं। यह जो आप बता रहे हैं, यह तो मध्य जून से पहले भी चल रहा होगा, यह तो इन ठेकेदारों की आपस की मिला भगत से भाव नीचे हो रहे थे और अब उनकी मिली भगत से ऊपर हो गये। इसमें एक्सपोर्ट या स्मगलिंग या तस्करी का ताल्लुक नहीं है क्योंकि यह तो पहले भी चल रहा था। मध्य जून से पहले यह बात नहीं थी....

(व्यवधान)

श्री यदुनार्थासिंह : एक्साइज ड्यूटी का सरकार को नुकसान होता है....

श्रीमती कमला : क्या मध्य जून से

(श्रीमती कमला)

पहले यह आपको शिकायत नहीं थी ? मध्य जून के बाद ही यह शिकायत आई है ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालीचरण जी साहब, आपका यह मद्यशाला से क्या सम्बन्ध ?

श्री कालीचरण सराफ : मेरी एक बात सुनिये ...

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें क्यों पड़ते हो ।

श्रीमती कमला : बहुत समय हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा कालीचरण जी का शराब से क्या सम्बन्ध है । मैं पूछना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी का क्या सम्बन्ध है ?

श्रीमती कमला : मेरा तो विभाग है जवाब देने का सम्बन्ध है, वे सदस्य हैं इसलिए पूछने का सम्बन्ध है । बाकी और कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कालीचरणजी ...

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य जो बता रहे हैं मन्त्री जी को फायदा होगा ...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है यह बिन्दु हमने उठाये कि नहीं उठाये ...

श्रीमती कमला : आपको मालूम है यह काम हर राज्य की लगी हुई फोर्स करती रहती है, जितने केसेज पकड़ सकते हैं पकड़ने की चेष्टा भी करते हैं ....

श्री यदुनाथसिंह : कौन सा पकड़ लिया आपने ।

श्रीमती कमला : आपसे इसका क्या ताल्लुक है ? आप अगर यह मुद्दा उठाना चाहते हैं तो फिर अलग तरह से उठायें ।

श्री यदुनाथसिंह : जी नहीं । ठेकेदार का वह बिन्दु आपके नोटिस में दिया कि नहीं दिया । वे बिन्दु उठाये कि नहीं उठाये ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य देखिए, आप प्रश्न संख्या 283 के सम्बन्ध में बोलें । उसी तक सीमित कर जायें ।

श्री यदुनाथसिंह : टैक्स चोरी उसी में है । उपाध्यक्ष महोदय, कुछ फर्में बनी हुई हैं फर्जी और इन लोगों ने फर्जी ले रखे हैं इम्पोर्ट लाइसेंस और फर्जी ले रखे हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस । करते क्या हैं, जैसे बताया, शराब निकालते हैं फर्जी एक्साइज ड्यूटी यहां से करोड़ों रुपये की बचाते हैं और फिर बाद में राजस्थान में लाकर बेचते हैं या उसको गुजरात ले जाकर बेचते हैं । बहुत सी शराब और स्टेट्स से लाकर बेचते हैं, वह चोरी का अलग मसला है, बाकी बिन्दु माननीय सदस्य ने उठाये मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसा रैकेट हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से राजस्थान को एक्साइज ड्यूटी में और सारे करों में

(श्री यदुनाथसिंह)

नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे नमूने के तौर पर ही बताऊंगा मैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी अन्येष्ठि काहे को करते हैं।

श्री यदुनाथसिंह : क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या है। वाट डू यू मीन।

क्या आप सरकार का एम्ब्रेला बनना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं। मैं आपको सीमित करना चाहता हूं। कृपया विषय से बाहर न जायें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आपने डिस्टर्ब किया। इतनी देर में तो मैं खत्म ही कर देता। जितनी देर रोका है उतनी देर में बात ही खत्म कर देता।

उपाध्यक्ष महोदय, छोड़िये, मैं सारी बातें छोड़ देता हूं, दो लेटर पढ़ देता हूं। अब इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस दिये गये हैं, मिजोरम की सरकार का नमूने के तौर पर पढ़ देना चाहता हूं। यह फर्म है सोना डिस्टलरी के नाम से और यह दिया है मिजोरम के कमिश्नर ने एक्साईज कमिश्नर के नाम से। यहां से फर्जी इम्पोर्ट लाइसेंस दिया गया। जब जानकारी हुई तो वहां के कमिश्नर लिखते हैं राजस्थान सरकार से, क्या लिखते हैं, तीन चार लेटर लिखे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई—

Reports have been received as if Government of Mizorem have issued import permits for Indian made liquor, foreign liquor, the fact is that no permit for Indian made liquor is being issued from Mizorem and any distillery supplying liquor to any party so do as others.

दूसरा लीजिये। यह है—

We have received several reports from various sources that distilleries are issuing Indian made foreign liquor against Mizorem permits where no party is in existence nor any wholesale licence or permit shop exists which has been creating a huge loss to State Government in a way of Excise Duty, sale head duty, sales tax, income tax and State duties.

श्रीमती कमला : यह कौन किस को लिख रहा है ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह मिजोरम के एक्साइज कमिश्नर लिख रहे हैं कमिश्नर एक्साइज, राजस्थान उदयपुर....

एक माननीय सदस्य : राजस्थान को लिखा है।

श्रीमती कमला : पूछ ही तो रही हूं आप बीच में इस तरह से तपाक से क्यों खड़े हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरप्रिटेट की जरूरत नहीं है कृपया।

श्री यदुनाथ सिंह :

All concerned are hereby warned that immediate steps must be taken to trace the parties who are issued these false permits in the name of Mizorem and distilleries who have made supplies should be penalised for Excise duty, suspension of their licences and issue such goods without verification which are coming from a dry area.

तो यह लैटर आया है मिजोरम सरकार का। एक और आया है....

With reference to your letter cited above, I have the honour to state there is no person by the name of Sangchia Superintendent of Excise, Mizorem, Saiha and as such excise permits No. 77–78 dated 27-8-82 issued to H Thinga, Saiha (Mizorem) in the name of superintendent of Excise, Mizorem, Saiha are fake since there is no post of Superintendent of Excise, Mizorem, Saiha.

यानि वहां मिजोरम स्टेट में कोई पोस्ट ही नहीं है और यहां से फर्जी परमिट बन रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक यहां पर लिकर लौबी काम कर रही है राजस्थान में लिकर लौबी क्या कर रही है, शराब को यहां से एक्सपोर्ट दिखा दिया यानि ये दो परमिट की नजीर देना चाहूंगा। ये सोना डिस्टलरी का जो जिक्र कर रहे थे इन्होंने दो एक्सपोर्ट परमिट लिये। यह 29-9-82 का चौवन चौवन सौ बल्क लीटर के दो लिये। हुआ क्या उपाध्यक्ष महोदय, दो रुपये पर बल्क लीटर, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी देकर के ले गये लेकिन कहां ले गए उसकी आगे इन्द्राज नहीं है, वेरीफिकेशन नहीं हुआ 1982 से आज तक कि वह ट्रक कहां गये। उसमें जिन परमिटों के माध्यम से मिजोरम जाना था वो वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे और उनका क्या हुआ। इन्होंने कितना नुकसान राज्य को पहुंचाया है। यह थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यह एक ही नजीर देना चाहता हूं—एक छोटा सा है, एक नमूने के तौर पर और अरबों खरबों का पहुंचा देते है। यह होता है, उपाध्यक्ष महोदय, पहले बल्क की कीमत पर एक लाख, 43 हजार 835 और दूसरे की 1,82,64 रुपये....

श्रीमती कमला : आज सारे दिन भर इसकी सुगन्ध रहेगी क्या हाऊस में।

श्री यदुनाथ सिंह : करोड़ों रुपया बरबाद हुआ, एक्साइज वाला....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गो इन डिटेल....

श्री यदुनाथ सिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, 3,80,430.82 पैसे बनता है इन दो परमिट पर यानि मिजोरम सरकार लिख रही है कि कई स्टेट्स का नाम लिया है, कई परमिट्स के नाम दिये हैं। मैं

(श्री यदुनाथ सिंह)

उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन इसके लिये सरकार क्या कर रही है। सरकार की तस्करी-अन्दर आना, बाहर जाना हरियाणा से ले आना, यहां बेच देना, यहां से गुजरात पास कर देना, पाकिस्तान पास कर देना। पाकिस्तान से अफीम ले आना। इस तरह का जो रैकट चल रहा है। कृपा करके राजस्थान के एक्स-चेंकर पर आप एक तरफ टैक्स लगाते जाते हैं और इस तरह करोड़ों के अवैध धन्धों को नहीं रोकेंगे तो यहां प्राइस कन्ट्रोल कर लीजिए, वहां प्राइस कन्ट्रोल कर लीजिए। क्वालिटी कन्ट्रोल का आप जहर पिला रहे हैं तो क्वालिटी कन्ट्रोल की भी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, ढंग से। इतना ही आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बहुत सारे लेटर्स का रेफरेन्स दे करके····

(व्यवधान)

आप एक मिनिट सुन लीजिए····।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आप इकट्ठा ही जवाब दे देना। बहुत सी बातें हो चुकी हैं। इसलिए आप एक साथ ही जवाब दे देना।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : नहीं, एक साथ नहीं, वह अलग है, यह अलग है।

तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जो इन्सटान्सेज कोट किये हैं उसमें से कुछ बातें पकड़ में आई और कुछ बातें पकड़ में नहीं आई इसलिए राज्य की सेवार्थ जो आपने कष्ट किया है इसको आप लिख करके, कुछ और मुद्दे रह गये हों वे भी शामिल करके इस बाबत अगर दे दें तो सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। जहां तक मिजोरम की बात है हमारी आडिट पार्टी ने भी उसको पकड़ा है और उसके ऊपर तीन लाख 80 हजार रुपये की एक्साइज ड्यूटी कायम कर दी है जो उससे वसूल की जायेगी और जो आपने सोना डिस्टलरी, अलवर का कहा है, इसके खिलाफ भी सरकार कार्यवाही कर रही है। लेकिन वे हाई कोर्ट में जा करके स्टे ले आये हैं इसलिए मामला वहां विचाराधीन है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि जो मुद्दे आपने उठाये हैं दर असल में गम्भीर है। इसलिए आप और अन्य माननीय सदस्यों को भी जो जानकारी हो, जरूर हमको दे दें ताकि हम रोकथाम कर सकें।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जवाब सुना उससे एक बात साफ है कि कोई फिक्स एक्साइज पालिसी आपकी नहीं है। जो मन्त्री महोदय जैसा चाहते हैं अपनी सुविधानुसार वह पालिसी वैसे ही चेन्ज होती रहती है और अभी जैसा आपने बताया जो प्राइज बढ़ी इसका आपने कारण बताया कि कम्पीटीशन होने की वजह से रही है—देहात क्षेत्रों में कम थी और शहरों में ज्यादा प्राइज ली जाती थी उस लिकर की तो उस समय जून के महीने में कम्पीटीशन रहा, इसमें कोई शक नहीं और

(श्री दिग्विजयसिंह)

आज जब उन दोनों में समझौता हो गया तो यह प्राइज ऊपर चली गई। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन करना है कि आप इसको कन्ट्रोल कैसे करें, आपने अभी कहा कि कन्ट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं। आपका जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार जो क्लाज है, उस क्लाज में खुद गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइज में इन्टरफीयर नहीं करेगी और अगर आप इन्टरफियर करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि उस एग्रीमेंट को वायोलेट कैसे करेंगे क्योंकि जहां प्राइज में इन्टरफीयर करना शुरू किया और कम करने की बात कही तो वह कहेंगे हमने जो, आपको चार करोड़ रुपया...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : नये ठेके पर होगी, बीच में थोड़े ही होगी।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : अब हमारा एग्रीमेन्ट जब वायोलेट कर दिया तो हम सहन नहीं कर सकते हैं तो यह बतायेंगे किस प्रकार कम करेंगे। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे नियर बाई स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और सब जगह इसकी प्राइस फिक्स हैं। इन सब लिकर्स की प्राइस फिक्स हैं पी. एल., व्हिस्की की है, रम की है, जिन की है वाटका की है— सब लिकर्स की प्राइस फिक्स हैं। सब लिकर्स आइ. एम. एफ. एल. जो लीकर हैं उन सबकी प्राइस फिक्स हैं। तो क्या कारण है राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार इस आइ. एम. एफ. एल. जो लिकर है, इसकी प्राइस फिक्स नहीं करती है। इसलिए आप यह स्पष्ट करें यह जो लिकर है आइ.एम.एफ.एल. इसकी आप प्राइस फिक्स करके उसको नियन्त्रित रूप से बेचें, उसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसकी प्राइस लिस्ट दुकानों पर लगनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : एक अनुज्ञा पत्र जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें जैसा आपने यह ठेका दिया घनश्याम एण्ड पार्टी, यह किस कानून के अन्तर्गत दिया है ? या तो रजिस्टर्ड पार्टनर शिप पुराने जमाने में अमेन्डमेंट हो गया, इन्कम टैक्स ने किया, दूसरे कानूनों ने किया—

(व्यवधान)

एक मिनिट साहब,... घनश्याम एण्ड पार्टी के नाम से यह वेग टर्म है। घनश्याम एक इन्डीजुअल हो सकता है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कोई फर्म हो सकती है। ना तो वह पार्टियां रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहां रजिस्टर्ड है ना वह 40) रु: के स्टाम्प पर लिखकर रजिस्टर्ड कराती है और घनश्याम एण्ड पार्टी क्या नाम ले दिया। आपके पास घनश्याम एण्ड पार्टी की लिस्ट है क्या, इस साल के जो ठेकेदार है घनश्याम एण्ड पार्टी उसकी क्या आपके पास लिस्ट मौजूद है ? आप यह बतायेंगे अगर लिस्ट है तो उनके नाम दे दीजिए। नम्बर दो, अगर नहीं है तो इस प्रकार से सारे कानूनों को उल्लंघन कर इस प्रकार से गलत लाइसेन्स कैसे

(श्री शिवचरणसिंह)

दे रहे हैं आप ? घनश्याम के नाम दे सकते हैं। घनश्याम एण्ड पार्टी अगर रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के यहां, जिसका प्रोविजन है आपके एक्ट के अन्दर, आपके एग्रीमेंट के अन्दर उसको जब आप क्यों कर रहे हैं और आपका डिपार्टमेंट क्यों करा रहा है क्योंकि घनश्याम एण्ड पार्टी एक लम्बी रोप है और लम्बी रोप होने के कारण से उसको इन्कम टैक्स में छूट हो जाती है। जितने चाहे पार्टनर डाल लें, जितने चाहे पार्टनर घटा लें और अगर कोई एक्साइज का आफेन्स बने तो घनश्याम छूट जाता है। एण्ड पार्टी के नाम चला जाता है। इसलिए यह वेग टर्म जो आपके एग्रीमेंट में है, इसको हटाने के लिए क्या कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल जी।

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट ही बोलना चाहता हूं.......।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकिण्ड ठहरिये, इनको बोलने दें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, एक शंका का समाधान करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जयपुर शहर में जहां होटल हैं वहां बीयर शाप खुला रखी हैं। तो क्या राज्य सरकार ने उनको यह अनुमति दे रखी है कि बीयर पीयें और गार्डन में जाकर पीयें। होटल में टुरिस्ट ठहरते हैं उनमें महिलायें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और बियर पीकर उनके साथ बदतमीजी करें तो क्या राज्य सरकार ने यह परमिशन दे रखी है और अगर नहीं दे रखी है तो एक्शन लें, यह मेरा प्रश्न है।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों ने जो जानकारी सदन को दी है कि विदेशी मदिरा में मन माने भाव लिए जाते हैं। इस सन्दर्भ में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। प्रत्यक्ष बात यह है कि भारतीय विदेशी मदिरा के निर्माता पूरे भारत में मैकडोवल, डोराला, मोहनमिकिन बहुत सारी कम्पनियां हैं। जो दारू बनाती हैं, जिसके अपने डिपो अलग-अलग स्टेट्स में लगे हुए हैं। उन डिपो से रिटेल दुकानदार माल खरीदते हैं और वह दुकानदार पर केरेट उनकी रेट फिक्स करता है। उदाहरण के तौर पर जो एरिस्टोकेट है उसके एक केरेट के 550 रुपये वह लेते हैं और सरकार एक्साइज की तरफ से 20) रुपये पर बोतल ड्यूटी दी जाती है और दो पर्सेन्ट आक्ट्राय ली जाती है, रेन्ट फी ली जाती है, ट्रान्सपोर्टेशन लगता है यानि कुल मिला कर अगर आप केलकूलेशन करें तो एक बोतल उनके घर पर 70 से 72 रुपये में आ करके पड़ती है पर वह लोग मार्जिन मात्र 5 या 7 पर्सेन्ट ले करके धन्धा करते हैं, ऐसी जानकारी है—

(व्यवधान)

आप सुनिये ... (व्यवधान) सुन तो लीजिये। केरेट कितने में आता है। यह

(श्री रामलाल सोलंकी)

सारी जानकारी माननीय सदस्यों को है।

(व्यवधान)

विदेशी मदिरा खरीदते हैं इसलिए उनकी सिफारिश करते हैं।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। यह बिल्कुल है माननीय सदस्य।

श्री रामलाल सोलंकी : धन्धे से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, आप गलत कह रहे हैं यह जानकारी मेरी नहीं है। न तो मेरी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री जी, चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। यह चर्चा समाप्त कर रहा हूं। माननीय मन्त्री जी और कुछ ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने पहले ही कहा था कि साथ-साथ जवाब दे दें। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था मन्त्री महोदया से कि मेरी भी सुन लें और साथ जवाब दे दें आपने कहा नहीं नहीं नहीं तो अब जवाब तो दिलाओ। अब आप भूल गये।

श्री शोपत सिंह : यह शराब पर बहस हो रही है इससे नशे में आ गये हैं। शराब की बात से ही नशे से सरूर हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जरूरी है लेकिन जरा समय का तो ख्याल रखें। यह हालांकि ऐसा ही मसला है, मसला तो ऐसा ही है लेकिन समय का ख्याल रखें।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपके समय का ध्यान रखा है। आप जवाब तो दिला दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दुबारा कह दूं।

मैंने यही कहा था कि कोई फिक्स एक्साइज पालिसी होनी चाहिए उसमें एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में किस तरह से करेंगे जब एग्रीमेंट, तो आपने इस तरह कर लिया।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि उस समय की जो सरकार होती है वह तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करके जो उस वक्त अपनी दृष्टि से सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था मानती है उस हिसाब से उसको लागू करती है। अब इस बात का जवाब आप मुझसे लेना चाहें कि आदि काल से लेकर अब तक इतने परिवर्तन क्यों हुए तो मैं उसका क्या जवाब दे पाऊंगी आप मुझको बोलने तो दीजिए। आप फिर खड़े हो जाते हो। आप विराजमान होइये।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में कभी यह नहीं कहा कि पहले की सरकार ने क्या किया अब क्या कर रहे है।

श्रीमती कमला : मैं, आज तक की गवर्नमेंट ने क्यों इतने परिवर्तन किये,

(श्रीमती कमला)

अचानक यहां खड़े होकर जवाब नहीं दे सकती। जैसा सुबह मैंने माननीय विपक्ष के नेता महोदय को भी कहा कि किस वक्त, किस गवर्नमेंट ने क्या निर्णय, किस परिपेक्ष्य में क्यों लिया और उस दूसरी गवर्नमेंट ने किस वक्त उसको क्यों बदला और आज हमको उसमें क्या करना है इसका मैं क्या जवाब, आज यहां खड़े होकर दे सकती हूं।

एक माननीय सदस्य : सस्ती तो करवाओ आप।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कभी नहीं पूछी न कभी कही।

श्री डूंगरराम पंवार : मेरा यह तजुर्बा है कि जितने ठेकेदार हैं वह कांग्रेस के सदस्य हैं। सर्वे करा लिया जाय। यह इस सोमरस के ठेकेदार हैं। वह कांग्रेस के सदस्य हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने तो इतनी बात कही थी....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

एक माननीय सदस्य : यह आरोप लगा रहे हैं आप, जनता पार्टी के भी ज्यादा हैं ठेकेदार लोग।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा हूं

श्री डूंगरराम पंवार : इसका सर्वे करा लिया जाय। अधिकतर लोग वही मिलेंगे। चूंकि चुनाव में चन्दा देते हैं इसलिए रेट ज्यादा है।

श्रीमती कमला : जितनी जानकारी है वह दे चुकी हूं इससे ज्यादा जानकारी....

श्री दिग्विजयसिंह : मैं तो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं....

श्रीमती कमला : आपने क्या पूछा था जरा दोहरायें।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो इतना सा ही कहा था, आपने खुद ने जवाब में यह कहा था कि जो प्राइस रेज हुई है उसके ऊपर दुबारा से विचार कर रहे हैं कि कैसे किया जाय, यह प्रोसीडिंग में है तो मैंने पूछा कि जब आपके एग्रीमेंट में यह है कि गवर्नमेंट उन प्राइसेज के अन्दर इन्टरफियर नहीं कर सकती....

श्री उपाध्यक्ष : उन कानूनी सबूतों को आप दे दीजिए।

श्रीमती कमला : वह मैंने आपको कह दिया था कि लीज टर्म के अन्दर परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। जब नया ठेका दिया जायेगा तभी कर सकते हैं। यह मैंने आपको पहले जवाब दे दिया था।

श्री दिग्विजयसिंह : तो क्या सोचेंगे क्या कारण से

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, आर. टी. डी. सी. के होटलों में जो लॉन में शराब बिकती है

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : आप एक-आध को कंन्सिल तो कराओ।

श्री कालीचरण सराफ : जो लॉन में बैठकर शराब पी जाती है उसका बहुत असर पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी चिन्ता को वे महसूस करती हैं नाथूसिंह जी।

श्री शोपतसिंह : यह वैसे ही सरूर आ गया सारे हाउस को।

श्री मोहन प्रकाश : इससे रास्ता चलने वालों को मुश्किल हो गयी है। आर. टी. डी. सी. के होटलों में जो लॉन में बेची जा रही है ठण्डी बियर इससे रास्ता चलना मुश्किल हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा समाप्त हुई, आगे चलिए।

श्री शोपतसिंह : लेकिन यह बहस से ही सरूर आ गया।

विधायीकार्य :

विधेयक का पुनः स्थापन

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी स्वीकृति से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से पेश करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत है।

श्रीमती कमला : मैं, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी गई। माननीय मन्त्रीजी, इसको पुरः स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करती हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक,

(136)

(श्री उपाध्यक्ष)

1985 को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आज किधर से बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहीं से बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं शुरू कर कर रहा हूँ साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकिण्ड। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं, विनियोग विधेयक पर बहस प्रारम्भ करने से पूर्व निवेदन करना चाहूंगा कि, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 महीने में जोशी जी की सरकार के कार्यकाल को देखकर और यह बजट जो सदन में प्रस्तुत किया है, उसके अंतिम वाचन के रूप में विनियोग विधेयक पर जब हम बहस प्रारम्भ कर रहे हैं उससे एक नक्शा नजर आ रहा है कि सरकार का जो काम करने का तरीका है और सरकार ने विकास के बारे में जो कुछ सोचा है वह इस प्रकार का है, यदि इसे स्वीकार किया गया और राज्य की समेकित निधि में से रुपया निकालने का अधिकार इस

(म. प. 3-38)

(श्री पंकज पचोली, सभापति, पदासीन)

सरकार को दिया गया तो उसी प्रकार का काम होगा कि अपने हाथ में स्वयं को जिस पेड़ पर बैठा हो उसी डाली को हम काटें, उसी प्रकार का काम इस सरकार के हाथ में इस विनियोग विधेयक को पास करने के बाद में रुपये खर्च करने का अधिकार देना होगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इस सत्र में मेडीकल एण्ड हैल्थ, स्वास्थ्य और खाद्य एवं आपूर्ति इन तीन महत्वपूर्ण डिमाण्ड्स को मुखबन्द के रूप में पारित किया है और विनियोग विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए मैं इन डिमाण्ड्स के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि राजस्थान का मंत्रिमण्डल ऐसा मंत्रिमण्डल नजर आ रहा है जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम कर रहा है। सदन के बाहर....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्यों।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं साहब।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर। कृपया सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तकलीफ क्यों हो रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बाहर आप

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कुछ फरमाते हो और यहां कुछ और कहते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, वही दोनों बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : वह आपको व्यक्तिगत कहते होंगे। कृपया बोलें।

श्री नाथूसिंह : यह तो मतलबी मण्डल है।

श्री यदुनाथ सिंह : डेफीसिट में चल है मन्त्रिमण्डल स्वयं, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा क्यों, तो सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम यहीं से शुरू करता हूं कि किस कारण से। सभापति महोदय, बार बार माननीय सदस्य, हमारे प्रधान मन्त्री जी के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। मैं भी उनका सम्मान करता हूं आखिर हमारे प्रधान मंत्री हैं लेकिन इस सरकार ने प्रधान मंत्री जी के दौरों में किस प्रकार की व्यवस्था की और उनकी सुरक्षा के बारे में किस प्रकार ध्यान रखा यहां से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का मंत्रि मण्डल पूर्णतया गैरजिम्मेदाराना काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय राजीव जी गांधी ने लोक सभा के चुनाव में और विधान सभा के चुनाव में सीकर जिले का दौरा किया था। लोक सभा के चुनाव में वर्तमान में हमारे लोक सभा के अध्यक्ष श्री बलराम जी जाखड़ के समर्थन में भाषण देने के लिए आये थे और विधान सभाओं के चुनाव में फतेहपुर के निर्वाचित माननीय सदस्य श्री अश्क अली जी के चुनाव क्षेत्र में भाषण देने के लिए आये थे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार किस प्रकार गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम कर रही है। सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस बात का ठेका दिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेका दिया, प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके उतरने के लिए हैलीपेड का निर्माण कराया जावे। दो स्थानों पर हैलीपेड बनाये गये। एक हैलीपेड सीकर में बनाया गया, एक हैलीपेड फतेहपुर में बनाया गया। दोनों जगह पर एक डेढ़ महीने के अन्तर से हैलीपेड बनाए गए। अब यह सरकार किस प्रकार से काम करती है इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने प्रश्न पूछा है और सीकर में जन अभाव अभियोग समिति की मीटिंग हुई उसमें भी जवाब दिया है। दो हवाई पट्टियां बनाई गई, दो हैलीपेड बनाए गए जिस पर माननीय राजीव गांधी उतरे। एक सीकर में और एक फतेहपुर में, नाप दोनों का एक था, दोनों की एक समान लम्बाई है, दोनों के उतरने की जगह बराबर थी। एक प्रकार का मैटिरियल उपलब्ध कराया गया। माननीय सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सीकर में जो हवाई पट्टी बनी उस पर 1,63,893) रुपयों का खर्चा आया और फतेहपुर में जो हवाई पट्टी बनी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस पर 3,95,652) रुपयों का खर्चा आया। अब मेरा एक ही है राज्य सरकार से कि अगर उनका एक ही प्रकार का स्टेण्डर्ड था, एक ही लम्बाई चौड़ाई थी तो सीकर की पट्टी पर 1,63,893) रुपये क्यों आए और फतेहपुर की पट्टी पर 3,95,652) रु० क्यों आए। या तो सीकर की पट्टी बनाई उसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया या फिर फतेहपुर की जो पट्टी बनाई गई उसमें माल लूटा गया। और सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जन अभाव अभियोग समिति की मीटिंग में फैसला हुआ, हमने उसकी जांच की और जांच करके प्रतिवेदन भेजा जिसमें दो लाख पचास हजार रुपया करीब जो फतेहपुर में यानि 2,32,659 रुपये का, जो वहां पर एक्स. ई. एन. था और ऊपर के अधिकारी थे उन ने मिल कर के इन रुपयों पर डाका डाला, यह रुपया खा गए। 1,63,000) रुपये दोनों कामों पर समान लगे हैं। 2,32,000) रुपये का सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गबन किया है, एक्स. ई. एन. ने किया है उसके साथियों ने किया है। सीकर के जन अभाव अभियोग समिति के कार्यालय कलेक्टर के द्वारा विधायकों ने सब ने मिल कर प्रस्ताव पास किया लेकिन सरकार ने उस पर कार्यवाही नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि सरकार का काम करने का ढंग गैर जिम्मेदाराना है। या तो इस बात की गैर जिम्मेदारी है कि प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा में कोताई बर्ती गई। अगर कोताई नहीं बर्ती गई तो यह बात निश्चित रूप से प्रमाणित है कि उसने दो लाख बत्तीस हजार रुपयों का सार्वजनिक निर्माण विभाग ने चूना लगाया है। मैंने प्रश्न पूछा है, प्रश्न के जवाब में माननीय सभापति महोदय, मुझे कहा गया कि दोनों का एक ही नाप था, दोनों का एक स्टेंडर्ड था और दोनों जगह एक ही प्रकार की पट्टी का निर्माण किया गया। एक यह मिसाल देता हूं।

और माननीय सभापति महोदय, दूसरा नमूना मैं आपको और देना चाहता हूं। यह कह कर कि सरकार गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम कर रही है। मेरे पास सीकर जिले में जो डी. वाई. एस. पी. है फतेहपुर का, उसकी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की आपको चार पंक्तियां पढ़ कर सुनाता हूं जो डी. सी. के आफिस से जहां पर जांच करने गया था, लिखी है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा :—

"कार्यालय पुलिस अधीक्षक फतेहपुर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको जो थाना लक्ष्मणगढ़ की 31 केस फायल थाने पर न मिलने बाबत रिपोर्ट की, उक्त फाइलें श्री शोकतअली द्वारा अब तक न सम्भलायी गयी। थाने की अलमारी का ताला तोड़ देख लिया एक भी फाइल नहीं मिली। गत दो माह से केस वर्क इस कारण ठप्प हो चुका है। कोर्ट से वा जमानत मुलजिम कौन-कौन हैं कब उनके इस्तगासा आदि थे, का ज्ञान न होने से उनके रद्दोबदल होने की सम्भावना हो गयी। इस सम्बन्ध में आपके पास मेरे कार्यालय की उन केसेज की केस फाइलें भेजी जा रही हैं जिससे केसेज का निस्तारण करें। ये आदेश एस. पी. साहब महोदय

(घनश्याम तिवाड़ी)

के हैं, शीघ्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट भेजें।''

यह लिखा है। सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ की केस फाइलें थानेदार लेकर गायब हो गया शौकतअली और उसके बाद में लिखा है कि इस थानेदार ने तीन चोरी के मुकदमों में सोने चांदी के गहने और रुपयों को बरामद किया था वह सोना चांदी के गहने और रुपये लेकर भी थानेदार भाग गया। 31 फाइलें लेकर भाग गया।

''इसलिए मुकदमा नं० 22/85 में मुलजिमान भंवरलाल एवं परसराम गिरफ्तार किए गए उनसे जेवर सोना चांदी भी बरामद हुआ। दोनों मुलजिमों की जमानत कोर्ट से है, परन्तु इसमें सिर्फ एफ.आई.आर. व नक्शा मौका की डायरी एक ही हैं, मुलजिमान गिरफ्तार किये, माल कब बरामद किया, की फर्द नहीं है।''

सारा सामान थानेदार लेकर भाग गया। सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ का थानेदार था शौकतअली। उस शौकतअली ने लोक दल के कार्यकर्त्ताओं पर थाने में गोलियां चलाई। एक प्रधान उसमें था हमारा, वह उसकी गोली से मरते मरते बचा। हमने रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद में वहां से डी.एस.पी. सीकर गया। उसने थानेदार को पकड़ा, उसके बाद थानेदार 31 केस की फाइलें लेकर चला गया, सोने चांदी के गहने लेकर चला गया। विधान सभा में प्रश्न उठा। तीन महीने से लक्ष्मणगढ़ में थाने का काम ठप्प है। कोई चालान पेश नहीं हो रहा है थानेदार नहीं मिल रहा है, सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। और यह कहते हुए मुझे और भी दुख होता है, सभापति महोदय, कि लोक सभा के अध्यक्ष, सीकर के सांसद बलरामजी जाखड़ ने माननीय मुख्य मंत्री को इस थानेदार को बहाल करने के लिए पत्र लिखा है। यह सरकार के काम करने का तरीका है। सीकर में एक रिकार्ड कायम हो गया, माननीय सभापति महोदय, बलरामजी जाखड़ के कलेक्ट्री के अन्दर एक हजार कागज सीकर में इस प्रकार के आ चुके हैं कि इसका ट्रांसफर कर दो, इस डी.एस.पी. को हटा दो। आपको सुन कर और भी ताज्जुब होगा कि विधान सभा के चुनाव में दंगा हुआ कोई लड़ाई हुई छोटी सी। उस छोटी सी लड़ाई में मेरे खुद के भाई के ऊपर चोट लगी। पुलिस ने स्वयं की मर्जी से मुकदमा दर्ज किया। चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है सीकर कोतवाली के अन्दर। मेरे भाई के आठ टांके लगे थे। केस रजिस्टर किया गया था। हमने उस समय लड़ाई नहीं की क्योंकि चुनाव हो रहे थे। चार मुल्जिमों पर कोतवली सीकर और डी. एस. पी. नीमकाथाना ने स्वयं ने रिपोर्ट कराई, केस दर्ज कराया, आज तक चालान नहीं हुआ है। कारण, बलरामजी जाखड़ का फोन आ गया। सीकर जिले में तो कोई नाम ही नहीं है कानून और व्यवस्था का। वहां तो जिस प्रकार का फोन आता है उस प्रकार का काम आज लक्ष्मणगढ़ थाने में किया जा रहा है।

दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं नीम का थाना के थानेदार का। नीम का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

थाना के थानेदार के ऊपर 17 केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। बार कौंसिल नीम का थाना ने प्रस्ताव पास करके भेजा है। नीम का थाना के ज्यूडिशियल कोर्ट के बाबूओं ने प्रस्ताव पास करके भेजा है। विधान सभा के माननीय सदस्य फूलचन्द जी गूर्जर बोले हैं। उसके बाद डी. सी. साहब ने ट्रांसफर कर दिया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि विष्णुजी मोदी आए और मुख्य मन्त्रीजी से लिखा कर ले गए और उसका ट्रान्सफर कैंसिल हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह गैर जिम्मेदाराना मन्त्रि मण्डल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्रि मण्डल का काम करने का तरीका गैर जिम्मेदाराना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में यहां पर बहस नहीं हुई। खास तौर पर नागरिक आपूर्ति के बारे में बहस नहीं हुई। मैं आपको खास तौर पर नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। कीमतें बढ़ रही हैं उन पर नियंत्रण है नहीं। लोकसभा के चुनाव के पहले जो भाव थे और आज जो भाव हैं, आज उपभोक्ता लुट रहा है। माननीय सभापति महोदय, 30 से 40 परसेंट तक दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के भाव बढ़ गए हैं। चीनी आज 8/- रु. किलो हमको मिल रही है। दाल चने की हो, सरसों का तेल हो, केरोसिन हो, डीजल हो, कोई भी इस प्रकार की चीज नहीं है, एक बीड़ी का बण्डल भी जो आम मजदूर, गरीब आदमी पीता है, 70 पैसे में मिलता था आज एक रुपये में मिल रहा है। इस प्रकार की हालत है। 8) रु. किलो में चीनी तो हमें जयपुर में, सीकर में मिल रही है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर दस रुपये किलो तक चीनी बिक रही है। गांवों के अन्दर चीनी की दुकानों पर राशन की सप्लाई छः छः महीने से नहीं हो रही है। मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता हूं एक एक गांव के नाम कि सरकार किस प्रकार से आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था कर रही है। कितना कोटा चीनी का मिलता है उपभोक्ता संघ को वह उपभोक्ता संघ नहीं उठा सका। जितना पाम ऑयल मिला, पाम ऑयल नहीं उठा सका। जितना कोयला मिला उतना कोयला नहीं उठा सका और अस्त व्यस्त हो गई सप्लाई की व्यवस्था। आज राजस्थान में नागरिक और आपूर्ति मंत्रालय के नाम का कोई मंत्रालय नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही काम है कि किस प्रकार से चोरी की जाय। इस चोरी के दो नमूने मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक तो बासमती चावल और एक मोठ।

माननीय सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 19 3-84 में बासमती चावल पर लेवी की छूट दी थी। भारत सरकार ने कि चावल बहुत कम पैदा होता है और राजस्थान में भी कुछ जिलों में गंगानगर में, कोटा में इधर बासमती चावल पैदा होने लग गया है इसलिए बासमती चावल पर लेवी की छूट दी गई। लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा, माननीय सभापति महोदय, कि बीस हजार टन चावल की छूट यह कह कर दी गई मोटे चावल की कि यह चावल बासमती है। नियम यह था

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि थोक विक्रेता और मिल जो किसान से जिस भाव में चावल खरीदते हैं उसी भाव में उनको आधा चावल लेवी का देना पड़ता है। 117/- रु. के भाव में खरीद की थी और बाजार में दो सौ, तीन सौ का भाव था। इस प्रकार से बासमती चावल पर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स ने और अन्य अफसरों ने और राजस्थान के मन्त्रि मण्डल में बैठे हुए लोगों ने मिल कर बीस हजार टन की लूट कराई। उस पर करोड़ों रुपयों का, कम से कम 15 करोड़ रुपयों का घाटा फूड कारपोरेशन आफ इंडिया को लगा भारत सरकार को लगा और राजस्थान सरकार पर लगा और मोटे चावल को बासमती चावल कह कर लूट जारी रही। उसके बाद क्या हुआ, सभापति महोदय, उसके बाद दिसम्बर, 84 में केन्द्रीय सरकार ने फिर एक आदेश के जरिये कहा कि बासमती चावल पर अब लेवी की छूट समाप्त कर दी गई है। लेवी की छूट समाप्त कर दी लेकिन अप्रैल के महीने में केन्द्रीय सरकार का आदेश आ गया, राजस्थान सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। राजस्थान सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। केन्द्रीय सरकार का आदेश यहां सचिवालय की फाईलों में पड़ा रहा। सचिवालय की फाईल से निकलकर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? और बासमती पर लेवी की छूट के माफ होने के पश्चात, सारे हिन्दुस्तान में लेवी की छूट समाप्त होने के पश्चात राजस्थान में बासमती चावल के नाम पर लेवी की छूट जारी रही। इस साल भी 15 हजार, 20 हजार टन चावल को इस प्रकार की छूट दी गई है।

इस कारण 15-20 करोड़ का नुकसान हुआ सभापति महोदय, यह राजस्थान के खाद्य विभाग की स्थिति है।

दूसरा उदाहरण मैं आपको मोठ का देना चाहता हूं। आपको सुन कर के बहुत ताज्जुब होगा, मोठ कैटल फीड में शामिल नहीं है, पशु आहार में मोठ शामिल नहीं है, पशु आहार की परिभाषा में मोठ शामिल नहीं है। नोखा, बीकानेर में मोठ पैदा होता है। मैं आपको और भी जानकारी दे दूं, मोठ को अधिकांशतः किसी भी जानवर को खिलाया नहीं जाता है। मोठ की जो चूरी होती है, मोठ का जो वो होता है वह सिर्फ ऊंट के खाने के काम आता है और बाकी किसी जानवर अथवा दुधारू पशु को नहीं दिया जाता है। राजस्थान सरकार मोठ की निकासी पर हर साल प्रतिबन्ध लगाती रही है। पिछली बार भी प्रतिबन्ध लगाया गया था। प्रतिबन्ध लगाने के बाद, आपको सुन कर ताज्जुब होगा एक लाख बोरी मोठ के परमिट काटे गये। एक बोरी पर दस रुपये के हिसाब से यहां सप्लाई विभाग ने कमाये। इस साल फिर मोठ की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाया गया। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था। प्रतिबन्ध लगाया गया, प्रतिबन्ध लगाने के बाद फिर 7000 टन के परमिट इस समय तक जारी हो चुके हैं। आप जयपुर की अनाज मण्डी में चले जाइये, एक दलाल बैठा है, एक बोरी का आठ रुपया है, जितना चाहें उतना परमिट ले लीजिये। मैं नहीं कह सकता वह आठ रुपया ले जाकर मन्त्री महोदय को देता है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

या कमिश्नर साहब को देता है या डिप्टी सेक्रेटरी को देता है। मैं नहीं कहता लेकिन मैं कहता हूं यहां पर दलाल है। मोठ की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद में जितना मोठ उसके पहले लदान नहीं होता था उतना मोठ का लदान होकर यहां से बंबई के लिये भेजा गया। यह पूछा जाता है, काम करने का क्या तरीका है सरकार का क्या काम करने का तरीका है? चावल का इनके पास जवाब नहीं है। मैं सरकार से स्पष्टीकरण नहीं चाहूंगा क्योंकि सरकार जवाब नहीं देती है। माननीय मुख्य मन्त्री जी आयेंगे तो जनरल बात कहेंगे, मुझे भी पता है आपको भी पता है। कुछ कमी है मिल जुल कर काम करेंगे। मिल जुल कर काम नहीं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

मिल जुल कर खाने की बात किसके साथ? हम तो उम्र में थोड़े छोटे हैं इसलिये हमारे साथ तो बैठते नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर। माननीय सदस्य, बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, यह दो उदाहरण मैंने खाद्य और आपूर्ति मन्त्रालय के दिये हैं। बासमती चावल और मोठ के ऊपर पूरी की पूरी लूट खाद्य विभाग ने राजस्थान में की है। इसका मन्त्री महोदय जवाब दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं चिकित्सा और स्वास्थ्य पर। सभापति महोदय, सौभाग्य से इस विभाग के जो मन्त्री हैं वह हमारे सीकर जिले के हैं—रामदेवसिंह जी मेहरिया।

श्री सी. पी. जोशी : सीकर के नेताओं से दुखी हों आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन इस पूरे सत्र में वह यहां पर मन्त्रिमण्डल की ओर से जवाब के लिये नहीं आये, शायद अस्वस्थ हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शायद क्या, हैं ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अस्वस्थ हैं, आये नहीं। इसकी मुझे गिला नहीं है।

श्री सभापति : आप जानते हैं वह अस्वस्थ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो छोगाराम जी बकोलिया साहब हैं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य जानते हैं, वह अस्वस्थ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : छोगाराम जी बकोलिया बड़ी मुस्तैदी से उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं।

श्री मुक्ति लाल मोदी : काय के अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ नहीं हैं। × × × यह मालूम है × × ×, क्यों... करता है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य । कृपया बोलें । आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं, दो तारीख से विधान सभा का अपना सत्र शुरू हुआ है, वह बम्बई इलाज कराने के लिये गये हुए थे। वहां स्वास्थ्य लाभ करने के लिये, इलाज कराने के लिये गये । 28 और 29 तारीख को चार सौ लोगों के स्थानान्तरण उनके नाम से इस विभाग ने किये । दो तारीख को आये हैं बम्बई से । न तो, हवाई जहाज में फाइलें गयीं, न उनकी डिजायरें आयी ।

एक माननीय सदस्य : आप साथ थे हवाई जहाज में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां मैं साथ था । इसलिये कह रहा हूं कि कौन कौन साथ थे अभी बता देता हूं मैं ।

न डिजायर गयी । 400 ट्रान्सफर जिसमें 25 दाइयों के, कम्पाउण्डर्स के, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के, बसों और जीपों के ड्राइवर्स के हुए । मैं दावे के साथ यहां पर कहने के लिये तैयार हूं, डिप्टी सेक्रेटरी अग्रवाल, और डायरेक्टर और कुछ दो चार आदेश, पांच आदेश छीगाराम जी बकोलिया ने इन लोगों ने मिल कर, दाइयों के, जिले के बाहर ट्रांसफर किये, कम्पाउण्डर्स के जिले के बाहर ट्रांसफर किये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आदेश निकाले और 400 इस प्रकार के राज्यादेश 28 और 29 तारीख को रामदेव सिंहजी की डिजायर के नाम से निकाले । मैंने रामदेव सिंह जी से बात की, वह कहते हैं, न तो मैंने किये और न मैं यहां पर था । मैं पूछना चाहता हूं यह 400 आदेश किसने निकाले ? यह तरीका है सरकार के काम करने का—गैर जिम्मेदाराना । कौन जवाब देगा इस बात का ? सण्डे के दिन, रविवार के दिन यह सारे ट्रान्सफर आदेश निकाले ।

इसी प्रकार मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, मेडिकल एण्ड हैल्थ का । हर साल, सभापति महोदय, अपने, जो दवाइयां होती हैं, करीब सात करोड़ रुपये की दवाइयां अस्पतालों के लिए खरीदी जाती हैं ।

श्री बिहारीलाल पारीक : बकोलियाजी ने किये क्या ट्रान्सफर ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या, जरा जोर से बोलिये ?

श्री बिहारीलाल पारीक : ये ट्रान्सफर बकोलिया जी ने किये या आपने किए ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं आप चिन्ता मत करो, शिवचरण जी का राज तो है नहीं, आप पर अब कोई वारन्ट नहीं है, आप आराम से बोलो । वारन्ट का जमाना चला गया, जगह भी आपने बदल ली । क्यों कहलवाना चाहते हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन भी बदल लिया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन भी बदल लिया ।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अस्पतालों के लिए माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, सात करोड़ रुपये की दवाइयां प्रतिवर्ष खरीदी जाती हैं। दो साल से हर बार टेण्डर होता है, कैटलाग्स बनते हैं। उसके बाद कार्यवाही की जाती है। इस बार भी 600 दवा बनाने वाली कम्पनियों ने अपनी-अपनी तरफ से दवा बनाने के लिए टेण्डर दिये, कोटेशन दिए। उसकी एक कमेटी बन गई। कमेटी ने जांच की। जांच करके 325 दवाइयों का उसमें सलेक्शन किया कि इन दवाइयों को अस्पतालों में खरीदने की छूट दी जानी चाहिये। 325 की छूट दी गई। कमेटी की रिपोर्ट डायरेक्टर साहब के पास आ गई। डाइरेक्टर साहब ने उसमें काट-छांट करना शुरू किया अपने आप और उनको घटा कर 225 कर दी। 225 करके 30.5.85 को डिस्पेच कर दिया। डिस्पेच नम्बर एफ/259409, दिनांक 30.5.85 और 30.5.85 को इन दो सौ पच्चीस दवाइयों के उन्होंने डिस्पेच आर्डर कर दिये। डिस्पेच आर्डर कमेटी ने कर दिये। डिस्पेच करने के बाद कागज को, निदेशकजी की अलमारी में रखे रहे। उसके बाद 14.6.85 को उस पर एक मोहर लगाई गई कि 30 को नहीं हो रहा है 14.6.85 को होगा। उसके बाद उसमें भी नहीं किया गया। अन्त में 2.7.85 को यह जारी किया गया और इस लिस्ट में 235 नाम थे। एक ही तरीका था। इसमें आपको सुन कर ताज्जुब होगा, जो स्टेण्डर्ड की कम्पनियाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयां बनाने वाली जो कम्पनियां हैं वे घूस देने के लिये अटैची में रुपया डालकर नहीं लाती हैं। इस कारण उनको काट दिया गया और जो इस प्रकार की कम्पनियां थीं, जिन्होंने कभी माल सप्लाई नहीं किया उनको इस कैटलाग में जोड़ दिया गया। आपको सुन कर और भी ताज्जुब होगा, मुख्य रूप से गांवों में दवाइयां बेचने के लिए एनालजिन और ए.पी.सी. और कोई कैप्सूल ये 225 में केवल सात आइटम थे बाकी सब आइटम इन्जेक्ट करने के थे जो गांव तक पहुंचे ही नहीं हैं। इस प्रकार जो इतना बड़ा घपला किया गया, तीन बार लिस्ट बनाई गई और फिर दस दिन बाद दुबारा एक सप्लीमेन्टरी लिस्ट जारी की गई जिसके लिए न तो कमेटी से पूछा गया, न और किसी को पूछा गया और 14 दवाइयों की लिस्ट जारी कर दी गई। जो बहुत लम्बा मामला है। मैं—

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त में कह दें लम्बा है तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनिये, विनियोग विधेयक पर बहस हो रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं, यह बहुत लम्बा मामला है, इसके सारे डाकूमेंट्स आप चाहें तो मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं। 30 तारीख की लिस्ट भी रख सकता हूं, दो तारीख की लिस्ट भी रख सकता हूं और 14 तारीख की लिस्ट भी रख सकता हूं और कमेटी ने जिन दवाइयों को जारी किया था उनकी लिस्ट भी रख सकता हूं। यह लिस्ट ऐसी है जिस पर डायरेक्टर के और उन सब व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, फोटो स्टेट कापी उनके हस्ताक्षरों सहित मेरे पास हैं। संक्षेप में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सात करोड़ रुपये की दवाइयां जो दो-तीन सालों में खरीदी जायेगी, जीवन रक्षक औषधियां जो सस्ते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मूल्य पर गांवों में पहुंचाई जा सकती हैं उनको लिस्ट में से काट दिया गया और जिन्होंने जितना धन वहां तक पहुंचाया उनको जारी कर दिया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, इसमें पैसा क्यों खाया गया? आम आदमी के साथ अन्याय किया गया। यह स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के चलने का तरीका है। यह बात न तो मुख्य मन्त्री जी के ध्यान में है, यह बात न मन्त्री जी के ध्यान में आयी। अगर आयी तो उन्होंने किया क्या? राजस्थान की जनता को लूटने का ठेका उन अफसरों को दे रखा है? डायरेक्टर की मर्जी आयेगी, उसकी दवाईयों को जारी करेगा, डायरेक्टर की मर्जी आयेगी उसकी दवाइयों को काटेगा। क्या ठेका है इस बात का? माननीय सभापति महोदय, सिर्फ पांच टेबलेट्स और दो केप्सूल बाकी सब इन्जेक्शन और सिरप, जो किसी काम के नहीं हैं। इस प्रकार का काम स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय में चल रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा की यहां पर चर्चा नहीं हुई। हमारे मन्त्री महोदय, इलाज कराने के लिए अमरीका जा रहे हैं। मेरी शुभकामना है।

एक माननीय सदस्य : गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गये, जा रहे हैं या गये या चले जायेंगे।

श्री सभापति : अब जायेंगे यहां से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी शुभकामना है कि वह जल्दी ठीक होकर आयें। लेकिन उन्होंने शिक्षा मन्त्रालय का जैसा भट्टा बैठाया है वैसा भट्टा मैंने आज तक किसी को बैठाते नहीं देखा। एक उदाहरण मेरे सीकर का देना चाहता हूं। हमारे यहां सीकर में दातारामगढ़ तहसील में खाचरियाबास गांव है। उस खाचरियावास गांव के अन्दर एक स्कूल की बिल्डिंग ऐसी है जो तीन साल से बन कर तैयार खड़ी है। उसमें फर्नीचर है, सारा काम है। वह एप्लीकेशन लिए-लिए रोज मन्त्री महोदय के पास फिरते हैं कि आपने कहा था बिल्डिंग बना दो, हमने बिल्डिंग बना दी अब आप स्कूल को इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। एक बार गए तो मन्त्री महोदय ने कहा किसका ट्रांसफर करना है मेरे पी. ए. से बात कर लो, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर का मामला नहीं है, स्कूल के ट्रांसफर का मामला है, उन्होंने देखा मास्टर के ट्रांसफर का मामला है। तीन साल से सरकार इस स्कूल को अधिग्रहित करके अपने पास नहीं ले पा रही है और दुर्भाग्य यह रहा सभापति महोदय, उस दिन मैं भी उनके पास चला गया। मन्त्री महोदय अस्पताल में थे और वहां 200-300 आदमियों की भीड़ लगी थी उनका पी. ए. बाहर खड़ा था मैं भी खड़ा था। मैं भी कभी आपकी तरह पेंट, बुश शर्ट पहन लेता हूं, उस समय कोई नहीं जानता कि एम. एल. ए. हैं या कौन हैं या मास्टर है, ट्रांसफर कराने आया होगा या कोई लेक्चरार होगा बेचारा जिसको सीकर से बांसवाड़ा भेज दिया होगा। तो वहां पर गया, उस पी. ए. के लोग कपड़े फाड़ रहे थे कि कल 500 लिए, कल 700 लिए कल हजार लिए ट्रांसफर के, वह आज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तक नहीं हुआ, यह मेरी आंखों देखी हुई बात है। इस प्रकार हो रहा है शिक्षा विभाग में और आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि शिक्षा विभाग में 20-22 हजार ट्रांसफर हुए हैं, कई लोगों के ट्रान्सफर किए होंगे लेकिन माननीय उपाध्यायजी ने जितने ट्रान्सफर किए, किसी ने नहीं किए, बिना हस्ताक्षरों के जिसका नाम दिया समेकित बिल पर बोल रहा हूं समेकित बिल पर जिसकी सांकेतिक सूची इन्स्पेक्टर आफ स्कूल को, डिप्टी इन्स्पेक्टर को और डायरेक्टर को सांकेतिक सूची भेजी है कि मैं सांकेतिक सूची भेज रहा हूं जिसमें एक बिन्दु और बीच में टिमकी लगी हो वह सूची पहुंच जाय उसका जिले के बाहर ट्रान्सफर और जिसमें केवल एक लाल टिमकी लगी हुई हो तो उसको जिले के अन्दर घर के पास रखना, इस प्रकार लाल और हरे की ऐसी लिस्ट बना कर इन्स्पेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पास भेजी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डायरेक्टर. एजूकेशन का कि उनके पास भी एक····

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय कह रहे हैं आप ट्रान्सफर स्पेशलिस्ट हो गए क्या।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कई चीजों का स्पेशलिस्ट हूं,

(व्यवधान)

करप्शन के जितने भी मामले हों किसी भी समय के हों वह अगर मेरे पास आ जायं तो बहुत बढ़िया ढंग से इन्वेस्टिगेशन करता हूं। चाहे स्थानान्तरण के मामले हों चाहे और किसी भी प्रकार के हों। आपने जवाब दिया था एक्स-रे सेंटर का, आपके पास कोई रेकार्ड नहीं है लेकिन आपको भी कोई पूछे कि ज्यादा खाने से किसी के बीमारी हो गई हो तो उसकी बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा कहां होगी तो आप निस्संकोच मेरा नाम बता सकते हैं और मन्त्री महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको भी अगर इस प्रकार की आफत हो जाय और आपको भी इस बात की चिन्ता करनी पड़े तो बिना मूल्य के आपकी भी सेवा करने के लिए तैयार हूं! ऐसे मामलों के लिए मैं एक्सपर्ट हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय कि यह जो ट्रान्सफर किए हैं इस ट्रान्सफर्स की लिस्ट को डायरेक्टर ने वापिस भेज दी। अब वह ट्रान्सफर जगह-जगह किए जा रहे हैं चपरासियों के, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के जिन पर शिक्षा नीति में तय किया था कि इस प्रकार के स्थानान्तरण नहीं होंगे इस प्रकार के स्थानान्तरण हुए हैं और वे स्थानान्तरण 8 तारीख को, 7 तारीख को, 6 तारीख को 10 तारीख को, 12 तारीख को हास्पिटल से निकल-निकल कर शिक्षा विभाग में आए हैं, शिक्षा विभाग के कागजात सीज किए जायें सब के सब 29 तारीख से लेकर 8 तारीख तक शिक्षा विभाग के डिस्पेच रजिस्टर में सेक्रेटरी के यहां पर ट्रान्सफरों की लिस्ट के अलावा एक भी कागज डिस्पेच नहीं हुआ तो या तो विभाग काम नहीं कर रहा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था और विभाग काम कर रहा था तो क्या ट्रान्सफर का काम कर रहा था यह सारी इंटेंसिव केयर ली। इसमें उन्होंने सारे इंटेंसिव काम किये तहसील लेवल तक इंटेंसिव खोज की, पिक एण्ड चूज, उसको चुनी और बाहर भेजी, इस बारे में शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ा आघात किया है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजूकेशन, राजस्थान ने परीक्षा के परिणाम निकाले हैं। वे 36% और 30% हैं, 36% और 30% के बीच में रहे हैं, 36% निकाल रहे हैं और लाखों विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं फिर बोर्ड ने इस बार पाठ्यक्रम बदल दिया और पाठ्यक्रम बदलने के कारण अलग-अलग पेपर छापे गए। स्थिति यह है कि 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो इस साल फेल होंगे, राजस्थान में किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सरकार का इससे बड़ा निकम्मापन और क्या होगा सरकार स्कूल नहीं खोल रही है, सरकार ने परेशान कर रखा है लेकिन मैं कहना चाहता हू कि आपने सब्जेक्ट बदले हैं और आपने पाठ्यक्रम बदला है, जो भी काम आप कर रहे हो और उसमें जो फेल हुए हैं विद्यार्थी उनको परीक्षा दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है और उनकी परीक्षा कौन दिलाएगा, सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें, अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 5-4 मिनट में अपने क्षेत्र के बारे में बोल कर समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर के बारे में, सीकर, नीम का थाना और वहां के एस. एच. ओ. के बारे में निवेदन किया था, मैं वहां के पुलिस अधीक्षक के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा और बड़े दुःख के साथ और विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि सीकर के पुलिस अधीक्षक ने जिस प्रकार का कार्य किया है वह कार्य हमारी प्रशासनिक सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार से सराहनीय नहीं है। सीकर में जब अलवर से और इधर-उधर से जो भागकर आए थे, भगोड़े सिक्ख उग्रवादी, सैनिक पलसाना के गांव के पास तो गांव के नागरिकों ने और पुलिस कर्मियों ने आगे पत्थर डाल कर, ढोल डाल कर, गोलियां चला कर उनको एक को तो मारा टायर फोड़े और उनको गिरफ्तार किया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री पदम जी शर्मा, वे रींगस में जब उनके पास वायरलैस गया कि भगोड़े इधर आ रहे हैं तो वह मण्डा रोड की तरफ गश्त करने के लिए चले गए और वह आगे निकल गए। भगोड़े एक ट्रक के अन्दर थे, उन्होंने वायरलैस किया कि मैंने गोलियां चलाई मण्डा रोड पर और मेरे पास 4 गोलियां थी गोलियां उसके लग गईं अब वो भाग कर आ रहे हैं उनका घेराव करो। वहां एक चौधरियों का लड़का था जो मिलिट्री से आया हुआ था उसने सारी बात सुनी और गांव वाले इकट्ठे हो गये सीकर के कोतवाल और डी. एस. पी. और पुलिस फोर्स वह सारी पलसाना में आ करके कोरडन करके उनका घेराव, मोर्चा लिया। जब वे अधिकारी वहां पर आए तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर्मचारियों ने व गांव वालों ने मिल कर गोलियां चलाई और आर. ए. सी. के जवानों ने गोलियां चलाई, उनको मारा और उनके टायर फोड़े और उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद गांव वालों ने 6 मील तक पैदल दौड़कर उनका पीछा करके चार आदमियों को पकड़ा, पकड़कर बांधा और ला करके संभलाया, उसके बाद में पदमजी शर्मा मौके पर आए, फिर उसके बाद वीरता पदक पुरस्कार के लिए भारत सरकार के सैनिक मंत्रालय ने मांगा उसमें उनका नाम नहीं गया लेकिन मुझे सुन कर दुख होता है कि उन्होंने अपना नाम अपनी रिपोर्ट में खुद सारी रिपोर्ट काट कर अपना नाम लिखा और उनके साथ डी. एस. पी. थे मौके पर उसको आपने एवीडेंस के लिए भेजा तो इन्होंने जवाब लिख कर भेजा कि इस समय डी. एस. पी यहां पर नहीं है उसका ट्रांसफर हो गया है इसलिए मैं खुद आ रहा हूं, खुद चले गये वहां पर और जाकर उन्होंने सभापति महोदय, मिनिस्ट्री के अधिकारियों से गलत प्रतिवेदन किया और गलत ढंग से वीरता का पदक प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में अखबारों में कैसे छपे तो उन्होंने आजाद संदेश नाम के अखबार में, अजमेर में उसको छपाया और छपाया किस कीमत पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर से और सीकर के दूकानदारों से 10 हजार के विज्ञापन आपने धमकी से उनको डरा कर विज्ञापन दिलाए और अपनी फोटू छपाई इस तरह से फर्जी वीरता का प्रमाण पत्र लेने का उन्होंने आधार तैयार किया। यही नहीं, मैं और डाकूमेंट पेश करता हूं। बार-बार हर शनिवार और इतवार को लिखा है कि मैं जयपुर जा रहा हूं 43 बार जयपुर आने का लिखा, रींगस के डाक बंगले में ठहरने का लिखा और टी. ए. डी. ए. के 6 हजार प्राप्त किए उन्होंने। आपको सुन कर ताज्जुब होगा मेरे पास रींगस के डाक बंगले के रजिस्टर की फोटो स्टेट कापी है वे वहां पर सिर्फ 10–11 बार रुके और 30 बार का उन्होंने झूठा रिकार्ड दर्ज करके पेश किया और फर्जी बिल उठाए। फर्जी पुरस्कार प्राप्त किया। जयपुर में वे अपना मकान बनाने के लिए आते थे। थानेदार, अजवानी को और शौकत अली को जिनके मामले में आपने लिखा भी है। इसके अलावा एक और काम किया उन्होंने सीकर में पुलिस कर्मियों के लिए एक कुआ बनाया गया पुलिस लाइन में। 20 हजार पुलिस कल्याण कोष से उसमें दिए गये उसमें पुरानी मोटर लगी हुई थी, पुरानी मोटर को निकाल कर 8 हजार में बेच दी, नई मोटर लाये वह रुपये खुद खा गये आपने नई मोटर लगाई और मोटर को लगा कर उस पर अपना एक नाम छपाया। इस कुए का शिलान्यास पदमजी शर्मा पुलिस अधीक्षक, सीकर ने किया। पुलिस कल्याण कोष से रुपये खा गये, पी. डब्लू. डी से जांच की गई, पी. डब्लू. डी. ने कहा कि इसमें चार हजार रुपये कम खर्च हुए। पुराने कुओं की मरम्मत कराई, पहले की मोटर बेच दी और इससे भी बुरा काम एक और है। आज अगर किसी में, सरकार में दम हो, आज जाकर देख लें, सीकर के पुलिस, एस. पी. पानी का कनेक्शन जब से गये हैं कटा हुआ है, सरकारी रिकार्ड में। परन्तु उन्होंने फर्जी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कनेक्शन ले रखा है और बिना पैसे दिए हमारा पानी पी रहे हैं, बहुत बड़ा बाग लगा रखा है और उन्होंने साजिश करके पीछे पुलिस लाइन के पीछे तारबन्दी भी बना रखी है।

श्री अशोपर्तसिंह : किसको सुना रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं सुना रहा हूं इस पवित्र सदन को। यह सदन जो राजस्थान की तीन करोड़ और 43 लाख या 45 लाख जनता का प्रतिनिधि है। उस सदन को सुना रहा हूं। यह तो सुनेगा—

श्री सभापति : यह नहीं। सरकार सुन रही है। आप बोलें माननीय सदस्य, थोड़ा सा संक्षेप करने की चेष्टा करें। आपके अन्य साथी, माननीय सदस्य, अन्य सदस्य भी बोलेंगे इस विषय पर। कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी खत्म करता हूं। सीकर इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक के बारे में विधान सभा में, चार बार, माननीय मन्त्रियों ने यहां पर सभापति महोदय, मुझे आश्वासन दिया। वर्ष 1983 में श्री हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर यहां पर सहकारिता मंत्री थे उन्होंने कहा था कि 15 दिन में यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, उनके बाद तीन माननीय मन्त्री और आये, तीनों ने आश्वासन दिये। एक मन्त्री के आश्वासन की सूची मेरे पास है लेकिन मुझे दुःख होता है कि आज तक वहां पर चुनाव नहीं कराये, मेम्बर्स को बढ़ाया नहीं गया। वहां पर जो प्रशासनिक मण्डल है, उसको भंग नहीं किया गया और उसकी अनियमितता की जांच नहीं की गयी। वहां पर पानी के बिल जमा कराये लोगों ने, पानी के बिल जिस तरह जमा किये हैं, बैंक में जमा करा दिए, वाटर वर्क्स में जमा नहीं कराये और लोगों का लाखों रुपया वे लेकर भाग गये। आज भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, वह पानी के पैसे वसूल कर रहा है लेकिन बैंक के इस संचालक मण्डल पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अन्त में कि सीकर जिले के साथ भेदभाव कर रहे हैं

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आज कई दिनों से बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, बिजली के मामले में छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि बिजली की 150 हार्स पावर तक मीडियम इण्डस्ट्री माना जाता है और 151 हार्स पावर की इण्डस्ट्री होने के बाद में उच्च इण्डस्ट्रीज की परिभाषा में आ जाती है लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि 150 हार्स पावर की कोई इण्डस्ट्रीज है तो 1660 रुपया उसके मिनिमम चार्ज के लेते हैं और 151 हार्स पावर होते ही 9661 रुपये मिनिमम चार्ज के लेते हैं

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय भाटीजी चले गये उन्होंने कहा कि सरकार की काम करने के प्रति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिस प्रकार की नाराजगी है सारे सत्र में सभापति महोदय, कुछ बातें हैं, जो यहां सदन में नहीं आयी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भरतपुर के अन्दर आपका एक तेल शोधक कारखाना लगने वाला था वह तेल शोधक कारखाना मथुरा चला गया। उस समय आश्वासन दिया था कि इस कारखाने के आधार पर जो लघु उद्योग लगेंगे करीब 400 वे धोलपुर और भरतपुर में लगेंगे, उस रिफाइनरी के पास लगने वाले उन 400 लघु उद्योगों का क्या हुआ? उनके नाम से लाइसेंस मिले हैं। सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं इसका साथ ही पूछना चाहता हूं। यह जो खाद के कारखाने थे, राक-फास्फेट और पाइराइट। इन खाद के कारखानों की छठी पंचवर्षीय योजना में बार-बार सदन में चर्चा हुई, इस साल भी सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में उनको पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इस बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए मै कहता हूं कि सरकार का काम करने का जो तरीका है वह इस प्रकार का है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं""

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि सीकर और झुंझुनूं जिले के बहुत बड़ी संख्या में लोग सेना के अन्दर हैं। सेना में रह कर, मर कर वीरता के काम किये हैं, सबसे अधिक जवान भारत की सेना में हैं, तो सीकर, झुंझुनूं जिले के है। इसलिए मैं पूछता हूं कि डिफेंस इण्डस्ट्री, डिफेंस में चलने वाले कारखाने कानपुर में लग सकते हैं और शहरों में लग सकते, अन्य शहरों में लग सकते हैं। आज तक एक भी डिफेंस का कारखाना राजस्थान में क्यों नहीं लगा? मैं मांग करता हूं कि सीकर जिले के लोग सेना में अगर इस प्रकार मरते हैं, डिफेंस का कारखाना सीकर, झुंझुनूं जिले में लगाया जाय और सेना से रिटायर होकर आने वाले लोग हैं उनको इन कारखानों में नौकरी दी जाये। एक बात अन्त में और कहना चाहूंगा केमिकल इण्डस्ट्रीज राजस्थान में लग सकती है, इलेक्ट्रिकल उद्योग भी लग सकते हैं, राजस्थान में ऐसे कारखाने लग रहे हैं जिनके लिए विपणन की व्यवस्था नहीं है लेकिन ऐसे कारखाने जिनका विपणन केन्द्र सरकार के पास है, साधन है, व्यवस्था है। लेकिन आज यहां पर इस प्रकार के कारखाने नहीं लग रहे हैं, न डिफेंस के लग रहे हैं, न इलेक्ट्रिकल सामान के लग रहे हैं और न गैस प्लान्ट के लग रहे हैं और न जो मथुरा के अन्दर रिफाइनरी लगी है, वह यहां पर लगी है। राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, एक बात अन्त में कहता हूं कि युवा वर्ष, यह युवा वर्ष 85 का है, इस युवा वर्ष में राजस्थान की सरकार ने इन युवकों के लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं किये। मैंने पूछा था कि साहब आप इस प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उन्होंने जवाब दिया विवेकानन्द जयन्ती मना रहे हैं। मनाइये, स्वामीजी ने बहुत कुछ काम किये थे, हमें स्वाभिमान इस बात पर है। लेकिन यह कहना चाहता हूं राजस्थान में पिछले 5 वर्ष में सिर्फ 18 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। आज राजस्थान के नियोजन कार्यालय में पांच लाख 68 हजार बेरोजगार युवक पंजीबद्ध हैं। पिछले पांच वर्षों में सिर्फ 18 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। मैं सरकार से चाहूंगा कि युवक वर्ष के अन्दर युवकों के लिए युवक कल्याण कोष कायम किया जाये, उनके रोजगार के साधन ढूंढे जाय और उनके लिए प्रबन्ध किया जाये। अन्त में सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि चार साल का हमारा जो पीरियड है, वह एक प्रकार से नाकारा पीरियड है, यथा स्थिति वादी सरकार है, विकास की सरकार नहीं है, नाकारा सरकार है। सरकार का काम करने का तरीका भेदभाव पूर्ण, राजनीतिक द्वेष से भरपूर और अपराधों को, भ्रष्टाचारों को संरक्षण देने वाली है। इस सरकार के राज में अगर विनियोग विधेयक पास करने दिया तो यह उसी प्रकार के काम होंगे। मैं इतना ही कहता हूं मुख्य मन्त्री जी से।

श्री छोगाराम बकोलिया : ये चार्जेज आपके निराधार हैं।

श्री सभापति : कृपया सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मन्त्री जी नहीं, इनको अगर यह कहा जाय कि राजस्थान का पैसा खर्च करने का काम ट्रेजरी के बाबू को देते हैं जो तनख्वाह के बिल पास करेगा, तनख्वाह के बिल चुकायेगा। जोशी जी राजस्थान के मुख्य मन्त्री न होकर ट्रेजरी के बाबू हैं, जो न स्कूल खोलेंगे, न औषधालय खोलेंगे, केवल कर्मचारियों को तनख्वाह बांटेंगे इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर अपनी बात प्रारम्भ करने से पूर्व....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज आर्डर। कृपया बोलें माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मुझे सबसे पहले यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस सरकार को एक ऐसा अवसर मिला जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बन रहा था और पब्लिक का मेन्डेट मिला कि राजस्थान का भविष्य कांग्रेस पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, यह पब्लिक का मेन्डेट था और माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब माननीय मुख्य

(श्री सी. पी. जोशी)

मन्त्रीजी को यह अवसर मिला कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को आधार बना कर राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिला। शायद 35 साल में किसी भी मुख्य मन्त्री को यह पहला अवसर था जिसमें पब्लिक का मेन्डेट थी और मेन्डेट के साथ प्लान एप्रूव करने का अवसर प्लानिंग कमीशन के पास जाकर राजस्थान की इच्छा के अनुरूप ही प्लान रखने का मिला। यह बहुत अच्छी चीज राजस्थान के मुख्य मन्त्री, माननीय हरिदेव जी जोशी को करने का अवसर मिला। उसको आधार मान कर माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य इन्टरेप्ट नहीं करें। माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें। आर्डर प्लीज। कृपया माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बात कही वह इनके समझ में नहीं आयेगी....

श्री सभापति : आप बोलेंगे तो समझ लेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : विनियोग विधेयक पर अपनी बात नीतिगत मुद्दों के आधार पर कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सातवीं पंच वर्षीय योजना को आधार मान कर राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह कल्पना की कि आने वाले पांच साल में राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम किस तरह से अपने प्लान को एग्जिबिट करना चाहते हैं। भारत सरकार की गाडगिल कमेटी, जो गाडगिल फार्मूला है उनके आधार पर 720 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई उसको आधार मान कर हम भी चाहते हैं, हमारे जो फाइनेंस के काम हैं, 430 करोड़ रुपये हमने आउट–ले के दिये हैं, इसको आधार मान कर पिछले 35 साल में क्या हुआ, और आगे क्या होने वाला है, उसको आधार मानें तो माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पालिटिकल विल से एक पालिटिकल डिटरमिनेशन से यह पहली बार प्रयास किया गया है कि 720 करोड़ रुपये का सदुपयोग हुआ इसलिए इस ईयर को....वहां पर चिकित्सा की कमी है। पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। स्कूलों में टीचर्स की कमी है, तो इन सब को पूरा करना अति आवश्यक है। बनिस्पत कि हम फरदर एक्सपेंशन करें। यदि इस चीज को आधार मानकर हम देखें तो 84–85 में 430 करोड़ रुपये का आउट–ले है। माननीय सभापति महोदय, निश्चय ही वह प्रशंसनीय आउट–ले है और उसके लिए जो पोलिटिकल विल चाहिए और जिस ढंग से काम किया है उसको आधार मानें तो मैं समझता हूं कि आने वाले चार पांच सालों में हम हमारी ग्रेविटी को और जनरेट कर पायेंगे। लेकिन यह स्पेसिफिक निर्णय लेने का भी किसी न किसी में साहस होना चाहिए। अब भाषण एक अलग चीज है, विरोध पक्ष में बैठने के लिए खाली हम यह कह दें कि यह सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है या यह सरकार विकास को अवरुद्ध करेगी। माननीय सभा-

(श्री सी. पी. जोशी)

पति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि कित्ते कित्ते स्कूल खुले हैं, यदि उनमें टीचर्स की कमी को हम आधार मानें, यदि हम उन टीचर्स की कमी को पूरा करें तो मैं समझता हूं कि 50 करोड़ रुपया हमको चाहिए। केवल मात्र जितने स्कूल खोले हैं, उनमें टीचर्स की स्ट्रेन्थ को पूरा करने के लिए, जितना हमने मेडीकल का एक्सपेन्शन किया है, उसमें जो पेरा मेडिकल स्टाफ, ए. एन. एम. और डाक्टरों की व्यवस्था करने के लिए, अगर हम व्यवस्था करें तो अगले पांच सालों में क्या व्यवस्था होगी, यदि हम इसको आधार माने। केवल मात्र भाषण देना चाहें कि स्कूल और खोलने चाहिए, डिस्पेंसरी और खोलनी चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए तो केवल इसके आधार पर और विकास नहीं हो पायेगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले 35 साल का हमारा काम इस बात का साक्षी है कि राजस्थान में आगे विकास की कल्पना करना चाहते हैं, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। हमारे नीतिगत सिद्धान्तों में परिवर्तन करना पड़ेगा। राजस्थान की जो जोगराफिकल कंडीशन है, उस जोगराफिकल कंडीशन को हम यदि आधार मानें माननीय सभापति महोदय, तो जैसलमेर का डवलपमेंट करने के लिए और मेवाड़ में उदयपुर जिले को डवलप करने के लिए यदि हम एक आधार मानें कि 250 की जनसंख्या पर स्कूल खोलेंगे और 2000 हजार की जनसंख्या पर एक जल योजना लागू करेंगे या पक्की सड़क बनायेंगे तो पूरे राजस्थान का विकास नहीं हो पायेगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है माननीय सभापति महोदय, कि यह साल हमारे लिए कन्सोलीडेटेड ईयर है। कन्सोलिडेटेड ईयर के बाद हम अपनी प्रायोरिटी को अपनी जोगराफिकल कंडीशन के आधार पर निश्चित करें। यदि जैसलमेर में सड़क बनानी है, तो सबसे पहली आवश्यकता सड़क की है, तो सड़क की नीड्स को पूरा करें। नागौर के अन्दर ट्यूबवैल से इरिगेशन की व्यवस्था करनी है तो उसको हम पहले प्रायोरिटी के आधार पर पूरा करें। हम यह काम 35-36 सालों से करते आये हैं कि सब जगह स्कूल खोल दो, सब जगह सड़कें बना दो, सब जगह डिस्पेंसरीज खोल दो। हमारे रिसोर्सेज तो मिनिमम हैं, इन रिसोर्सेज के आधार पर हम राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राजस्थान का विकास नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, एक नीतिगत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे जो डिवीजन हैं उनको चार क्षेत्रों में बांट लें। जो हमारा सेलाइन एरिया है, जो हमारा डेजर्ट का इलाका है, जो हमारा हिल्ली एरिया है और जो हमारा दिल्ली के आसपास का इलाका है उसकी नीड्स क्या हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कुछ इलाकों में पीने के पानी की आवश्यकता सबसे बड़ी प्राथमिक आवश्यकता है। कुछ इलाकों में सड़कों की आवश्यकता सब से बड़ी प्राथमिक आवश्यकता है। कुछ इलाकों में ट्यूबवैल के जरिये इरिगेशन की आवश्यकता सबसे बड़ी प्राथमिकता की है और राजस्थान कैनाल से यदि वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाये, इरिगेशन की व्यवस्था की जाये तो प्राथमिकता का वहां वह आधार है। लेकिन हम इस प्राथमिकता का क्या कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

Page No. 154

(154)

(श्री सी. पी. जोशी)

कैनाल के अन्दर का जो आउट-ले किया है, 200 करोड़ का है और डेजर्ट डवलपमेंट का 250 करोड़ रुपयों का। 250 करोड़ का सातवीं पंचवर्षीय योजना में आउट-ले है, केवल मात्र राजस्थान कैनाल और डेजर्ट डवलपमेंट में। पर हम 250 करोड़ के अलावा वहाँ पर स्कूल भी खोलेंगे, डिसपेंसरी भी खोलेंगे, सड़कें भी बनायेंगे, यह भी खोलेंगे। तो माननीय सभापति महोदय, रीजनल इम्बेलेंस हो जायेगा आगे जाकर। क्योंकि 250 करोड़ का आउट-ले फिक्स कर दिया और उसके बाद आप स्कूल, अस्पताल का भी आउट-ले करेंगे, तो उदयपुर, अलवर और इधर के रहने वाले लोगों के साथ यह न्याय नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, पिछले 35 सालों में हमारा अनुभव इस बात की अपेक्षा और आशा करता है, सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, जो वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं उनको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि उनके मन में भी राजस्थान के विकास की कल्पना है तो यह गाडगिल फार्मूला और यह कोम्पटेण्ट्स रिसोर्सेज बराबर बना रहेगा। हमारे मुख्य मन्त्री ने काफी साहस करके रिसोर्सेज को मोबीलाइज करने की हिम्मत की। बिजली की टैक्सेज को बढ़ाया, पानी की दरें बढ़ायीं तो हमारे सदस्य इस बात पर चिन्ता कर रहे हैं कि राजस्थान में हाहाकार मच जायेगा। विकास भी होना चाहिए। रेवेन्यू रिसोर्सेज भी नहीं बढ़ाने चाहिए। इन दोनों बातों का सम्बन्ध नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं 1984 85 की जिस तरह की फाइनेन्शियल स्टेटिस्टिक्स को आधार मानकर जिस तरह की योजना बनायी गयी है, जो कोंसोलिडेटेड किया है, जो एक्सपेंशन की स्थिति रखी है। वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छी कल्पना का आधार बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने निवेदन किया आपको पहले कहा हम को अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। किस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हम को इरिगेशन में आउट-ले देना है, किस डिस्ट्रिक्ट में हम को एजूकेशन में आउट-ले देना है। इन सब की प्रायोरिटी को आईडेंटीफाई करें और हमारे रिसोर्सेज को उसके आधार पर डायवर्ट करें तो मैं समझता हूं कि जितना पैसा हमारा अवेलेबल है वह सही उपयोग हो पायेगा। और माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जब तक इस आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे, मैं पिछली डिमाण्ड्स में एक बात सुनता आ रहा हूं, अमुक अधिकारी भ्रष्टाचारी है। उसने अमुक डे यह कर दिया, अमुक डे यह कर दिया है, यह सरकार इसलिए गैर जिम्मेदार है, आवश्यकता इस बात की है माननीय सभापति महोदय, एक नया कान्सेप्ट डवलप किया है और उसको उत्तरप्रदेश के मुख्य मन्त्री तात्कालीन मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया है और वह मैं चाहता हूं कि राजस्थान में भी लागू हो। आज आवश्यकता इस बात की है मिनिस्ट्री छोटी हो कोई तकलीफ नहीं लेकिन कुछ मिनिस्टर ऐसे बढ़ाये जायें जो एरिया की नीड्स को ध्यान में रखें, उनके सुपरवीजन को ध्यान में रखें। चाहे विरोधी पक्ष के एम. एल. ए हो, चाहे सत्ता पक्ष के एम.

(श्री सी. पी. जोशी)

एल. ए. हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के एम. एल. ए., उनकी डिस्ट्रिक्ट में सुपरविजन की जिम्मेदारी हो। मनी हम ग्राउट-लें करें, पूरा एलोकेशन हम करें। नीड्स को सेंक्शन कर दें और उसका जो प्रोजेक्ट बने, सड़क बने उसमें कोई इंजीनियर गड़बड़ कर रहा है उसके सुपरवीजन में कोई जनप्रतिनिधि का रोल नहीं हो। पास हम करें और उसकी एकाउन्टीलिटी हाऊस के अन्दर जनप्रतिनिधि की, और सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसको देखने की, उसको चैक करने का अधिकार जन प्रतिनिधि को नहीं, यह ठीक परम्परा नहीं है। जितना एलोकेशन हम कर रहे हैं उतने पैसे का सही सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखने की महती आवश्यकता है, बनिस्पत इस बात के कि हम बजट पास कर दें और पास करने के बाद जन प्रतिनिधि के हाथ में यह अधिकार नहीं हो कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। इसलिए आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस सिस्टम के अन्दर कुछ लोगों को आधार बनाया जाय। कुछ एरिया की जितनी स्कीम्स हैं चाहे इरीगेशन की हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. की हो, चाहे एजूकेशन की हो, वहां की जो जन समस्यायें हैं उनका निराकरण जन प्रतिनिधि चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो या विरोधी पक्ष का हो उसको जिला स्तर पर बैठ कर करे और टोटल एलोकेशन ग्राफ फण्ड है, उसमें आप प्रायोरिटी के आधार पर 30 प्रतिशत ग्राफ टोटल एलोकेशन ग्राफ फण्ड है, वह आप डिस्ट्रिक्ट को आधार बनाकर छोड़ दें। 30 प्रतिशत ग्राउट-ले करना है, वहां पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पी डब्ल्यू. डी. है, इरीगेशन का एस. ई. है, पी. एच. ई. डी. का एस. ई. है, वह छोटी स्कीम बनाने के लिए कॉम्पीटेंट है लेकिन उस स्कीम को भी पास करने के लिए सभापति महोदय, चीफ इंजीनियर के पास आता है। एक पाइप लाइन डालनी है हरिजन बस्ती में जिसकी कास्ट 1200 रु० है उसकी स्वीकृति के लिए एस. ई. जयपुर आता है उसको डी. ए., टी. ए. की कोस्ट 2400 रु० आती है। यह ठीक परम्परा नहीं है। यह मनी का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें भी आधार भूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तब तो हम भविष्य में आने वाली जो हमारी नीड है उसको आधार मानकर हम आगे बढ़ पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि रिसोर्सेज को मोबीलाइज करने में जो हमारा आधार है जिसमें आज काश्तकारों को तकलीफ आ रही है उसको नजर अन्दाज करने की आज आवश्यकता नहीं है। उसमें हम को सोचना पड़ेगा हम बिजली का टैक्स लगा दें और काश्तकारों को बिजली नहीं दें तो यह काश्तकार के साथ न्याय नहीं है। हम जो इण्डस्ट्रीज से मीनीमम चार्ज ले रहे हैं, उसमें कट भी करेंगे और उसके बाद भी चार्ज करेंगे और बिजली नहीं देंगे यह ठीक परम्परा नहीं है। यदि हमारे जितनी बिजली हम जनरेट करना चाहते हैं, पर टैक्स हम लगा दें और पैसे का सारा दुरुपयोग केवल मात्र आर. एस. ई. बी. का बोर्ड कर दे तो यह जनता के साथ न्याय नहीं है। इसको

(श्री सी. पी. जोशी)

भी चैक करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, हम जितनी बिजली काश्तकारों को अवेलेबल कराना चाहते हैं उसको सोचने की आवश्यकता है। मैं तो कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि तीन तरह के काश्तकार हैं। स्माल फारमर, मार्जिनल फारमर और बिग फारमर और मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मेरा कन्विक्शन है इस बात का कि आज यदि हम तीन हार्स पावर को आधार मान लें और तीन हार्स पावर वाले काश्तकारों के लिए यदि हम बिजली की दर अलग से बढ़ायें और तीन हॉर्स पावर से ज्यादा वाले किसानों के लिए हम बिजली की दर अलग से बढ़ायें तब तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय होगा। लेकिन बात तो हम करें। काश्तकारों और छोटे काश्तकारों की ओर छोटे काश्तकारों को एडवाण्टेज नहीं दें और बड़े काश्तकार जिनके पास पचास बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, वे चाहें कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी न हो यह भी किसान के साथ न्याय नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, माननीय सभापति महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रामसिंहजी के लिए कह रहे हो, क्या ?

श्री सी. पी. जोशी : रामसिंहजी तो हमारी तरफ एक ही हैं लेकिन बाकी सब उधर बैठे हुए हैं। रामसिंह जी क्या करेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कनविक्शन के आधार पर वह आवश्यकता आज इस बात की है कि जो छोटे काश्तकार हैं उसकी नीड्स उसकी आवश्यकता, उसकी समस्या अलग है उसके लिये हम बिजली की सुविधा नहीं करेंगे तो फरदर एक्सपन्शन नहीं होगा। मोरेलिटी को अडोप्ट नहीं करेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम आधार मानें।

एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य नाराज होंगे लेकिन यह न्याय नहीं होगा। हम टोटल इन्वेस्मेंट करें राजस्थान कैनाल पर और उससे जो मेंटीनेंस का खर्चा आ रहा है वह एक प्रतिशत भी वसूल न करें। 960 करोड़ रुपया हम खर्च कर दें, इरीगेशन का और उससे 56 करोड़ की भी रेवेन्यू नहीं हो, यह न्याय नहीं है। मेरे मेवाड़ के अन्दर जो काश्तकार हैं जिनके यहां इरीगेशन का नहरों का सिस्टम नहीं है वह अपने कुओं से खेती करता है, उसको भी गेहूं की उतनी ही कीमत मिलती है और जो राजस्थान कैनाल से खेत को पानी देता है उसको भी गेहूं का उतना ही पैसा मिलता है यह न्याय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यदि हम सोशल जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो जिनकी हैसियत मानते हैं, उसको भी राजस्थान के टैक्स में कन्ट्रीब्यूट करना होगा।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है इरीगेशन के जो काश्तकार है उनकी रेट्स निश्चित तौर पर बढ़ायी जानी चाहिए। जिससे उस पैसे का उपयोग हम दूसरे इलाके

(श्री सी. पी. जोशी)

में कर सकें। लेकिन हम तो यह कहें कि हमारी इरीगेशन की जो कैनाल बन गयी है, उसका काश्तकार इरीगेशन की रेट नहीं बढ़ाने देगा और हमारा जो पैसा वहां पर लगाया गया है वह री-प्रोड्यूज नहीं होगा तो डवलपमेंट नहीं हो पायेगा। जितने हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें हमको मैनेजमेंट की तकनीक की आवश्यकता है कि जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी रिटर्न नहीं मिलती है तो हम डवलपमेंट को आधार नहीं बना पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि हम उसको भी आधार बनाने की सोचें।

एक बात और कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो मिनरल वैल्थ अवेलेबल है वह सारे राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा है। लेकिन मिनरल वैल्थ को लेने के लिए मैं आज भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम आज लीज बनाकर भारत सरकार को अधिकार दें कि केवल लीज के आधार पर वह ले जाये। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहना चाहता हूं कि उस लीज को यदि हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मैंने पहले भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की इकोनोमी के साथ न्याय नहीं करेंगे।

पिछले 35 साल में हमने भारत सरकार को लीज को आधार बनाकर भारत सरकार को सारे पट्टे दे दिये आज उसके मैनेजमेंट में, एम्प्लायमेंट में हमारा कोई अधिकार नहीं है।

यदि हम सब इक्विटी शेयर करते हैं माननीय सभापति महोदय, तो दस साल के अन्दर मैं कम से कम समझता हूं कि 20-30 करोड़ रुपया भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का कंट्रिब्यूट होता तथा सेंट्रल इनवेस्टमेंट भी ज्यादा होता। आज आवश्यकता इस बात की है मिनरल वेल्थ जो हमारे हैं उसको हम अगर नहीं देखेंगे, डवलपमेंट का आधार नहीं बनायेंगे इकानामी को तो हमारा मिनरल वेल्थ खत्म हो जायेगा। सभापति महोदय इकानमी जेनरेट नहीं कर पायेंगे। यदि हम मिनरल वेल्थ को खत्म कर देंगे, अगर हम वैसे ही मिनरल वेल्थ को भी खत्म कर देंगे तो उसका राजस्थान की इकोनमी के ऊपर बहुत बड़ा प्राब्लम हो जायेगा और पोस्टेरिटी के लिए हम और हमारे जैसे जो नौजवान आदमी हैं उनके सामने यह प्राब्लम आ जायेगा कि फिर किस को मिले। फिर कैसे इंतजाम हो। इसलिये आवश्यकता इस बात की है माननीय सभापति महोदय, कि हम अपने रिसोर्स को, उसमें जितना इनवेस्टमेंट किया है उस को रीप्लेसमेंट से बचायें और जो हमारा मिनरल वेल्थ है उस मिनरल वेल्थ को, जितना एमाउंट एवेलेबल है उसको आधार मानकर हम उसको इक्विटी शेयर के अन्दर कन्वर्ट करें और भारत सरकार को लीज के आधार पर नहीं दें, तब तो हम आने वाले 5-7 साल में सेंट्रल इनवेस्टमेंट खुद कर पायेंगे। इसलिये सभापति महोदय, मैंने कहा कि छोटे काश्तकार से यदि हम 5 करोड़, 3 करोड़ किसी बात पर वसूल कर लें, ये ठीक नहीं।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय समापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने नाथद्वारा से बम्बई, उदयपुर से दिल्ली, दिल्ली से बांसवाड़ा ये जितनी गाड़ियां चल रही हैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि नेशनल परमिट के अन्दर रूल है कि एक जगह पर एक ही बार प्लाई कर सकती है लेकिन ये रेगुलर बसें चल रही हैं। इनका जो एस. आर. टी. है उस एस. आर टी. और जो रेगुलर एक आदमी चलता है उन दोनों के बीच में अन्तर है। मैं कहना चाहता हूं एक शिफ्ट के अन्दर एक बस मालिक 3 हजार रुपया नेट प्राफिट कमा रहा है। राजस्थान सरकार इसको चैक नहीं कर पायी, उस रेवन्यू को वसूल नहीं कर पायी। रेवेन्यु का मोटा लीकेज होता रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जयपुर से सीकर के बीच में चले जांय, उदयपुर और नाथद्वारा के बीच आ जांय। जो बड़े टाउन के बीच में सैकण्डरी टाउन है उसके बीच में जितनी गाड़ियां चल रही हैं जीप और जोंगा उनको राजस्थान सरकार परमिट नहीं देना चाहती। परमिट भी नहीं देंगी, लीकेज भी होगा रेवन्यू आपका वसूल नहीं होगा और सारा पैसा लोग बाग अपने घर पर ले जायेंगे। यदि हम को पैसा इकट्ठा ही करना है तो फिर इस तरह के नियम बनाने पड़ेंगे कि जो यह जो जा रहा है उसको परमिट दें, परमिट देकर टैक्स वसूल करें तब जाकर के हम रेवेन्यू को जेनरेट कर पायेंगे। दो करोड़, तीन करोड़ रुपया हम किसी चीज में इकट्ठा कर लें, वह ठीक व्यवस्था नहीं है।

माननीय समापति महोदय, यह देवस्थान विभाग है, मेरी आज भी मान्यता है देवस्थान विभाग की प्रापर्टी को पजेशन में लेने के लिये कानून में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दो रुपये, पांच रुपये, 10 रुपये, में करोड़ों रुपये की प्रापर्टी आज लोगों ने ले रखी है और उसके टाइटल को बिना लिए हुए सब लीज कर दिया। समापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड का टेम्पल ऐक्ट के अन्दर प्रोवीजन है कि 5 साल से ज्यादा किसी चीज को लीज पर नहीं दे सकते। लेकिन एक आदमी जो लीज लेता है उसके बाद दूसरा आदमी दूकान लेता है, उसकी पगड़ी देकर 20 हजार रुपये। टेम्पल बोर्ड में 20 हजार रुपये नहीं जाते हैं और वे 20 हजार रुपये उस आदमी के घर पर चले जाते हैं और टाइटल चेन्ज हो जाता है। देवस्थान की इस प्रापर्टी को ठीक ढंग से लीज करें तो मैं समझता हूं समापति महोदय, कि हम 25 करोड़ रुपया पर ऐनम राजस्थान की इकानमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन देवस्थान की जमीन, मौके की जमीन, वहां पर कार्मशियल काम्प्लेक्स डवलप करें या कोई और उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि इससे हमारा रेवन्यू बढ़ सकता है और माननीय समापति महोदय, मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि जितना हम टैक्स लगा रहे हैं हाल में आज रोडवेज में देख लें, या आज हम आर. एफ.सी. में देख लें, यह कारपोरेशन की एकाउंटेबिलीटी का कंसेप्ट नही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरी अपनी मान्यता है कि कारपोरेशन की एकाउंटेबिलिटी होनी बहुत आवश्यक है। कारपोरेशन की आर्थिक एकाउंटेबिलिटी

(श्री. सी. पी. जोशी)

नहीं होगी, पैसा हम राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाकर लें और उनकी मर्जी पर छोड़ दें। यह प्लानिंग किस तरह की होगी। तो स्टेट की जनता के साथ भी अन्याय है। आज रोडवेज मिसमेनेज हो, आर. एफ सी. का मिसमेनेज हो, जनता भुगते या आपके स्टेट एण्टरप्राइजेज जितने भी हैं वे ठीक ढंग से नहीं चलें उसको जनता भुगते। इसके लिये माननीय सभापति महोदय, नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं फिर कहता हूं आपसे कि ब्यूरोक्रेसी के आधार पर स्टेट एन्टरप्राइजेज कारपोरेशन नहीं चल सकते। इनमें आमूल चूल परिवर्तन करें। जिनकी आर्थिक इन्टीग्रिटी है, जो आदमी काम कर सकता है ऐसे आदमी को आप निश्चित तौर पर इस कारपोरेशन्स में काम करने का अवसर दें इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम यह सब काम तो करना चाहते हैं लेकिन जिस काश्तकार के 15 बीघा से कम जमीन है, ऐसे काश्तकार जिनको रोज तहसील में आकर चक्कर लगाना पड़ता है हम एक ब्लैंकेट जो धारा है समाप्त कर दें। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जनता के साथ न्याय होगा। जिन काश्तकारों के 15 बीघे से कम जमीन है उनने कब्जा कर रखा है तो 15 बीघा की जमीन खाते में करने का अधिकार तहसीलदार एस. डी. एम. और एम. एल ए. को कर दिया जाय इनकी कमेटी को। तो यह काश्तकार इस बीमारी से छुट्टी पा जायेंगे। लेकिन हम ये काम नहीं करना चाहते। काश्तकार को रोज-रोज आकर के तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसको रोकने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, यह जितने भी टाऊन्स हैं, सिटीज हैं, इनकी जमीन सरकारी जमीन का जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको रोकने के म्युनिसिपैलिटी के पास कोई नियम नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बिल लावें हाउस के अन्दर कि नोन बेलेबल क्रिमिनल आफेंस होगा तब तो जाकर हम इस चीज को रोक पायेंगे। आज लाखों करोड़ों रुपये की जमीन जो टाउन की है उसके ऊपर आदमी कब्जा कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, एलाटमेंट करवा लेते हैं और फिर हम भूमि रीपल्सन का कानून और कायदा बनायें। आवश्यकता इस बात की है कि या तो हम इससे पहले इस चीज को प्रोवाइड करें कि भई इतनी जमीन है जिसमें कोई प्राइवेट मालिक बनाना चाहे मकान तो बनाये, ईयरमार्क कर दें, हम। लेकिन वह काम नहीं कर पाये हम। लेकिन एक प्रभावशाली आदमी किस तरह से कच्ची बस्ती के नाम पर जमीन भी एलाटमेंट कर ले और 15-20 बाद कच्ची बस्ती तो कहीं चली जाती है और पक्के मकान बन जाते हैं और कच्ची बस्ती वाले और आगे हो जाते हैं। पता नहीं कौनसी बस्ती बीच में आ जाती है। इसलिये इसके अन्दर जितना भी है उसमें बहुत बड़ी प्रापर्टी का एनक्रोचमेंट हो रहा है। उस एनक्रोचमेंट के जो सारे नियम कायदे हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यता है। मेरी अपनी मान्यता है इसमें नोन बेलेबल आफेन्स की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात बहुत थोड़े में समाप्त करूंगा।

(श्री सी पी. जोशी)

टी. ए. डी. जो ट्राइबल सबप्लान है माननीय सभापति महोदय, उस ट्राइबल सब प्लान का सबसे बड़ा जो मजाक है वह इस तरह से है कि एक रेवन्यू विलेज में 50% से ज्यादा जो ट्राइबल रहते हैं उन लोगों को माडा और टाडा का एडवान्टेज मिलेगा लेकिन जो स्कैटर्ड पापुलेशन है माननीय सभापति महोदय, किसी रेवन्यू विलेज में 25-30% जो आदिवासी रहते हैं उन लोगों को ये टी. ए. डी. सब प्लान का कोई एडवान्टेज नहीं मिलेगा। आज नाथद्वारा में चले जाइये, मेरी कस्टीटुएंसी में 16 हजार आदिवासी हैं। आज गोगुंदा में चले जाय आप, आज कुंभलगढ़ में चले जायं आप वहां पर रेवन्यू विलेज में स्कैटर्ड जो आदिवासी पापुलेशन रहती है। उनकी पापुलेशन रेवन्यू विलेज में 20%-30% है उन लोगों को ट्राइबल सबप्लान का एडवान्टेज चाहे इन्डिविजुअल बेनेफिट का हो चाहे एरिया डेवलपमेंट का हो दोनों एडवान्टेज के फायदे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ट्राइबल सबप्लान को ऐसे सारे पापुलेशन से इनक्लूड करने की आवश्यकता है, जो 20—30% ट्राइबल होती है और इनको ट्राइबल सबप्लान का फायदा नहीं मिल रहा है। इनको इनक्लूड करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि यह जो सीलिंग ला है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य सोचें इस बारे में सीलिंग ला में यह नियम बना हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम दो लाख का कम्पनसेशन देकर प्रापर्टी पर कब्जा कर सकती है। केवल दो लाख का ये सीलिंग ला में जो अरबन स्कीम लैंड का जो नियम है उसमें लिखा हुआ है कि

State Government can take on a compensation of not more than two lakhs of rupees.

स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रापर्टी को ले सकती है। आज करोड़ों रुपये की प्रापर्टी माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर के अन्दर, जोधपुर के अन्दर, उदयपुर के अन्दर करोड़ों रुपये की जमीन को अरबन सीलिंग एक्ट के अन्दर कवर किया जा सकता है। इससे हम स्टेट की रेवन्यू को बढ़ा सकते हैं। उस अरबन सीलिंग लैण्ड को हम लेना नहीं चाहते। मैं चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ा आपका रेवन्यू का सोर्स बन सकता है, इससे स्टेट को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसलिए आवश्यकता है कि पालिटिकल विल से हम एक्ट करें और जितनी अरबन सीलिंग एक्ट में अवेलेबल हैं उसको हम इसके अन्दर निश्चित रूप से लें। इससे हमारे रेवन्यू का आधार बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में एक बात मैं कहूंगा, आपके अकाल राहत डिक्लेयर करने का जो नियम है, सभापति महोदय, उसमें लिखा हुआ है कि 75% से ज्यादा खराबी हो ऐसे विलेजेज को ही हम अकाल में डिक्लेयर करेंगे। माननीय

(श्री सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर और उदयपुर डिवीजन के अन्दर लैंड होल्डिंग बहुत कम है। दो बीघा, तीन बीघा जमीन है। तीन बीघा जमीन में सभापति महोदय, आप जानते हो कि दक्षिण राजस्थान में भी बाजरे की फसल होती है तो 30%–40% फिर भी बाजरे की फसल हो जाती है लेकिन मक्की की फसल या तो होगी या नहीं होगी। इसके बीच में कोई एड्स नहीं है। तीन बीघा जमीन के अन्दर मक्की की फसल हो भी जाय तो भी उस आदिवासी की साल भर की नीड को पूरा करने का आधा नहीं बन सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट में लैंड होल्डिंग कम है माननीय सभापति महोदय, वहां रेवेन्यू विलेज में अकाल डिक्लेयर करने का जो आधार है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अन्यथा वह लोग जिनकी तीन बीघा जमीन है उसमें यदि फसल हो भी जायेगी तो वह उनसे साल भर अपनी नीड को केटर नहीं कर पायेंगे। इसीलिए इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में अपनी दो बात चिकित्सा के बारे में जरूर निवेदन करना चाहूंगा। चिकित्सा के बारे में इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आज हायर एजुकेशन की जो स्थिति है, उससे आप परिचित हैं। आज उदयपुर के अन्दर हमने पिछले चार साल से एक ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर बना रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति आपके सामने है और पिछले पांच सात दिनों से जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में रोज अखबारों में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि हायर एजुकेशन के बारे में गम्भीरता से सोचें कि हम राजस्थान में हायर एजुकेशन के बारे में कितना हमारा कसेप्ट है आज हालत यह हो रही है माननीय सभापति महोदय, आप जान कर आश्चर्य करेंगे कि पिछले 35 साल में आजादी के बाद जितने रीक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी के अन्दर हुए चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर हुए, चाहे जोधपुर के अन्दर हुए और उदयपुर के अन्दर हुए मोर देन 60% राजस्थान के बाहर के आदमी हैं। लेक्चरार बन गया, बाहर का आदमी बन गया। हम इस स्टेट के बारे में क्या ज्यादा सोचेंगे। हमको सोचना पड़ेगा इस बात को कि इस मिट्टी से जिन लोगों को प्यार नहीं होगा, यहां की प्रतिभा को जो आगे नहीं बढ़ाना चाहते ऐसे लोगों के हाथ में विश्वविद्यालय का भविष्य सौंपना चाहते हैं। विश्वविद्यालय की हालत क्या होगी? माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में आप जानकर आश्चर्य करेंगे मेडिकल स्टूडेंट एम. बी. बी. एस. करने के बाद उसको सी. एस. की पोस्टिंग भी मिल जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहा है, ये दोनों व्यवस्था कैसे ठीक हैं? उसको सी. एस. बना कर आपने रूरल में पोस्टिंग भी कर दी है और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए भी परमीशन दे रखी है तो वह न तो नौकरी करने जाता है और न काम करता है। आप मेहरबानी करके, आपके कितने पोस्ट ग्रेजुएट

(श्री सी. पी. जोशी)

डाक्टर हैं जो एम. डी. फिजिक्स में हों, सर्जरी में हों, ई. एन. टी. में हों उनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन हमने खाली इन सीटों को बढ़ा दिया। हम चाहते हैं कि इसको भी रिव्यू करें। हम, यदि हमको हायर एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है तो एक सिम्पल एम. बी. बी. एस. डाक्टर को रूरल एरिया में भेजें और उसमें भी नीति बना दें कि इरेस्पेक्टिव आफ दिस, हर आदमी को तीन साल कम्पल्सरीली रूरल डिस्पेंसरी में काम करना पड़ेगा। एक ब्लैंकेट बना दें तब तो डिस्पेंसरी में प्राबलम ठीक हो जायेगा लेकिन मिस्टर एक्स तो सिटी में रह जाय 25 साल तक और मिस्टर वाई हैं, जो रूरल के अन्दर रहें तो सिटी में सीटें तो कम और फिर रूरल के अन्दर ज्यादा तो फिर पालिटिकल मैनिपुलेशन आफ ए ट्रांसफर पोस्टिंग में जो तकलीफ है यह ट्रांसफर और पोस्टिंग की तकलीफ इससे चली जायेगी और अन्त मे एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, ट्रान्सफर, पोस्टिंग के आधार पर यह कहें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन किसको कहेगा ? एक जन प्रतिनिधि दूसरे जन प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहा है कि वह 500 रुपये खा गया, हजार रुपये खा गया। इस राजस्थान के अन्दर ब्यूरोक्रेट्स करोड़ों रुपये खा रहे हैं जिनके बारे में हमें कहने का साहस नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह ट्रान्सफर, पोस्टिंग यह पोलिटिकल। जब सरकार बदलेगी तब होगी। क्या आपने नहीं किया था जब आप सरकार में आये थे ? आप किस बात का हल्ला करना चाहते है ? केवल मात्र इसलिए कि ट्रान्सफर, पोस्टिंग के आधार पर नेतागिरी होती है, क्या ट्रान्सफर पोस्टिंग के आधार पर पॉपुलरिटी बढ़ती है ? यदि अफसर खराब है तो एक्स हो या वाई हो, निश्चित तौर पर ट्रान्सफर होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।

अन्त में कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय। आवश्यकता इस बात की है, कम्पलसरी रिटायरमैण्ट का गवर्नमेण्ट का जो नियम था उसको फिर लागू किया जाय। गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट में आपने यदि इनसिक्योरिटी पैदा की तो उसकी एफीशियेन्सी बढ़ेगी, उसकी अकाउन्टेबिलिटी भी सरकार के प्रति बढ़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, जिस पॉलिटिकल विल से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राजस्थान की कन्टिन्जेन्सी को समझ कर जो बजट रखा है, मैं समझता हूं ठीक परम्परा है और ऐतिहासिक निर्णय है। इसके परिणाम आने वाले समय में हमको मिलेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री नवरंगसिंह : सभापति महोदय, मेरा नाम है।

श्री सभापति : आप बोलेंगे इनके बाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के

निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, समय बढ़ा लें।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की आज्ञा से सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है, प्रोफेसर केदार नाथ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4)

विधेयक 1985

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : सभापति जी, एप्रोप्रिएशन बिल पर आम तौर पर हम लोग जो डिमाण्ड्स इस हाउस में नहीं आयी बहस के तौर पर, उन पर बहस करते हैं। जो हमने डिमाण्ड्स पास कर दी उनका क्या असर पहुंचा मासेस पर, क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका हम यहां विश्लेषण करते हैं। हम यह भी विश्लेषण करते हैं कि पालिसीज पास करने के बाद जब उसका अमल होता है तब जनता का क्या इन्वाल्वमेण्ट है उसमें, एम. एल. ए. इलैक्टेड, उसका क्या इन्वाल्वमेण्ट है। सभापति जी, 24 दिन की इस हाउस की सिटिंग के बाद यह तो मैं मानकर चलता हूं, माननीय जोशी जी, राज तो आपने चलाया। माननीय जोशी जी के पास 36 पोर्टफोलियो। इतने व्यस्त होने के बाद 5–4 मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से उन्होंने राज तो चलाया मगर, जो साढ़े तीन करोड़ जनता है उसके मानस में, सभापति जी, अपनी इमेज कायम नहीं कर पाये। आम चुनाव के बाद लोगों में आशा होती है, एक विश्वास होता है, एक उत्साह होता है, उमंग होती है, आकांक्षा होती है जो रूलिंग पार्टी होती है उसका फर्ज होता है कि अपने एम. एल. ए., एम. पीज. के मार्फत, पार्टी संगठन की मार्फत इस जोश को चैनलाइज करें, उनकी ग्रीवान्सेज को दूर करें, उनकी आकांक्षा को चैनलाइज करें और पालिटिकल फोर्स कायम करें। उस पालिटिकल फोर्स की मार्फत अपने राज को चलायें। एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप में जो कमियां हैं दूर करें, अपनी पालिसीज को फ्रेम करें। इसमें हमारी सरकार फेल हो गयी। इस ओर हमारे माननीय सदस्यों ने अपना रोल आफ अपोजिशन अदा किया बड़े शानदार तरीके से। आपको मौका दिया राज चलाने का। कोई स्टेलमेंण्ट पैदा नहीं किया। अपनी ओर से उन्होंने पूरा को-आपरेट किया। मगर आपने उसका फायदा नहीं उठाया। टैक्सेज के बारे में नये प्रपोजल्स आये। कैसे हमारा रिसोर्सेज मॉबिलाईजेशन हो, अलग अलग उन्होंने सजेशन दिये। कौन-सा टैक्स कम हो, कहां लगाये जाय, अच्छे, थॉटफुल प्रपोजल पेश किये। मुझे विश्वास है, सभापति जी, राज्य सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं बोल रहा हूं, मैं इस बात को मानकर चलता हूं। अभी माननीय जोशी जी बोल रहे थे अपनी उपलब्धियों के बारे में, टोटल पैसा प्लान के लिए सात हजार करोड़ खर्च हुआ। राजस्थान में उसके टैन्जिबिल रिजल्ट्स कितने हैं, छोड़ दीजिए आप प्रायोरिटी को। 38 करोड़ आपके रिजलटैंट रिटर्नेण्ट है। सामाजिक सेवाओं में आपने

(श्री केदार नाथ)

कोई 1500-1700 करोड़ खर्च किया। उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, रिटर्न्स आपके सामने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर आपने 2500 करोड़ खर्च किये आज तक। एक व्यक्ति पर 700 रुपये खर्च किये, उसके रिजल्ट आपने देख लिये। मैं हमेशा इस बात को मानकर चलता हूं, जैसे हमारे विरोध पक्ष के माननीय नेता ने कल कहा, बार्डर की पांच किलोमीटर बैल्ट में अगर राज है तो जासूसों का राज है, मैं यह कह सकता हूं, राज है तो नौकर का राज है आपका और हमारा राज नहीं है। मैं यह सोचता हूं, माननीय सदस्य हां पक्ष के पालिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा करते हैं, एक सब्जेक्ट हुआ करता है पालिटिकल सिस्टम के बारे में यहां चर्चा होती, मगर आपमें से कोई नहीं बोला। कि इनर पार्टी डैमोक्रेसी क्या है क्योंकि आपके अन्दर है नहीं, आपका कोई इन्वाल्वमैंट नहीं है। सारे सैशन में केवल एक-दो मीटिंग करना, पालिसी मैटर में आपको विश्वास में नहीं लेना, इस बिना पर अगर राज चलाना चाहते हो, आप 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हो तो, मेरे ख्याल से भूल होगी आपकी। माननीय जोशी जी, हमारे विरोधी पक्ष के नेता हंसी-मजाक में कहा करते हैं, एक उपलब्धि तो की है। आप तीन-चार विधायकों को इन्तजार करवाते रहे। कब मन्त्रिमण्डल में शामिल होंगे। कुछ लोगों ने 10-15 ड्रेसेज बनायी हैं। वह उनकी खराब हो गई, फट गई। बार-बार शीशे के आगे पोज बनाने, ओथ टेकिंग सेरेमनी आयेगी, कैसा पोज हो, कैसा मेरा पोज हो, मेरी शक्ल कैसी हो, उनका वह सारा पेशेंस टूट गया। मुझे विश्वास है, जोशी जी यह सोचेंगे. मैंने राज चलाया। आपने जो भी यहां जवाब दिया, अच्छे बोलने वाले आपके हैं, टैलेन्ट के हैं, कैलिबर के हैं मगर आपकी स्पीचेज हाफ हार्टेड रहीं और डिफिडैण्ट रही। इस विश्वास के साथ कि हमारा नम्बर कहीं कट न जाय। रोल, जो आपको अदा करना चाहिए था, आप अदा कर सकते थे वह आपने नहीं किया।

इस विश्वास के साथ मैं चलता हूं। माननीय सभापति जी, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता था इन्टर स्टेट रिलेशन्स के बारे में हमारे विरोध पक्ष के नेता शायद कल बोलेंगे। कल पंजाब का मसला हल होने की शुरूआत की है। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आखिर पंजाब का मसला होने के आसार पैदा हो गये। हमें एक बात का खतरा है। उसमें मेन जो बात आयेगी, चण्डीगढ़ के अलावा, सेण्टर स्टेट रिलेशंस के अलावा, किसी स्टेट को पावर ऑफ आटोनामी के मार्फत बाउण्ड्रीज का झगड़ा आयेगा। हमें खतरा इस बात का है कि उनकी जो मांगें हैं उनमें मुख्य मांग यह भी है कि थ्योरी आफ रीवाइन कहते हैं, सॉरी रिपेरियन, कि जिस स्टेट में हैड वर्क्स हो, रिवर्स जाती हों, डैम्स हो एक्सक्लूजिव पजेशन क्लेम उस स्टेट का रहेगा। यह थ्योरी अगर केन्द्र ने मान ली, प्रधान मन्त्री जी ने मान ली तो राजस्थान का, माननीय जोशी जी, क्या हाल होगा, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए जब भी जोशी जी जायं, उनसे कन्सल्ट करें तो हाउस को

(श्री केदार नाथ)

अपने विश्वास में लें। यह फैसला आज नहीं सन् 1966 में फैसला हो गया था। जब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट बना, हरियाणा और पंजाब के दो हिस्से बने। उस एक्ट में ही शामिल है कि हैड वर्क्स पर कण्ट्रोल जॉइन्ट कन्ट्रोल होगा, जिस स्टेट का हिस्सा है, उसमें उन सब का जॉइन्ट कन्ट्रोल होगा और ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सारा इन्तजाम करेगा। हमारे वक्त 1979 में माननीय मोरारजी ने इसके बारे में अपना वर्डिक्ट दिया था। वह भी नहीं माना पंजाब ने, एक्ट को नहीं माना उस वक्त अनेक एग्रीमेन्ट्स हुए उनको भी नहीं माने। आज रीयल कण्ट्रोल, सभापति जी, उन हैड वर्क्स पर पंजाब का है। इसलिए हमें विश्वास है कि माननीय जोशी जी हमारे सेफ्डिमैण्ट्स को, राजस्थान के इण्ट्रेस्ट को वहां सेफगार्ड करेंगे। हैडवर्क्स पर कंट्रोल पंजाब का न होकर के ब्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड का होगा और हम भी उसमें शरीक होंगे।

मैं दूसरी बात कहना चाहता था इण्टर स्टेट मसले के बारे में। हमारा, स्टेट का एक हक हुआ करता है ओवर ड्राफ्ड का। यह फण्डामेंटल हमारा हक है। खैर, चलो मान लिया, सेन्टर ने फैसला कर लिया कि आइन्दा ओवर ड्राफ्ट नहीं देंगे। कन्साइनमैण्ट टैक्स हम आपको देते हैं। क्या यह कन्साइनमेंट टैक्स के जितने रिटर्न्स आयेंगे काफी हैं हमारे? बुड वी लॉसिज। जो लॉसिज होने वाले हैं, इसको विथड्रा करने से जो लॉसेज होंगे फिनान्सेज में हमारे, रिसीव और एक्सपेण्डिचर में जो अन्तर है, उसको मिटाने के लिए क्लेम हुआ करता था, बैंक से पैसा लेना क्लीयर सिक्योरिटी के अगेन्स्ट में। यह क्लेम छोड़ने के बाद पूरा पैसा हमें मिल जाये कॉरपोरेट टैक्स भी हमें मिल जाय, हमें एक्साइज ड्यूटी में से हायर शेयर मिल जाये तो मैं विश्वास करूंगा कि हमारी कमी की पूर्ति हो जायेगी। यह नहीं मिलता तो हमारी स्टेट की इकॉनॉमी समाप्त हो जायेगी और सारी स्टेट की जो फिसकल इकॉनॉमी है वह हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, यहां मैं ज्यादा और बात नहीं कहना चाहता था।

कालेधन के बारे में रिपोर्ट आयी है।

उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह कही है, उन्होंने जहां बड़े अधिकारियों में करप्सन की बात कही है वहां उन्होंने राजनीतिक नेताओं के करप्सन की बात भी कही है। बड़ी इम्पोर्टेण्ट बात है। उसमें चेप्टर है एक राजनीतिक पोश। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया। केवल समरी पढ़ पाया हूं। उन्होंने यह कहा कि कालेधन के उन्मूलन में राजनैतिक नेतृत्व की सत्यनिष्ठा, उनके द्वारा संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रशासन का इस्तेमाल न करने पर निर्भर है। यह बड़ी बात है। इसलिए काले धन की रिपोर्ट आपके सामने है। इतनी बड़ी तादाद में एक साल में 37 हजार करोड़ रुपया काले धन का पैदा होता है। इसके लिए वांचू कमेटी रिपोर्ट आयी, वह हमारे सामने है, हमने कोई स्टेप नहीं लिया। काले धन को एराडीकेट करने के लिए, कम करने के

(श्री केदार नाथ)

लिए कन्फाइन्ड करने के लिए, हमने कोई भी कोशिश नहीं की। अब यह रिपोर्ट आपके फिर आ गई। क्या आप पालिटिकल विल के साथ, मजबूती के साथ कोई एप्टंस करेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं है। जैसा कि आपको सोसाइटी का कण्ट्रीब्यूशन है, जैसी कि पार्टी की लीडर शिप है, जैसा आपका चुनावी तरीका है, जिस तरह से आपने पैसा खर्च किया, जो मेण्डेट आपको मिला है, वह आपके उसूलों से नहीं मिला वह हम जानते हैं जिस तरीके से मिला है। जैसा आपका कम्पोजिशन है आज, मुझे विश्वास नहीं है कि काले धन की रिपोर्ट जो आपके सामने है उसको कण्टेन कर पावोगे, एराडीकेट कर पावोगे। गवर्नमेन्ट पर यह मेरा आरोप है।

(म. प. 4.52)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

मैं यहां पर, माननीय सभापतिजी, यह भी निवेदन करूंगा कि आखिर हमारे पर आज फॉरेन ट्रेड का घाटा कितना है? यह सब्जेक्ट हमारा नहीं है, हिन्दुस्तान की इकोनॉमी ड्रिफ्ट की ओर चल रही है आज, कोई डाइरेक्शन नहीं. कोई दिशा नहीं है। जब उसकी दिशा नहीं है, तो ट्रेड की दिशा भी नहीं हो सकती। फॉरेन ट्रेड अभी हमारा 28174 करोड़ रुपया, 5 साल में कितना होगा और फॉरेन एक्सचेन्ज आज है उसका 6 हजार करोड़ रुपया। मुझे बतायें आप क्या उम्मीद करें, कहां कर पावोगे, आप कैसे इकोनोमी को मजबूत पैरों पर खड़ी कर पावोगे। मुझे, माननीय सभापतिजी, यह बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर दूं कि हम लोग जब कीमतों की बात करते हैं, इनफ्लेशन की बात करते हैं, डेफेसिट की बात करते हैं, क्राइसिस की बात करते हैं, वह इसलिए करते हैं कि हमारी इकोनोमी को किस तरीके से आप ले जायं, राजस्थान का हित किस में है मासेज का इनवाल्वमेन्ट कहां हो सके, इलेक्टेड आदमी कहां प्रेस्टीज प्लेज हो सके कम से कम। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। मैं आपके सामने मान्यवर इस बात को भी कहूंगा कि सारे राजस्थान का नक्शा देखने के लिए टोटल इफेक्ट इसका किनके लिए हम बजट पास कर रहे हैं। शिक्षा नीति के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आपने 10+2 का सिस्टम इण्ट्रोड्यूज कर दिया, मान्यवर टेलेन्ट आपके पास नहीं है, इक्वीपमेन्ट आपके पास नहीं है और शुरूआत कर दी बे तरीके से। आप लोगों ने कमेटी बनाकर इवोल्यूशन नहीं किया, जिन स्टेट्स में लागू हुआ वहां क्यों फेल हो गया, वहां पर बिना उसका इन्तजार किए आपने इन्ट्रोड्यूज कर दिया। यह फेल होगा सिस्टम।

दूसरी बात इतना मासिव एक्सपेन्शन एजुकेशन का आप क्वालिटी में चेन्ज लाना चाहते हैं। आपने कहा कि यह है हमारा ऑफ कन्सोलिडेशन। मान्यवर, एक स्टेज पर आपको तय करना पड़ेगा किस स्टेज पर, एजुकेशन की किस स्टेज पर प्रोफेशन ओरियन्टेड हम लोग करें और किस स्टेज पर जोब ओरियण्टेड करें। यह आपको तय

(श्री केदार नाथ)

करना पड़ेगा। अगर आप तय नहीं कर पाये, न्यू एजूकेशन पॉलिसी आप बना रहे हो, मान्यवर, अभी तक हमारे सामने आउट लाइन्स उसकी आई नहीं, क्या होगी। यह मैं नहीं कह सकता। मगर इतना फर्क जरूर बता दूं आपको, जो बच्चे आज देहात में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ग्रीन लैण्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे। उन दोनों में आपस में बहुत फरक है और नारा तो देते हैं इमोशनल इण्टीग्रेशन का, देश में भावात्मक एकता पैदा करें। एक बच्चा जो चपरासी का बच्चा है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला बच्चा है। वह पैदल जाता है, बस्ते का बोझा उसके पास है, नगे पैर है, फटे हुए कपड़े। जब वह सेण्ट जेवियर स्कूल के पास से निकलता है, मान्यवर, वहां पर एक कार से बच्चा उतरता है, सर्वेण्ट उसका दरवाजा खोलता है, उसका बस्ता भी सर्वेण्ट ले जाता है उसका टिफिन भी सर्वेण्ट ले जाता है, उसको स्कूल के अन्दर, दरवाजे के अन्दर छोड़कर आता है। सुन्दर, साफ-सुथरा, अच्छे कपड़े पहने हुये और जब चपरासी का बच्चा पास से निकलता है, उसके मुकाबले में जो उसकी स्कूल है वह उसके घर से तीन किलोमीटर दूर है। क्योंकि पास की स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसके दिमाग पर उसका असर क्या पड़ेगा? जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उनमें स्नोबिशनेस आती है अपने आपको वह मेनस्ट्रीम ज्यादा समझते हैं; एक तरफ तो उनके दिमाग में मेन्टल मेकअप और एक इस बच्चे का जो चौथी-पांचवीं तक पढ़ता है फिर छोड़ देता है आप इन दोनों में मुकाबला कीजिये कि यह इमोशनल इन्टिग्रेशन कहां स्टेण्ड करेगा आपका। यह एजूकेशन का सार, मान्यवर, मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने इसमें सुधार नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों में ग्रिवेन्सेज इतनी पेण्ट-अप हो गई गरीब तबके के लोग, ठीक है कि आज हम उसका फायदा नहीं उठा पायें उनकी ताकत को चैलेन्ज नहीं कर पायें, उनके सोर्स नहीं बना पाये, वरना सारा ढांचा बदल जाता और आहिस्ता आहिस्ता यह ग्रिवेन्सेज पेन्ट अप हो रहे हैं और एक दिन फ्लेयरअप होंगे मालूम नहीं इस देश में क्या होगा, मैं इसका अन्दाज नहीं लगा सकता। तो एजुकेशन सिस्टम आप ठीक करो और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को देखिए आप फर्क नहीं हो, तो कोई बात नहीं। हरेक गरीब आदमी को अपने टेलेन्ट केलिबर को उसको डवलप करने के लिए साधन पर मिले आपकी ओर से तब आप मानिये कि इण्टेलिजेन्स कोशिश में फर्क कितना होता है। बहुत कम फर्क है, मान्यवर, इन्टेलिजेन्स की पोजिशन में बहुत कम फर्क है। चाहे देहात का और पिछड़े वर्ग का हो जो ट्रेडिशनली हैण्डीकैप्ड लोग हैं, कम्युनिटी, कास्ट्स। मान्यवर, यहां पर यह भी चर्चा चली, आम देश में रिजर्वेशन के बारे में काफी चर्चा चल रही है, मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता था, जो कास्ट्स हमेशा के लिये, 5 हजार वर्ष तक लगातार वह पिटी रही, पिछड़ी रही, जब वह उबरने लगी, अपना क्लेम मांगने

(श्री केदार नाथ)

लग गये, तो आज कास्ट्स के नाम से खतरनाक स्थिति यहां पैदा हो जायेगी, उसके बारे में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसी कास्ट को आगे आइन्दा रिजर्वेशन में रखना पड़ेगी आपको, उनको वह चीज देनी पड़ेगा आपको। बाकी कास्ट्स के बारे में इकोनोमीक दृष्टि ले सकते हैं, आप यह डिस्टिंक्शन आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर वह नहीं कर पाये तो, मान्यवर, देश की हालत खराब हो जायेगी।

दूसरी बात, आपने देखा कि हमारा पोलिटिकल सिस्टम क्या है, यह क्यों नहीं कर पाया, अनेक चैलेन्ज हैं आपके सामने इतने खतरे हैं आपके सामने। जब हमारे विरोध पक्ष के लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन है, उसको नियर ज्युडिशियल पावर्स दीजिए आप, उसको इन्डिपेंडेन्स पावर्स दीजिए आप, आप नहीं मानते। जब तक आपका फेयर इलेक्शन नहीं, लॉ-फुल इलेक्शन नहीं, मसल पावर्स वहां इस्तेमाल ना हो, वायोलेन्स ना हो, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न हो तब तक क्या सोचते हैं आप कि हमारे अन्दर, हमारी पार्टी के अन्दर डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल लागू हो जायेगा, क्या आप सोचते हैं कि किसी मोरेलिटी पर पहुंच पायेंगे और क्या आप सोचते हैं कि कुछ खतरे खुद हम पैदा कर रहे है? देश की इन्टिग्रिटी के सामने, देश की इन्डिपेंडेन्स के सामने खुद हम खतरे पैदा कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार है आपको चुनाव पद्धति में आपसे अर्ज कर रहा हूं इस बात की कि ये 3–4 बातें आपको लेकर चलनी ही पड़ेंगी। मैं इस बात का जिक्र नहीं करता कि आप देखिये कि आपकी एजूकेशन पालिसी क्या है, लेबर पालिसी क्या है? खेती बाड़ी के लिये आपने खूब बातें कहीं। क्या आप जानते हैं कि खेती बाड़ी कौन करता है, काश्त कौन करते हैं, जो टोइलिंग मिलियन्स हैं, कभी ध्यान नहीं दिया हमारे प्रोविजन में आपने माननीय सदस्यों ने, कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं आई जो शेयर क्रोपर्स हैं, जो नौकर है वहां पर, जो कंजुअल वर्क्स है जो खेत में काम करते हैं उनकी क्या सिक्युरिटी है आज। कितना उनका वर्क है पापुलेशन में, कितना हिस्सा है उनका उसकी ओर आपका ध्यान कभी नहीं गया, न मजदूर की ओर गया, न झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों की ओर गया, न शेयर क्रोपर्स की ओर गया। मुझे समझाइये ये सारा का सारा केडर, यह फोर्सेज आपको लाने वाली हैं डेमोक्रेसी को जिन्दा करने वाली ये फोर्सेज हैं। इनको बेनिफिट्स दो और हम पास करते हैं कानून उस कानून का बेनिफिट्स उनके पास पहुंचता नहीं, वह बेनिफिशरी बनते नहीं हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपना भाषण दिया है कि जितनी आपकी स्कीम्स है पावर्टी को दूर करने के लिये इनका फायदा 3 पर्सेन्ट पहुंचा है। इनका फायदा केवल 3 पर्सेन्ट पहुंचा है। यह 25-30 साल का प्लानिंग आपका बोल रहा है और रिजर्व बैंक का गवर्नर बोल रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जो माननीय सदस्य कांग्रेस के नये आये हैं और जो आइन्दा चाहते हैं कि उनकी

(श्री केदार नाथ)

इमेज इन्डिवीजुअलिटी कायम रहे और जो चाहते हैं कुछ काम करना, मैं अपनी ओर से और अपने एक्सपीरियेन्स की राय देता हूं। मन्त्रिमण्डल का चक्कर छोड़ दें आप अपने इलाके में इन फोर्सेज का करेक्टराइजेशन किया है इन फोर्सेज के बीच में आप जायं, और हिलमिल जाओ और अपने आपको आइडेन्टिफाई कर दो उनके बीच में और फोर्स पैदा करें, करेक्टर आपके हक में है या नहीं, मन्त्री आपकी बात मानते हैं या नहीं, यह फोर्सेज होगा तो सारी बात मनवा लेंगे आप। एक तो यह रास्ता है आपके पास। एक रास्ता यह है कि सारे दिन आओ आप मन्त्रियों के चक्कर लगाओ मन्त्री मिल जायेंगे आपको, हम भी मन्त्री रहे हैं हमारा और आपका इतना फर्क है जो आपने पैरामीटर बना दिया था कि मन्त्री जनता से दूर रहें। मगर दूरी इस बात पर थी, एक मन्त्री जा करके लाइन में खड़ा कर दिया कि जनता ने जिताया; उसी जनता में जाकर उसकी बात नहीं सुनना चाहते, उसमें जाकर आत्म विश्वास पैदा होगा, एक सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होगी, वो आप पैदा करो, अगर राजस्थान का भला चाहते हो आप, कितना प्रान्त से पैसा आयेगा, कितना सेन्टर से अलोकेशन होगा, यह बात छोड़ दीजिए आप। आज राजस्थान में अगर आप मन्त्रिमण्डल का विस्तार कर लेते, कितना करते यह मैं नहीं कह सकता, अगर आप विस्तार कर देते, दो-दो जिलों में एक मन्त्री को इन्चार्ज बना देते, जो लोगों में जोश था आपके प्रति विश्वास था और आकांक्षायें थीं उनको आप मोरेलाइज कर देते तो राजस्थान में एक नया मानस, एक नई फोर्स, पालिटिकल ताकत पैदा हो जाती। यह ब्यूरोक्रेसी में कमी है, न आपकी सुनेंगी, न हमारी सुनेगी, न पूछेंगे आपको किसी तरह से यह इनकी सारी फीलिंग नई ड्राफ्ट कर देते। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मान्यवर, हमारी ओर से बड़े अच्छे सजेशन्स दिये गये हैं आपको, यह बिजली का टैक्स तो बरदाश्त करेंगे नहीं, खास तौर से कन्जूमर, गरीब और खास तौर से काश्तकार, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, आप देख लीजिए सारा हाल, हम लोग अपने-अपने इलाकों में गये थे, रिएक्शन को वाच करने, आप भी वाच करके आये हैं, कोई पसन्द नहीं करता, इसलिए आपकी स्वीटी आवर है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता बड़े अच्छे सजेशन्स हमारे विरोधी पक्ष की ओर से दिये गये हैं, प्रेक्टिकल सजेशन्स आपके सामने आए हैं कि टैक्सेज का सारा असेसमेन्ट ठीक हो, रिकवरी ठीक हो, एरियर आपको सारा मिल जाए तो आपके जो लूपहोल्स हैं, सारे क्लोज अप हो जाए तो मेरा ख्याल है आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, और सेन्टर में जो हमारा शेयर है, पूरा शेयर मिल जाये, तो नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। यह बिजली के बारे में मैंने आपसे बात की। यह ठीक है आज हमने कोई अग्रेसिव मूड नहीं किया, ईमानदारी की बात है मैं उनसे थोड़ा सा दूर हो गया, वे चाहते थे हाउस को तेज करना, ये सब सीनियर हैं हमारे, इन्होंने अपना रेस्पेक्ट कायम किया, एक कमजोरी हमारे अन्दर है इसलिए इनको मौका दो, मास मेन्डेट के बाद सरकार बना कर आये हैं, इनको मौका दीजिये। उस मौके का फायदा है, इतना

(श्री केदारनाथ)

मत समझ लीजिये कि हमारी यह कमजोरी है। ये सब लड़ेंगे और किस प्रकार से लड़ेंगे यह मैं नहीं कह सकता अगर आपने टैक्स कम नहीं किये विशेष तौर से बिजली के, तो ये लोग लड़ेंगे और राजस्थान में बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जायेगी, इतना बड़ा कन्सनडेशन होगा, यह मैं आज नहीं कह सकता, लोगों में बड़ा गुस्सा है, बड़ा जोश है इस बात का। यही नहीं आपने एक सरचार्ज लगा दिया, आपने 25 हजार की टर्न ओवर के ऊपर सेल्स टैक्स में 10 परसेन्ट. कौन अकाउन्ट रखेगा आपका, यह कैसे होगा ? बेनामी लेन-देन होंगे सारे चोरियों के लिए आप होल्स खुद पैदा कर रहे हैं। आपको सेल्स टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ाओ, मगर मान्यवर, आप अन्दाज लगाइये, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जो सेल्स टैक्स है उस यूनिफार्म पैटर्न पर बढ़ा दीजिए —

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वरना हमारी मण्डियां साफ हो जायेंगी यह ध्यान रख लीजिए। हमारे जैसे ट्रैक्टर हैं, अबोहर में उनका वहां दफ्तर है, वहां से खरीदकर यहां लाते हैं, तीन सौ, साढ़े तीन सौ का डिफरैन्स एक ट्रैक्टर पर है। आज एक डीजल का अगर हम ढोल खरीदेंगे पैट्रोल का, कम से कम 80-100 रुपयों का फर्क पैदा हो जायेगा, पांच-सात मील का फर्क है, क्यों आपसे लेंगे वो इस सरचार्ज के बाद यह चीजें आपसे लेंगे वो ? अबोहर मण्डी, फाजिल्का जाकर लेंगे और अपना काम निकाल लेंगे। तो आपको रेवेन्यू का नुकसान है, सारा व्यापार ठप्प बेरोजगारी बढ़ेगी, असन्तोष बढ़ेगा, इसलिए अब भी कल माननीय मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे सारी बात हमने आपके सामने रख दी उनको सोचकर समझकर, यह नहीं कि ये टैक्स लगाकर एलान कर दिया हमारी प्रेस्टिज का सवाल है। मुझे विश्वास है कि बड़ा राशनल व्यू ले करके जो यहां पर थोटफुल सजेशन आये हैं, उनको मानते हुये टैक्स को वापिस लेंगे और नई नीति की घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी अपनी बात कहते हुए कि हम लोग कल अप्रोप्रिएशन बिल को लें, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि डिपार्टमेण्टल कन्सल्टेटिव कमेटीज बनायें। क्या बात की, कई भाषण दे दिए, अखबारों में नाम आ गया, उसके बाद बाहर जाकर फील्ड में हमने जो कानून बनाये, उनका इम्प्लीमेन्टेशन हमारे हाथ नहीं, हमने जो पैसा पास किया डिपार्टमेंट के लिए उसको खर्च करने में किसी प्रकार का श्रेय नहीं, तो डिपार्टमेंटल कन्सल्टेटिव कमेटीज बनाने से आप क्या-क्या चाहते हैं, उसकी जानकारी होगी ?

मान्यवर, मैं यह मानते हुए, ब्यूरोक्रेट बड़ी पुरानी प्रणाली है, भैरोंसिंह जी बहुत पुराने हैं, अब जो नये मन्त्री और एम. एल. ए. आते हैं, ब्यूरोक्रेटस का एक करेक्ट है, मैं एनेलेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके सामने, अपने अनुभव का, पहले तो आपके ऊपर वो अग्रेसिव होंगे, हावी होंगे, ओवर पावर्ड होंगे, कुछ नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियन्स है, सब्जेक्ट की अप्रोच है नया एम. एल. ए. जाता है, तो हावी होगा, अगर थोड़ा सा आपने सब्जेक्ट में अपने को माहिर कर लिया, इलाके की

(श्री केदारनाथ)

समस्याओं के बारे में आपकी वाकफियत है, कुछ नॉलेज है, फिर आपने उसका सामना नहीं किया तो दूसरी बार वो असहयोग करेंगे, डिसअसोसिएट करेंगे आपसे। मन्त्री हो चाहे एम. एल. ए. हो, चाहे एम. पी. हो फर्स्ट फेज में वो ओवर पावर करेगा, स्टैण्ड बाइटेलिटी, वो जो स्टैण्ड लिया। तो मान्यवर, वो आपको डिसअसोसिएट करेगा और फिर भी अगर आप निकल जायेंगे तो थर्ड स्टेज पर आपकी बात मान लेगा, ये स्टेजेज हैं ब्यूरोक्रेसी की। तो समझ लीजिए, यहां नये माननीय सदस्य जो आये हैं, अगर आपने समझ लिया ब्यूरोक्रेसी को तो मैं समझता हूं राजस्थान में जो कमियां हैं, हमारी प्लान में, हमारी ईकानॉमिक पालिसियों में जो कमियां हैं, हमारे पालिटिकल सिस्टम में जो कमी है, वह पालिटिकल पावर पैदा करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे, यही शब्द कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती हमीदा बेगम।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय सभापति महोदया, मुझे बेहद प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे वित्त मन्त्रीजी जो मुख्य मन्त्री भी हैं, उन्होंने एक मोडिफाइड बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया। कई मुद्दों के ऊपर सदन के गणमान्य सदस्यों ने विस्तृत रूप से चर्चा की, कई सदस्यों ने अपनी आन्तरिक पीड़ा को रखा, पुलिस विभाग, वन सम्पदा, माइनिंग, इरिगेशन, पी. एच. ई. डी., एग्रीकल्चर इन सब क्षेत्रों के ऊपर सदन के अन्दर विस्तृत चर्चा हुई। बजट आधार है इस बात का और इस बजट से पहले चार महीने का एक छोटा बजट भी पास किया गया, उस वक्त के अन्दर छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही थी और सातवीं योजना का प्रारम्भ था। अगर हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय, इतने जागरूक नहीं होते, हर साल की तरह से, मार्च के एण्ड में हर डिपार्टमेंट के अन्दर जिस तरह से पैसा दिया जाता है और वहां बजट लेप्स न हो, उस वक्त भी डिपार्टमेंट अण्ट-शण्ट चीजें भी खरीदना शुरू करता है, उस चीज को रख करके और उन्होंने राजस्थान की जनता के ऊपर अतिभार को रोका उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

बजट के अन्दर कई चीजों का जिक्र किया गया। रेवेन्यू टैक्स के अन्दर आय बढ़े, उसके लिये कुछ क्षेत्रों के अन्दर अपनी तरफ से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

मैं पी. एच. ई. डी. के लिए भी कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पर जो ट्यूब वेल्स लगे हुए हैं, उनमें 15 से लेकर 20 प्रतिशत तक बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं और उनसे जो आय होनी चाहिए थी वह खराब होने की वजह से नहीं हो रही है। आज सरकार उनसे मिनिमम चार्जेज ही वसूल कर रही है और इस प्रकार हमें उससे भी घाटा ही हो रहा है। मैं इस बात के लिए पी. एच. ई. डी. को सचेत करना चाहती हूं कि वह इनको अच्छा करवा दें ताकि सरकार की आय में बढ़ोत्तरी हो। आखिर जनता पर जो भार पड़ता है, वह

(श्रीमती हमीदा बेगम)

भार भी कम हो जाये। इसी तरह मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सन् 1983-84 के अन्दर वर्षा बहुत अच्छी हुई और मानसून भी अच्छा आया और वर्षा हुई। इससे हमारे यहां पर कई चीजों की आय अच्छी रही लेकिन इसके बाद में सन् 1984-85 में इन्द्र देवता के नाराज होने से यह वर्ष राजस्थान के लिये बहुत पीड़ा दायक रहा। सारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है हमें तकलीफ उठानी पड़ रही है। इतना होते हुए भी अगर ज्यादा क्षति नहीं हुई उसके लिये हमारी सरकार सराहना की पात्र है और उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी।

लेकिन खान यानी माइनिंग के लिये एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर खनिज सम्पदा की बहुतायत है। यहां पर खनिज की कोई कमी नहीं है। यहां कमी नहीं होने के बावजूद सन् 1982-83 और 1983-84 में जो प्रतिशत आय का रहा, जब उसको हमने देखा और उसको देखने के बाद जो दिखाई देता है उससे हमें दुख होता है। हमें चाहिये कि हमारे खनिज के क्षेत्र में जस्ता और तांबा हमारे यहां पर बहुत अधिक मात्रा में है और हम राजस्थान से इसको नेशनल लेवल और इन्टर नेशनल लेवल पर सप्लाई कर सकते हैं। जस्ता और तांबा से हम अपनी इन्कम बढ़ा सकते हैं। उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ सकती है और हम उससे अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ टेम पहले मेरे से पहले विपक्ष के माननीय सदस्य आबकारी शुल्क टैक्स बढ़ाने के बारे में बोल रहे थे और उनकी कीमत बढ़ाने के बारे में सरकार से कुछ मांग कर रहे थे। मैं एक बात उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि आबकारी विभाग से हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती है। अगर हम गलत तरीके से जो आज शराब निकाली जाती है उस शराब को रोकें तो मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है आज बड़े बड़े केसेज इसमें पकड़े गये हैं। पिछले साल अप्रेल, 1984 से लेकर दिसम्बर, 1984 तक 9 महीनों में जो अभियोग दर्ज किये गये उनकी अगर सही रूप से रोकथाम की जाती तो हमें अधिक आय होती। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि इन 9 महीनों में 5489 केसेज दर्ज हुए और उसमें से 4291 केसेज जनरल हैं। 693 केसेज पर्टीक्यूलर थे और 331 केसेज थे जो कि चालू भट्टियों के पकड़े गये थे, और 164 केसेज ऐसे थे जो कि फर्जी लाइसेंस के थे। जिन लोगों को लाइसेन्स दिया गया उन लोगों ने दुरुपयोग किया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी रोकथाम की जाय और अगर आबकारी विभाग की तरफ गम्भीरता से विचार करें और उनके अन्दर जो अनियमिततायें हो रही हैं उनकी रोकथाम करें तो मैं सोचती हूं कि इससे हमें लाभ मिलेगा।

अब मैं वन सम्पदा के ऊपर भी कुछ निवेदन करना चाहूंगी। वन सम्पदा हमारे राजस्थान के अन्दर जहां एक और पहाड़ी क्षेत्र है तो दूसरी ओर रेगिस्तानी इलाका है पर फिर भी वन सम्पदा की हमारे यहां पर जिस तरह से कटाई हुई है, किस तरह से हमारे यहां पर वन सम्पदा की चोरी हो रही है, अगर उनके ऊपर रोकथाम कर ली जाती है, गैर कानूनी तरीके से जो कटाई होती है उसको अगर आप रोक देते हैं तो

(श्रीमती हमीदा बेगम)

मैं समझती हूं उनसे भी हमारे को बहुत भारी लाभ मिलेगा। हमारी राजस्थान की गरीब जनता को इससे लाभ मिलेगा। जहां हम देखते हैं कि सन् 1982–83 के अन्दर और 1983–84 के अन्दर, अगर हम बजट को देखते हैं, तो उसमें हमें घाटा दिखाई देता है। सन् 1982–83 में हमें 0.12 का और 83–84 में 0.11 का घाटा वन सम्पदा से हुआ। यह हमको अधिक आय प्राप्त करा सकते हैं इसलिये यह घाटा होना हमारे लिये कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं राजस्थान के अन्दर दुग्ध वितरण और डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में, जिसे हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में बढ़ाने के लिये कहा है वह बहुत ही अच्छा आधार दिया है मैं उनका समर्थन करते हुए एक सुझाव देना चाहती हूं। मेरा यह सुझाव है कि इसको सफेद क्रांति के रूप में लेना चाहिये। आज हमारे यहां डेयरी की दुग्ध प्रयोजनायें जैसलमेर, बीकानेर तक फैली हुई हैं और मैं तो कहना चाहती हूं कि इसका सम्पूर्ण राजस्थान में विकास होना चाहिये। हमारे यहां पर पशु धन की कोई कमी नहीं है अगर हम डेयरी की योजना को मुख्य आधार बना कर इस पर गम्भीरता से विचार करें तो, राजस्थान सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर चले तो मुझे यकीन है कि हमें इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और यह लाभ हमारे प्रान्त की जनता तक पहुंचेगा।

ग्रामीण रोजगार योजना के तहत और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत कांग्रेस सरकार ने उपलब्धियां की हैं और इससे हमारे देश की गरीब जनता को, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये गांवों के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को चयनित किया है और उन चयनित परिवार को चयनित परिवार के रूप में चुनकर के उनकी आय बढ़ाने के लिये हमारे यहां पर जो एन. आर. ई. पी. की योजना में जो यह ग्रामीण राष्ट्रीय विकास योजना के तहत सभी लोगों को लाभ मिले। मैं अपनी बात इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगी। मैं सभापति महोदया, दो बातें कहना चाहती हूं। यह राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगार योजना में युवकों के लिये सरकार ने कार्यक्रम बनाया है कि गांवों के स्तर पर शिक्षित बेरोजगार का चयन किया जाय। लेकिन इसमें जिनका चयन किया जाना चाहिये था मुझे जहां तक मालूम पड़ा है आफिसर लोग जो परियोजना अधिकारी हैं अपनी मनमानी करते हैं और प्रशिक्षण देने में नवयुवकों को चुनने में भेदभाव बरतते हैं। अपने वहां की मैं बात कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में परियोजना अधिकारी ने जिसको प्रशिक्षण के लिये चुना वह केवल अपने परिवार को ही लिया और बाकी अन्य लोगों को नेगलेक्ट कर दिया। इसलिये इस योजना से जिन लोगों को हकीकत में लाभ मिलना चाहिये था, गरीब लोगों को वह आज लाभ नहीं मिल रहा है इसके कई कारण हैं इसमें एक सबसे बड़ा कारण हमारे यहां की ब्यूरोक्रेसी है आज अधिकारी अपने आप में ज्यादा मस्त हो रहे हैं, वह इस बात के लिये कि वो अपनी मरजी से जो कर देते हैं वही सही है। लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहती हूं कि इसे गम्भीरता से लें और जो एकी-

(श्रीमती हमीदा बेगम)

कृत ग्रामीण विकास योजना हमारी है वह हकीकत में ग्रामीण लोगों के लिये है जो कि गरीब है। इस योजना में चयनित होने वाले जो परिवार हैं उनको चयनित करने के बाद अगर लाभ नहीं पहुंच पाता है तो सभापति महोदय, वह लोग समाज की निगाहों में गिरे भी और कुछ लाभ भी उन लोगों को नहीं मिला तो उनकी तो यह हालत हुई कि धन भी गया और धर्म भी गया तो यह बात उन पर लागू होगी।

सभापति महोदय, मैं विद्युत के बारे में आपके माध्यम से विद्युत मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य में यह सत्य है कि किसी राज्य का विकास यदि निर्भर करता है तो दो बातों पर निर्भर करता है पहला पानी और दूसरा विद्युतीकरण। विद्युतीकरण के अन्दर आज जिन गाँवों के अन्दर लाइनें खींच ली गयी। विकासशील देशों के साथ कदम बढ़ाने के लिए, पर पास के गांव में बिजली उपलब्ध है और उसी से लगता हुआ गांव अंधेरे में डूबा रहे यह समझ में नहीं आता। एक गांव के अन्दर उच्च श्रेणी के लोगों को बिजली उपलब्ध हो और हरिजन मुहल्ले के अन्दर अंधेरा हो, इसे हम जहां तक सोचते हैं, नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से विद्युत मन्त्री जी से....

श्री शोपत सिंह : विद्युत मन्त्री गायब हैं।

श्रीमती हमीदा बेगम : विकासशील देश के अन्दर ...। आपको मालूम नहीं है सरकार बैठी है, सबका जवाब देती है।

आर. एस. ई. बी. में जो अव्यवस्था है वह किसी प्रकार सुधारी जाये और जहां तक हो सके जो हमारी लाइन लासेज हो रहा है उसको कन्ट्रोल कर दिया जाये तो मैं समझती हूं उससे आय में वृद्धि होगी और आर. एस. ई. बी. के अन्दर जो कमी है वह दूर होगी और उनकी आय बढ़ सकती है। विद्युतीकरण करने में गाव के अन्दर जब हम प्रवेश करें तो इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि वहां पर सभी को प्रकाश मिले। यही मेरा विद्युत मन्त्री जी से निवेदन है। हमारे कृषि के क्षेत्र के अन्दर, राजस्थान, जो अभी सरप्लस स्टेट है, यहां पर इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री भी विराजे हुए हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम इस कैनाल को पूरा कर लेंगे, आज भी सरप्लस स्टेट यह खाद्य के अन्दर....

श्री यदुनाथ सिंह : पता नहीं कब होगी।

श्रीमती हमीदा बेगम : आज भी खाद्य के भण्डार हिन्दुस्तान को मिल सकते हैं, यहां से। इसलिये प्राथमिकता के आधार पर चाहे कितना ही केन्द्र सरकार से अनुरोध करना पड़े, इतने साल की लम्बी अवधि को बहुत कम महीनों में परिवर्तित करके और राजस्थान की तपती हुई धरती के अन्दर भागीरथ उतार कर खाद्य के लिये हमारे विकासशील हिन्दुस्तान को और मदद पहुंचाने का काम दें, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री शोपत सिंह : रोशनी मन्त्री आ गये।

श्रीमती हमीदा बेगम : चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बात कहना चाहती हूं...

श्री शोपत सिंह : खुद बीमार हैं...।

श्रीमती हमीदा बेगम : देखिये बीमारी जिस्म के साथ लगी रहती है। हमारे मुख्य मन्त्री ने जब बजट प्रस्तुत किया, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी जब स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात आई तो हमारा उपेक्षित क्षेत्र उसमें शामिल नहीं किया गया। मैं अपने चूरू की दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखना चाहूंगी और आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि हमारे जिला मुख्यालय में जो अस्पताल आपने 'बी' श्रेणी का कर दिया है, उसके अन्दर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यदि आप हमारे चूरू जिले को भी अपने बजट के अन्दर, चिकित्सा के अन्दर कुछ रियायत देते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। फिर भी मैं यकीन करती हूं कि मेरी आवाज आपके माध्यम से सरकार तक जायेगी। मैं उनसे दो बात और कहना चाहती हूं कि मेरे वहां जिला मुख्यालय के अन्दर जो अस्पताल है, हमारे चूरू जिले में, कहीं ब्लड बैंक नहीं है। यदि किसी सीरियस मरीज को ब्लड की आवश्यकता होती है, सीरियस मरीज हो तो हमें खून के लिए सीकर या बीकानेर जाना पड़ेगा, वहां का डिस्टेंस इतना है कि वहां से जाने-आने में ही शायद मरीज एक्सपायर हो सकता है और ऐसे कई केसेज हुए भी हैं। कई डिलीवरीज केसेज होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि मेरे हास्पिटल के अन्दर ब्लड बैंक की स्थापना की जाये। चूरू क्षेत्र के अन्दर पानी का अभाव तो है ही बिजली का अभाव भी रहता है। सभापति महोदया, आप घन्टी बजायेंगी, मैं दो बात कहना चाहती हूं....

श्री शोपत सिंह : नहीं बजायेंगी, हम रक्षा करेंगे।

श्रीमती हमीदा बेगम : हमारे यहां अस्पताल के अन्दर जब बिजली चली जाये और कोई मरीज का आपरेशन हो रहा हो, टेबिल के ऊपर मरीज को यूं ही छोड़ना पड़ेगा because we have no emergency light in our operation theatre. यह बहुत सीरियस बात है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहती हूं कि चूरू जिला मुख्यालय है और उसके अस्पताल के अन्दर यही अव्यवस्था रही तो हम अपने मरीजों को राहत नहीं दे पायेंगे और हमारे सीरियस से सीरियस मरीज अपनी जिन्दगी की अन्तिम घड़ियां ही गिनेंगे फिर जीवित रहने की आशा नहीं रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगी कि चूरू बहुत ही अभावों से भरा हुआ है। वहां डाक्टर्स के रहने के लिए क्वार्टस तक नहीं बनाये गये, कोई भी डाक्टर, सीनियर सर्जन या स्पेशलिस्ट हमारे चूरू आने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दावत देकर बुला लो।

श्रीमती हमीदा बेगम : आपको लेकर चलूंगी। माननीय सभापति महोदया, इन सभी चीजों के बाद अन्त में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री ने जितनी फेसिलिटी हर क्षेत्र के अन्दर दी उनमें एक शिक्षा का क्षेत्र छूट गया। हर साल हजारों विद्यार्थी पढ़ते आये हैं। शिक्षा आधारभूत विकास की हमारी एक पंक्ति है और एक आवश्यक पहलू है। यदि उन्हीं पर ध्यान नहीं रखा गया तो माननीय सभापति महोदया, एक चीज और कहना चाहती हूं, हमारे प्राइमरी स्कूल....

श्री सभापति : समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : हमारा समय भी इनको मिले, अच्छा बोल रही हैं।

श्रीमती हमीदा बेगम : ....के अन्दर जो शिक्षा का स्तर है वह बहुत नीचे आ गया। मेरा सरकार से एक सुझाव है कि हाई क्वालिफाइड पर्सन को प्रायोरिटी से अपाइन्टमेंट दें। वहां पर एच. टी. सी. किए हुए आपके अध्यापक हैं जो बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देते। प्राइमरी शिक्षा का बच्चों की नैतिकता और हमारे देश को ऊंचा उठाने के लिये बहुत महत्व है। शिक्षा के अन्दर यह बड़ी गम्भीर बात है। इसको हमें एडाप्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ऊंची शिक्षा के लिए ऊंचे-ऊंचे प्रोफेसर्स को एपाइन्ट करते हैं लेकिन जो अनिवार्य शिक्षा है जहां हमको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जहां बीज का बीजारोपण का समय होता है यहां मामूली टीचर को लगा देते हैं, वह टीचर न खुद पूरी तरह से शिक्षित है और न बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं।

अन्त में एक बात कहना चाहूंगी कि वक्फ की जायदाद के ऊपर राजस्थान के अन्दर जिस तरह से कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। जयपुर के अन्दर मुसलमानों की इतनी बड़ी वक्फ की जायदाद के ऊपर तीस-तीस रुपये के अन्दर किराये पर जो एक एक दुकान उठा रहे हैं उसको सरकार सख्ती से रोके और जिस तरह से साहसी कदम हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिल्ली के अन्दर अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा करते हुए वक्फ की करोड़ों रुपयों की जायदाद की रक्षा करते हुए और वक्फ की जायदाद वक्फ के लोगों को लौटाई, जो साहसिक कदम उठाया सराहनीय बात है। राजस्थान के अन्दर अतिक्रमण को हटाकर आप भी ऐसा ही करें। इन सब बातों के साथ मैं बजट का समथन करते हुए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री नवरंग सिंह : माननीय सभापति महोदया—

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी...।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नवरंग सिंह जी।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदया, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जो कांग्रेस को मेन्डेट मिला, उसकी यहां चर्चा कर रहे थे। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय सभापति महोदया मैं कहना चाहता

(श्री नवरंग सिंह)

हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को कि 1980 में भी इस देश की जनता ने इस की जनता ने, इस देश के 70 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को मेन्डेट दिया था इसलिए दिया था कि वह जनता की रक्षा करेगी लेकिन वह मेन्डेट देने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि वह कांग्रेस इन्दिरा गांधी की भी रक्षा नहीं कर सकी। इसलिए माननीय सभापति महोदया, इन्हीं बातों के साथ में मैं आज की चर्चा इस देश की और प्रदेश की अहम समस्याओं की ओर उल्लेख करके करनी चाहता हूं।

देश में और प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी और अमीरी का जो अन्तर है उसकी सारे देश में चर्चा है, सारे देश पर उसका प्रभाव है। मैं आपको कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदया आपकी मार्फत कि यह जो दोनों पक्षों में माननीय सदस्य बैठे हैं क्योंकि देश किसी एक पक्ष का नहीं हुआ करता है, प्रदेश किसी एक पक्ष का नहीं होता है। प्रदेश का हर नागरिक, हर बच्चा प्रदेश की चिन्ता करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 125 देशों में हिन्दुस्तान का नाम गरीबी में 123 वें नम्बर पर है। यह अफसोस की बात है सभापति महोदया, यह दुख की बात है—

(5.31 सायं)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : थोड़ा आसन की तरफ देखें आप।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलने में मशगूल थे कोई खास बात नहीं है।

श्री बी. डी. कल्ला : किस मैगजीन से कोट किया है आपने यह ?

श्री नवरंग सिंह : ...सभापति महोदय, माननीय सरकारी पक्ष के मुख्य सचेतक अथारिटी की बात करते हैं। वह अगर बहस और चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे पास इस सत्र के बाद आ जायें उनको वह बहस और अथारिटी मैं दिखा दूंगा। क्योंकि चर्चा का मामला है। यहां पर विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है, उसका मामला है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि इस देश में 60 प्रतिशत स्त्री, पुरुष और बच्चे ऐसे हैं कि जो रात को भूखे पेट सोते हैं। जो सरकार को कोसते हैं, तरसते हैं उनको...

श्री सभापति : आप कृपया आसन की ओर मुखातिब हों।

श्री नवरंग सिंह : ...लेकिन सभापति महोदय, फिर भी कहा जाता है कि यह देश तो गरीब नहीं है। यह तो मेन्डेट दे दिया, इसलिए हम राज्य करेंगे। राज करो पहले भी किया है और वक्त आया तो हमने भी राज किया है, लेकिन ऐसे राज मत करो जो राज इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को दुखदर्द दे। यही नहीं सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश में 50

(श्री नवरंगसिंह)

लाख परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास केवल एक झोंपड़ी है सोने की। यह तो बात करते हैं आलीशान महलों की, यह बात करते है देश की तरक्की की, प्रदेश की तरक्की की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 50 लाख परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास एक झोंपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। उसी में जागती सोती हैं, उसी में चक्की चलती है, और उसी में चूल्हा और दूसरे काम होते हैं। यह देश है सभापति महोदय। उस देश की हालत और प्रदेश की हालत के बारे में यहां चर्चा कर रहा हूं। इन सब के साथ सभापति म ोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश का दुर्भाग्य इसलिए है कि इस देश के जो कर्णधार बने उन्होंने देश की प्राथमिकताओं को गलत चुना। इस देश की मुख्य प्राथमिकता थी खेती। मैं आपको कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस देश में प्रधानमन्त्री अगर सरदार पटेल बनते, नेहरू की जगह तो आज देश के हालात दूसरे होते, देश की तरक्की होती और न आज हमें 12 घण्टे बिजली के लिए भागना पड़ता और ना टैक्स की बात करनी पड़ती। लेकिन उस समय देश में गलती हुई फिर भी मैं सभापति महोदय, आंकड़ों की मार्फत यह बताता हूं कि देश में पहली योजना बनी तो सरदार पटेल जिन्दा थे। इसलिए उन्होंने जो कर्णधार थे, जो कारखानों की बात करते थे, अमेरिका और दूसरे देशों के बलबूते पर उन्होंने कहा कि खेती पर जोर रखो। क्योंकि खेती के बलबूते पर कुआ चलाकर उसने बेरिस्ट्री पास की थी, इसलिए 100 में से 37 रुपये उसने खेती पर रखवाये थे लेकिन सभापति महोदय, वह खुदा को प्यारे हो गये। उसके बाद जितनी योजनायें बनीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, 37 की बजाय 17 रुपये रख दिये और कारखानों पर जो 3 रुपये रखे गये थे, सभापति महोदय, सरदार पटेल के जाने के बाद वह 24 रुपये हो गये। इसलिए कैसे देश की खेती की हालत सुधरेगी ? इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं कि इस देश में हालात नहीं बदल सकते। इस देश में सन् 1977 में नई हवा आयी, एक नया वातावरण आया और मैं आपको कहना चाहता हू कि दिल्ली में और राजस्थान में किसानों के कुछ हमदर्द लोग थे वह सत्ता में आये जिनकी बदौलत सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हू कि उस मामले को लेकर हमने 78 में रैली भी निकाली, माननीय चौधरी चरणसिंह जी के जन्म दिन पर वह 17 रुपये से हमने 40 रुपये किए, जिसकी बदौलत आज राजस्थान में यह कहते हैं, हमने बिजली के तार खींच दिए। यह राजस्थान में कहते हैं हमने योजनायें बना दीं। तो आपने योजनायें बनाई लेकिन ऐसी योजनायें बनाई जिन योजनाओं में आपके पानी नहीं जाता। जिसकी चर्चायें आज के चार दिन पहले चल रही थीं, माननीय लूनी से आने वाले माननीय सदस्य के अन्तर्गत वह गांव आते हैं। वहां जाकर माननीय मन्त्री महोदया देख आयी, वहां पानी आज तक नहीं पहुंचा, ऐसी योजनाये आपने बनायीं। मैं आपको कहना यह चाहता था कि हमने बदलाव की स्थिति में देश चलाने की कोशिश की। हम बदलाव ऐसा लायें कि

(श्री नवरंगसिंह)

हमने बजट की प्राथमिकता खेती पर ज्यादा दी। बजट की प्राथमिकता हमने दस्तकारी पर ज्यादा दी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में सर्वे हुआ था। सन् 55 में दस्तकारों का·····

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, ट्रेजरी बेन्चेज सूनी हैं, खाली हैं।

श्री सभापति : कोरम पूरा है आप चिन्ता नहीं करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रासिंह : एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : कोई मन्त्री हाउस में नहीं है। बातों में मशगूल हो सकते हैं।

श्री सभापति : मन्त्री जी, कृपया अपने आसन को ग्रहण कर सुनें उनकी बात।

एक माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

श्री सभापति : आपने कहा बैन्चेज खाली हैं, उसका जवाब दिया मैंने। कृपया बोलें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैंने ट्रेजरी बैन्चेज कहा है। बैन्चेज नहीं कहा मैंने। मैंने कहा ट्रेजरी बैन्चेज खाली हैं, सूनी हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : आपकी बात को पूरा कॉग्निजेन्स दे रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सफाई क्यों दे रहे हैं। आप मन्त्री नहीं हैं। आप सफाई मत दीजिए। आप व्यवस्था कीजिये। आप सचेतक हैं, व्यवस्था कीजिए।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक हैं उनको अधिकार है बात कहने का। ····आर्डर प्लीज आर्डर····

श्रीमती सुमित्रासिंह : मंत्री को तो बिठा नहीं सकते, उनके स्थान पर और आप बीच-बीच में खामखा डिस्टर्ब करते हैं। अपने मन्त्रियों को नियन्त्रित कीजिए ना।

श्री सभापति : मंत्री जी विजिलेन्ट थे। सदन में थे। सुन रहे थे आपकी बात। कृपया बोलें। आर्डर प्लीज आर्डर····

श्री बी. डी. कल्ला : आपके दल के सचेतक ने आपका नाम नहीं दिया हुआ है ऐसा लगता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या मतलब।

श्री बी. डी. कल्ला : इसीलिए बीच-बीच में बोल रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको व्यवस्था की बात कह रहे हैं हम। गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं आप। हमारा नाम दिया है या नहीं दिया है क्या इसलिए बोल रहे हैं हम ? आपकी व्यवस्था क्या है ? आप चले जाइये आप तो वैसे ही कम चलाते हैं हाउस।

Page No. 180

श्री सभापति : आप सब सम्मानीय सदस्य हैं, हाउस के ऐसी बात नहीं है। श्री नवरंगसिंह कृपया बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय बात कैसी कर रहे हैं और उकसा रहे हैं हमको।

श्री सभापति : माननीय सदस्या कृपया बिराजें।

श्री नवरंगसिंह : सभापति महोदय, मैं देश के दस्तकारों की बात कर रहा था और सदन को यह अवगत करा रहा था कि 55 में जब दस्तकारों का सर्वे हुआ, इस देश में कारीगरों का सर्वे हुआ तो उनकी संख्या थी 1 करोड़ 68 लाख लेकिन सभापति महोदय, जो मेन्डेट देने वाले लोग थे कांग्रेस का नाम लेकर उनको कहना चाहता हूं। उस समय की सरकार ने फिर 65 में सर्वे कराया तो संख्या रह गई, कुल 68 लाख। एक करोड़ लोग भूख के मारे या तो जैसा यह कहते हैं कि इनकी योजनाओं में और राष्ट्रीय योजनाओं में-हमारी योजनाओं का नाम तो यह नहीं लेते-या तो किसी को एक बीघा, किसी को दो बीघा या आधा बिस्वा जमीन देकर कहीं किसान बना दिया या और कहीं जीविकोपार्जन के लिए उस धन्धे को तो खतम कर दिया। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने प्राथमिकता नहीं दी खेती को, हमने प्राथमिकता नहीं दी दस्तकारी को : यह जयपुर जो गुलाबी नगरी कहलाता है, इसके आसपास मेरी जानकारी में कई दस्तकार हैं जो हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रदेश में या बड़े शहर में इतनी बड़ी संख्या में नहीं हैं लेकिन राजस्थान की सरकार ने जयपुर के दस्तकारों को संगठित करके उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से बजट देकर या धन्धों का इन्तजाम करके कभी कोई इन्तजाम नहीं किया। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सरकार न किसानों की हमदर्द है और न यह सरकार दस्तकारों की हमदर्द है। यह तो केवल अपने स्वार्थों की हमदर्द है और अपने स्वार्थों के बलबूते पर यह इधर से उधर की योजनाओं पर जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य कह रहे थे, तबादले और दूसरी चीज कर रही है। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के कृषि की विकास की बात के लिए कह रहा हूं। उसके बारे में बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इस देश का दूसरा बड़ा राज्य है लेकिन सरकार कहती है हम पैदावार बढ़ा रहे हैं। मैं सरकार को चैलेन्ज करता हूं कि सबसे ज्यादा फसल इस राजस्थान में जो थी, वह थी बाजरे की, आज चाहे दूसरी हो गई। बाजरा था उसकी फसल के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि बाजरे की राजस्थान की मुख्य फसल 73-74 में सर्वाधिक थी। सभापति महोदय, 57.71 लाख हैक्टेयर जमीन में बाजरा पैदा हुआ, वह 1984-85 में घटकर केवल 50 लाख रह गया। सभापति महोदय, इससे सरकार की दूरदर्शिता का, इससे सरकार के श्रम का, इससे सरकार की तरक्की का आपको पता लग गया होगा। यहीं नहीं सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1984-85 में खरीफ की फसल में 6

(श्री नवरंगसिंह)

प्रतिशत की गिरावट आई है और इसी तरह से मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि 83-84 में 178 लाख हैक्टेयर जमीन में फसल बोई गई जबकि 84-85 में घटकर 145 8। रह गई। इसी तरह सभापति महोदय, खेती के मामले में भी हमारे राजस्थान की सरकार वह बजाये तरक्की करने के, बजाय साधन लगाने के पिछड़ती चली गई। राजस्थान की मुख्य फसल बाजरा मैंने जैसा आपको बताया कि धीरे-धीरे इन्होंने चौपट करने का इरादा बना लिया। यही नहीं सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खरीफ की फसल 84-85 के उत्पादन में मुख्यतः अनाज में 25 प्रतिशत, कपास में 36 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं, खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 84-85 में 42.3 लाख टन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके मुकाबले में केवल हुआ है 24.09 लाख टन। इस लिए सभापति महोदय, एक क्षेत्र में क्या, अनेकों क्षेत्रों में यही स्थिति है। इसी तरह से सभापति महोदय- मैं बिजली के बारे में संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री नवरंगसिह : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा बहुत सा टाइम तो चला गया, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक के हस्तक्षेप से। इसलिए मैं आपसे मेरे अधिकारों की रक्षा चाहता हूं---

श्री सभापति : 15-20 सैकण्ड ही लगे होंगे। आप कृपया बोलें। उन्होंने अधिक समय नहीं लिया।

श्री नवरंगसिह : सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आपकी मार्फत सरकार ने आज किसान को जो 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 3 हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक बढ़ाया है, इसी तरह से जो यूनिट पर शुरू से मैं आपको सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि यूनिट का पर यूनिट 12 पैसे था, यह जोशी जी की बदौलत था कि 12 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे किया और आपको कहना चाहता हूं हम लोगों की जनता सरकार जब आई तो हमने कोशिश करके क्योंकि हमारे मुख्य मन्त्री भैरोंसिह जी थे वे भी इस पक्ष के थे कोशिश करके फ्लैट रेट में लागू कराया। भैरोंसिह जी आज विरोधी दल के नेता सदन में विराजमान हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, उस समय भी इतने सख्त थे--

एक माननीय सदस्य : नहीं, हैं।

श्री नवरंगसिह : यहीं हैं, आप चिन्ता मत करो, आपकी सरकार की तरह नहीं गई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने एतराज किया है, सदन में नहीं हैं।

श्री नवरंगसिह : मैं कहना चाहता हूं, कि हम फ्लैट रेट को करना चाहते थे, यह

(श्री नवरंगसिंह)

किसी प्रकार फिर इसमें प्रावधान होगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, महोदय, कि 82 में उन्होंने फ्लैट रेट को पूरी तरह बढ़ा दिया और फिर फ्लैट रेट को बढ़ाकर राजस्थान में, वह पैदावार कैसे बढ़ेगी। वह पैदावार उस रास्ते से होगी कि सरकार क्या सुविधायें देती है, इसलिए मेरा सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन है, यह जो आपने बजट में बिजली पर जो टैक्स प्रस्तावित किया है और उस टैक्स के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत विनम्र शब्दों में कि राजस्थान का किसान राजस्थान का गरीब किसान इस टैक्स को सहन नहीं कर सकता। इस पक्ष और उस पक्ष, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के चाहे हृदय टटोल लिये जायें, सरकार अगर नहीं माने तो उनको किसी मन्त्री का मालुम हो, इसलिए कुछ सदस्य उस पर्चे पर दस्तखत नहीं दें तो मैं नहीं कह सकता लेकिन सभापति महोदय, मुझे जयपुर जिले का सबसे बड़ा अनुभव है क्योंकि मैंने किसान यूनियन के रूप में 21 फरवरी को आपको याद होगा, हरा झण्डा लेकर इस विधान सभा के सामने 80 हजार से ज्यादा किसानों को इकट्ठा किया था और मैं कहना चाहता हूं कि 80 हजार पूरे जयपुर में है। सबसे ज्यादा वह बिजली का प्रेशर जयपुर में है। यहां के लोग बहुत गरीब हैं इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यह टैक्स हर स्थिति में वापिस लिया जाना चाहिए····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री नवरंगसिंह : सभापति महोदय. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहते हैं कि टैक्स के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यह जो विद्युत मण्डल है, यह तो ऐसी संस्था बन गई है, सभापति महोदय 63 करोड़ रुपया लोगों में इसका बाकी पड़ा है, उसकी इसको चिन्ता नहीं और यह तो किसानों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े मन्त्रियों में और बड़े बड़े सेठ साहूकारों में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, 36 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है लेकिन कोई परवाह नहीं। कहते हैं, हाई कोर्ट में चले गये, ज्यादा जोर मारते है, तो कहते है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गये। इसलिए सभापति महोदय, सरकार को बजाये टैक्स बढ़ाने के उस पैसे को लेकर बोर्ड को संचालित करने की कोशिश करनी चाहिए—

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री नवरंगसिंह : यही नहीं, सभापति महोदय, मैं बेरोजगारों के बारे में कुछ आपको कहना चाहता हूं····

श्री सभापति : सक्षेप में कहें।

श्री नवरंगसिंह : यह कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष में माननीय सदस्य बैठ हैं, सुन लो और सरकार सुन ले कि 77 में बेरोजगारों की दर संख्या थी 1.2 लाख। 6 वर्ष बाद वह बढ़कर हो गई 19.7 लाख। मैं आपको सभापति महोदय, बताना चाहता हूं, ऐसी हालत हो गई है

(श्री नवरंगसिंह)

इस प्रदेश में कि डाक्टर और इन्जीनियर भी चपरासी की नौकरी पर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे गई गुजरी स्थिति और सरकार की क्या हो सकती है ? यही नहीं सभापति महोदय, राजस्थान की स्थिति भी आपके सामने रखना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 31 मार्च, 1985 को 5 लाख 40 हजार 9 सौ 18 बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज थे और कितनों को नौकरी पर लगाया, यह बात तो दूर रही, साक्षात्कार इण्टरव्यू के लिए बुलाये गये थे। सभापति महोदय, वह साल भर में केवल 26237 लोगों को। इसलिए सभापति महोदय, 5 लाख और कुछ लोगों को जिसकी गिनती बताई उनको नौकरी मिलना तो दूर रहा उनको कार्ड भेजकर नौकरी के दर्शन भी नहीं करा सके। इसलिए इस काम को बढ़ाने की आवश्यकता है। यही नहीं सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि खेतीहर मजदूर, प्रदेश में खेतीहर मजदूर की स्थिति जो है, वह बढ़ गई है और 51 में यह थी 13.57, 61 में थी 16 90 अनुपात 51.10। 71 में थी 26 अनुपात 43 और सभापति महोदय, 81 में है 30 अनुपात 40। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस ढंग से किसान की संख्या भी सभापति महोदय, 50 फीसदी के करीब घटी है और जो किसान घटा है, यह खेतीहर मजदूर छोड़ गये। खेतीहर मजदूरों की बात चलाते हैं, बन्धुआ मजदूरों की बात चलाते हैं लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत बड़ी फौज बेरोजगारों की खेतीहर मजदूरों के रूप में राजस्थान में बढ़ी है। यही नहीं सभापति महोदय, इस देश में मैं आपको कहना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि इस खेती के लिए क्यों छोटा काश्तकार है? आज दो चार बीघा वाले किसान इस राजस्थान में ज्यादा हैं। केवल दो बीघा, चार-बीघा की वकालत करने के लिए इस क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं कि केवल सरदार पटेल और उसके बाद माननीय चरणसिंह जी हुए हैं। ट्रैक्टरों की संख्या इन्होंने बढ़ाई, जो आम आदमी के काम नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ट्रैक्टर की संख्या जो 45 में 1343 थी आज यह संख्या बढ़कर हो गयी दो लाख 44 हजार 58 (2,44 058) इस तरह से आपको कहना चाहता हूं कि जो गरीब किसान थे, जो छोटे छोटे जोत वाले थे, बड़ी जोत की बात का दोष दूसरों को देते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसका दोष जो भाई सत्ता में बैठे हैं जो सरकार में बैठे हैं यह जिम्मेदार है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नवरंगसिंह : यही नहीं, सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में भी बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि साक्षरता का प्रतिशत 24.38 है जबकि देश में 32.17 है। महिलाओं की साक्षरता सभापति महोदय, केवल 11 42 है, जो राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात है। जबकि भारत में 24.30 है। यही नहीं सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री नवरंगसिंह)

भारत सरकार से जो पैसा शिक्षा के प्रसार के रूप में राजस्थान सरकार को मिला है, 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों को भर्ती करने के लिए एक करोड़ रुपया और प्रौढ़ शिक्षा पर 25 लाख और महिलाओं की शिक्षा के लिए 2 लाख 25 हजार, और सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस लक्ष्य के लिए जिस बात के लिए पैसा मिला वहां नहीं लगाया, इस पैसे को डकार गये सेक्रेटरियट और दूसरी जगह जो बैठे हैं अधिकारी वे डकार गये। मैं सरकार पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि जो पैसा छात्र-छात्राओं के पढ़ाई के लिए मिला, उनके साधनों को खरीदने के लिए मिला वह पैसा सरकार के अफसर शर्तों के विपरीत हड़प गये...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नवरंगसिंह : यह शर्म की बात है। सभापति महोदय, इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में हल्ला तो बहुत मचाते हैं। अब हमारे प्रधानमन्त्री जी कहने लगे हैं कि शिक्षा की नीति बदलेंगे लेकिन मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं कि आपने जो टेन प्लस टू की स्कीम लागू की थी, कहां है वह आपकी टेन प्लस टू की स्कीम? कितने विद्यालयों में आपने इसको खोला? यह खोलने से पहले ही आपका प्रयोग असफल हो गया, इसलिए मेरा सुझाव है इस शिक्षा में परिवर्तन करना होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : अभी मैं खतम कर रहा हूं, यह डिसटर्बेंस हो रहा है।

श्री सभापति : आप तो बोलें।

श्री नवरंगसिंह : इसलिए मेरा निवेदन है शिक्षा को परिवर्तित किया जाय और शिक्षा को धन्धे के साथ जोड़ा जाय, शिक्षा को खेती के साथ जोड़ा जाय, शिक्षा को कारखानों के साथ जोड़ा जाय। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए यह कहा था कि वो इस साल शिक्षण संस्थायें नहीं खोलेंगे...

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित
समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की आज्ञा है.... तो सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : यह सत्ता पक्ष भी ना

(श्री शोपतसिंह)

कहता है। आज तो जाने दो, समय पर ... ।

एक माननीय सदस्य : बढ़ गया जी। अब बढ़ गया.....

श्री शोपतसिंह : अभी तो आप जाने दो ।

एक माननीय सदस्य : अब तो बढ़ गया ।

श्री सभापति : सदन की आज्ञा से सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985

कृपया संक्षिप्त करें । आप समाप्त करने की चेष्टा करें, माननीय सदस्य । एक मिनिट में खतम कर दें अपनी बात ।

श्री नवरंगसिंह : सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय हैं, कहने को तो लेकिन राजस्थान में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो कृषि विश्वविद्यालय हो, जबकि, भारत सरकार का अनुदान आयोग सभापति महोदय, इस राजस्थान की सरकार को कृषि विश्वविद्यालय चलाने के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने के लिए तैयार है । इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है कि राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाय ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री नवरंगसिंह : समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं खेलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों के लिए पूर्ण रूप से जो बजट है, उसका उपयोग हो । उसमें ऐसा लगता है सभापति महोदय, कि खेलों के जो शिविर हैं, खेलों के जो प्रशिक्षण हैं, मैंने इस बारे में एक सवाल भी पूछा था----

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

श्री सभापति : आप लम्बी बात न कहें, शार्ट कर दें ।

मैं अब दूसरा नाम पुकार रहा हूं ।

श्री नवरंगसिंह : अन्तिम निवेदन कर रहा हूं....

श्री सभापति : अन्त में जो कहना है, कह दें ।

श्री नवरंगसिंह : मैं यह कह रहा हूं कि हमारी सरकार विकेन्द्रीकरण और ग्रामों की बातें बहुत करती है, लेकिन आजादी के 38 साल बाद भी--

श्री सभापति : रिपीटीशन बहुत हो रहा है । आप रिपीट न करें ।

श्री नवरंगसिंह : रिपीट नहीं कर रहा हूं, आज भी हमारे ग्रामों में माता और बहिनों को शर्मनाक हालत में उन शौचालयों के अभाव में सड़क के किनारे

(श्री नवरंग सिंह)

खुले स्थानों में शौच के लिए बैठना पड़ता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप शौचालयों की व्यवस्था करावें और नहीं कर सकें, तो माता बहिनों की तो लाज बचावें। मेरा निवेदन है इस ओर भी आप कुछ व्यवस्था करावें।

(घंटी)

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके मार्फत राज्य सरकार से, क्योंकि यह जायज मांग है।

श्री सभापति : मैं आगे का नाम पुकार रहा हूं, कृपया समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : इसलिये उसको माना जाय और एक ट्रेनिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगो ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है उनको नौकरी में स्थान देने के लिये योग्य घोषित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने फाइनेन्स बिल पेश किया है जो कि मैं सोचता हूं सरकार उसको खर्च करने के लिये सक्षम नहीं है, उसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं उसको पारित नहीं किया जाय।

श्री सभापति : श्री उदय राम धाकड़।

श्री मुक्ति लाल मोदी : सभापति जी मैं बोलूंगा—

श्री सभापति : मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है श्री उदय राम धाकड़। अब आप इसके बाद बोलेंगे।

श्री उदय राम धाकड़ (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, आज जो सदन में फाइनेन्स बिल पर बहस चल रही है मैं भी चितौड़ जिले की समस्या के बारे में बोलूंगा कि सरकार ने बिजली के जो पैसे बढ़ाये हैं, उसमें काश्तकारों के लिये बिजली कम से कम 8 घन्टे देने की सरकार घोषणा करे। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि काश्तकारों को कम से कम दिन में बिजली मिले, क्योंकि रात में काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है खेती के लिये। खेतों में घूमते हैं और पानी पिलाते हैं इसलिये सरकार को चाहिये कि कम से कम काश्तकारों को एग्रीकल्चर के लिये दिन में बिजली दें और चितौड़ जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो समस्या है, उसके लिये मैं निवेदन करता हूं कि सबसे कम गांव इलेक्ट्रिफाइड बड़ी सादड़ी, डूंगला क्षेत्र में हैं। सबसे कम पहुंची है बड़ी सादड़ी और डूंगला में इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन गावों में भी बिजली ज्यादा पहुंचाये। पानी की समस्या हमारे यहां बड़ी सादड़ी और डूंगला में बहुत ज्यादा है। तालाब एक है जिसकी पिलाई डूंगला तहसील में होती है बड़ी सादड़ी के गांव उसमें बहुत कम आते हैं। काश्तकारों की आय बढ़ाने के लिये उसके पाल को ऊपर उठा दी जाय और दूसरा बास्थ सीतामा नदी से उसमें लाया जाय तो काश्तकारों को बहुत ज्यादा पानी मिलेगा और बिजली में भी बहुत फायदा होगा इसलिये वहां फसल को जो दो बार पानी मिलता है वह कम से कम तीन बार मिले तो अच्छी खेती हो सकती है। और अभी हमारे क्षेत्र में दो

(श्री उदय राम धाकड़)

मर्डर हो चुके हैं। उसके लिये मैंने तारीख 3 को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया था मगर सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं यह चाहूंगा सरकार से कि निम्बाहेड़ा सब डिविजन के डी. एस. पी. को तुरन्त कार्यवाही के लिये जो अभी तक पड़ी हुई है भेजें। उन कातिलों को गिरफ्तार करने के लिये सरकार पूरा पूरा प्रयत्न करे और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके वहां की जनता को सन्तुष्ट करें। बस इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथू सिंह।

श्री मुक्ति लाल मोदी : सभापति महोदय, यह क्या? पहले जनसंघ वाले बोल गये... निर्दलीय की तरफ से कोई नहीं बोला। नहीं ऐसा नहीं होगा मुझ को समय देना पड़ेगा सभापति जी।

श्री सभापति : आपके सुझाव बड़े अच्छे होते हैं, आप बोलें....

(व्यवधान)

आपको ही तो कह रहा हूं....।

श्री मुक्ति लाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, राजस्थान के अन्दर जो सातवीं पंचवर्षीय योजना बनी है और उसके अन्दर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्रधान मन्त्री जी भी दूसरे हैं और मुख्य मन्त्री जी साहब भी इस सातवी पंचवर्षीय योजना में अब कई वर्षों बाद फिर चीफ मिनिस्टर बने हैं—

(व्यवधान)

मेरी बात सुनो.... पुरानी बात तो पुरानी हो गई— भाई, मेरी सुनो तो सही।

श्री सभापति : असली बात सुनिये। आप कृपया बोलें।

श्री मुक्ति लाल मोदी : तो मैं आपसे माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इस सातवीं पंचवर्षीय योजना जो राजस्थान की बनी है उसमें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब और राजीव गांधी जो आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यह एलान करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मेटेंगे, जनता को आराम देंगे और जनता को आगे बढ़ायेंगे तो, माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जब तक कि कोई भी विभाग के अन्दर सेक्रेट्री से लेकर और नीचे तक टेक्नीकल आदमी नहीं होगा, टेक्नीकल का तरीका पूरी तरह से नहीं होगा तो यह राजस्थान आई. ए. एस. के भरोसे आगे बढ़ने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के देशों के अन्दर आप देखिये, अमेरिका के अन्दर देखिये, फ्रान्स के अन्दर देखिये, इंग्लैंड के अन्दर देखिये वहां पर जिन विभागों के अन्दर कम्युनिस्ट कन्ट्री को जाने दीजिए पर दूसरे कन्ट्री के अन्दर जो विभाग हैं उनके अन्दर जो सेक्रेटरी हैं वह आई. ए. एस. नहीं हैं वह टेक्नीकल आदमी हैं। तो मैं, माननीय सभापति जी, सरकार से यह कहना चाहूंगा और सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि जब तक कि इस राजस्थान की उन्नति उधर से बैठने वाले या इधर से बैठने

(श्री मुक्ति लाल मोदी)

वाले माननीय सदस्य राजस्थान की उन्नति करना चाहते हैं तो मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि इस बात की आवाज उठायेंगे। आपको उस जनता ने वोट दिया है तीन साढ़े तीन करोड़ जनता ने आपको वोट दिया है और आपकी आवाज अगर आपकी आत्मा के अन्दर शक्ति है आपके अन्दर विश्वास है अपने खुद का तो सरकार के अन्दर कोई गल्ती करता है उसको बदलने की आप लोगों में ताकत होनी चाहिए उसमें दबना नहीं चाहिए। आदमी के अन्दर विश्वास करना चाहिए मेरा यह मानना है। माननीय सभापति जी, और मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज जो आई. ए. एम. जो पुलिस अधिकारी ज्यादा विभाग को बढ़ा करके और एक जगह सारा स्थिर करना चाहते हैं जो बढ़ गये उसको तो कम नहीं कर सकते माननीय चीफ मिनिस्टर साहब और न राजीव गांधी जी कर सकते हैं और उसका फैलाव करें जो आई. ए. एस. अधिकारी हैं उनको कलेक्टर बनाओ, उनको एस. डी. ओ. बनाओ और दूसरे दूसरे कामों के अन्दर लगावो न कि सेक्रेटेरियट के अन्दर जैसे इरिगेशन विभाग का आदमी है, आई. ए. एस. आदमी हो मेडिकल विभाग का, एजुकेशन विभाग का और दूसरे विभागों का आदमी आई. ए. एस अधिकारी हो वह कभी नहीं होना चाहिए। इससे राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। मैं, माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं और राजस्थान की एक तस्वीर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक नयी तरह की तस्वीर होगी। आज कहते हैं कि भुखमरी, गरीबी यह ठीक है मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी कि आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान कैनाल आ रही है और दूसरी जगह आ रही है। आज राजस्थान के अन्दर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास धन्धा नहीं है। मैं आपसे, राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जैसा कि रेवेन्यू के अन्दर बजट पर बहस हो रही थी, कहते थे कि जितना रेवेन्यू के अन्दर पैसा खर्च होता है उतना आता भी नहीं है। तो मैं, माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं सरकार से कि जिनके पास 15 बीघा भूमि है और उसके 5 और 6 आदमी घर के अन्दर हैं उनका लगान सरकार को माफ कर देना चाहिए और उस लगान माफ करने से क्या होगा कि आज उसको सरकार यह कह सकती है कि भई तेरे 5 आदमी हैं हमने लगान माफ कर दिया आज नौकरी नहीं इस खेती के अन्दर पूरी तरह से जुट करके इस खेती का काम करो, तुम्हारा लगान माफ कर दिया हमने। परन्तु आज सरकार में यह सब कमियां हैं इन कमियों के कारण से मैं, माननीय सभापति जी, आज कहना चाहता हूं कि यह सारे कानून बदलने पड़ेंगे, सरकार को सारे तरीके बदलने पड़ेंगे तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा नहीं तो राजस्थान आगे बढ़ने वाला नहीं है। आज ट्रांसपोर्ट में ले लीजिए आज एक मोटर का परमिट देते हैं, चलाते हैं वह यूनियन बना लेते हैं, जहां 10 परमिट दिये वहां एक चलती है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज रोडवेज के अन्दर थोड़ा सा फायदा बताते हैं, आज प्राईवेट आदमी को इतना फायदा कैसे है। माननीय सभापति जी, मैं तो सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जितने परमिट

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

दें, जितने ट्रकों के परमिट दें, जो आज ब्लैक है एक मोटर का परमिट लो तो उसमें रु.5000, रु. 10000, रु. 20000, रु. 25000 उसके खर्च होते हैं, आज ट्रक का परमिट लो तो खर्च होते हैं, तो मैं तो कहता हूं हमको खुली छुट्टी कर दी जाय कि भई कोई ट्रक का परमिट लेगा, उसको हम परमिट देंगे, कोई मोटर का रूट का परमिट लेगा तो मोटर का परमिट देंगे, तो सरकार को इतनी इनकम होगी और जनता के अन्दर जो आज बेकारी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय सभापति जी, मैं सरकार के फायदे की बात करता हूं, सरकार के घाटे की बात नहीं करता हूं। माननीय सभापति जी, जो मैं कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि आज सरकार के अन्दर इस तरह की बात हो जायेगी तो सरकार के पैसे भी आयेंगे

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अभी तो आपने कहा ही था, माननीय सभापति महोदय। बताओ एक आदमी तो बोल रहा हो····

श्री सभापति : बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आ गये आपके।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, यह जो मैं कह रहा हूं सुनो-सुनो आप, यह तो ट्रांसपोर्ट की बात लीजिए···

श्री सभापति : दो मिनट में कह दें आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरे, माननीय सभापति जी, यह भी कहना चाहता हूं, आपसे कि आज जो बिजली है, वह बड़े-बड़े पूंजीपति आज जितने इण्डस्ट्रीज वाले हैं वह बिजली की चोरियां करते हैं, आफिसरों से मिल करके चोरियां करते हैं। माननीय सभापति जी, और करोड़ों रुपया बाकी है, सरकार का उनके अन्दर उसका ब्याज का पता नहीं, रुपये का पता नहीं और टैक्स ही टैक्स लगाते हैं, यह कोई तरीका है ? ऐसे ही सेल्स टैक्स का रुपया बाकी है, सरकार का तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, उसमें जाते हैं, सरकार के जो वकील हैं, जितने सरकार के अन्दर जिन्होंने वकील बनाये हैं, सरकार के वकील हैं या तो ज्यादा वकील करो और जो वकील मुकद्दमा हारे उसको हटाओ। माननीय सभापति जी, आज प्राइवेट पूंजीपति मुकद्दमा कैसे जीत जाता है और सरकार का वकील मुकद्दमा हार कैसे जाता है ? माननीय सभापति जी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और उसके अन्दर एक वकील को यह नहीं कह सकते कि तुम इस मुकद्दमे को हारोगे तो तुमको हटा देंगे

श्री सभापति : उनसे खर्चा भी लिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी : और, माननीय सभापति जी, आज सरकार के अगर वकील कम हैं तो वकील बनायें, जैसे हाई कोर्ट के अन्दर जज थे, तो ज्यादा जज बना दिये, तो वकील कम हैं, तो ज्यादा वकील बनायें परन्तु उनको यह कहो तो सही कि अगर तुमने मुकद्दमा हारा इसमें, मुकद्दमे को

Page No. 190

(190)

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पैरवी कम सैल्स टैक्स की या बिजली की या फलाने की या ढिकाने की, करोड़ों रुपये का जो सरकार का नुकसान होता है, ऐसे ही पी. डब्ल्यू. डी. का है, इर्रीगेशन का है, या और का है, बस गये और मुन्सिफ साहब से स्टे ले लिया, मुन्सिफ साहब 5000 रुपये खा गया, जज साहब खा गये, वकील साहब खा गये, यह सब रगड़ा रहता है तो, माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं, आपसे कि आज....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी आप टाइम तो दे दें। माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : नहीं, बहुत अच्छी बात कह दी आपने, वह ऐसा है कि पहले वाली बात का महत्व कम पड़ जायेगा इससे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज पुलिस के अन्दर इतना विभाग बढ़ाया कि विजिलैंस है, सी. आई. डी. है, फलाना है आज, कोई भी रिपोर्ट देता है, हमारे एम. एल. ए. के पास आता है कि भई सी. आई. डी. में दे दो, अरे सी. आई. डी. को क्यों खराब बताते हो, तो मैं कहता हूं, जितने आई. जी. बनाये, जितने डी. आई. जी. बनाये, इनको एक एक जिले में लगा दो। माननीय सभापति जी, और बस एक एक जगह....

श्री सभापति : यानि आपका अभिप्राय यह है कि एस. पी. की जगह डी. आई. जी. लगा दें हर जिले में ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, इनको सबको ऐसा करो कि जितने हैं, उनको बांट दो, बांटने से क्या होगा कि 26 जिले हैं, डी. आई. जी. 26 हैं, फिर एडीशनल आई. जी. हैं, सब बट जायेंगे, तो सारा काम वहां का वहां सुलट जायेगा, एस. पी. के जिम्मे नहीं रहेगा। तो एक तो यह है। कोई तो फारेस्ट में लगा रखा है कोई रोडवेज में लगा रखा है, कोई काहे में लगा रखा है. कोई काहे में लगा रखा है, तो यह सारा जो आज....

श्री सभापति : तो माननीय सदस्य आपका अभिप्राय यह है कि एस. पी. की पोस्ट तो एबालिश कर दी जाय और डी. आई. जी. बना दिया जाय हर जिले में यह सुझाव है आपका ?

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी सुनो। एस. पी. तो है परन्तु डी. आई. डी. घणे ही बैठे हैं। एडीशनल आई जी. बैठे हैं। फॉरेस्ट में लगा दिया, उसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, उसकी जरूरत भी नहीं है। सरकार का पैसा भी बचेगा और जो रोला मचाते हैं, दोनों माननीय सदस्य, यह डाका पड़ गया, उनको पूछो कि भाई कैसे तो डाका पड़ गया, कैसे चोरी हो गई और कैसे और यह कहां गया....

श्री सभापति : अब इस सुझाव के बाद आप समाप्त कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप इनको एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर पर लगा दें, मैं तो

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कहता हूं, माननीय सभापति जी। तो मेरा यह कहना है कि जिन विभागों के अन्दर आई. ए. एस. बैठे हैं और टैक्निकल आदमी जैसे फोरेस्ट के अन्दर आपका टैक्निकल आदमी था, तो जब फोरेस्ट की डिमाण्ड आई तो ज्यादा लोग इसलिए नहीं बोले खिलाफ कि उसके अन्दर टैक्निकल आदमी हैं। तो मेरा यह कहना है सरकार से कि वहां पर आई. ए. एस. अधिकारियों को हटाना चाहिए और उनको टैक्निकल आदमी लगाना चाहिए।

श्री सभापति : यह बात आप कह चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, एक बात और है। मेडिकल विभाग के अन्दर आप देखिए, मेडिकल विभाग में, मैं माननीय सभापति जी, कहना चाहता हूं कि····

श्री सभापति : जल्दी से कह दीजिए आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी जल्दी-जल्दी तो बोल रहा हूं। माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की फैक्ट्री है यहां पर, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की फैक्ट्री है दिल्ली में और एक गवर्नमेंट आफ इण्डिया की फैक्ट्री है हरिद्वार के अन्दर। उनकी दवाइयां सरकार मामूली सी लेती है, नहीं तो लेती ही नहीं है और मैं यह कहना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री सभापति : डिस्टर्ब मत करिये। डोंट इंटरप्ट प्लीज। आप माननीय सदस्य बोलें और जल्दी समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मैं यह कहता हूं सरकार से कि पहले गवर्नमेंट की फैक्ट्री की दवाई जो बनती है वह सरकार ले और उसके बाद दूसरी कम्पनियां जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन कम्पनियों की दवाइयां अच्छी हैं, उनको टैस्ट करके, उनसे भाव तय करके फिर लेवें। आदमी मर जाता है, इन्जेक्शन गलत लेते हैं, पीने की दवाइयां गलत हैं और दूसरा···

श्री सभापति : संक्षेप में कह दें इस बात को बार-बार नहीं कह कर।

श्री मुक्ति लाल मोदी : मैं कहना चाहता हूं आपके जरिये, माननीय सभापति जी, कि सरकार अगर दवाई खरीदे तो भले सात करोड़ रुपया क्यों, सभापति जी, और भी धीरे धीरे इजाजत दे देते हैं, खरीदते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी, माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह दवाइयां जो खरीदें, वह पहले सरकारी कम्पनियों से खरीदें, बाद में दूसरी कम्पनियों से खरीदें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आज को-आपरेटिव का सिस्टम है वह सारा का सारा ऐसा है, चुनाव ही नहीं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

हुए पांच बरस से, सात बरस से, तो मेरा यह कहना है कि ग्राज कोग्रापरेटिव में चीनी है, फलाना है, ढिकाणा है, ब्लैक होता है, यह होता है वह होता है. मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करता हूं कि ग्राप चीनी के डीलरों की सिफारिश मत करो। अगर ग्रापके गांव में चीनी नहीं बिकती है. तो ग्राप उसकी खिलाफत करो, उस डीलर की ग्रोर उसका मुकाबला करो। देखो चीनी ग्रपने ग्राप मिलने लग जाएगी परन्तु एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हो इसलिए, माननीय सभापति जी, वह बात होती नहीं। ग्रौर मैं यह भी कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : ग्रब संक्षेप में कह दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एजूकेशन के ग्रन्दर, माननीय सभापति जी, मैं ग्रापसे यह कहना चाहता हू कि ग्राज एजूकेशन में जो किताबें छपती हैं ग्रौर इन किताबों के ग्रन्दर किस तरह का क्या होता है, सरकार को मालुम है। कण्ट्रोल रेट से सारा का सारा कागज कण्ट्रोल रेट से ग्रावे ग्रौर फिर किताबों की रेट क्या रखी माननीय सभापति जी। फिर उसका कोर्स कितना. हम पढ़ते थे तो तीन किताबें थी, ग्राज हैं 17-18 किताबें। बताग्रो ग्राप। ग्रौर हम तीन किताब पढ़ने वाले....

श्री सभापति : एम. एल. ए. बन गये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : फोरेन भी जा ग्राए, सब जानते हैं सारी चीजों को, दुनियां की बातों को जानते हैं ग्रौर वह 17 किताबें पढ़ने वाला कुछ भी नहीं जानता।

श्री सभापति : ग्रब आप समाप्त कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि ग्राज जो ग्रंग्रेजी स्कूलों को एफिलिएशन देते हैं एजूकेशन डिपार्टमेंट से, या तो यह करें कि ग्रपनी जो स्कूलें हैं उनका स्तर बदलें ग्रौर नहीं तो उन स्कूलों का भी एफिलिएशन बन्द कर दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के ग्रन्दर जो मैंने ग्रापसे कहा....

श्री सभापति : ग्रापने कह दिया पहले।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुनो माननीय सभापतिजी, यह ग्रौर कहना चाहता हूं ग्रापके ग्रन्दर से....

(व्यवधान)

सुनो, सुनो।

श्री सभापति : ग्राप तो ग्रपनी बातें कहें, मिस-गाइड नहीं हों मेम्बरों से। ग्रब समाप्त कर दें माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सभापति जी, कई विभाग ऐसे हैं, जैसे कि आज यह समझते हैं कि रीको अलग है. फाइनेंस कोरपोरेशन अलग है और दूसरे कहते हैं कि यह कोरपोरेशन बन जाय, वह कोरपोरेशन बन जावे। तो मेरा यह कहना है. माननीय सभापति जी, सरकार से कि पैसा तो हमारे खून का है, अन्त पन्त तो टैक्स हमारे पर लगेगा, फिर चुकाना तो बैंक को हमको ही है। माननीय सभापति जी, और ये अधिकारी मौज उड़ा जायेंगे, पैसा खा जायेंगे, मौज कर जायेंगे। तो उसके लिए, माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर विभाग के अन्दर एक कमेटी बननी चाहिए। उनके अन्दर एम. एम. ए. जो हैं....

श्री सभापति : उनको रखना चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो नहीं आऊंगा भले ही लेकिन जो एम. एल. एज. हैं इधर के, उधर के बैठने वाले, उनको रखा जावे और जितनी इण्डस्ट्रीज रीको लगाता है. माननीय सभापति जी, उन इण्डस्ट्रीज के अन्दर भी एम. एल. एज. को शामिल करना चाहिए, क्योंकि आज जो रुपया लगता है, आप फाइनेन्स की तरफ से गारण्टी देते हैं। रीको जो पूंजी लगाता है, उसे पूंजीपति को देता है, वह अपनी मनमानी करता है। लेबर को, गांव वालों को सर्विस नहीं देता है और अपनी खुद की मौज उड़ाता है, ऐश और आराम करता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, सरकार को कि उसके अन्दर एम. एल. ए. को, या प्रधान को या कोई भी हो, नोमीनेटेड मेम्बर होना चाहिए और लेबर का भी आदमी होना चाहिए उसके अन्दर। जब वह रीको के सीर में इण्डस्ट्री लगती है, उसके अन्दर सरकार यह काम करे....

श्री सभापति : अब आप समाप्त कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून यह बनाना चाहिए....

श्री सभापति : अब समाप्त कर दें आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी सुनो तो सही, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : अजी काफी सुन ली, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो मिनिट और बोलूंगा।

श्री सभापति : ....एक मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा सुनो। माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो कोई आदमी पैसा दे, एजूकेशन या मेडिकल में, उसके लिए एक कानून बनना चाहिए और दूसरा अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, वह भी सारा राजस्थान का एक कानून बनना चाहिए।

श्री सभापति : राजस्थान में एक ही

(श्री सभापति)

कानून है अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का। अब समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अभी खत्म करता हूं, अपनी बात को। म्यूनिसिपैलिटीज का भी सारे राजस्थान का एक कानून बनना चाहिए…

श्री सभापति : एक ही कानून है राजस्थान में म्यूनिसिपैलिटीज का भी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरी बात यह है, माननीय सभापति जी, जितनी इण्डस्ट्रीज राजस्थान के अन्दर हैं, उनमें दूसरे दूसरे प्रान्तों के इन्जीनियर आवें, दूसरे प्रान्तों की लेबर आवे, उसके लिए राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार को कानून बनाना चाहिए कि राजस्थान का आदमी उस इण्डस्ट्री के अन्दर नौकरी करेगा, दूसरे प्रान्तों के आदमी नौकरी नहीं करेंगे। जब तक राजस्थान सरकार इस तरह का कानून नहीं बनायेगी, तब तक राजस्थान की बेकारी और गरीबी दूर नहीं होगी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरिमोहन (अनुपस्थित)

श्री भंवरराम (अनुपस्थित)

श्री ऋषिकेस (अनुपस्थित)

श्री पन्नालाल।

श्री पन्नालाल मीणा (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे बांसवाड़ा जिले में बरसात की कमी के कारण आज भयंकर स्थिति पैदा हो गई है।

श्री सभापति : यह थोड़ा फाइनेंस बिल पर ही बोलें आप।

(व्यवधान)

श्री पन्नालाल मीणा : गत वर्ष में भी अकाल की समस्या बांसबाड़ा में थी और इस वर्ष में भी कुदरत ने धोखा दिया है। पानी नहीं गिरने से जनता में अशान्ति पैदा हो गई है। आदिवासी क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं। आज खाने के लिए अनाज नहीं है, रोजगार के लिए मजदूरी कम मात्रा में मिल रही है। सहारा नहीं है, मवेशी मर रहे हैं, लोग बेघरबार हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिले में मवेशी भूख से बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिले में बहुत बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हुई है, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चारे की व्यवस्था कराई जाये, अनाज की व्यवस्था कराई जाय, और अकाल राहत कार्य, जब तक अनाज पक कर तैयार नहीं होवे, तब तक चालू रखे जायें। उसके साथ-साथ हमारे जिले में माही परियोजना के द्वारा नहरें निकालने के लिए सरकार ने सर्वे कराया है। जो सर्वे कराया है, उन्हीं गांवों के अन्दर सरकार नहर का कार्य जारी करने के लिए आदेश जारी करे, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आगे के लिए, भविष्य के लिए नहरों का

(श्री पन्नालाल मीणा)

काम भी पूरा होगा । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को कि हमारे बांसवाड़ा जिले में ···

श्री सभापति : धन्यवाद, बहुत अच्छे ।

श्री पन्नालाल मीणा : माही परियोजना के द्वारा जिन नहरों का अभी सर्वे करवाया गया है उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं गांवों के अन्दर···

श्री सभापति : मंत्री जी नोट करलें यह बात ।

श्री पन्नालाल मीणा : कार्य चालू कराया जाय । हमारे मवेशियों की बहुत भयंकर स्थिति है । सरकार ने हमारे आदिवासी जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत

श्री सभापति : काफी काम किया है ।

श्री पन्नालाल मीणा : करोड़ों रुपये के जानवर दिये हैं, वह जानवर आज बिना चारे के मर रहे हैं । उन जानवरों को बचाया जाये । उन गांवों के अन्दर, जो अस्पतालों की कमी है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जानवरों के लिए नये अस्पताल खोले जायें । जहां आने जाने के रास्तों की कमी है, कई अधूरे वर्क चलते आ रहे हैं । उनको इस वर्ष पूरा कराने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री पन्नालाल मीणा : सरकार का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं लेकिन इसके साथ-साथ हमारी समस्या कहने दो····

(व्यवधान)

हमारी समस्याएं कहने दो इसमें क्या है । आज राजस्थान में हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है

श्री सभापति : ऐसा है, जिन मांगों पर बहस हो चुकी है, मांगें पारित हो चुकी है उस पर नहीं बोलना है । आज अपने एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलें ।

श्री पन्नालाल मीणा : मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जो ट्राइबल क्षेत्र हैं····

श्री सभापति : सुझाव दो ।

श्री पन्नालाल मीणा : उन स्थानों पर जो व्यवस्था की है, उसमें बहुत बड़ी कमी है । आज हमारे ट्राइबल्स की क्या स्थिति है, उसके लिए मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं । हमारी सरकार के नेता उस स्थान पर जाकर देखें कि ट्राइबल क्षेत्र के लोग कैसे जिन्दा रहते हैं, उनकी क्या समस्यायें हैं, क्या खाते हैं, उनके घरों में क्या स्थिति है । उनकी जांच कराना चाहता हूं । लोग आज बेघरबार हो रहे हैं । सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को जिन्दा रखना, मवेशी को जिन्दा रखना और सारी व्यवस्था करना । यह सरकार की जिम्मेदारी है । इसलिए मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो आदिवासी, ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहां जो सुविधा की कमी है आज की

(श्री पन्नालाल मीणा)

तारीख में, सरकार मौके पर जाकर उन आदिवासियों की, उन गरीब लोगों की जांच करते हुए उनको रोजगार दिलाने की कृपा करेगी। उनकी जो समस्याएं है, आज अनाज खाने के लिये ही नहीं है, स्थिति बड़ी ही दयनीय है उस पर ध्यान आकर्षित कराते हुए, मैं मेरी बात अधिक नहीं कहते हुए सरकार को यही कहना चाहता हूं आज की स्थिति को देखते हुए तत्काल आदिवासी क्षेत्र में जाकर गरीब लोगों की क्या हालत है उस पर ध्यान आकर्षित करके उनकी व्यवस्था करायी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय सदस्य ने समय की सीमा का बहुत ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित कर देवें तो ठीक रहे।

श्री सभापति : जरा दो तीन माननीय सदस्य बोलेंगे उसके बाद समाप्त कर दी जायगी। श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री मुक्ति लाल मोदी : यह गलत बात है।

श्री सभापति : श्री हरिकुमार औदित्य।

श्री हरिकुमार औदित्य (रामगंज मंडी): माननीय सभापति जी, गत दो जुलाई को हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब राजस्थान का परिवर्तित बजट पेश किया तब इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को राजस्थान की जनता को यह आशा थी कि नये दुबारा बनने वाले मुख्य मन्त्रीजी राजस्थान के विकास में, राजस्थान की प्रगति में योगदान करेंगे और इस प्रकार की घोषणाएं करेंगे जिससे सुदूर गांव में बैठने वाले किसान, जैसा कि अभी मेरे पूर्व आदिवासी क्षेत्र के माननीय सदस्य बता रहे थे कि जहां पर अन्न तक खाने को नहीं मिल पाता इस प्रकार का जो राजस्थान का नंगा, भूखा किसान और मजदूर है, गरीब तबके के लोग हैं उनको बजट में कोई राहत मिलेगी। लेकिन आप विश्वास रखिये, सभापतिजी, जब राजस्थान की जनता ने हमारे मुख्य मन्त्री का बजट पढ़ा होगा तो मैं समझता हूं यहां पर कई सदस्य माथे पर, करम पर हाथ लगा कर बैठे हुए थे। गये थे विकास की आशा लेकर के, राजस्थान को आगे बढ़ाने की कल्पना लेकर के, लेकिन एक ही झटके में राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने 150 करोड़ के टैक्स राजस्थान की गरीब, नंगी, भूखी जनता पर लाद दिये। वह टैक्स भी इस प्रकार के लादे जिससे सीधा, डायरेक्ट गरीब किसान मजदूर, छोटे कारखाने वाले, छोटे गांव में बैठे व्यापारी अफेक्ट होते थे। बिजली की दरें बढ़ाई उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं भी सूक्ष्म बातें निवेदन करूंगा। पानी के पैसे बढ़ा दिये। माननीय सभापति जी, गरीब और मजदूर और किसान की बात करने वाली सरकार ने 75 हजार रुपये के टर्न ओवर पर दस प्रतिशत का सरचार्ज बढ़ा कर उस गरीब की कमर को तोड़ा है। बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है किन्तु उस सरचार्ज का, पानी की बढ़ी हुई रेट का, बिजली की बढ़ी हुई रेट का सारा का सारा असर अगर पड़ेगा तो उस छोटे गरीब मजदूर पर, राजस्थान के गरीब नागरिक पर पड़ेगा। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, जब हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने अपना बजट भाषण दिया तो राजस्थान की जनता के सामने एक अन्धकार लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान में कोई डिस्पेन्सरी नहीं खुलेगी, राजस्थान में कोई स्कूल नहीं खुलेगा, राजस्थान में कोई सड़क नहीं बनेगी, राजस्थान में कोई उद्योग नहीं लग पायेंगे। जब आप बिजली नहीं दे पायेंगे, पूरी मात्रा में, जब आप बिजली के पैसे बढ़ा देंगे तो कौन उद्योग लगायेगा? राजस्थान में विकास के नाम पर मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण से एक जीरो लगा दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हो सकता है कांग्रेस दल की, कांग्रेस पार्टी की आपसी कोई लड़ाई रही हो, मतभेद रहे हों लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्य मन्त्री, माननीय शिवचरण जी माथुर ने जो वायदे किये थे राजस्थान की जनता से, चुनाव के पहले जो उन्होंने वायदे किये थे, इतने पोलिटेक्नीक स्कूल खुलेंगे, इतने आई. टी. आई. स्कूल खुलेंगे, कोटा में मेडिकल कालेज खुलेगा, वहां इन्जीनियरिंग कालेज खुलेगा, सभापति महोदय, उन घोषणाओं का हुआ क्या? राजस्थान की जनता पूछना चाहती है। इतना बड़ा भुलावा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था इस सदन में, कोटा के अन्दर मेडिकल कालेज की घोषणा की गई। घोषणा ही नहीं की, प्रिन्सीपल चले गये श्री पाटनी नियुक्त होकर, तीन महीने तक कोटा में रहे। उस समय के मंत्री रामकिशन जी यहां पर अभी नहीं हैं, बृजसुन्दर शर्मा और अफसरों की फौज ने जाकर बिल्डिंग वहां पास कर दी कि यहां पर मेडिकल कालेज रहेगा, यहां पर छात्रावास रहेगा, यहां पर हास्पिटल रहेगा। सारी योजना होने के बाद उस मेडिकल कालेज का क्या हुआ? राजस्थान सरकार ने एक कमेटी भेजी। उस समय के जो सचिव थे वह आजकल माइन्स में हैं मुझे उनका नाम याद नहीं है, वह गये। मैंने उनसे पूछा, आप चुनाव स्टंट करने के लिये आये हैं यहां पर या वास्तव में आपकी नीयत है मेडिकल कालेज शुरू करने की? बोले, हरिकुमार जी हमारी 101 पर्सेन्ट मेडिकल कालेज शुरू करने की नीयत है। कहां गया मेडिकल कालेज? कहां गई वह घोषणाएं? केवल मात्र राजस्थान की जनता को धोखा देने के लिये इस प्रकार की घोषणायें चुनाव के पहले की गई। क्या उन घोषणाओं को इस बजट के अन्दर वर्तमान मुख्य मन्त्री शामिल नहीं कर सकते थे?

श्री मुश्तिलाल मोदी : एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह इश्यू बाद में लूंगा। लेकिन इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। और तो और इतना तक कह दिया कोई स्कूल अपग्रेड नहीं होंगे। सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी नहीं बनेगा, कोई कालेज नहीं खुलेगा। आज दिन में चर्चा हो रही थी, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। अरे आप कालेज नहीं खोलेंगे, आप विद्यालय नहीं खोलेंगे तो लड़के किसके दरवाजे जाकर सिर फोड़ेंगे। किससे जाकर कहेंगे हमें पढ़ने के लिये जगह

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

दीजिये, हमें एडमिशन दीजिये। तो जहां पर विकास की बात करते हैं, राजस्थान की जनता को सहूलियत देने की बात करते हैं, राजस्थान की जनता की सुख-सुविधा की बात करते हैं, आपका बजट क्या बोलता है ? 150 करोड़ रुपये के टैक्स गरीब जनता के ऊपर लाद दिये। कोई गिला नहीं है, जैसा अक्सर हमारे माननीय सदस्य मोदीजी कहा करते हैं हम टैक्स देंगे और बिना टैक्स के सरकार चलती नहीं है। लेकिन टैक्स दें किसके लिये ? मैं अभी आपके सामने आंकडे रखूंगा। जैसे देशी में कहावत है गाय को दुहो और कुत्ते को पिलाओ। हमारे हाड़ौती में एक कहावत है, अल्प संख्यक वर्ग के लोग जो कताई का काम करते हैं वह कहते हैं, बीबी जोड़े तार तार मियां तागा ही उचकावे। गरीब जनता की कमर तोड़ कर आप टैक्स ले लो, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लो लेकिन उसका होगा क्या ? आपकी बदइन्तजामी में, आपके भ्रष्टाचार में और आपके भाई-भतीजावाद में सारी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। कोटा के थर्मल प्लांट की बड़ी चर्चा हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सन् 1980 में इस थर्मल प्लांट की योजना बनी, दो यूनिट लगने वाली थी, 210-210 मेगावाट की। उस समय योजना 250 करोड़ रुपये की थी, सभापति महोदय, आज जब घोषणा की सन् 1986 में योजना तैयार होने की स्कीम है लेकिन वह 1986 में नहीं बनने वाली है, मैं सदन में आपको बता देना चाहता हूं कि 1990 में भी बन कर तैयार नहीं होगी और सन् 1986 में यह योजना 400 करोड़ की होगी और 1990 में जो तैयार होगी, हमारे मुख्यमन्त्री ने आर. एस. ई. बी के चेयरमैन को लेकर अभी दो महीने पहले डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से जाकर बात की थी और सदन में ऊर्जा मन्त्री ने 1987 की बात कही है लेकिन मुख्यमंत्री जी वादा करके आये हैं कि जून 1990 में यानि पंचवर्षीय योजना भी गई जून 1990 मे राजस्थान में कोटा की थर्मल इकाई शुरू होगी और अगर 87 में 400 करोड़ रुपये की बात करते हो तो जून 90 में यह योजना जाकर 600 करोड़ रुपये की बनेगी। सभापति महोदय, 250 करोड़ और 600 करोड़ में फर्क कितना हुआ, साढ़े तीन करोड़, तो साल का कितना हुआ ? इतने करोड़ आपने बरबाद कर दिए, केवल अपनी बदइन्तजामी से, मैं निवेदन करना चाहूंगा और थर्मल के इन्जीनियर्स को बधाई दूंगा कि उन्होंने पहली यूनिट टाइम पर लगाई, आज कोटा के थर्मल यूनिट के इन्जीनियर हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। इस बार 130 करोड़ उन्होंने मांगे थे, 124 करोड़ की मंजूरी हुई, उसमें से कितने मंजूर किए 60 करोड़ और 60 करोड़ में से क्वार्टर्ली पेमेंट होता है, सभापति महोदय, तो एक क्वार्टर का उनको पेमेंट मिलना चाहिए, 15 करोड़ और दिया, कितना डेढ़ करोड़। तो डेढ़ करोड़ में क्या तो नंगी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी। वह कितने रुपयों से तनख्वाह देंगे स्टाफ को, आप कल्पना कीजिये। राजस्थान की जनता का मखौल होगा। साढ़े चार करोड़ केवल मात्र राजस्थान सरकार की लापरवाही के कारण, लापरवाह सरकार की गैर

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

जिम्मेदारी के कारण, राजधानी की जनता पर लादा जा रहा है। आने वाले 5 साल में कोई जवाब है आपके पास कि जितनी मोदी जी बता रहे थे, अन्य सदस्य बता रहे थे, जितने आपके लगे हुये हैं, पब्लिक अण्डर टेकिंग सब के अन्दर भ्रष्टाचार है। अधिकांश घाटे में जा रहे हैं, कोई कह सकता है क्यों? एक बस चलाने वाला सेठ बन जाता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला, एक बस लेकर 10 साल में 4-4 बसों का मालिक बन जाता है, लेकिन हमारी सरकार में सैंकड़ों बस चलाने के बाद घाटा, बड़े-बड़े उद्योग चलाने के बाद घाटा, इसका जवाब किसके पास है? आप कोई इन्साफ जनता के सामने देने के लिए तैयार हैं? कोई इस बात को तैयार नहीं। राजस्थान की जनता का करोड़ों रुपया मिस-मैनेजमेंट से, भ्रष्टाचार की बात अलग है, जो मैंने आपको थर्मल की बात कही वह तो जनता का धन बर्बाद करते हैं, आपकी गैर जवाबदारी के कारण आपकी नेग्लीजेंस के कारण फिर आपको टैक्स लगाने का अधिकार है क्या? और आपने जो बिजली का टैक्स लगाया, जैसे अभी माननीय नवरंगसिंह जी बता रहे थे कि बिजली का, पानी का टैक्स जो किसानों पर पड़ेगा, यह मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर इस जोशी सरकार ने बन्द नहीं किया तो यह बिजली टैक्स जो बढ़ाया है, तो यह राजस्थान का किसान राजस्थान का मजदूर राजस्थान का व्यापारी बगावत करेगा और सरकार की मौत का कारण बन जाएगा अगर आपने इस टैक्स को वापस नहीं लिया जो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? टैक्स लगाकर राज चलाना चाहते हैं। करप्शन तो आप कर रहे हैं।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में।

श्री हरिकुमार औदिच्य : केवल मात्र कुछ मिनट लूंगा। मैं करप्शन की बात कर रहा हूं, सरकार का 1600 एकड़ का कृषि फार्म है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अन्दर कोटा में काम करता है, वहां से 11 बोरी मटर के बीज गायब कर दिए गये। गायब करने वाले व्यक्ति वहां के अधिकारी मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, गायब करने वाले का जिसके यहां जाकर बीज बरामद हुआ उसका रिकार्ड में नाम मौजूद है लेकिन सरकार प्रश्रय दे रही है, वह गायब करने वाला तो बैठा है, उम्मेदसिंह फार्म में और जो अधिकारी बेचारा अपनी वाइफ के कैंसर का इलाज कराने बम्बई गया था, वहां से लौट कर आया, माल बरामद होने के 15 दिन बाद, उसको चार्ज शीट पकड़ा दी। क्यों पकड़ा दी उसको चार्ज शीट? क्यों आखिरकार चोरों को, बेईमानी करने वालों को भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को पनपाते हो? अपने लोगों को बड़े-बड़े अधिकारियों को और मन्त्रियों के कुछ चहेते लोगों को इस प्रकार अपनी आंख और नाक के नीचे करप्शन चलेगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उसके बाद आप टैक्स लेना चाहेंगे। मैं एक बात और निवेदन करूं, राजस्थान के अन्दर अगर हमारी सरकार दो काम कर दे, एक तो सैल्स टैक्स और दूसरा माइन्स

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

डिपार्टमेंट, एक्साइज लीकर पर भी लगाते हैं। इन डिपार्टमेंट का काम

श्री मुक्तिलाल मोदी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सभापति महोदय, मैं एक बात बीच में कहना चाहता हूं, मैं बोलूंगा नहीं।

श्री सभापति : सदन का बहुत कम समय रहा है, दो माननीय सदस्यों को बोलना है, कृपया इंटरप्ट न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं एक पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर कहता हूं, सभापति महोदय, मेरी बात तो सुननी पड़ेगी ग्रापको।

श्री सभापति : ग्रापने सुनादी पहले कह चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बजट पर बहस हो रही है।

श्री सभापति : हां, एप्रोप्रियेशन बिल पर ग्राप कह चुके ना अपनी बात ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनें तो रही, सारे ग्राफीसर्स को यहां पर मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट की बात ग्राती है, यह मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर का प्रश्न है।

श्री सभापति : मन्त्री जी मौजूद हैं; सरकार तो मन्त्री हैं, अफसर सरकार नहीं होते, मन्त्री जी बैठे हैं, नोट कर रहे हैं। कृपया बोलें श्री हरिकुमार।

(व्यवधान)

जल्दी समाप्त करने की चेष्टा करें, माननीय सदस्य।

ग्राफीसर सदन के ग्रावश्यक ग्रंग नहीं हैं, मंत्री आवश्यक ग्रंग हैं, वह बैठे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति जी, यह बात गलत कहते हो, मन्त्री जी तो ठीक जवाब देंगे, ग्राफीसर जवाब नहीं देंगे, पर सुन तो सकते हैं ना, सारे ग्राफीसर को रहना चाहिए।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि वे सदन के ग्रावश्यक ग्रंग नहीं हैं। माननीय सदस्य बोलें संक्षेप में।

(व्यवधान)

सदन के ग्रंग नहीं हैं आफीसर लोग।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के ग्रन्दर एक्साइज, सेल्स टैक्स ग्रौर माईनिंग, इन तीनों में जितना भ्रष्टाचार होता है, सरकार के पैसे की चोरी होती है, मैं समझता हूं सरकार ईमानदारी के साथ ग्रौर निष्ठा के साथ इन तीनों विभागों का काम पूरा देख ले, चोरी रोक ले, तो कोई कारण नहीं कि राजस्थान की जनता पर ग्रापको टैक्स लगाना पड़े ग्रौर राजस्थान में विकास की····

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

(व्यवधान)

शुरूआत तो अभी की है। तो मैं निवेदन कर रहा था, केवल मात्र आपको उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर रामगंज मण्डी तहसील है, जहां से डेढ़ करोड़ रुपये साल की केवल माल रायल्टी होती है पत्थर की, और रायल्टी जब होती है, तो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, वह कांस्टीटुएंसी ऐसी है जहां मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, जहां करोड़पति भी हैं, तो जितने करोड़पति लोग हैं, वे माइन्स की करोड़ों की चोरी करते हैं। अगर उनसे ईमानदारी से सरकार माइन्स की रायल्टी करे तो केवल मात्र एक तहसील आपको पांच करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा आमदनी दे सकती है। अब आप लीजिए सेल्स टैक्स को, यह जो रामगंज मण्डी में आप चलाते हैं, यह क्या भाव करते हैं, वहां पर व्यापारी को लगायेंगे पांच रुपये फुट और बिलिंग करेंगे रुपया सवा रुपया फुट। चार रुपए फुट के हिसाब से सेल्स टैक्स की चोरी होती है, उसका जवाबदार कौन है, कोई पकड़ने के लिए तैयार है। करोड़ों रुपये, चोर मार्केट से, अण्डर बिलिंग के माध्यम से चोरी हो जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर मिले हुए, थानेदार मिले हुए, आपके सेल्स टैक्स के बड़े-बड़े आफीसर मिले हुए कोई माइनिंग एरिया में जाकर किसी भी बिल बुक को देख आओ तो आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिए, क्योंकि उनका पैसा बन रहा है घर बैठे इन्स्पेक्टर को पैसा चला जाता है, सबका पैसा चला जाता है, आखिरकार उस चोरी को पकड़ेगा कौन ? आप चोर को तो डांटोगे नहीं, चोरी पकड़ोगे नहीं, आपकी आंख के नीचे, नाक के नीचे, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको मिटाओगे नहीं, मिस-मैनेजमेंट को मिटाओगे नहीं और आपका वश क्या चलता है, राजस्थान की नंगी, भूखी जनता पर टैक्स लगादो और टैक्स लगाने के बाद, उनको दोगे नहीं तो, माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति ज्यादा चलने वाली नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो पानी और बिजली का टैक्स बढ़ाया है, उस टैक्स को तो सरकार अविलम्ब वापिस लेने की घोषणा करे। उसके साथ-साथ एक निवेदन और करूंगा, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, राजस्थान को शिक्षा के लिहाज से कहां ले जाना चाहते हैं, किस गड्ढे में ले जाना चाहते हैं राजस्थान को। हिन्दुस्तान में राजस्थान केवल एक ऐसा प्रदेश है, जहां केवल मात्र तीन यूनिवर्सिटीज हैं। मैं निवेदन करूंगा, श्रीमाली कमेटी आई थी और श्रीमाली कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, कि राजस्थान के लड़कों की बढ़ती हुई भीड़ को देख करके और इतना बड़ा राजस्थान का स्कोप देख करके राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कालेज हैं, इनकी संख्या को देखते हुए राजस्थान के अन्दर और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है। आपने यूनिवर्सिटी कहां बनायी एग्रीकल्चर की मैं दोहराना नहीं चाहता। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपने बनायी, गंजे को कंघा पकड़ा दिया कि बाल संवार।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यूनिवर्सिटी बनायी आपने उदयपुर में जाकर एग्रीकल्चर की।

श्री सम्पतसिंह : माननीय सभापति महोदय, यह सीधा साधा आक्षेप है····

श्री सभापति : मेरे पर आक्षेप नहीं कई सदस्यों पर आक्षेप है, आप चिन्ता नहीं करें।

श्री सम्पतसिंह : यह तो कहावत है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो यूनिवर्सिटी आपने बनायी उदयपुर में जाकर गंगानगर का उपजाऊ इलाका, हाड़ौती का उपजाऊ इलाका, वहां पर आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं पड़ी ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1972 में जो आन्दोलन किया था, यूनिवर्सिटी के लिए और उसमें डाक्टर श्रीमाली की एक कमेटी बनी थी····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उस कमेटी की स्पष्ट रिपोर्ट है कि राजस्थान के अन्दर नये विश्वविद्यालय कायम किये जाने बहुत जरूरी हैं और उस रिपोर्ट को आपकी राजस्थान सरकार दबा कर बैठी है। क्यों नहीं आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं ? इससे क्या राजस्थान का अहित होने वाला है ? क्या कृषि की तरक्की नहो करना चाहते हैं। कृषि का कोई कालेज नहीं। राजस्थान के अन्दर कृषि के नाम पर किसानों की वकालत जरूर करेंगे। यह चिन्ता नहीं कि किसान को पानी भी मिलता है कि नहीं मिलता। किसान की जमीन के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। किसान खेती करें तो उसको आधुनिक तरीके से करने के लिए किस प्रकार से साधन जुटायें। किस प्रकार एग्रीकल्चर के स्नातक और एग्रीकल्चर में जो ट्रेन्ड होकर विद्यार्थी निकलें, वे कहां जायेंगे····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : क्या पानीपत या हरियाणा भेजेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की और खास करके हाड़ौती क्षेत्र की जो विश्वविद्यालय स्थापना की मांग है, माननीय रामकिशन जी भी हमारे साथ थे, जब हमने आन्दोलन किया था यूनिवर्सिटी का, वह सभी की मांग है। तो कोटा के अन्दर हाड़ौती क्षेत्र····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो टैक्स बढ़ाये हैं, बिजली के ऊपर, जो कमरतोड़ टैक्स हैं, इस टैक्स को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर राजस्थान की सड़कों के ऊपर मजदूर किसान और विद्यार्थियों को रोकना चाहते हैं तो बिजली में बढ़ायी दरों को अविलम्ब कम कर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : अब यह चर्चा ज्यादा लम्बी नहीं चलाना चाहते, सात बजे का

(श्री सभापति)

समय निकट आ रहा है, इस चर्चा के आखिर वक्त पर श्री मोहन प्रकाश । कृपया 10 मिनट में अपनी बात कह दें ताकि समय की पाबन्दी रखी जाये ।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय सभापति जी····

एक माननीय सदस्य : मैं भी····

श्री सभापति : मैंने आपका नाम पुकारा था, आप थे नहीं, कल बोल लीजिएगा ।

श्री मोहन प्रकाश : पांच सात मिनट····

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दीजिए ।

श्री सभापति : जल्दी से कह दें मोहन प्रकाश जी । समय नहीं बढ़ाया जायेगा । सात बजे के बाद समय नहीं बढ़ेगा ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : हां सात बजे के अन्दर अन्दर समाप्त कर दूंगा ।

माननीय सभापति जी, जो विनियोग विधेयक रखा गया और इसके पहले जो कार्यवाही दो तारीख से इस सदन की चल रही है, यह 24 दिनों का जो अनुभव है, यह 24 दिनों का अनुभव हमारे जैसे लोगों के मन में इस देश की जो संसदीय प्रणाली या जो संसदीय व्यवस्था, इस देश की हुकूमत चलाने वाले, जिस ढर्रे पर ले जा रहे हैं, उससे इसके प्रति सम्मान बढ़ा नहीं है । खास तौर से जो इस प्रदेश की आर्थिक हालत इस सदन के अन्दर आने के बाद मालुम हुई, उससे बेहतर था कि हम लोग सदन के बाहर रह कर कुछ मुगालते में रहा करते और अगर यह जानकारी जो इस समय इस प्रदेश की हुकूमत चलाने वालों ने या जो भी इसके जिम्मेदार थे, जिन्होंने आर्थिक स्थिति इस प्रदेश की बना रखी है अगर इसकी सही जानकारी इस प्रदेश के नौजवानों को हो जाय तो शायद इस प्रदेश के रहने वाले लोगों के मन में एक बेचैनी एक अकुलाहट पैदा होने लग जाय । माननीय सभापति महोदय, जो यह बजट रखा गया और निरन्तर दो-तीन वर्षों से जो बजट रखा जा रहा है, इसमें हमें ऐसा लगता है, कि जो दृष्टि है, वह कहीं न कहीं सपने से बहुत अलग है । जो सपना एक आगे बढ़ने वाले आदमी का होना चाहिए, जो सपना एक खूबसूरत समाज बनाने वाले का होना चाहिए, उस सपने का इन पिछले तीन-चार वर्षों में जो बजट रखे गये हैं, उनमें निरन्तर अभाव है । राजस्व खर्चे की जो दर वृद्धि है, वह बराबर बढ़ती जा रही है और जो पूंजीगत खाता है, वह निरन्तर आपका घटता जा रहा है । इस एक बिन्दु से आप यह समझ सकते हैं कि किस तरफ आप इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं । यानी किसी भी प्रदेश के जो 5-6 दरवाजे होते हैं, विकास के उन सारे दरवाजों को बन्द करके लगता है यह हुकूमत दरवाजे पर बैठी है कि कहीं यह दरवाजा कोई खोल न ले । चाहें वह बिजली का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, पेयजल का मामला हो । यह सारे दरवाजे जो किसी क्षेत्र या किसी

(श्री मोहन प्रकाश)

विकास से सम्बन्धित रहते हैं, उन सारे दरवाजों को बन्द करके रखा है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इस प्रदेश में बिजली कितनी पैदा हो रही है। मेरा इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसका ताल्लुक कि सिचाई की कितनी व्यवस्था है। मेरा ताल्लुक इस सवाल से है कि आपकी दृष्टि क्या है, पूंजी नियोजन का आधार आपका क्या है। लगातार अमेरिका से आप इस समय मदद लेकर 9-9 सिंचाई योजनाओं को चलाने का काम कर रहे हैं और 35 मिलियन डालर का आपने कर्ज ले रखा है लेकिन उनमें से किसी भी योजना के प्रथम चरण को पूरा करने का काम आपने नहीं किया। हर साल आप रिवाइज करते हैं और उससे बड़ी शर्म की बात जब यह कहा जाता है कि हमारे पास धन का अभाव है। लेकिन मैं एक-एक करके उन सारी की सारी योजनाओं के सम्बन्ध में जिनमें कि आप प्रति वर्ष जो धन आवंटित कर रहे हैं, उस धन को भी वापस करने का काम हमारी जो परियोजना चल रही है और सदन में भी यह रखा जाता है बाहर हमको यह कहना पड़ता है कि धन का अभाव है हम जानते हैं कि धन का अभाव है लेकिन जो धन नियत है, जो धन हमने कर्जा लेकर प्राप्त किया है, उस धन का भी हम उपयोग नहीं करना चाहते और फिर उसके बाद प्रदेश को एक विकास का सपना दिखाना चाहते हैं। यह एक ऐसा हवा का महल खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें इस प्रदेश का आदमी रहे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि दृष्टि क्या है? ठीक है, इन्दिरा गांधी नहर योजना चल रही है' उसके बाबत कहने में भी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी अब हमारी नहीं है। लेकिन जो छोटी-छोटी हमारी योजना है, क्या उनसे हम हल निकालना चाहते हैं। कोई भी सिचाई योजना आप बनाते हैं उसमें आप देखे कि उसका रिटर्न कितना होगा। आप एक योजना बनाते हैं 70 करोड़ रुपये की और दूसरे साल करते हैं, उसको 120 करोड़ रुपये की और तीसरे साल 330 करोड़ रुपये और उसके बाद आप यह उम्मीद करते हैं कि यह योजना आर्थिक रूप से आगे चल कर लाभदायक होगी। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी योजनायें इस समय हमारे राजस्थान में चल रही हैं, एक भी योजना आर्थिक रूप से निश्चित तौर से एक भी योजना सफल नहीं हो पायी, सारी की सारी योजनायें आर्थिक रूप से असफल रही और नतीजा क्या होने वाला है, इसका कितने भयंकर परिणाम होने वाले हैं। अमेरिका से आप पैसा लेकर, विश्व बैंक से लेकर, कर्जा लेकर आप योजनाओं को बना रहे हैं। वह योजनायें जो अभी, इस समय भी चल रही है, किसी रूप में, आर्थिक रूप से उनको सफल नहीं माना जा सकता। उस कर्जे का क्या होगा, उस ब्याज का क्या होगा जो हमारे ऊपर चढ़ेगा। आगे आने वाली इस प्रदेश की पीढ़ी किस तरह से उसको चुकाने का काम करेगी इसका कहीं भी कोई इन्तजाम नहीं है। एक पांचणा योजना जिसकी बड़ी चर्चा हुई। पिछली बार भी आपने यानी हम लोगों के इस सदन में आने से पहले कहा कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन से हम इसकी जांच करायेंगे जांच भी हुई और जांच होने के बाद इस प्रदेश

(श्री मोहन प्रकाश)

का मुख्य अभियन्ता, चीफ सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट में लिखता है, लेटर है चीफ इन्जीनियर का, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ एक लाइन····

श्री सभापति : एक लाइन पढ़ दीजियेगा।

एक माननीय सदस्य : ढूंढने में समय लग रहा है।

श्री मोहन प्रकाश : आप चिन्तित न हों।

श्री सभापति : समय की सीमा में, सदन की जो आज्ञा है उसके अनुसार सात बजे समाप्त हो जायेगा।

श्री छोगाराम बकोलिया : इनको घर भेज दें। लेकर आ जायें।

श्री सभापति : कोई बात नहीं आप जिक्र कर दें।

श्री मोहन प्रकाश : चीफ इन्जीनियर यह कहते हैं जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने रिपोर्ट दी है। मैंने स्वयं जाकर देखा है और उसमें कुछ मैंने गड़बड़ पायी है और इस पत्र को लिखे हुए चार महीने हो गये, पांच महीने हो गये लेकिन उसके बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं एक योजना का सवाल नहीं है। जो लोग इस प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अधिकारी हैं, उनको आप इनाम देना चाहते हैं और जो हमारे साथ इस प्रदेश के विकास में योगदान करना चाहते हैं उनको आप निरन्तर सजा देना चाहते हैं, सजा न भी दें लेकिन जब भ्रष्टाचारी आदमी को ईनाम मिलने लगता है तो जो हमारे कर्तव्यनिष्ठ आफिसर, हैं, कर्मचारी हैं या नागरिक हैं उनके लिए निश्चित तौर पर हताशा का वातावरण बनता है।

इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के मामले में जो सारे का सारा आपका दृष्टिकोण है वह इतना ज्यादा अव्यवहारिक है कि उसके बारे में मैं जो भी कहूं वह कम है। पिछली बार जो उत्पादन का पैसा था उसको आपने निरन्तर लगाने का काम किया वितरण में और वितरण भी किस जगह शाहपुरा में ग्रिड स्टेशन बनेगा, भोपालगढ़ में बनेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा, आसीन्द में बनेगा लेकिन वह बिजली आपके क्षेत्र में अभी तक नहीं आयी। जितने प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, मन्त्री थे, उन प्रदेश के मन्त्रियों के यहां, जो ताकतवर और असली मन्त्री थे बाकी तो सारे नकली मन्त्री थे, जो असली मन्त्री थे, मुख्य मंत्री थे उन के यहां ग्रामीण विद्युतीकरण का पैसा उस मद में लगा दिया गया और सीधे सीधे उसमें चला गया जहां पर कि आप वितरण करने के लिये लाईन खड़ी कर रहे हैं। आपके ग्रिड स्टेशन बन्द हैं। वितरण की जो व्यवस्था की, लाइनिंग आपने ट्रांसमिशन की डाली थी, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन जनता को दिखाना था कि हम मन्त्री हो गये, काम हो रहा है। माननीय सभापति जी, राजनीति जब विकास से जुड़ जायेगी, राजनीतिकरण जब हो जायेगा विकास का तब इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। धौलपुर थर्मल पावर स्टेशन है, माननीय सभापति जी, यह

Page No. 206

(श्री मोहन प्रकाश)

रिपोर्ट है टाटा कन्स्ट्रेक्टिव एजेंसी की, आज यह जो कोटा में लगा उससे विरोध नहीं है हमारा लेकिन इस रिपोर्ट में है, पेज नं. 3 पर है कि 54 पैसा प्रति यूनिट बिजली पैदा होगी। राजस्थान की 1/3 बिजली। तीन दफे में एक्सटेन्शन करने के बाद आप वहां पर बिजली पैदा कर सकते हैं। कोटा में पिछले दिनों चर्चा चली पोल्यूशन की। थर्मल पावर स्टेशन से जो राख निकलेगी 25 साल तक उसको आप रिवाइन्स में डाल सकते हैं। लेकिन वहां कहीं कोई चर्चा नहीं। क्योंकि राजनीति से नहीं जोड़ा गया है धौलपुर पावर स्टेशन। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट्स हैं, देश के बड़े वैज्ञानिक हैं उनकी ओरीजनल कापी है, फोटोस्टेट कापी है जितने भी थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में बनाये गये हैं उनमें से एक भी थर्मल पावर स्टेशन की रिपोर्ट इससे बेहतर हो तो सभापति महोदय, जो सजा आप देंगे वह सजा मैं कबूल करने के लिये तैयार हूं बड़ी रेल्वे लाईन वहां पर, निरन्तर पानी वहां, एक किलोमीटर खाली रेल्वे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : लेकिन वहां पर नहीं बनेगा। राजस्थान अपने पानी के सवाल को अपने आत्म-सम्मान के सवाल से कभी नहीं जोड़ पाया। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं सिंचाई की डिमान्ड वाले दिन सिंचाई मन्त्री बड़े तैश में आकर कह रहे थे कि इस प्रदेश का जो सैंट्रल वाटर कमीशन है उससे जो एक्स्ट्रा वाटर है उसमें राजस्थान अपना हिस्सा लेना चाहता है। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सरकार से आपके माध्यम से जानकारी लेना चाहता हूं। बहुत जलालत झेली है इस प्रदेश के लोगों ने, मैं उन लोगों को भी देखता हूं अपने प्रदेश में इन्सान तो इन्सान जब पश्चिमी राजस्थान का पशु गर्मी के दिनों में हमारे यहां आता है तो उस पशु की चाल में भी थकावट होती है। उस राजस्थान का, प्यासे राजस्थान का जो पानी है उसके बारे में एक शब्द बोलने का काम नहीं रखा। सिंचाई की डिमाण्ड वाले दिन जब मैंने कहा, सभापति महोदय, यह सारा 12 तारीख से पहले का किस्सा है। इसी 12 तारीख को जब उत्तर प्रदेश का बजट आया उस बजट में 100 करोड़ रुपया उस पानी के इरिगेशन के लिए दे दिया गया जो राजस्थान का था। मैं इतना कहूंगा कि राजीव गांधी जी लोंगोवाल से वार्ता कर रहे हैं इस लोंगोवाल से वार्ता हो रही है उसमें भी राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होगा, क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा है उसके बारे में सोचने का किसी का काम नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्तरराज्यीय जो जल विवाद हैं उसमें निश्चित तौर पर हम को अपना हिस्सा मांगना चाहिए। यह आत्म सम्मान का सवाल है दूसरे प्रदेश निरन्तर हमारे उस हिस्से के पानी पर अपनी योजनायें घटित करते चले जा रहे हैं। लेकिन हम हमारी योजनाओं को, जो स्वीकृत योजनायें हैं उनको भी पूरा नहीं करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

(श्री मोहन प्रकाश)

पुलिस—हां, गंगानगर से पिछले वर्ष मालखाने से सरकारी मालखाने से 23 हथियार गायब होते हैं, 10 हथियार हनुमानगढ़ रेल्वे स्टेशन के यार्ड में ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : और पुलिस उसमें बड़े आराम से एफ. आर. लगाती है। यह सबूत है इस देश की सुरक्षा का कि हम कितना ख्याल रखते हैं। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : धौलपुर जिले में औरत बिक्री वाला मामला कल हमारे अलवर से आने वाले सदस्य उठा रहे थे। आज चूड़ियों पर टैक्स घटाकर औरतों को सिम्पैथी लेना चाहते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जिस्म फरोशी के धन्धे पर आप रोक नहीं लगा पाये। गृहमन्त्री महोदय, कह रहे थे कि हमारी जानकारी में है तो हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि जिस्म फरोशी के धन्धे पर....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : अभी तो तीन मिनट बाकी हैं।

श्री सभापति : दो मिनट भंवराराम जी बोलेंगे।

श्री मोहन प्रकाश : अब भंवराराम जी ...

श्री सभापति : दो मिनट बोलेंगे। अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन प्रकाश : अब आप बोले तो बड़े धर्म संकट में हूं....

श्री सभापति : नहीं धर्म संकट में नहीं हैं।

श्री मोहन प्रकाश : जिन्होंने मुझे भेजा है वह कहते हैं कि बोलना है और आप कहते हैं कि बोलना बन्द....

श्री सभापति : आप तो खूब बोलते हैं, हाऊस में धर्म संकट नहीं है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हाऊस में।

श्री मोहन प्रकाश : कहना चाहते हैं, मौन रहना चाहिए। बड़ा धर्म संकट है। मैं आपको एक मिनट में निवेदन करके समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा को टालना नहीं चाहता। 21 वीं सदी में आप हमको ले जाना चाहते हैं। सभापति महोदय, इस देश की हुकूमत चलाने वाला कहता है कि हम देश को 21 वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, जिस जगह से मैं आता हूं वह जगह आज इस बीसवीं शताब्दी में सोलहवीं शताब्दी में जीने का काम कर रही है। सभापति महोदय, हम इस हुकूमत से कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में रहने वालों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करें। यह जो हमारी नौजवानों की पीढ़ी है, यह पीढ़ी इनको माफ नहीं करेगी क्योंकि जिन हालातों में इस प्रदेश की आर्थिक अवस्था आज पहुंच चुकी है अगर संकल्प शक्ति के साथ, हमने इस आर्थिक स्थिति का मुकाबला नहीं किया,—लूट और

(श्री मोहन प्रकाश)

भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर एक संकल्प शक्ति का परिचय नहीं दिया तो यह प्रदेश 10 सालों में आर्थिक रूप से ठप्प हो जायेगा। सारी की सारी आर्थिक व्यवस्था ठप्प हो जायेगी। क्योंकि अब ओवर ड्राफ्ट की भी आपको सहूलियत नहीं मिलने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। श्री भंवरा राम।

श्री भंवराराम : दो मिनट में ?

श्री सभापति : कल और बोल लीजिए ना।

(व्यवधान)

कल बोल लीजियेगा, कल बोल लीजियेगा।

(व्यवधान)

दो मिनट बोल लेने दीजिएगा उनको। इनको बोलने के साथ ही सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी। दो मिनट बोल लेने दीजिए, उनको।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो क्या है ? उनको बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : श्री भंवराराम जी के बोलने के साथ ही सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी।

श्री मुक्ति लाल मोदी : इनको बोलने दिया जाय उनको अपने मन की बात को कहने दिया जाय। माननीय सभापति महोदय, इनके मन की बात तो हो—

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर। श्री भंवराराम। मैंने सदन की आज्ञा ली है कि इनके बोलने के साथ ही सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी यह मैंने कहा है। कृपया बोलें। सदन की आज्ञा से बोल रहे हैं।

श्री भंवराराम (डीडवाना) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट सदन के सामने रखा, राजस्थान के चहुंमुखी विकास को देखते हुए और इस विकास की गति को जारी रखने के उद्देश्य से अति सराहनीय है और मैं समझता हूं कि इस बजट से परमपिता परमेश्वर भी खुश हैं क्योंकि बजट प्रारम्भ हुआ उसके बाद से राजस्थान के समूचे इलाके में अच्छी वर्षा हो रही है।

श्री सभापति : जरा जोर से बोलें। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। कृपया बैठिये। बोलें।

श्री भंवरराम : बीज का जो सवाल है काश्तकारों के लिये, बाजरे का बीज राजस्थान के बाहर से मंगाया जाता है और

(श्री भंवरा राम)

जो पश्चिमी राजस्थान की फसलें हैं, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार और विभाग से निवेदन है कि करोड़ों रुपये के बीज राजस्थान के बाहर से मंगाया जा रहा है, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश से मंगाया जा रहा है और दूसरी तरफ काश्तकार जो अपनी फसल पैदा करता है राजस्थान में उसकी उनको सही समय पर उचित कीमत नहीं मिलती है। आज जो बीज हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, काश्तकारों को दे रहे हैं उसकी कीमत 13 रुपये किलो है, मोठ, ग्वार और मूंग की कीमत और भी ज्यादा है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर इस मांग के हिसाब से जो बीज की आवश्यकता है राजस्थान को, विभाग के सहयोग से और नयी तकनीक के आधार पर राजस्थान के निजी क्षेत्र में और विभाग के जो पास में जो फार्म हैं बड़े-बड़े उनके अन्दर बीज तैयार किया जाय ताकि काश्तकारों को समय पर भी मिल सकें और बाहर से आने वाले बीज के हिसाब के अन्दर, उसकी बुवाई के अन्दर जो होने वाला विलम्ब है उससे काश्तकारों को बचाया जा सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यह कृषि उत्पादन में····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं। कृपया बोलें।

श्री भंवराराम : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन की सरकारी खरीद की जो व्यवस्था हमारी राज्य सरकार ने की है मैं यह मानता हूं कि वह व्यवस्था उत्पादन को देखते हुए बहुत कम है। इसकी उचित व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। पिछले 10 और 15 साल का अगर अपन लेखा जोखा लें तो कृषि उत्पादन का मूल्य वहीं का वहीं है और कृषि उपकरण और किसान की जो आवश्यकतायें हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। उदाहरण के लिये आज से 15 साल पहले एक ट्रैक्टर की कीमत करीबन 20 हजार थी और उसी ट्रैक्टर की कीमत आज एक लाख रुपये से ऊपर है। मेरा आपसे निवेदन है कि यू. पी. सरकार ने ट्रैक्टर से सभी प्रकार के टैक्स हटा दिये हैं और पंजाब सरकार दो परसेंट ले रही है जबकि राजस्थान के अन्दर 4% टैक्स लिया जा रहा है। दूसरा—

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं माननीय सदस्य को आप सुनें।

श्री भंवराराम : बिजली के बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक साधन जुटाने बहुत जरूरी हैं और बिजली उत्पादन के लिये जो राजस्थान की मांग है उसके हिसाब से अन्य जो प्रोजेक्ट लगाये जा रहे हैं उनको पूरा करना बहुत जरूरी है····

श्री सभापति : संक्षिप्त में कह दें।

श्री भंवरा राम : मेरा आपसे एक ही

(श्री भंवरराम)

निवेदन है कि हालांकि फ्लेट रेट से काश्तकारों से पैसे लिये जा रहे हैं, दस हार्स पावर मोटर पर 2700 रुपये लिये जा रहे हैं और अब चार हजार रुपये करीबन देने पड़ेंगे। उसके अन्दर हम यह चाहते हैं और काश्तकार यह चाहते हैं कि पैसे चाहे कितने बढ़े लेकिन यह गारण्टी होनी चाहिये कि जिस समय 2700 रुपये लिये जा रहे थे उस समय 8 घण्टा या 10 घण्टा बिजली मिलती थी और अब 4 हजार रुपये लिये जायं तो बिजली कम से कम 15 घंटा दी जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं दो मिनट का समय और लूंगा....

श्री सभापति : हां, एक मिनट में कह दें।

श्री भंवरराम : दो मिनट का....

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, एक मिनट में कह दें आप।

श्री मुक्तिलाल : जब सभापति जी, यह तय कर दिया कि जितनी देर बोलेंगे, उनको बोलने दें....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। जल्दी संक्षेप में कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल पूरा कर देंगे। ओपनिंग इन्हीं से हो जायेगी ..

श्री भंवरराम : माननीय सभापति महोदय, न्याय व्यवस्था जो मौजूदा इस समय के अन्दर बना रखी है, मेरा यह मानना है कि इस भौतिकवाद के जमाने में और आज के आर्थिक तंत्र के अन्दर एक गरीब को इस न्याय प्रणाली के माध्यम से न्याय मिलना संभव नहीं है। आज के युग के अन्दर जो प्रभावशाली, पैसे वाले और साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं उसके सामने गरीब, आदमी आता है न्याय के लिये आपके न्यायालय में, सरकार के विभाग में अगर वह भटकता है तो मैं समझता हूं उस गरीब को न्याय से वंचित रहना पड़ता है।

इसके साथ अब में कई बातें हैं जो आपसे निवेदन करना चाहता था लेकिन मैं मानता हूं कि आप मुझे आगे, कल और समय देंगे....

श्री सभापति : आप कल फिर बोलियेगा....

श्री भंवरराम: जो बजट माननीय मुख्य मन्त्री ने रखा है वह अच्छा है, राजस्थान के विकास के लिये---

श्री सभापति : आर्डर प्लीज....

श्री भंवरराम : उसका भी मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 25, जुलाई 1985 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.05 बजे गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 1985 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

सारांकित प्रश्न सं. 145 की सूची

कुल स्वीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वर्षवार व जिलेवार पद:सृजन की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बीकानेर	32	24	6	9	12	9	25	29	146
2.	चूरू	93	28	4	7	16	20	19	47	234
3.	श्रीगंगानगर	154	18	3	20	23	17	54	83	372
4.	सीकर	132	8	21	8	14	14	28	46	271
5.	झुन्झुनू	97	27	10	6	8	19	17	55	239
6.	कोटा	22	49	47	54	7	24	29	24	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	बून्दी	1	44	11	9	10	9	10	23	117
8.	टोंक	74	5	10	5	9	11	16	30	160
9.	झालावाड़	68	6	4	7	3	—	9	17	114
10.	सवाईमाधोपुर	107	—	84	15	20	13	26	55	320
11.	उदयपुर	219	25	16	33	27	25	70	105	520
12.	बांसवाड़ा	104	6	10	6	2	9	34	27	193
13.	भीलवाड़ा	121	—	26	10	18	14	32	45	266
14.	चित्तौड़गढ़	127	5	6	17	13	14	17	27	226
15.	डूंगरपुर	9	14	11	21	21	6	21	63	166
16.	जयपुर	186	11	16	144	39	44	63	98	601
17.	भरतपुर	91	9	5	41	42	5	36	55	284
18.	धौलपुर	59	4	4	4	8	13	16	19	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	अजमेर	95	8	25	15	7	20	15	62	247
20.	अलवर	181	6	12	15	14	10	34	84	356
21.	जोधपुर	42	8	10	25	21	25	45	92	268
22.	जैसलमेर	9	6	4	11	3	5	5	13	56
23.	नागौर	55	89	12	13	21	13	18	76	297
24.	जालौर	78	14	4	3	7	10	9	31	156
25.	सिरोही	52	3	6	2	4	7	6	20	100
26.	बाड़मेर	86	21	4	7	13	7	19	47	204
27.	पाली	11	1	31	33	30	13	81	38	238
									योग :–	6539

214

जिलेवार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण
की स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	नियमितीकरण की संख्या
1	2	3
1.	बीकानेर	95
2.	चूरू	102
3.	गंगानगर	355
4.	सीकर	205
5.	झुन्झुनू	92
6.	जयपुर	461
7.	भरतपुर	290
8.	अजमेर	246
9.	अलवर	262
10.	धौलपुर	56
11.	जोधपुर	79
12.	जैसलमेर	54
13.	नागौर	296
14.	जालौर	112
15.	सिरोही	87
16.	बाड़मेर	90
17.	पाली	238
18.	उदयपुर	430
19.	बांसवाड़ा	85
20.	भीलवाड़ा	166
21.	चित्तौड़गढ़	225
22.	डूंगरपुर	107

1	2	3
23.	कोटा	157
24.	बून्दी	88
25.	टोंक	146
26.	झालावाड़	57
27.	सवाईमाधोपुर	141
	योग	4722

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के गत दो वर्षों में रिक्तियों तथा
वर्तमान में रिक्तियों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	1983-84	1984-85	वर्तमान में रिक्त
1	2	3	4	5
1.	सिरोही	13	13	16
2.	बाड़मेर	—	—	—
3.	पाली	16	7	—
4.	जैसलमेर	—	1	1
5.	जालोर	—	11	11
6.	जोधपुर	9	76	59
7.	नागौर	75	7	8
8.	जयपुर	—	—	—
9.	अजमेर	—	—	—
10.	अलवर	10	45	45
11.	भरतपुर	13	49	38
12.	धौलपुर	—	18	18
13.	बीकानेर	—	—	—
14.	चूरू	40	35	75
15.	सीकर	24	54	54
16.	गंगानगर	—	100	100
17.	झुन्झुनू	—	32	10
18.	उदयपुर	34	49	83
19.	बांसवाड़ा	12	—	—
20.	भीलवाड़ा	11	3	2
21.	चित्तौड़गढ़	—	—	—
22.	डूंगरपुर	45	20	—

1	2	3	4	5
23.	कोटा	11	29	40
24.	बून्दी	—	16	2
25.	टोंक	3	2	5
26.	झालावाड़	7	20	20
27.	सवाईमाधोपुर	1	16	16
	योग	284	603	603

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत समिति झाड़ोल में पी. एच. सीज में डाक्टर्स के रिक्त पदों की पूर्ति

491. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की झाड़ोल पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टर्स के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) स्वीकृत पदों के अनुसार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस समय कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? अगर सभी पदों के अनुसार डाक्टर कार्यरत नहीं हैं या पद रिक्त हैं, तो उसका क्या कारण है ? राज्य सरकार उनकी पूर्ति हेतु क्या विचार रखती है ? पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के झाड़ोल पंचायत क्षेत्र में एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाड़ोल में स्वीकृत है, जहां डाक्टरों के कुल छः पद सृजित हैं।

(2) झाड़ोल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 3 डाक्टर कार्यरत हैं तथा 3 पद जनवरी, 1985 से रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की शीघ्र व्यवस्था की जावेगी।

परिवहन निगम की बसों में छात्रों को रियायतें

492. श्री अश्क अली (फतेहपुर) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा छात्रों को मासिक पास अथवा राज्य में अन्यत्र यात्रा करने पर किराये में छूट प्रदान की जाती है ?

(2) क्या सरकार जिस प्रकार रेल्वे में अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के अन्तर्गत छात्रों को रियायतें दी गई हैं, उसी प्रकार पथ परिवहन निगम में भी विशेष छूट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) रेलवे के परिप्रेक्ष में परिवहन निगम द्वारा ऐसी रियायत पूर्व में ही दी जा रही है।

फुलेरा-ब्यावर एवं बून्दी अजमेर वाया केकड़ी विद्युत लाइन

493. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि 220 के. वी.

(श्री गोविन्द सिंह)

विद्युत लाइन फुलेरा से ब्यावर एवं बून्दी से अजमेर वाया केकड़ी का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इन दोनों लाइनों के कार्य की प्रगति क्या है, और यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए समाज सेवकों की नियुक्ति

494. श्री हर लाल सिंह खर्रा (श्री–माधोपुर), श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1960-61 में पंचायत समिति स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये समाज सेवकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो कितनी नियुक्ति हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खण्ड स्तर पर नियुक्त समाज सेवकों के लिए एक वर्ष का परिवार नियोजन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य था ? यदि हां, तो कितने समाज सेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 6(4) में उक्त प्रशिक्षित समाज सेवकों का स्क्रीनिंग करने का प्रावधान है ? यदि हां तो किस–किस का स्क्रीनिंग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने 4 9.1981 को निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उक्त प्रशिक्षित समाज सेवकों का स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो यह काम कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 1960-61 में आदेश संख्या ई–32/299 दिनांक 23-2-61 द्वारा 15 समाज सेवकों की अस्थाई नियुक्ति परिवार नियोजन कार्य हेतु की थी। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, नियुक्ति से पूर्व अथवा नियुक्ति के पश्चात् सभी समाज सेवकों को समय समय पर एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था। 158 व्यक्तियों को सन् 1965-66 तक प्रशिक्षित किया गया।

(3) जी हां, किसी का स्क्रीनिंग नहीं किया गया, क्योंकि राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम का प्रकाशन सर्व प्रथम राजस्थान राज्य पत्र के विशेष अंक के भाग 4(ग) में दिनांक 28–3–66 को हुआ। समाज सेवकों के पद राज्य आदेश संख्या एफ 4(42) चि. स्वा./66 दिनांक 22-7-66 द्वारा समाप्त

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री)

कर दिये गये। अतः पदों के अभाव में इनके स्क्रीनिंग का कोई औचित्य नहीं था।

(4) जी हां, समाज सेवकों के पद समाप्त हो जाने के कारण स्क्रीनिंग नहीं किया जा सका तथा राज्य सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया। समाज सेवकों के पद समाप्ति के पश्चात् समकक्ष पद परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता (एफ. पी. डब्लू. डब्लू.) पर समायोजित करने के पश्चात् वर्ष 1975 में प्रतिच्छादित किया जा चुका है। दिनांक 4–9–81 के पत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में निर्णय हो जाने के पश्चात् उनके द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिकायें विचाराधीन हैं। मामला वर्तमान में Sub Judice है अर्थात् न्यायालय में लम्बित है।

Medical and Health Directorate,
Rajasthan, Jaipur

No. E. 32/299 Jaipur, dated the 23 Jan. 1961

OFFICE-ORDER

The following candidates introduced by the Employment Exchange, Jaipur are hereby temporarily appointed as Social Workers for a period of three months in the first instance or till the suitable candidates duly selected by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer join, duty whichever is earlier on Rs. 60/- P. M. in the grade of Rs. 60-4-90-5 100-EB-5-130/- plus usual D. A. with effect from the date they reports for duties at the Panchayat Samities noted against each. They will have to undergo the Family Planning Social workers training at Jaipur when called for by the Department and they will be allowed usual stipend during the training period.

For their confirmation against the above noted post they will have to apply to the Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer as and when such posts are advertised for by the Commission. They will have to join their duties within one week of the receipt of the orders failing which the appointment order will be treated as cancelled:—

Sl.No	Name	Place of posting
1.	2.	3.
1.	Shri Padam chand Jain	Panchayat Samiti, Desuri (Pali)
2.	,, Raghunath lal	,, ,, Bikaner
3.	,, Ram chandra	,, ,, Sanganer
4.	,, Bansidhar Pareek	,, ,, Pisangan (Ajmer)

1.	2.	3.	
5.	Shri Girdhari singh	Panchayat Samiti,	Karanpura (Distt. Ganganagar)
6.	,, Satya Narain Pareek	,, ,,	Khora (Jalore)
7.	,, Hanuman singh	,, ,,	Barmer
8.	,, Badri Pd. Sharma	,, ,,	Jalore
9.	,, Deviki Narain Verma	,, ,,	Khanpur (Jhalawar)
10.	,, Mohan lal Todwa	,, ,,	Ramganj mandi (Kota)
11.	,, Tulsi ram verma	,, ,,	Kushalgarh (Banswara)
12.	,, Chandra sen sharma	,, ,,	Shahpura (Bhilwara)
13.	,, Syed Amin ali	,, ,,	Hurda (Bhilwara)
14.	,, Amar chand	,, ,,	Kapasan (Chittorgarh)
15.	,, Babu Lal	,, ,,	Nimbahera (Chittorgarh)

By order

Sd/-

for Director of Medical and Health
Service Rajasthan, Jaipur

पंचायत समिति, बायतू की पंचायतों को अनुदान प्राप्ति में कठिनाई

496. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977-80 की अवधि में राज्य सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम पंचायतों के मार्फत चलाया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस वक्त सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनाज की खाली बोरियों को पंचायत में रखने की छूट दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उसके बाद सरकार ने इस प्रकार रखी गई खाली बोरियों को लौटाने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बायतू की पंचायतों को अनुदान की राशि इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने खाली बोरियां नहीं लौटाई ?

(5) क्या सरकार बोरियों को लौटाने के आदेश वापस लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत खाली बोरियों को विभिन्न संस्थाओं को विक्रय करने या नीलामी से निस्तारण कर आय प्राप्त करने के ही आदेश दिये गये हैं।

(4) जी नहीं।

(5) खाली बोरियों का निस्तारण भारत सरकार से प्राप्त निर्देशिका के अनुसार ही किया जायेगा।

मण्डावा क्षेत्र में विद्युतीकरण

497. श्रीमती सुधा देवी (मण्डावा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार भविष्य में अन्य गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कृपया प्रस्तावित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रस्तावित गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में 105 ग्राम तथा 2 कस्बों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) जी हां। विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अतः निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

मण्डावा निर्वाचन क्षेत्र के स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	कोड नं०
1.	बाडेट	4/1/2
2.	ख्याली	1
3.	चिमनपुरा	3
4.	रामसिंहपुरा	4
5.	पातुसर	5
6.	शिवदयालपुरा	6
7.	ढोलसर	32
8.	काल्यासर	8
9.	जालीमपुरा	7
10.	ढाणी चारण	10
11.	बास काल्यासर	9
12.	जटावा खुर्द	27
13.	जटावा कलां	30
14.	बास हरिपुरा	28
15.	बिशनगढ़ शिवपुरा	23
16.	बुढ्ढा का बास	17
17.	खोरी	16
18.	चकरानासर	18
19.	रानासर	21
20.	ढाणी चारण	19
21.	नाथ पुरा	20
22.	मन्दरूपपुरा	24
23.	पाण्डासी	46
24.	खारिया	51
25.	महरादास	40
26.	मोगा	42
27.	नोल्या	43
28.	गोविन्दपुरा	44
29.	चक न्योंया	29
30.	मरोधा	50

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	कोड नं०
31.	हेनुलुपुरा	96
32.	गोपालपुरा	93
33.	खरखड़ी	90
34.	खिजरसर	62
35.	बिसाऊ ग्रामीण	60ए
36.	चुरिया	65
37.	खासपुरिया	64
38.	श्री रियासरखुर्द	82
39.	श्यामपुरा	81
40.	बिशनपुरा	83
41.	गोदेसर	36
42.	चन्दवा	35
43.	बिदासर	38
44.	नाथासर	37
45.	बिरमी	63
46.	ढाणी चारण	60
47.	हमीरवास बिरमी	61

केकड़ी क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय

198. श्री ललित भाटी (केकड़ी) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आबादी होते हुए भी, चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में कितने औषधालय खोलने का विचार है तथा कब तक ?

(3) इस क्षेत्र में कुल कितने औषधालय कहां कहां अवस्थित हैं ? उनमें से किस-किस में कितने स्टाफ की कमी है, और उसकी कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद औषधालय खोलने के लिए मापदण्डों को मद्दे नजर रखा जाता है :-

1-ग्राम में औषधालय के लिए पर्याप्त निःशुल्क भवन उपलब्ध हों।

2-अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो।

3-कम से कम आबादी 2000 हो।

विभाग में उक्त मानदण्डों के अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची संधारित नहीं की जाती वरन् औषधालय खोलने की विभागीय प्रक्रिया के अनुसार किसी ग्राम विशेष में औषधालय खोलने की मांग आने पर उसकी उक्त मानदण्डों के सन्दर्भ में जांच की जाकर सामान्यत: निर्णय लिया जाता है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में नवीन औषधालय खोलने हेतु प्रावधान प्रस्तावित नहीं है।

(3) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित औषधालय की सूची एवं स्टाफ बावत विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र कर दी जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित औषधालयों एवं इनमें रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नाम औषधालय का स्थान	चिकित्सा पद्धति
नाम औषधालय जहां आयुर्वेद चिकित्सक का पद रिक्त है :--		
1.	केसोट	आयुर्वेद
2.	गुलगांव	,,
3.	सल्लारी	आयुर्वेद परिचारक का पद भी रिक्त है।
नाम औषधालय जहां परिचारक के पद रिक्त हैं :--		
4.	बिसुन्दनी	आयुर्वेद
5.	बाजटा	,,
नाम औषधालय जहां पद रिक्त नहीं है :--		
6.	सांपला	आयुर्वेद
7.	सावर	,,
8.	घटियाली	,,
9.	जूनियां	,,
10,	पारा	,,
11.	पोपलाज	,,
12.	बघेरा	,,
13.	मेहरूकलां	,,
14.	सदारा	,,

क्रम संख्या	नाम औषधालय का स्थान	चिकित्सा पद्धति
15.	आन्हेड़ा	आयुर्वेद
16.	धून्धरी	,,
17.	आलोली	,,
18.	कुशापता	,,
19.	कंवर जी का कालेड़ा	,,
20.	सरवाड़	यूनानी
21.	केकड़ी	होमियोपैथिक

नर्स/कम्पाउण्डर का उक्त औषधालयों में कोई पद रिक्त नहीं है।

नवीन शिक्षा नीति

499. श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन कर इसे कब से लागू किया जा रहा है ? कृपया इसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि नयी शिक्षा नीति 1986-87 से लागू की जाये ? यदि हां, तो कृपया निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इसके लिए शिक्षा शास्त्रियों की कोई समिति नियुक्त की गई है जो पुरानी पद्धति का अवलोकन कर नवीन परिवर्तनों का सुझाव दें ?

(4) शिक्षा नीति के अन्तर्गत बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा किस स्तर तक प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन का कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। केन्द्र से इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं।

(3) जी नहीं। राज्य स्तर पर इस प्रकार की कोई समिति अभी तक नियुक्त नहीं की गई है।

(4) वर्तमान में मिल रही सुविधाओं के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को राणावत अवार्ड का लाभ

500. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1965 में राज्य की समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण राणावत अवार्ड के द्वारा हुआ था ?

(3) यदि हां, तो क्या उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति देते हुए बैंकों में लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य की समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उनके संचालक मण्डल की स्वीकृति से इसे बैंकों में लागू कर दिया गया एवम् पालना की गई है।

कल्याणीपुर तालाब गुलाबबाड़ी, अजमेर, की मरम्मत

501. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कल्याणीपुरा तालाब गुलाब बाड़ी अजमेर सन् 1975 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसकी मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है, जिससे अजमेर में बाढ़ की स्थिति और भी बढ़ जाती है ?

(2) सरकार इस तालाब की मरम्मत कब तक कराना चाहती है ?

(3) क्या इस तालाब से निकलने वाला नाला जो अजमेर गुलाब बाड़ी का नया घर, मिस्त्री मोहल्ला, गूजर धरती, पहुच कर बाढ़ का रूप ले लेता है ? राज्य सरकार इस नाले का पक्का निर्माण क्या इसी वर्ष पूर्ण कराने की योजना रखती है ? यदि नहीं तो कब तक इस नाले का कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु इसके कुल 0.85 वर्गमील कैचमेंट में से 0.65 वर्गमील कैचमेंट के लिए कल्याणीपुरा बाई पास चैनल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है जिससे बाढ़ की स्थिति पहले से बहुत कम होगी।

(2) इस तालाब की मरम्मत का कार्य सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(3) इस तालाब में अधिक जल न जाने का उपाय सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कल्याणपुरा बाईपास चेनल से कर दिया गया है तथा अब बाईपास चैनल एवं तालाब के बीच का कैचमेंट ऐरिया ही प्रभावी रह गया है एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना पहले से बहुत कम हो गई है। तालाब के ओवरफ्लो के नाले को पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

502. **श्रीमती डॉ. उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी सरकार की क्या नीति है ? कृपया एतद् सम्बन्धी परिपत्र व नीति सम्बन्धी पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त नीति के विपरीत वर्ष 1983-84, 1984-85 में कितने व किस-किस के तबादले हुए हैं ? कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त ट्रांसफर किये जाने के क्या कारण थे ? उक्त नीति के आधार पर जिनके तबादले किये जाने थे, तथा नहीं किये गये उनका विवरण कृपया सदन के पटल पर रखें।

उक्त कार्यों में नीति की अवहेलना किये जाने के क्या कारण थे ?

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी कोई अलग से नीति निर्धारित नहीं है। सामान्य नियमों की नीति को अपनाया जाता है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ट्रैक्टर्स व स्कूटर्स आदि पर बिक्री कर में कमी

503. श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मारुती कार पर बिक्री कर में कमी की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ट्रैक्टरों व स्कूटरों आदि का बिक्री कर कम करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा मारुति कार पर कर के संबंध में कोई अलग से आदेश जारी नहीं किये गये हैं। एक सामान्य अधिसूचना दिनांक 8-1-1985 द्वारा 1000 क्यूबिक सेन्टीमीटर की इंजन क्षमता वाले सभी कारों पर विक्रय कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। क्योंकि राज्य सरकार के इस निर्णय से हमारी आय में वृद्धि होगी। अभी तक मारुति कार सीधे गुड़गांव से बिक्री की जाती थी जिससे विक्रय कर हमारे राज्य को मिलने के बजाय हरियाणा को मिलता था। परन्तु हमारे इस कदम से अब यह बिक्री राज्य में होने लगी है। अतः बिक्री कर हमारे राज्य को मिलने लगा है।

(2) जी नहीं। क्योंकि इन पदार्थों पर राज्य में कर दर पड़ौसी राज्यों की तुलना में अधिक नहीं है।

माउण्ट आबू अभयारण्य

504. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माउण्ट आबू, अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया हुआ है? यदि हां तो कब से? और इसका कुल कितना क्षेत्रफल है, इसकी सीमायें कहां तक हैं?

(2) क्या यह सही है कि अभयारण्य क्षेत्र या वन क्षेत्रों में वनों की कटाई करना सर्वथा मना है? और वन अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद तो इसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार से लेना आवश्यक है।

(3) नगरपालिका माउण्ट आबू जब प्लाट देती है, तो क्या वह वृक्षों की कटाई की स्वीकृति वन विभाग से लेती है? यदि नहीं तो वन विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रारनेट क्लब सस्था बम्बई द्वारा वन विभाग को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसमें करीब 25 बीघा भूमि में खड़े हरे वृक्षों को काटने की अनुमति चाही है? क्या वन विभाग के उच्चाधिकारी इसे स्वीकार कर केन्द्रीय सरकार को लिखने को सहमत हो गये हैं? यदि हां, तो क्या यह उचित है?

(5) क्या सम्पूर्ण माउण्ट क्षेत्र ग्रभयारण्य क्षेत्र घोषित है? यदि हां तो इसमें वनों की कटाई को कैसे मंजूरी दी गई?

उत्तर

(1) जी हां।

4-7-60 से। क्षेत्रफल 28,884 हेक्टेयर है। सीमा विवरण सदन पटल पर रख दिया है।

(2) जी हां।

जी नहीं।

(3) जी नहीं।

कुछ नहीं। नगरपालिका क्षेत्र वन विभाग के ग्रधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(4) जी नहीं

जी नहीं

जी नहीं

(5) जी हां।

वनों की कटाई की मंजूरी नहीं दी गई हैं।

माउण्ट ग्राबू ग्रभयारण्य की सीमा विवरण

1. उत्तर–गुरु शिखर सिरोही सीमा उत्तरज गांव।

2. पूर्व-पिडवाड़ा रेंज की सीमा बाबू से ग्राबू रोड तक माईलस्टोन नं० 13।

3 दक्षिण-घामली विलेज बाउण्ड्री फ्रोम दी फट ग्राफ दीहित साउथ ग्राफ ऋषिकेश टेम्पल उतरनी गांव की सीमा ग्रलवाड़ा नाका, नौर्थ ग्राफ ग्राबू रोड, सेदर रोड माईल स्टोन नं० 7।

4. पश्चिम–तेलपुर गांव बाउण्ड्री ग्राफ सिरोही रेन्ज हाक कीपज फुटपाथ नियर वरोडी घज टेम्पल ग्रमादरा तलेटी से शांति शिखर हील्स।

कामां क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के ग्रन्तर्गत सड़क निर्माण

505. श्री शमशुल हसन (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कामां विधान सभा क्षेत्र में सन् 1980 से 1985 तक एन. ग्रार. ई. पी., पी. डब्ल्यू. डी. तथा कृषि उपज मंडी द्वारा कोई सड़क स्वीकृत की गई है? यदि हां तो कहां से

(श्री शमशुल हसन)

कहां तक कितने-कितने किलोमीटर की ?

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

कामां विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1980 से 85 में निम्नलिखित सड़कें स्वीकृत हुई हैं :—

1. कामां बिलांग सड़क मार्ग 3 किमी. लम्बाई (एम. एन. पी.)

2. कामां नन्दगांव सड़क मार्ग को चौड़ा करने का कार्य 5 कि.मी. लम्बाई में। (एम एन.पी)

3. अमरूका वाया सोनका जुरहरा 10 किमी. (एम. आर. ई. पी)।

4. एप्रोच रोड़ गढ़अजान 3 किमी. (एन. आर. ई. पी.)।

(2) उपरोक्त सड़कों के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है :—

1. कामां बिलांग सड़क कार्य पूर्ण।

2. कामां नन्दगांव सड़क चौड़ा करने का कार्य 2 किमी. कार्य पूर्ण—शेष कार्य वर्ष के अन्त तक पूर्ण होगा।

3. अमरूका वाया सोनका जुरहरा कार्य प्रगति पर है।

4. गढ़अजान एप्रोच रोड—कार्य आरंभ नहीं हुआ है।

सप्रवणाबन्ध औषध की खरीद

506. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1984-85 में आयुर्वेदिक दवाओं के क्रय हेतु तकनीकी कमेटी ने कौन-कौन सी दवायें खरीदने की सिफारिश की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सप्रवणाबंध नामक दवा खरीदने की सिफारिश तकनीकी समिति ने की थी ? यदि नहीं, तो सप्रवणाबन्ध किन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रय की गई ?

(3) इस दवा को क्रय करने के आदेश कब, किसके द्वारा दिये गये ? दवा रसायनशाला को कब, कितनी मात्रा में प्राप्त हुई एवं उसका मूल्य क्या था ?

(4) क्या विभाग इसी प्रकार की दवा वेदनानाशक बनाता रहा है ? क्या वर्ष 1985 में भी विभाग ने वेदनानाशक को बनाया है ? यदि हां तो एक बोतल का मूल्य कितना है ?

(5) स्वयं विभाग द्वारा निर्मित वेदना-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नाशक के इतने सस्ते होने के बाद भी अत्यन्त मंहगे सद्यव्रणाबन्ध को क्रय करने के क्या कारण थे ? इससे विभाग को कितनी हानि हुई है ? एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) तकनीकी समिति आयुर्वेदिक दवाइयों के क्रय करने हेतु कोई सिफारिश नहीं करती है, अतः सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

तकनीकी समिति द्वारा दवाइयों के क्रय करने हेतु कोई सिफारिश नहीं की जाती है। सद्यव्रणाबन्ध नामक औषधि को प्रोप्राइटरी औषधि के रूप में क्रय करने बाबत निर्णय इसकी उपयोगिता तथा मितव्ययिता की दृष्टि से किया गया। प्रोप्राइटरी आइटम्स सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के परिशिष्ट XVI में क्रय करने का प्रावधान है।

(3) इस दवा को क्रय करने के आदेश निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज. अजमेर के द्वारा क्रमांक 4024-26 दिनांक 13-2-85 से दिये गये। सद्यव्रणाबन्ध की 6,000 शीशी (500 एम एल प्रति शीशी) राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला में दिनांक 19-3-85 को प्राप्त हुई जिसका कुल मूल्य (4 प्रतिशत सेलटैक्स सहित) 2,18,400.00 रुपये था।

(4) विभाग की रसायनशाला में वेदनानाशक नामक दवा बनती रही है। जो सद्यव्रणाबन्ध से भिन्न है। वर्ष 1985-86 में उक्त दवा का निर्माण किया गया है किन्तु वर्ष 1984-85 में नहीं बनायी गई थी 1985-86 में निर्मित वेदनानाशक का वितरण मूल्य प्रतिबोतल (400 एम.एल.) रुपये 11.20 पैसे हैं।

(5) सद्यव्रणाबन्ध एवं वेदनानाशक दोनों भिन्न औषधियां हैं तथा वेदनानाशक सद्यव्रणाबन्ध का विकल्प नहीं है। विभाग में पूर्व में टिन्चर बेन्जोइन क्रय की जाती थी किन्तु यह एक एलोपैथिक औषध होने से कुछ वर्षों से इसका क्रय करना बन्द कर दिया गया एवं औषधालयों में ताजा घाव या चोट के रक्त को रोकने के लिए कोई औषध उपलब्ध नहीं होने के कारण सद्यव्रणाबन्ध औषध क्रय की गई थी।

सद्यव्रणाबन्ध नामक औषध काफी उपयोगी सिद्ध हुई है तथा इसके प्रयोग से बेण्डेज के खर्चे में भी कमी आयेगी क्योंकि इसका फवा चिपका देने मात्र से काम चल सकता है और उस पर बेण्डेज बांधने की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः इसके क्रय करने से कोई हानि नहीं हुई है। इसके विपरीत वेदनानाशक घाव पर चिपकता नहीं है, अतः पट्टी बांधने की आवश्यकता रहती है तथा रक्त-प्रवाह रोकने में भी तात्कालिक प्रभावी नहीं है।

जयपुर नगर की कच्ची बस्तियां

507. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार) :

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कुल कितनी कच्ची बस्तियां हैं ? सूची निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मय परिवारों की संख्या, कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) शहर की कुल कितनी-कितनी बस्तियों को योजनानुसार विकास करके उनके निवासियों को अलॉटमेन्ट व पट्टे देकर व्यवस्थित रूप से बसा दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कच्ची बस्तियों के निवासियों के नक्शे पास करने व लीज वसूल करने के क्या नियम हैं, और कच्ची बस्ती के किन-किन निवासियों को भवन बनाने के लिए बैंक से कर्जा दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है ?

(4) राज्य सरकार बिना सर्वेधारी, जो सर्वे से किसी कारण वंचित रह गये, को बसाने के बारे में क्या नीति अपना रही है ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर की कच्ची बस्तियों के विकास हेतु माह अप्रैल, 1983 में तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की माह मई, 1983 में हुई बैठक में क्या निर्णय लिये गये ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(6) क्या उक्त कमेटी ने कच्ची बस्तियों के 42 हजार परिवारों को सर्वो साल में नियोजित ढंग से बसाने सम्बन्धी निर्णय भी लिया था ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि पूर्व मुख्य मंत्री ने जयपुर की सन् 1981 के सर्वे में शामिल कच्ची बस्ती के निवासियों को यथा स्थान बसाने की घोषणा फरवरी, 84 में की थी ? यदि हाँ तो क्या इस घोषणा को अमल में लाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या सरकार की 1981 के बाद में बसे उक्त निवासियों को सर्वे कर नियोजित ढंग से बसाने की योजना है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में नगर परिषद् क्षेत्रों के अधीन कुल 36 कच्ची बस्तियां हैं तथा जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 142 कच्ची बस्तियां हैं सूची निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मय परिवारों की संख्या के सदन के पटल पर रख दी गई है। नगर परिषद् क्षेत्र की सूची परिशिष्ट प्राधिकरण की सूची तालिका "अ"।

(2) नगरपरिषद् क्षेत्र की 36 एवं एवं जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 86 बस्तियों की योजना अनुसार विकास करके उनके निवासियों को अलाटमेंट देकर व्यवस्थित रूप से बसा दिया गया है। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है. तालिका 'ब' व परिशिष्ट [क]।

(नगर विकास मन्त्री)

(3) कच्ची बस्ती के निवासियों द्वारा आवंटित भूखण्ड की नजराना राशि जमा कराने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा साइट प्लान के साथ कब्जा-पत्र एवं स्वीकृत नक्शे को टाइप डिजाईन की 3 प्रतियां आवंटी को अनुमोदन की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करके 25 रु. की राशि जमा करवाई जाने पर जारी की जाती है। यह प्रक्रिया जिन कच्ची बस्तियों को प्राधिकरण द्वारा अब व्यवस्थित ढंग से एक साथ बसाने की कार्यवाही की जा रही है उनके लिये है। जिन कच्ची बस्तियों को पूर्व में व्यवस्थित ढंग से बसा दिया गया है उनके आवंटियों द्वारा अब मानचित्र स्वीकृत करवाने पर कार्यालय से 5 रुपये की फाईल खरीदकर उसके सारे प्रपत्रों को भरकर तथा नक्शे की 5 प्रतियां देने पर नक्शे स्वीकृत की कार्यवाही की जाती है। कच्ची बस्ती के निवासियों को लीज की राशि आरक्षित दर की 11/4 प्रतिशत प्रथम तीन वर्ष तक तथा 3 वर्ष पश्चात् 2½ प्रतिशत की दर से वसूल की जाती है कच्ची बस्ती के आवंटियों को उनके आवंटित भूखण्ड पर बैंक से कर्ज दिलाने का प्रयास प्रधिकरण द्वारा किया गया है। अब तक सूची में संलग्न कच्ची बस्तियों के निवासियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भरवाकर बैंकों को भिजवा दिये गये हैं एवं बैंकों द्वारा उन्हें ऋण प्रदान करने की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। कृपया देखें सूची 'स'।

(4) जो व्यक्ति 1981 की की सर्वे में में रह गये थे तो उनका दुबारा सर्वे कराने का विभाग का विचार नहीं है।

(5) जी हां। कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'स'

(6) जी हां। जनवरी, 1985 तक 23,679 परिवारों को नियमन/आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(7) जी नहीं। पत्रावली पर ऐसी कोई घोषणा का रिकॉर्ड नहीं है।

(8) जी नहीं। अभी विभाग का कोई सर्वे कराने का विचार नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

भूतपूर्व सैनिकों को भू-आवंटन

508 श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत),

श्रीमती रतनकंवर (शेरगढ़),

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी नगर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीदों के आश्रितों व युद्ध में विकलांग हुए भूतपूर्व रक्षाकर्मियों को भूमि आवंटन हेतु 50 हजार बीघा भूमि आरक्षित की है? यदि हां, तो अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को कितनी-कितनी भूमि दी गई है? कृपया जिला, आवंटी का नाम, पता, खसरा नम्बर, स्थान, भूमि देने के

(श्री नवरंगसिंह)

आदेश की प्रति, दिनांक सहित सूचना सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त आवंटित जमीनों में से अब तक किन-किन व्यक्तियों को कब्जे दिये जा चुके हैं और किन किन को अभी तक नहीं दिये गये हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवंटित भूमि का कब्जा देने से पूर्व राज्य सरकार की कोई शर्तें हैं ? यह भूमि निःशुल्क दी जा रही है या कीमतन ?

(4) क्या बीकानेर जिले के भूतपूर्व रियासतों के सैनिकों को दी जाने वाली पेन्शन व भारतीय सेना के सेवा निवृत्त सैनिकों की पेन्शन में अन्तर है ?

(5) क्या राज्य सरकार 1-1-1964 से पूर्व की भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को बिना शर्त वृद्धावस्था पेन्शन त्रिपुरा सरकार की नीति अनुसार राजस्थान में भी देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि सैनिक कल्याण मन्त्री जी द्वारा सदन में जनवरी, 1982 में आश्वासन दिया गया था कि पी बी एम. अस्पताल बीकानेर में सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20 बिस्तर का एक वार्ड बनाया जायेगा ? यदि हां, तो आश्वासन की पालना क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां।

भूमि आवंटन की कार्यवाही चल रही है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी, हां।

कब्जा देने से पूर्व आवंटन आदेश दिया जावेगा, जिसमें आवंटन की समस्त शर्तें अंकित कर दी जावेंगी। भूमि का आवंटन आरक्षित मूल्य पर किया जावेगा।

(4) जी, हां।

(5) राज्य सरकार ऐसी विधवाओं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है एवं असहाय हैं, उन्हें 50 रुपये मासिक सहायता देती है।

(6) ऐसा कोई आश्वासन विभाग में आया जाना प्रतीत नहीं होता है। फिर भी इसकी जानकारी की जा रही है।

डग क्षेत्र में हत्याओं की घटनायें

509. श्री दीपचन्द (डग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि डग विधान सभा क्षेत्र में 20 अप्रेल, 1985 से 25 अप्रेल, 1985 तक के मध्य हत्याओं की तीन घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो नामजद

(श्री दीपचन्द)

अपराधियों को गिरफ्तार करने में क्या प्रगति हुई ?

(2) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) सरकार कब तक अपराधियों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1, 2, एवं 3 :—केवल दो घटनायें हुई। प्रथम घटना दिनांक 21/4/85 में अभियुक्त नामजद नहीं थे। दूसरी घटना दिनांक 24/4/85 में सात अभियुक्त नामजद थे। अनुसंधान से एक व्यक्ति अभियुक्त नहीं पाया गया, इस मामले में शेष सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों के मेडिकल स्टाफ को ग्रामीण भत्ता

510. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने की नियत से ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सीय संस्थानों में पद स्थापित स्टाफ को, शहरी क्षेत्रों में स्टाफ को ग्राह्य मकान किराया भत्ता के सादृश्य पर, ग्रामीण भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को ग्रामीण भत्ता रुपये 75/- प्रति माह की दर से देय है।

कोटडा व गोगुन्दा तहसील में लगे हैन्डपम्प्स

511. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :

श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटड़ा व गोगुन्दा तहसील क्षेत्र में 1980-85 की अवधि में कितने हैण्ड पम्प खुदवाये गये ?

(2) इनमें से विभाग द्वारा कितने हैण्ड पम्प खोदे गये ?

(3) क्या उक्त हैण्ड पम्पों में से कुछ का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को ठेका दिया गया ?

(4) क्या ठेकेदार को ठेके में दिये हैण्डपम्प पूरे खोद दिये है ? यदि हां, तो कुल कितने रुपयों का ठेका दिया गया ?

(5) क्या ठेकेदार द्वारा खोदे गये हैण्डपम्प का विभाग द्वारा निरीक्षण

(श्री कुबेरसिंह)

किया गया? यदि हां, तो किस-किस पंचायत का निरीक्षण किया ?

(6) क्या पंचायत बयारी व वेकरिया क्षेत्र में खोदे गये हैण्डपम्प्स सब पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कितने अधूरे हैं ?

उत्तर

(1) कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसील क्षेत्र में 1980-85 की अवधि में क्रमश: 435 एवं 465 हैण्ड पम्प हेतु नलकूप खोदे गये।

(2) विभाग द्वारा क्रमश: 148 एवं 418 हैण्ड पम्प के नलकूप खोदे गये हैं।

(3) जी, हां। ठेकेदारों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) जी, हां। ठेकेदार को 1604 हैण्डपम्प उदयपुर जिले में बनाने हेतु कार्य आदेश दिए गये। इनमें से 334 हैण्डपम्प कोटडा व गोगुन्दा तहसील में लगाये गये। एक हैण्डपम्प की लागत औसत 12.5 हजार रुपये आती है।

(5) जी, हां। सभी पंचायतों में लगे हैण्ड पम्पों का निरीक्षण किया गया।

(6) जी, नहीं। हैण्ड पम्पों का कार्य अपूर्ण है।

भाग 3 की सूची

परिशिष्ट (अ)

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	कोटडा-गोगुन्दा के सहित अन्य तहसील ठेके में दिए गये हैं पं. की संख्या	कोटडा-गोगुन्दा तहसील में खोदे गये हैं पं. की संख्या
1.	मै. कालूराम रामसुख एण्ड संस, भीलवाड़ा	360	108
2.	मै. मराठवाड़ा बोरिंग कं. भीलवाड़ा	100	57
3.	मै. श्रो. पी. ग्राउण्डवाटर डेवलपमेंट का. तमिलनाडु	100	12
4.	मै. उदयपुर ड्रिलर्स को-ग्रापरेटिव सो. लि. उदयपुर	67	26
5.	मै. के. के. ड्रिलिंग कं. भीलवाड़ा	277	76
6.	मै. गाउन्डर बोर वेल सेलम तामिलनाडु	100	53
7.	मै. ग्राई. पी ग्रार. सी. सिकन्दराबाद	600	--
	कुल :--	1604	334

बैंकों में बकाया ऋण की वसूली के दौरान कुर्क सम्पत्ति की नीलामी

512. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में बकाया ऋण वसूली के दौरान जो सम्पत्ति कुर्क की गई उसकी नीलामी की कार्यवाही समय पर नहीं करने से ऋणी के खाते में ऋण जमा नहीं होने से अनावश्यक ब्याज देना पड़ता है ? यदि हां, तो राज्य में किस किस प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में कौन-कौन सी चल व अचल सम्पत्ति कुर्क शुदा बिना नीलामी के कब से पड़ी है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार, जिस अधिकारी ने कुर्क शुदा सम्पत्ति की नीलामी बिना कोर्ट स्टे के समय पर नहीं की, और उसके कारण कुर्क शुदा सम्पत्ति की कीमत में गिरावट आयी तथा ऋणी कृषक को अनावश्यक ब्याज देना पड़ा, उसकी क्षति पूर्ति दोषी अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बकाया की वसूली खाते में जमा होने पर ही ब्याज लगना बन्द होता है। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। नीलामी की एक निश्चित प्रक्रिया है, जो पूरी करनी होती है। बिना उचित कारण के कोई सम्पत्ति कुर्क करने के बाद नीलामी से नहीं रोकी जाती है। कई कारणों से ऋणी के हित को देखते हुए एक से अधिक बार भी नीलामी करनी पड़ती है। ऐसे प्रकरण सामने नहीं आये हैं। अगर आवेंगे तो उस पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि० हनुमानगढ़

क्र. सं.	नाम ऋणी कृषक मय गांव	कुर्की का दिनांक	कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण	कारण
1	2	3	4	5
1.	श्री बक्षीसिंह पुत्र नारायणसिंह नि. 28 पी.बी.एन.	20.5.85	इन्टरनेशनल ट्रेक्टर बी–275,35 हार्स पावर	
2.	श्री सहीराम पुत्र रामसुख विश्नोई नि. जोडकिया	28.6.85	,, ,,	
3.	श्री पोलासिंह पुत्र मोलासिंह नि. 12 एस.टी बी.	27.6.85	एस्कार्ट 330 ट्रेक्टर	
4.	श्री बुद्धराम पुत्र नन्दराम रणजीतपुरा	18.6.85	स्वराज 735 ट्रेक्टर 39 एच. पी.	

1	2	3	4	5
सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक				
1.	अखेसिंह पुत्र गणपतसिंह मलारना डूंगर	5.1.84		ट्रेक्टर इन्टरनेशनल, स्टे के कारण
2.	श्री हीरा पुत्र ओंकार जुड़ाव	16.1.84		डीजल पम्प सेट क्रेता द्वारा बोली न लगाने के कारण
3.	श्री इसब पुत्र इमामी ग्राम सूरवाल	2.1.84		" "
4.	श्री भीमसिंह पुत्र सुगनसिंह खाजना डूंगर	21.1.84		विद्युत मोटर आंशिक राशि जमा कराने के कारण
बूंदी सहकारी भूमि विकास बैंक लि.				
1.	श्री माधो पुत्र भोजा मीणा वासंनी	29.6.84	ऋण चुकाने का आश्वासन देने के कारण	बिजली मोटर 5 एच. पी. क्रम्पटन, मय पम्प पुरानी हालत में

1	2	3	4	5
2.	श्री गजानन्द पुत्र कजोड़ गूजर हाण्डिया खेड़ा	28.6.84		5 एच. पी.-बी.एस.ए. डीजल इंजन नं. 501692, मय सेक्शन व डिलेवरी रबर पाईप 25 × 25 पुराने 1
केकड़ी सहकारी भूमि विकास बैंक लि.				
1.	श्री लादू पुत्र छोगा भील चारियां	8.6.85	कृषक ने समय मांगा है	डीजल इंजन मय वाटर पम्प, शली, 5 एच. पी. नं 13889/3024497
2.	श्री लादु पुत्र ज्वारा मीणा	2?.6.82	,,	बैलगाड़ी, एक पुरानी साइकिल एक पुरानी लगभग कुल सामान 2,600 रुपये
3.	श्री श्रीराम पुत्र छीतर कीर	28.6.82	,,	डीजल पम्प सेट अरूणा मय वाटर पम्प 5 एच.पी.
भीलवाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लि.				
1.	श्री देवीलाल पुत्र हजारी कुम्हारा	1.7.76		बिजली की मोटर 3 एच.पी. टेक्समो मॉडल नं. ग्रो. एल. 104 स्टार्टर एल. टी.एल.के. नं. ए–66896

1	2	3	4	5
				सुपुर्दगी के बाद सम्पत्ति दूसरे के अधिकार में चली गई
	नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०			
1.	श्री मैराराम खारडा	11.5.85	आयल इंजन	ऋणी के आश्वासन पर स्थगित
2.	श्री सांवतिया खारडा	,,	,,	,, ,,
3.	श्री मोतीराम कडलू	12.5.85	,,	,, ,,
4.	श्री रामूराम कडलू	,,	,,	बोली नहीं लगाने के कारण
5.	श्री बुद्धाराम कडलू	,,	,,	,, ,,
6.	श्री रामचन्द्र खुडखुडा	13.5.85	,,	राशि जमा हो गई
7.	श्री प्रतापराम खुडखुडा	,,	,,	,, ,,
	जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०			
1.	श्री ब्रह्मसिंह पुत्र भोमाराम पूंजला	19.6.85	इन्टरनेशनल ट्रेक्टर बी.-75 35-एच.पी.	आश्वासन के कारण

1	2	3	4	5
	जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि.			
1.	श्री जगन्नाथ पुत्र हरसहाय मीणा लालगढ़	75–76	डी.पी.एस.	रेकार्ड उपलब्ध न होने के कारण
2.	श्री दुर्गालाल पुत्र कालूराम मून्डली	,,	,,	,, ,,
3.	श्री बख्तावर पुत्र बख्ताराम घासीपुरा	,,	,,	,, ,,
4.	श्री रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह सोनड	22.6.85	आयसर ट्रैक्टर	उचित राशि बोली में न आने के कारण
5.	श्री रतनलाल पुत्र गोपाललाल मीणा	26.6.85	बी.पी.एस.	,, ,,
6.	श्रीमति रूपली पत्नी रामसुख बलाई उदयपुरा	5.6.85	,,	आंशिक राशि जमा कराने के कारण
7.	श्री उम्मेदी पुत्र कंचन मीणा ठीकरिया	7.6.85	,,	,, ,,

1	2	3	4	5
8.	श्री नौरतन पुत्र हरचन्दा मीणा चान्देरा	7.6.85	वी. पी. एस.	आंशिक राशि जमा कराने के कारण
9.	श्री मूलचन्द पुत्र भूरा खटीक रेनवाल	29.6.85	इ. पी. एस.	,, ,,
10.	श्री हीरालाल पुत्र ग्यारसा	25.6.85	वी. पी एस.	—
11	श्री लादूसिह पुत्र जवरसिह श्री मांगूसिह पुत्र बद्रीसिह पचाला	26.5.83	ट्रेक्टर	आंशिक राशी जमा होने के कारण
12.	श्री गंगाराम पुत्र डालू चौमू	24.6.85	भैंस—1 बकरी—1	,, ,,
13.	श्री शीशपाल पुत्र लालूराम जाट आस्टिर्क खुर्द	,,	विद्युत मोटर भैंस—1	कार्यवाही चालू है
14.	श्री बोदू पुत्र काना मीणा ढोसा	,,	स्टाटर मैनबोर्ड	क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाने के कारण
15.	श्री हनुमान पुत्र काना विमलपुरा	24.6.85	,,	क्रेता द्वारा बोली के अभाव में

1	2	3	4	5
16.	श्री रामेश्वर पुत्र भैरूलाल तिगरिया	26.6.85	स्टार्टर मैनबोर्ड	कार्यवाही चालू है
17.	श्री ग्रमरनाथ पुत्र कल्याण सहाय श्री श्योकरण पुत्र रामदास बैरवा नीमेडा	2.6.81	ट्रैक्टर	आंशिक राशि जमा कराने के कारण
अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि.				
1.	श्री जेठू पुत्र छीतर रावत ग्राखरी	19.6.85	विद्युत पम्प सेट टेक्समो 5-एच.पी. पुरानी बिना पाईपों की, लकड़ी बोर्ड, स्टार्टर	कार्यवाही जारी है
2.	श्री ग्रालमशाह पुत्र मेघू खां छातडी	17.6.85	साईकिल ग्रार.ग्रार.जेड. 6932 हीरोमेजेस्टिक 3811 किमी. चली हुई सेकिन्ड हेन्ड	"

1	2	3	4	5
3.	श्रीमती गणेशी पत्नी बोदू माली श्रीनगर	18.6.85	डीजल इंजन शुकेला	कार्यवाही जारी है
4.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र करणसिंह श्री रघुनाथसिंह पुत्र अनिरुद्धसिंह राजपूत गोठियाना	4.7.84	फोर्ड ट्रेक्टर	स्टे ऑर्डर आने के कारण
5.	श्री मांगू पुत्र लाला पालडी	30.6.84	ट्रेक्टर जीटर	बोली नहीं लगने के कारण
6.	श्रीमती शोभा गंगाबर पत्नी उम्मेदसिंह गोसला	7.6.84	3-एच.पी. विद्युत मोटर	" "
7.	श्री नारायण प्रसाद पुत्र राधाकिशन	22.6.84	5-एच.पी. डी.पी.एस.	" "
8.	श्री सूरजमल पुत्र कालू जाट आकोंडिया	10.5.84	" पी.पी.स.	" "
9.	श्री शम्भूकरण पुत्र गणेशदान गोठियाना	28.6.85	1–बोर्ड मय स्टार्टर	कार्यवाही चालू है

1	2	3	4	5
10.	श्री रामेश्वर पुत्र श्योचन्द जाट	4.7.85	एच.एम.टी जेटा ट्रैक्टर	
11.	श्री छीतर पुत्र रामदयाल कामनियावास	3.7.85	,,	,, ,,
12.	श्री डूंगरदान पुत्र गोकुल गोठियाना		5-एच.पी.	,, ,,
पी. एल. डी. डी., डूंगरपुर				
1.	श्री बबिया/गोतन मीणा	5.4.84	जानवर व आटा चक्की	निलामी बोली नहीं लगने के कारण
2.	श्री पन्ना/बाकरा	6.4.84	जानवर	आंशिक वसूली
3.	श्री रूपा/सोमा	12.4.84	जानवर व डीजल पम्प सेट	,, ,,
4.	खातरा/अलखा	24.4.83	रैकेट टी.पी.एस-5 रहन-भूमि	,, ,,
5.	नगजी/सोमा	19.4.84	रहनशुदा भूमि	,, ,,

1	2	3	4	5
6.	गोमिना/हलिया	3.5.84	जानवर, पम्प सेट	आंशिक राशि जमा कराने के कारण
7.	कनका/रामा	17.4.84	,,	,, ,,
8.	श्रीरामसिंह/मानसिंह	17.4.84	,,	,, ,,
9.	श्रीमती पार्वतीबाई	25.6.83	जानवर	,, ,,
10.	कोदरा/रामेग	23.4.84	जानवर, रहन-भूमि	,, ,,
11.	कोदरा/माया मीणा	23.4.84	जानवर, मकान व रहन-भूमि	कोई कार्यवाही नहीं की गई
12.	ऊंकार/गोतम	2.5.84	मकान	आंशिक वसूली
13.	मकनसिंह/गदनदान	13.4.84	जानवर	,, ,,
14.	मावा/हरेग मीणा	27.4.84	मकान, रहन-भूमि तथा जानवर	,, ,,
15.	मंगला	22.4.84	जानवर	,, ,,
16.	होरा/	16.4.84	जानवर पम्प सेट	

1	2	3	4	5
17.	मानसिंह	16.10.83	रहनशुदा भूमि	आंशिक वसूली
18.	जोतिया	5.4.84	जानवर	बोली लगाने वाला कोई नहीं आया
19.	नाना	17.10.84	जानवर व मकान	सम्मति नहीं लाने के कारण
20.	गौतम	12.10.82	पम्प सेट, टी.पी.एच. 5-एच,पी.	आंशिक राशि जमा कराने बाबत
21.	नानगी	23.6.83	पम्प सेट, पी.पी.एच. 5-एच.पी., जानवर	,, ,,
22.	लालू	12.10.82	पम्प सेट	,, ,,
23.	कानजी	12.10.82	,,	,, ,,
24.	कोदरा	12.10.82	,,	,, ,,
25.	मावेग	12.10.84	,,	,, ,,
26.	हुलिया	1.7.83	जानवर व रहन-भूमि	बिक्री अधिकारी का स्थानान्तरण होने बाबत ,,

1	2	3	4	5
27.	नाथू	23.6.83	इंजन	बिक्री अधिकारी के स्थानान्तरण के कारण
28.	हांजिया	1.7.83	इंजन, जानवर	आंशिक वसूली होने के कारण
29.	हुबजी	1.7.83	इंजन व रहन-भूमि	उचित कीमत न मिलने के कारण
30.	नाथू	1.6.83	इंजन, जानवर	,, ,,
31.	बोदरसिंह	25.6.83	जानवर	राशि पूरी जमा हो गई
32.	नाथू	15.5.84	इंजन	,, ,,
33.	कोदरा	15.5.84	इंजन, जानवर	बिक्री के अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण।
34.	पूंजा	10.11.84	इंजन	,, ,,
35.	लालीया	17.5.84	इंजन, जानवर	आंशिक वसूली के कारण
36.	गोदमा	25.2.83	इंजन	,, ,,
37.	कालू	25.2.83	रहनशुदा भूमि	जमीन स्वयं के पास है।

1	2	3	4	5
38.	रमा	23.2.83	रहनसुदा भूमि	जमीन स्वयं के पास है
39.	जग्गा	25.2.83	इंजन, भूमि, जानवर	बिक्री अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण
40.	नगदो	25.2.82	इंजन, भूमि	,, ,,
41.	चौसा	25.2.83	भूमि	भूमि कृषक के पास है, स्वयं के पास है
42.	भूरा	25.2.83	इंजन	बिक्री अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण
43.	नरेन्द्रसिंह	25.3.83	रहन-भूमि इंजन	,, ,,
44.	पूजीया	30.10.82	रहन-भूमि	भूमि स्वयं के पास है
45.	सेरादानखां	24.2.83	इंजन	आंशिक वसूली के कारण
46.	भेमा	30.10 82	रहट व जानवर	बिक्री अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण
47.	श्रीमती नूरजहां	30.12.82	भूमि	स्वयं के पास है

1	2	3	4	5
48.	घावरा	24.2.83	इंजन	आंशिक वसूली होने के कारण छोड़ दिये गये।
49.	घावरा/चना	27.6.83	इंजन व जानवर	,, ,,
50.	रूपसिंह	25.6.83	इंजन, बैल	,, ,,
51.	दिनेशचन्द्र	14.8.83	,,	,, ,,
सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सिरोही				
1.	श्री जेता	10.6.84	डीजल इंजन	बोली नहीं लगने के कारण
2.	श्री खसिया	10.6.84	,,	,, ,,
3.	होसा	10.6.84	,,	,, ,,
4.	भीमा	8.6.84	[illegible]	,, ,,
5.	नासा	11.6.85	,,	,, ,,
6.	नाथसिंह	21.6.85	विद्युत पम्प सेट	,, ,,

1	2	3	4	5
7.	अच्छबकुंवर	23.6.85	विद्युत पम्प सेट	बोली नहीं लगने के कारण
8.	छगनसिंह	19.6.85	,,	,, ,,
9.	जैसा	21.6.85	,,	,, ,,
10.	मूरा	19.6.85	डीजल पम्प सेट	,, ,,
11.	जागीरसिंह	23.6.85	,,	,, ,,
12.	मोती	20.6.85	ट्रेक्टर	,, ,,
13.	बिलिहारीसिंह	23.6.85	,,	,, ,,
14.	लाला	15.6.85	डीजल इंजन	,, ,,
जोधपुर पी. एल. डी. बी.				
15.	ब्रह्मसिंह	19.6.85	ट्रेक्टर	निलामी बोली नहीं लगने के कारण
भरतपुर पी.एल.डी.बी. भरतपुर,				
16.	गोरधन	24.6.85	पम्प सेट	आंशिक राशि जमा होने के कारण

1	2	3	4	5
17.	सद्दीक	7.5.84	पम्प सेट	आंशिक राशि जमा होने के कारण
18.	हुकम कौर	24.1.85	भूमि	निलामी बोली नहीं लगने के कारण
19.	पातरिया	10.6.83	पम्प सेट	,, ,,
20.	सुवा	29.12.83	,,	,, ,,
21.	देवजीत	29.2.84	,,	,, ,,
22.	श्यामा	10.5.84	,,	,, ,,
23.	शिवचरण	मई 84	,,	,, ,,
पाली सहकारी भूमि विकास बैंक लि. पाली				
24.	कंसा	30.4.76	इंजन	निलामी बोली नहीं लगने के कारण

नोट :—बीकानेर एवं हिण्डौन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा अन्य बैंकों की सूचना शून्य है ।

तहसील टीबी के आदतन अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही

513. श्री डूंगर राम पंवार (टीबी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री भगत सिंह जाति मजहबी सिख, साकिन सुरेवाला, तहसील टीबी, जिला श्री गंगानगर, आदतन अपराधी हैं ? यदि हां, तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में किस-किस अपराध के कितने मुकदमें दर्ज हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके खिलाफ ग्राम सुरेवाला, तहसील टीबी, जिला श्री गंगानगर के निवासियों व आस पड़ौस के गांव वालों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है ? यदि हां, तो किस अधिकारी को और उसने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस नाम का ग्राम सुरेवाले में कोई व्यक्ति है ही नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

डेसिन फिनायल लिक्विड की खरीद

514. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के निदेशक, आयुर्वेद विभाग ने आदेश क्रमांक 6013-17 दिनांक 16-3-1984 द्वारा मैसर्स अरावली केमिकल लेबोरेटरी, जयपुर को डेसिन फिनायल लिक्विड सप्लाई करने का आदेश दिया, व इसके अनुसार कम्पनी ने 303 ड्रम 29-3-1984 को सप्लाई कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि उसमें बैच नं. 37 की एक्सपायरी डेट 31-1-1985 और बैच 74 की 28-2-1985 थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि 29-3-1984 को सप्लाई किया हुआ फर्म का उक्त माल 1-1-1985 को ही 176 ड्रम खरीदा गया ? यदि हां तो उक्त विलंब का क्या कारण था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त औषधि को पहले निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं बताया गया, किन्तु उसी को घटी दर पर खरीद लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसके विषय की जांच ए.सी.डी. भी कर रहा है ? यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला ? कृपया जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(6) क्या विभाग ने उक्त विषय की जांच कराई है ? यदि हां तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई ?

उत्तर

(1) निदेशक, आयुर्वेद विभाग के द्वारा आदेश क्रमांक 6013-17 दिनांक 16-3-84

(आयुर्वेद मन्त्री)

मैसर्स अरावली केमिकल लेबोरेटरी, जयपुर कोफिनाइल लिक्विड (आई. एस. आई मार्का) सप्लाई करने के आदेश दिये थे। फर्म के द्वारा डेसिन फिलाईल के 303 ड्रम दिनांक 30-3-84 को सप्लाई किये गये।

(2) एक्सपायरी डेट का रेकार्ड रसायनशाला द्वारा नहीं रखा गया है।

(3) माल 30-3-84 को फार्मेसी में आया और इसे दिनांक 1-1-85 को स्वीकार किया गया था इस माल के आई एस. आई. के प्रमाणीकरण की जांच आवश्यक थी। इस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में काफी समय लगने के कारण माल स्वीकार करने में विलम्ब हुआ था।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होना पाया जाता है।

(6) जी नहीं।

तहसील लालसोट में कृषि उपज मंडी का निर्माण

515. श्री परसादी लाल (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि तहसील लालसोट में कृषि उपज मंडी का प्लान सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है ? यदि हां तो कृषि उपज मण्डी के लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है ? कृपया योजना की रूपरेखा सदन के पटल पर रखें ?

(2) क्या सरकार उक्त मण्डी का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है जिसके पश्चात् मुख्य मंण्डी यार्ड के निर्माण का प्लान बनाना सम्भव हो हो सकेगा।

सवाई माधोपुर–गंगापुरसिटी सड़क के तिराये पर स्थित 41 बीघा 7 बिस्वा भूमि चयन अवाप्ति हेतु किया गया है।

मण्डी समिति द्वारा भूमि अवाप्ति होने के उपरान्त नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण की योजना हाथ में ली जावेगी।

(2) भूमि अवाप्ति के उपरान्त एवं परियोजना बनाकर नाबार्ड की स्वीकृति हेतु पेश की जायेगी एवं उस स्वीकृति के बाद ही नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

चौमू तहसील में कमजोर तबके के लाभान्वित परिवार

516. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर तबके को रोजगार दिलवाने के लिए चौमूं तहसील में कितने परिवारों का चयन किया गया है ? सन् 1980 से 30 जून 1985 तक पंचायतवार चयनित परिवारों की मय नाम के सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) सन् 1980 से जून, 1985 तक कितने चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और कितने चयनित परिवार लाभान्वित होने से वंचित रखे गये हैं ? इसमें कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) वंचित परिवारों की वर्षवार सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) चौमूं तहसील (पंचायत समिति गोविन्दगढ़) में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जून 85 तक कुल 5371 परिवारों का चयन किया गया है। पंचायत द्वारा चयनित परिवारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों में से सन् 1981-82 से 1984-85 तक 2963 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा 1590 परिवार लाभान्वित होने से रह गये हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष में निर्धारित लक्ष्य एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के अनुसार ही चयनित व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाता है। बाकी बचे हुए व्यक्तियों को आगामी वर्षों में लाभ पहुंचाया जाना है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का आधार नहीं है।

(3) वंचित परिवारों की वर्षवार सूची संलग्न है।

गरीबी रेखा के व्यक्तियों की सूची वर्ष 1981–82

क्र. सं	नाम ग्राम पंचायत	ग्राम	चयनित व्यक्तियों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	चयनित जो कि लाभान्वित नहीं हो सके संख्या	लाभान्वित नही होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	किशनपुरा	किशनपुरा	27	1.	26	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
2.	नांगल गोविन्द	नांगल गोविन्द	8	3	5	
		बगडी	3	2	1	
3.	ग्राष्टी कलां	ग्राष्टीकला	10	7	3	
		ग्राष्टी खुर्द	8	7	1	
		बागड़ों का बास	10	6	4	

1	2	3	4	5	6	7
4.	भूतेड़ा	हाबु का बास	1	1	—	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है.।
		गुडलिया	7	2	5	
		गाधो का बास	2	2	—	
5.	ढोढसर	ढोढसर	14	5	9	
		छोटा गुढ़ा	6	2	4	
6.	हस्तेड़ा	हस्तेहा	14	11	3	
		नीपूरा	2	—	2	
7.	आलीसर	आलीसर	10	3	7	
		बाघा का बास	3	2	1	
		चारणबास	3	3	—	
		कुम्भा का बास	2	2	—	
		दम्मा का बास	3	3	—	
8.	घिनोई	घिनोई	15	7	8	

Page No. 263

1	2	3	4	5	6	7
		कानापुरा	6	1	5	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
		बाई का बास	3	3	—	
		सबलपुरा	4	3	1	
		ढाणी निर्भरना	1	—	1	
9.	मंडा मिण्डा	मंडा मिण्डा	8	6	2	
		डोला का बास	10	10	—	
		बावडी गोपीनाथ	6	5	1	
		मीर का बास	6	5	1	
10.	कालाडेरा	कालाडेरा	30	28	2	
11.	सान्दरसर	सान्दरसर	9	9	—	
		विमलपुरा	5	5	—	
		सन्नीपुरा	3	3	—	
		घाना का बास	1	1	—	
12.	टांकरडा	टांकरडा	9	7	2	

1	2	3	4	5	6	7
		डहर	3	3	—	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
		जोधपुरा	7	6	1	
		जयसिंहपुरा	6	4	2	
		देवपुरा	4	4	—	
		गुवारडी	4	1	3	
13.	मलिकपुरा	मलिकपुरा	6	4	2	
		नृसिंहपुरा	5	4	1	
		सीतारामपुरा	4	3	1	
14.	लोहरवाडा	लोहरवाडा	8	2	6	
		अगतपुरा (चि०)	7	3	4	
		बलेखंगा	2	2	—	
15.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	25	10	15	
16.	घोबलाई	घोबलाई	3	3	—	
		नांगलकलां	5	2	3	

1	2	3	4	5	6	7
		रायसिंह का बास	1	1	—	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते हैं।
		स्याऊ	3	2	1	
17.	सींगोद कलां	सींगोद कलां	12	12	—	
18.	खेजरोली	खेजरोली	23	12	11	
19.	निवाणा	निवाणा	13	12	1	
20.	नांगल कोजू	नांगल कोजू	6	5	1	
		कंवरपुरा	5	3	2	
21.	तिगरीया	तिगरीया	27	19	8	
22.	अमरपुरा	अमरपुरा	9	9	—	
		विशनपुरा (चा0)	9	7	2	
		वरवाडा	8	5	3	

1	2	3	4	5	6	7
23.	ईटावा भोपजी	ईटावा भोपजी	20	12	8	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
24.	उदयपुरिया	उदयपुरिया	20	15	5	
25.	नांगल मंडी	नांगल मंडी	15	9	5	
		हाथनोदा	7	6	1	
27.	म्यारकलां	म्यारकलां	11	11	—	
		छोटावाली	5	2	3	
		कानपुरा	6	4	2	
		डेहरा	3	2	1	
		मालेरा	2	1	1	
		शिम्भुपुरा	2	2	—	
27.	चिथवाडी	चिथवाडी	14	6	8	

1	2	3	4	5	6	7
28.	फतेहपुरा	फतेहपुरा	8	3	5	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते हैं।
		समरपुरा	5	4	1	
		सुल्तानपुरा	1	1	—	
2 .	सामोद	सामोद	26	4	22	
		झीडा	3	3	—	
30.	कुशलपुर	कशलपुरा	15	8	7	
		विजयसिहपुरा	5	1	4	
31.	मोरिजा	मोरिजा	12	3	9	
32.	जैतपुरा	जैतपुरा	20	19	1	
33.	अणतपुरा	अणतपुरा	15	8	7	
34.	हाडौता	हाडौता	13	7	6	
		भोपावास	12	9	3	
			695	436	259	

वर्ष 1982–83

1	2	3	4	5	6	7
1.	किशनपुरा	किशनपुरा	26	16	10	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता हैं तथा चयनित ज्यादा किया जाते हैं।
2.	नांगल गोविन्द	नांगल गोविन्द	7	1	6	
		बगडी	14	5	9	
3.	ग्राण्टीकलां	ग्राण्टी खुर्द	8	6	2	
		बागड़ों का बांस	5	4	1	
4.	भूतेढ़ा	भूतेड़ा	5	5	—	
		हावू का बास	7	6	1	
		माघो का बास	1	1	—	

1	2	3	4	5	6	7
5.	ढोढसर	ढोढसर	14	4	10	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
		छोटागुढा	5	1	4	
6.	हुस्तेडा	हुस्तेडा	13	7	6	
		नोपुरा	2	1	1	
7.	भ्रालीसर	भ्रालीसर	10	3	7	
		वाघा का बास	4	1	3	
		चारणवास	3	—	3	
		कुम्भा का बास	2	2	—	
		दम्बा का बास	3	2	1	
8.	घिनोई	घिनोई	5	1	4	
		कानरपुरा	2	2	—	
		सबलपुरा	2	1	1	

1	2	3	4	5	6	7
9.	मंडा भिण्डा	मंडा भिण्डा	8	6	2	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
		डोला का बास	9	9	—	
		बावडी गोपीनाथ	6	5	1	
		गोरी का बास	5	5	—	
10.	कालाडेरा	कालाडेरा	30	20	10	
11.	सान्दरसर	सान्दरसर	9	9	—	
		विमलपुरा	5	4	1	
		खन्नीपुरा	3	3	—	
12.	टांकरडा	टांकरडा	9	5	4	
		डहर	2	2	—	
		जोघपुरा	7	6	1	
		जयसिंहपुरा	8	7	1	
		देवपुरा	3	2	1	
		गुवारडी	3	1	2	

1	2	3	4	5	6	7
13.	मलिकपुरी	मलिकपुर	6	5	1	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
		नूर्हसिहपुरा	5	4	1	
14.	लोहरवाड़ा	लोहरवाड़ा	10	2	8	
		अणतपुरा (चि०)	7	1	6	
		बलेखेण	2	1	1	
15.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	27	13	14	
16.	धोबलाई	धोबलाई	3	3	—	
		नांगल कला	5	1	4	
		रायसिह का बास	1	—	1	
		स्याउ	3	—	3	
17.	सीगोद कलां	सीगोद कलां	12	10	2	
18.	खेजरोली	खेजरोली	23	11	12	

1	2	3	4	5	6	7
19.	निवाणा	निवाणा	16	15	1	लाभान्वित का लक्ष्य कम निर्धारित होता है तथा चयनित ज्यादा किये जाते है।
20.	नांगल कोजू	नांगल कोजू	6	4	2	
		कंवरपुरा	5	4	1	
21.	तिगरीया	तीगरीयां	27	16	11	
22.	अमरपुरा	अमरपुरा	9	8	1	
		विशनपुरा (चा०)	8	7	1	
		बरवाडा	7	6	1	
23.	ईटावा भोपजी	ईटावा भोपजी	10	9	1	
24.	उदयपुरिया	उदयपुरिया	20	15	5	
25.	नांगल मंडी	नांगल भंडी	15	10	5	

1	2	3	4	5	6	7
		हाथनोदा	7	2	5	
26.	म्यारकलां	म्यारकलां	10	6	4	
		जाटावाली	5	3	2	
		फानपुरा	6	4	2	
		डेहरा	2	2	—	
		मालेरा	2	2	—	
		शिम्भूपुरा	1	—	1	
27.	चिथवाडी	चिथवाडी	13	5	8	
28.	फतेहपुरा	फतेहपुरा	8	2	6	
		समरपुरा	5	4	1	
		सुल्तानपुरा	1	1	—	

1	2	3	4	5	6	7
29.	सामोद	सामोद	26	11	15	
		भीडा	2	1	1	
30.	कशलपुरा	कशलपुरा	16	11	5	
		विजयसिंहपुरा	5	4	1	
31.	मोरीजा	मोरीजा	10	—	10	
32.	जैतपुरा	जैतपुरा	23	22	1	
33.	अणतपुरा	अणतपुरा	15	13	2	
34.	ह्राडौता	ह्राडौता	13	9	4	
		भोपावास	11	10	1	

वर्ष 1983–84 (पुराना)

1	2	3	4	5	6	7
1.	किशनपुरा	किशनपुरा	26	19	7	
2.	नांगल गोविन्द	नांगल गोविन्द	7	4	3	
		बगंडी	2	1	1	
3.	श्राष्टी कलां	श्राष्टीकलां	9	7	2	
		श्राष्टी खुर्द	8	2	6	
		बागड़ों का बांस	5	4	1	
4.	भूतेड़ा	भूतेडा 5	5	5	—	

1	2	3	4	5	6	7
		हाबु का बास	1	1	—	
		गुडलिया	7	5	2	
		माधो का बास	1	—	1	
5.	ढोडसर	ढोडसर	14	5	9	
		छोटा गुढ़ा	5	1	4	
6.	हस्तेड़ा	हस्तेड़ा	13	10	3	
		नीपूरा	2	2	—	
7.	आलीसर	आलीसर	10	3	7	
		बाघा का बास	3	1	2	
		चारणवास	5	5	—	
		कुम्भा का बास	2	2	—	
		दम्मा का बास	3	1	2	
9.	मूंडा मिण्डा	मूंडा मिण्डा	8	7	1	

1	2	3	4	5	6	7
		डोला का बास	9	8	1	
		बाबड़ी गोपीनाथ	6	4	2	
		गौर का बास	5	3	2	
9.	कालाडेरा	कालाडेरा	29	19	10	
10.	सान्दरसर	सान्दरसर	9	9	—	
		विमलपुरा	4	4	—	
		खन्नीपुरा	3	3	—	
11.	टांकरडा	टांकरडा	9	5	4	
		डहर	1	1	—	
		जोधपुरा	7	7	—	
[illegible]	[illegible]	जयसिंहपुरा	4	2	2	
		देवपुरा	3	2	1	
		मुवारडी	3	2	1	

1	2	3	4	5	6	7
12.	मलिकपुरा	मलिकपुरा	5	4	1	
		नृसिंहपुरा	4	3	1	
13.	लोहरवाड़ा	लोहरवाडा	8	4	4	
		भगतपुरा (चि०)	7	1	6	
		बलेखंणा	2	1	1	
14.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	27	10	17	
15.	घोबलाई	घोबलाई	2	1	1	
		नांगलकलां	5	1	4	
		रायसिंह का बास	1	1	—	
		स्याऊ	3	—	3	
16.	सिगोदकलां	सिगोदकलां	4	2	2	

1	2	3	4	5	6	7
		सिगोद खुर्द	6	5	1	
17.	खेजरोली	खेजरोली	23	12	11	
		देववाला	12	8	4	
18.	नांगल कोजू	नांगल कोंजू	5	3	2	
		कंवरपुरा	4	4	—	
19.	तिगरीया	तिगरीया	28	21	7	
20.	अमरपुरा	अमरपुरा	8	8	—	
		किशनपुरा (चि.)	8	7	1	
		बरवाडा	7	3	4	
21.	ईटावा भोपजी	ईटावा भोपजी	9	7	2	

1	2	3	4	5	6	7
22.	उदयपुरिया	उदयपुरिया	22	15	7	
23.	नांगल भाडी	नांगल बाडा	16	6	10	
		हाथनोदा	6	4	2	
24.	म्यारकलां	म्यारकलां	12	9	3	
		जोटावली	5	4	1	
		कावपुरा	5	4	1	
		डेहरा	2	1	1	
		मालेरा	1	1	—	
		शिम्भुपुरा	1	—	1	
25.	चिथवाडी	चिथबाडी	14	2	12	
26.	फतेहपुरा	फतेहपुरा	12	4	8	

1	2	3	4	5	6	7
		सुल्तानपुरा	1	1	—	
27.	सामोद	सामोद	26	8	18	
		भीडा	2	—	2	
28.	कुशलपुर	कुशलपुरा	16	1	15	
		विजयसिंहपुरा	4	—	4	
29.	मोरिजा	मोरिजा	10	1	9	
30.	जैतपुरा	जैतपुरा	22	19	3	
31.	भ्रणतपुरा	भ्रणतपुरा	15	13	2	
32.	निवाणा	निवाणा	12	10	2	

वर्ष 1983-84 (नया)

1	2	3	4	5	6	7
1.	किशनपुरा	किशनपुरा	25	8	17	
2.	नांगल गोविन्द	नांगल गोविन्द	8	6	2	
		बगडी	4	3	1	
3.	आण्टीकलां	आण्टीकलां	12	4	8	
		बागड़ों का बांस	5	1	3	
		आण्टीखुर्द	8	1	7	
4.	भूतेड़ा	भूतेड़ा	18	16	2	
		उडरवार उर्फ गुडलिया	8	5	3	
		हावू का बास	4	4	—	

1	2	3	4	5	6	7
		माघो का बास	2	1	1	
5.	ढोढसर	ढोढसर	24	19	5	
		छोटागुढ़ा	5	5	—	
6.	हस्तेडा	हस्तेडा	22	15	7	
		नोपुरा	1	—	1	
7.	आलीसर	आलीसर	15	6	9	
		देम्बा का बास	7	6	1	
		बाघा का बास	1	1	—	
		कुम्हार का बास	2	1	1	
		चोरणबास	4	3	—	
8.	घिनोई	घिनोई	8	1	7	

1	2	3	4	5	6	7
		कानकपुरा	7	5	2	
		बाई का बास	2	—	2	
		सबलपुरा	1	1	—	
		ढाणी निरम्क	1	1	—	
9.	मंडा मिढा	मंडा मिढा	7	7	—	
		दोलतपुरा	1	—	1	
		डोला का बास	9	7	2	
		गोरी का बास	3	2	1	
		बावडी गोपीनाथ	4	3	1	
10.	कालाडेरा	कालाडेरा	30	23	7	
11.	सादरसर	सादरसर	16	13	3	
		खन्नीपुरा	4	4	—	
		धाना का बास	1	—	1	
		विमलपुरा	5	5	—	

1	2	3	4	5	6	7
12.	टांकरडा	टांकरडा	7	7	—	
		उहर टाकरडा	2	2	—	
		जोधपुरा	6	6	—	
		जयसिंहपुरा	3	3	—	
		देवपुरा	6	6	—	
		गुवारडी	5	5	—	
13.	मलिकपुर	मलिकपुर	14	9	5	
		सीतारामपुरा	5	5	—	
		नृहसिंहपुरा	4	3	1	
14.	लोहरवाड़ा	लोहरवाड़ा	6	4	2	
		अणतपुरा चिमनपुरा	4	4	—	
		बलेखण	3	3	—	
15.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	16	7	9	
16.	घोबलाई	घोबलाई	14	8	6	

1	2	3	4	5	6	7
		नांगल कला	3	3	—	
		स्याउ	4	2	2	
		रायसिंह का बास	2	2	—	
17.	सीगोद कलां	सीगोद कलां	7	3	4	
		सींगोदखुर्द	10	9	1	
18.	खेजरोली	खेजरोली	37	32	5	
19.	निवाणा	निवाणा	17	8	9	
		देबथला	7	4	3	
20.	नांगल कोजू	नांगल कोजू	17	15	2	
		कंवरपुरा	11	10	1	
21.	तिगरीया	तीगरीयां	26	17	9	
22.	श्रमरपुरा	श्रमरपुरा	8	8	—	

1	2	3	4	5	6	7
		बरवाडा	6	6	—	
		किशनपुरा (चा०)	9	9	—	
23.	इटावा भोपजी	इटावा भोपजी	53	34	19	
24.	उदयपुरिया	उदयपुरिया	20	16	4	
25.	नांगल वाडी	नांगलवाडी	18	11	7	
		हाथनोदा	10	9	1	
26.	म्हार कलां	म्हार कलां	12	11	1	
		जटावाली	4	4	2	
		मालेरा	5	5	—	
		डेहरा	3	2	1	
		कानपुरा	3	2	1	
		शिम्भूपुरा	2	2	—	
27.	कीथवाडी	कीथवाडी	16	6	10	
28.	फतपुहरा	फतहपुरा	12		7	

1	2	3	4	5	6	7
		सुल्तानपुरा	7	1	6	
		समरपुरा	3	2	1	
29.	सामोद	सामोद	31	3	28	
		भीडा	2	—	2	
30.	कुशलपुरा	कुशलपुरा	15	2	13	
		विजयसिंहपुरा	7	1	6	
31.	मोरीजा	मोरीजा	12	—	12	
32.	अणतपुरा	अणतपुरा	12	9	3	
33.	जैतपुरा	जैतपुरा	19	12	7	
34.	हाडौता	हाडौता	14	5	9	
		भायावास	5	4	1	

वर्ष 1984-85

1	2	3	4	5	6	7
1.	किशनपुरा	किशनपुरा	25	1	23	
2.	नांगल गोविन्द	नांगल गोविन्द	8	5	3	
		बगडी	4	3	1	
3.	आष्टी कलां	आष्टीकला	13	3	10	
		बागड़ों का बांस	5	2	3	
		आष्टी खुर्द	7	1	6	
4.	भूतेडा	भूतेडा	18	12	6	
		गुडलिया	8	7	1	
		हाबु का बास	4	3	1	
		माधो का बास	2	1	1	

Page No. 290

1	2	3	4	5	6	7
5.	ढोढसर	ढोंढसर	24	—	24	
		छोटा गुढा	5	—	5	
6.	हस्तेड़ा	हस्तेड़ा	23	6	17	
		नौपूरा	1	—	1	
7.	आलीसर	आलीसर	15	—	15	
		दम्मा का बास	6	—	6	
		नागा का बास	2	—	2	
		चारणवास	4	—	4	
		कुम्मा का बास	1	—	1	
8.	घिनोई	घिनोई	8	—	8	
		कानपुरा	7	—	7	
		बाई का बास	1	—	1	
		सबलपुरा	2	—	2	
		ढाणी निरझना	1	—	7	

1	2	3	4	5	6	7
9.	मंडा मिण्डा	मंडा मिण्डा	6	—	6	
		दौलतपुरा	1	1	—	
		ढोला का बास	1	10	—	
		गोर का बास	3	3	—	
		बावडी गोपीनाथ	3	3	—	
10.	कालाडेरा	कालाडेरा	30	1	29	
11.	सान्दरसर	सान्दरसर	16	—	16	
		खन्नीपुरा	5	—	5	
		विमलपुरा	4	—	5	
12.	टांकरडा	टांकरडा	7	6	1	
		डहूरटाकरडा	2	2	1	
		जोधपुरा	6	2	4	
		जयसिंहपुरा	3	2	1	
		देवपुरा	6	6	—	

1	2	3	4	5	6	7
		गुवारडी	5	5	—	
13.	मलिकपुरा	मलिकपुरा	18	13	5	
		नृसिहपुरा	4	3	1	
14.	लोहरवाडा	लोहरवाडा	6	—	6	
		अगतपुरा	5	—	4	
		बलेखण	3	—	3	
15.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	16	—	16	
16.	घोबलाई	घोबलाई	14	9	5	
		नांगलकलां	4	4	—	
		स्याऊ	3	2	1	
		रार्यसिह का बास	2	2	—	
17.	सिंगोदकलां	सिंगोदकलां	7	4	3	
		सींगोदखुर्द	9	7	2	

[redacted]

1	2	3	4	5	6	7
18.	खेजरोली	खेजरोली	37	25	12	
19.	निवाणा	निवाणा	17	3	14	
		देवथला	7	2	5	
20.	नांगल कोजू	नांगल कोजू	17	17	—	
		कंवरपुरा	11	8	3	
21.	तिगरीया	तीगरीया	26	—	26	
22.	अमरपुरा	अमरपुरा	8	8	—	
		बरवाडा	5	4	1	
		विशनपुरा चारणवास	10	9	1	
23.	इटावा भोपजी	इटावा भोपजी	53	13	48	
24.	उदयपुरिया	उदयपुरिया	20	7	13	
25.	नांगल मारड	नांगल मारड	19	14	5	
		हाथनोदा	9	8	1	

1	2	3	4	5	6	7
26.	म्हार कलां	म्हार कलां	12	10	2	
		जटावाली	4	4	—	
		मालेरा	5	5	—	
		डेहरा	4	4	—	
		कानपुरा	3	1	2	
		शिम्भूपुरा	1	1	—	
27.	कीथवाडी	कीथवाडी	16	—	16	
28.	फतपुहरा	फतहपुरा	12	—	12	
		सुल्तानपुरा	6	—	6	
		समरपुरा	3	—	4	
29.	सामोद	सामोद	31	1	30	
		भीडा	2	—	2	
30.	कुशलपुरा	कुशलपुरा	16	—	16	
		विजयसिंहपुरा	6	—	6	

1	2	3	4	5	6	7
31.	मोरीजा	मोरीजा	12	—	12	
32.	अणतपुरा	अणतपुरा	12	8	4	
33.	जैतपुरा	जैतपुरा	19	5	14	
34.	हाडोता	हाडोता	13	5	8	
		भोपावास	5	4		

तहसील चौमू के गरीब रेखा के चयन सूची के आधार पर लाभ से वंचित परिवारों की वर्षवार सूची

पंचायत का नाम	वर्ष 1981–82 (क्रमांक)
किशनपुरा	1 से 6, 8 से 27
नांगल गोविन्द	29, 31, 32, 34, 35, 36
आष्टीकलां	39, 43, 45, 49, 59, 60
भूतेड़ा	62, 63, 68, 69, 71, 72, 74
ढोढसर	77 से 80, 84 से 87, 89, 91 से 93, 95
हस्तेड़ा	97, 103, 106, 111, 112
आलीसर	113 से 115, 117 से 119, 121, 123
घिनोई	134, 136, 138, 139, 141, 142, 145, 148 से 152, 154, 158, 162
मण्डामिण्डा	164, 170, 183, 186, 192
कालाडेरा	202, 204, 205, 215, 216, 220
टांकरड़ा	242, 244, 249, 253, 260, 265, 270 से 272
मलिकपुर	274, 276, 284, 285
लोहारवाड़ा	289, 290, 292, 294 से 299, 302
गोविन्दगढ़	306 से 309, 313 से 316,

पंचायत का नाम	वर्ष 1981-82 (क्रमांक)
	317, 319, 321, 327, 329
धोवलाई	334, 335, 338, 341
खेजरोली	356 से 363, 371, 374, 477
निवाणा	384, 386
नागलकोजू	391, 398, 400
तिगरिया	402, 405, 410, 414, 418, 420, 422
अमरपुरा	442, 446, 450, 451, 454
ईटवामोपाजी	455, 457 से 459, 464, 466, 471, 472
उदयपुरिया	480, 484, 486, 488, 490
नांगलमंडा	495 से 498, 503, 506, 514, 515
महारकला	530 से 533, 538, 539, 542
चीथवाड़ी	546, 547, 549 से 553, 559
फतेहपुरा	561, 562, 565 से 568
सामोद	574 से 576, 580, 581, 583 से 598, 600 से 602
कुशलपुरा	603, 605, 607 से 610, 612, 618 से 621, 623

पंचायत का नाम	वर्ष 1981–82 (क्रमांक)
मोसीजा	624, 626, 628 से 630, 632 से 635
जैतपुरा	639
अणतपुरा	657, 662, 667
हाड़ोता	672, 673, 678, 680, 684 से 686

वंचितों का योग—259

पंचायत का नाम	वर्ष 1982–83 (क्रमांक)
किशनपुरा	1, 4 से 6, 9, 10, 23 से 25
नागल गोविन्द	27 से 32, 34, 36
आष्टीकला	37 से 39, 41, 42, 44, 47, 49, 52, 57
भूतेड़ा	68
ढोढसर	75, 76, 78, 79, 81, 83 से 87, 90 से 93
हस्तेड़ा	94, 96, 98, 99, 104, 105, 107
आलीसर	109, 111 से 115, 118, 120 से 125, 130
घिनोई	131, 132, 134, 135, 138
मण्डाभिण्डा	141, 142, 158

पंचायत का नाम	वर्ष 1982–83 (क्रमांक)
कालाडेरा	177 से 179, 184, 186, 187, 189, 196, 197
सादरसर	207
आंकरड़ा	215, 218, 219, 223, 228, 237, 242, 244, 246
मलिकपुर	248, 250, 256
लोहारवाड़ा	259 से 265, 267 से 273, 275
गोविन्दगढ़	277, 279, 280, 285, 289 से 291, 293, 295, 296, 300, 302, 303
घोबलाई	304 से 306, 308 से 315
सिगोदकलां	319, 323
खेजरोली	328 से 330, 334 से 338, 340, 342, 343, 347
निवाणा	352, 360
नांगलकोजू	368, 372, 375
तिगरिया	379, 381, 383, 385 से 388, 391, 395, 398, 399
अमरपुरा	405, 416, 423
ईटावाभोपाजी	432
उदयपुरिया	442, 443, 449, 450 454
नांगलमंडा	464, 465, 467, 471 472, 474, 476, 477, 479, 480

पंचायत का नाम	वर्ष 1982–83 (क्रमांक)
महारकला	484 से 486, 490, 495 से 497, 506
चिथवाड़ी	508, 510, 512 से 515, 517, 518, 520
फतेहपुरा	522, 523, 525 से 528, 531
सामोद	535, 536, 53 540, 543 से 549, 552, 555, 557, 558, 562
कुशलपुरा	564, 573, 574, 578, 579
मोरीजा	584 से 593
जैतपुरा	594
कनकपुरा	628, 630
हाडोता	636, 639, 643, 644, 651

वंचितों का योग—246

पंचायत का नाम	वर्ष 1983–84 (पुराना) क्रमांक
किशनपुरा	4, 6, 13 से 15, 24, 26
नांगल गोविन्द	29, 31, 32, 34
आष्टीकलां	38, 41, 42, 46 से 50, 53, 56

पंचायत का नाम	वर्ष 1983-84 (पुराना) क्रमांक
मूतेड़ा	66, 69, 72
ढोढसर	74 से 79, 82, 83, 85, 87 से 89, 91
हुस्तेड़ा	93, 96, 99, 102, 103
मालीसर	107 से 109, 112 से 115, 117, 118, 120 से 126, 128, 129
मण्डाभिण्डा	133, 138, 147, 149, 153, 156
कालाडेरा	164, 165, 168, 170, 175, 177, 179, 180, 185, 186
आकरड़ा	205, 209 से 211, 222, 223, 225, 228
मलिकपुर	231, 237
लोहरवाड़ा	240, 243 से 245, 248 से 254
गोविन्दगढ़	256, 260, 261, 264, 265, 267, 269, 272, 273, 275 से 277, 279, 281, 282
धोबलाई	283, 285 से 288, 291 से 293
सिगोदकलां	294, 295
खेजरोली	304, 305, 308, 310, 314, 317, 322, 323, 325

पंचायत का नाम	वर्ष 1983–84 (पुराना) क्रमांक
निवाणा	329, 333, 335, 336
नागलकोजू	339, 341
तिगरिया	349, 351, 362, 363, 367, 369, 374
ग्रमरपुरा	391, 392, 395 से 397
इटावाभोपाजी	403, 405
उदयपुरिया	408, 410, 412, 420; 423, 425, 427
नागलमर्डा	430, 432 से 433, 435, 436, 439, 441 से 443, 445, 447, 448
महारकलां	458, 460, 461, 463, 465, 470, 474, 477
चौथवाड़ी	478, 480 से 484, 486 से 491
फतेहपुरा	492, 493, 495 से 499 503
सामोद	505, 506, 508, 509, 512, 514 से 517, 520 से 526, 529 से 532
कुशलपुरा	533 से 547, 549 से 552
मोरीजा	553, 554, 556 से 562
जैतपुरा	579, 583, 584
कनकपुरा	586, 599

वंचितों का योग—246

पंचायत का नाम	वर्ष 1983–84 (नया) क्रमांक
किशनपुरा	1, 2, 4, 5, 8 से 12, 14 से 16, 20 से 23, 24, 25
नागलगोविन्द	26, 32, 37
आष्टीकलां	39 से 41, 43 से 47, 50, 52, 53, 55 से 60, 62
भूतेड़ा	68, 72, 81, 82, 84, 94
ढोढसर	99, 100, 113, 114, 118
हस्तेड़ा	124, 129, 131, 135, 137, 138, 142, 146
आलीसर	147 से 150, 154, 156, 158, 160, 161, 166, 170, 172
धिनोई	176, 178 से 183, 186, 187, 191, 192
मण्ढामिण्डा	200 से 204, 212, 218
कालाडेरा	222, 225, 227, 229, 234, 237, 242, 248
सांदरसर	251, 257, 260, 269
मलिकपुर	307, 308, 310, 312, 313, 323
लोहारवाड़ा	329, 331
गोविन्दगढ़	340, 342, 344, 346 से 348, 353 से 355
धोबलाई	357, 359, 361, 364, 366, 368, 375, 376

पंचायत का नाम	वर्ष 1983–84 (नया) क्रमांक
सिगोंदकला	379, 382 से 384, 387
खेजरोली	400, 401, 406, 411, 422, 432
निवाणा	433, 436, 437, 440, 441, 445, 447, 448, 450, 451, 454
नागलकोजू	457, 467, 481
तिगरिया	485, 490, 493, 496, 498, 499, 502, 503, 510
अमरपुरा	सभी लाभान्वित
इटावाभोपाजी	537, 542, 545, 546, 547, 553, 556, 561, 562, 565, 573, 576 से 578, 580, 582, 586
उदयपुरिया	595, 598, 602, 603
नागलभरडा	610, 611, 614, 615, 618 621, 623, 634
महारकला	644, 647, 650, 660
चीथवाडी	664, 667, 669, 670, 673 से 675, 677 से 679
फतेहपुरा	680, 681, 683, 685, 686, 688, 691, 692 से 697, 710
सामोद	712 से 716, 718 से 728 730, 731, 733 से 744
कुशलपुरा	745 से 749, 751 से 755, 757 से 765

पंचायत का नाम	वर्ष 1983-84 (नया) क्रमांक
मोरीजा	767 से 778
कनकपुरा	779, 781, 789
चैतपुरा	791, 796, 800, 802, 805 से 807
हाडौता	810 से 815, 81[illegible], 821, 823, 824
	वचितों का योग–306

पंचायत का नाम	वर्ष 1984–85 (क्रमांक)
किशनपुरा	1 से 11, 13 से 25
नागलगोविन्द	28, 30, 31, 35
श्राष्टिकर्ला	39 से 41, 43 से 47, 49, 50, 51, 54 से 61
भूतेड़ा	63, 67, 73 से 76, 90, 94
ढोढसर	95 से 123
हस्तेड़ा	124 से 126, 128, 129, 133 से 139, 141, 143 से 147
श्रालीसर	148 से 175
घिनोई	176 से 194
मण्डाभिण्डा	सभी लाभान्वित
कालाडेरा	218 से 241, 243 से 247

(806)

पंचायत का नाम	वर्ष 1984–85 (क्रमांक)
ग्रानन्दसर	248 से 273
ढाकरी	277, 284, 285, 287, 288, 290
मलिकपुरा	300, 306, 312, 313, 320, 322
लोहरवाड़ा	325 से 332
गोबिन्दगढ़	339 से 354
घोबलाई	356, 358, 362, 365, 367, 372
सिगोदकलां	380, 381, 384, 388, 391
खेजरोली	399, 401, 402, 403, 406 से 410, 412, 415, 416, 427
निवाणा	421, 434, 436 से 447, 448 से 451, 453
नागलकीजू	473, 476, 481
तिगरिया	483 से 506
ग्रमरपुरा	519. 530
इटावाभोपाजी	532, 533, 534, 537 से 539, 543 से 545, 546, 549, 552, 553, 555, 557 से 572, 574 से 583
उदयपुरिया	585 से 587, 589, 592, 594 से 599, 601, 603
नागलभर्डा	605, 608, 609, 621, 623, 528

पंचायत का नाम	वर्ष 1984–85 (क्रमांक)
महारकलां	633, 637, 659, 660
चीथवाड़ी	662 से 677
फतेहपुरा	678 से 699
सामोद	700, 702 से 732
कुशलपुरा	733 से 754
मोरीजा	755 से 766
कनकपुरा	767 से 776
चैतपुरा	
अणतपुरा	768, 775, 777, 778
जैतपुरा	779 से 784, 786, 787,
	789 से 792, 794, 796
हाडोता	801 से 802, 806, 812

वंचितों का योग :—533

तहसील सांचौर के सिचाई कुओं को विद्युत सम्बन्ध

517. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचौर आर. ई. सी. के तहत ग्राम सांकड़ में काश्तकारों के सिंचाई कुओं की विद्युत कनेक्शन के लिए कितनी फाइलें विभाग में कब से पेंडिंग पड़ी हैं ? इन कुओं पर कब तक विद्युत कनेक्शन्स कर दिये जावेंगे ?

(2) पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर की आर. ई. सी. में कुल कितने गांव हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। इन गांवों में कब तक विद्युतीकरण पूरा कर लिया जायेगा ?

(3) पंचायत सांचौर की आर. ई. सी. में पिछले वर्ष कितने सिंचाई कुओं के लक्ष्य के अनुसार विद्युत कनेक्शन्स लैप्स किये गये एवं क्यों ? इस आर. ई. सी. में कुल कितने गावों में काश्तकारों की कितनी फाईलें कब से विद्युत कनेक्शन्स हेतु विभाग में पेंडिंग पड़ी हैं उन पर विद्युत कनेक्शन्स कब तक करा दिए जावेंगे ? कृपया पेंडिंग कनेक्शन्स की सूची गांव वार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सत्य है कि गांव केरिया, रांची एवं बेडिया में जलप्रदाय विभाग के खर्चे पर लगाई गई विद्युत लाईन नियमन की जाकर लोगों की मांग पर उक्त गांवों में विद्युतीकरण करने का मामला बोर्ड के विचाराधीन है ? अगर हां, तो उक्त गांवों में विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाइन कब तक नियमन कर दी जायेगी ?

(5) क्या यह सत्य है कि गांव गुदारू, दांता, कुंडा व काटोल में भी ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा बिजली पहुंचाने की सरकार की योजना है ? अगर हां, तो इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) तहसील सांचौर आर. ई. सी. के तहत ग्राम सांकड़ में 119 कृषि आवेदन विचाराधीन हैं, जो कि दिनांक 14.2.1983 से 7.5.1985 के दौरान प्राप्त हुए हैं। इनमें से जिन आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि दिनांक 31–3–1985 तक जमा करा दी गई उन्हें कनेक्शन देने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। शेष आवेदकों को उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं विद्युत की उपलब्धि के आधार पर कार्यक्रम बनाकर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र की आर. ई. सी. सांचौर में कुल 88 गांव हैं जिनकी सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है, जिनमें से 69 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष गांवों का विद्युतीकरण इस वर्ष एवं आगामी वर्षों में योजनामद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर कार्यक्रम बनाकर किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) पंचायत समिति सांचौर की आर. ई. सी. स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में मूल लक्ष्य माह जुलाई में 70 कृषि कने

(विद्युत मन्त्री)

क्शन देने का निर्धारित किया गया था जिसे बढ़ाकर माह नवम्बर में 270 किया गया था जिसके सापेक्ष में 251 कनेक्शन दिये गए। अतिरिक्त राशि के उपलब्ध नहीं होने के कारण बढ़े हुए शेष लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका। ग्रार. ई. सी. सांचोर में ग्रामवार दिये गये कृषि कनेक्शन एवं पेंडिंग कृषि कनेक्शनों की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(4) जी हां, ग्राम केरिया एवं बेड़िया में जल प्रदाय विभाग के खर्चे पर लाईन खींची गई थी। जलदाय विभाग से एल फार्म प्राप्त नहीं होने के कारण उपरोक्त ग्रामों में कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। जल प्रदाय विभाग के खर्चे पर खींची गई लाईन से अन्य कनेक्शन देना प्रस्तावित नहीं है। रांची नाम का कोई ग्राम 1981 की जनगणना पुस्तिका के आधार पर सांचौर पंचायत समिति में नहीं है।

(5) जी हां, गुदाज, दांता, कुड़ा व कांटोल ग्रार. ई. सी. योजना सांचोर में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित हैं। योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं विद्युत की उपलब्धि के आधार पर कार्यक्रम बनाकर उक्त ग्रामों का विद्युतिकरण सम्भव हो सकेगा।

पंचायत समिति सांचौर की ग्रार. ई. सी. स्कीम के अन्तर्गत ग्रामों में दिये गये कनेक्शन एवं दिनांक 31-3-85 तक विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का विवरण।

क्र. सं.	गांव का नाम	दिये गये कनेक्शनों की संख्या	विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या	सबस पुराने विचारधीन प्रार्थना पत्र की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.
1.	लाछण्डी	14+1	2	25.9.83
2.	आजूसणा	23	5	28.7.82
3.	हडितर	35	20	11.9.81
4.	फालना	4	4	11.9.81
5.	मेंडा	14	43	10.8.81
6.	कमालपुरा	5	5	7.5.81
7.	सिधेश्वर	1	1	7.5.81
8.	कारोला	7	13	7.9.81
9.	धमाणा	13	12	18.6.81
10.	भोलासणा	—	32	25.6.83
11.	हरिभाली	18	47	10.8.82
12.	पथमेड़ा	7	—	—
13.	डमाल	—	—	—
14.	बड़सम	13	39	28.7.82
15.	प्रतापुरा	14	10	24.2.82
16.	पालड़ी (सौल०)	—	—	—
17.	डडूसणा	—	—	—
18.	पलाधर	14	19	3.8.82
19.	जाखल	5	9	9.8.82
20.	चीरोल	7	71	9.8.82

1	2	3	4	5
21.	सरनाऊ	20	50	3.1.83
22.	देवड़ा	2	101	14.9.82
23.	लूंनियासर	27	63	12.11.82
24.	साकड़	71	119	14.2.83
25.	अगार	24	3	26.11.84
26.	गरढाली	—	19	25.1.83
27.	घुड़वा	5	—	—
28.	कोड़	—	11	29.1.83
29.	नैनोल	31	56	10.2.83
30.	लालपुरा	—	9	17.2.83
31.	सिलू	—	7	26.3.83
32.	अचलपुर	—	6	12.4.83
33.	किलवा	—	8	6.5.83
34.	सांचौर	9	17	15.8.82
35.	भादरुना	10	170	4.2.84
36.	समालवाड़	17	90	4.2.84
37.	करावडी	13	109	4.2.84
38.	पगवा	4	87	4.2.84
39.	जैलतारा	18	132	4.2.84
40.	चौरा	10	171	9.3.84
41.	लियादरा	10	46	9.3.84
42.	भूतेल	8	71	9.3.84
43.	विजरोल	—	112	9.3.84
44.	अरणाय	—	35	9.3.84
45.	पमाणा	10	73	6.4.84
46.	भाव	—	4	3.1.85

1	2	3	4	5
47.	भ्रैरोल	2	22	29.5.84
48.	मूली	3	62	4.6.84
49.	चितलवाना	—	5	26.7.84
50.	ग्राकोली	9	65	10.7.84
51.	खिरोडी	1	33	9.8.84
52.	तेबरोल	5	14	17.8.84
53.	सैली	—	30	1.10.84
54.	निवाऊ	—	30	15.12.84
55.	पलाड़ी देवड़ा	7	17	22.12.84
56.	वासण देवड़ा	4	20	22.12.84
57.	जोधावास	—	15	7.1.85
58.	टिटोप	6	38	1.3.85
59.	सिवाडा	—	14	4.3.85
60.	सुराणा	2	50	18.3.85
61.	बणदेव खेड़ा	4	9	21.3.85
62.	बाली खेड़ा	4	10	22.3.85
63.	लाछीवाड	—	87	20.3.85
64.	मडवल	—	—	—
65.	पहाडपुर	—	—	—
66.	वासण	—	—	—
67.	बरनपुरी	—	—	—
68.	डेडवा	—	—	—
69.	पालडी सोलंकीया	—	—	—

पंचायत समिति सांचोर की आर. ई. सी. में रखे गये ग्रामों की सूची

1.	2.	3.	4.
1.	लाछरी	विद्युतीकृत	131
2.	जाजूसन	,,	130
3.	हरेथर	,,	133
4.	फोना	,,	132
5.	मेघा-जागीर	,,	143
6.	सिधा शबर	,,	116
7.	डाबल	,,	117
8.	डाबोसन	,,	86
9.	कमलपुरा	,,	115
10.	कारोला	,,	113
11.	धामन	,,	114
12.	बारानपुरा	,,	89
13.	हेडवा	,,	90
14.	जाखोल	,,	91
15.	प्रतापपुरा	,,	126
16.	बाडसम	,,	145
17.	पाथमे-रहा	,,	144
18.	नैनोल	,,	149
19.	पालादार	,,	146
20.	लूनीयासर	,,	148
21.	विरोल	,,	147
22.	पाहरपुरा	,,	127
23.	गेयडाली	,,	125
24.	गोलसन	,,	124
25.	कोड	,,	123
26.	लालपुरा	,,	121

1.	2.	3.	4.
27.	सिलू	विद्युतीकृत	122
28.	ग्रागार	,,	128
29.	कीलवा	,,	118
30.	थूरजा	,,	120
31.	बासन चौधाना	,,	184
32.	भारवाल	,,	134
33.	छाजरा	अविद्युतीकृत	83
34.	बाबरला	,,	85
35.	अचलपुरा	विद्युतीकृत	81
36.	बिचावरी	अविद्युतीकृत	82
37.	सारनाऊ	विद्युतीकृत	140
38.	गुन्दाज	अविद्युतीकृत	139
39.	बोधा	,,	136
40.	मीरापुरा	,,	138
41.	खारा	,,	137
42.	पालरी देशोरान	विद्युतीकृत	153
43.	शाकर	,,	153
44.	कुड़ा	अविद्युतीकृत	152
45.	कान्टोल	,,	142
46.	बासन देग्रोरान	विद्युतीकृत	155
47.	बाली	,,	156
48.	बालदेग्रो	,,	157
49.	पानचला	,,	149
50.	बटेररोल देग्रोरान	अविद्युतीकृत	150
51.	किटोप	विद्युतीकृत	161
52.	डाछरा	अविद्युतीकृत	160
53.	लाछीवारा	विद्युतीकृत	162

1.	2.	3.	4.
54.	सुरावा	विद्युतीकृत	159
55.	ड़कावा	,,	158
56.	दाता	अविद्युतीकृत	141
57.	नागोलारी	,,	134
58.	पुर	,,	135
59.	वालाना	,,	110
60.	थानता	,,	111
61.	दानगरा	,,	112
62.	मादरना	विद्युतीकृत	100
63.	सेली	,,	57
64.	सिरोही	,,	95
65.	अकोली	,,	94
66.	टेटरोल राठोरान	,,	58
67.	पादरली	अविद्युतीकृत	59
68.	सिवारा	विद्युतीकृत	60
69.	देअरा	,,	102
70.	मुटेला	,,	103
71.	सेलाटरा	,,	104
72.	मू-ली	,,	101
73.	भाव	,,	55
74.	निमबाऊ	,,	54
75.	अनखोल	,,	52
76.	जो घावास	,,	53
77.	चौरा	,,	99
78.	अरनैल	,,	109
79.	लियाक्षरा	,,	107
80.	जेरोल	,,	108

1.	2.	3.	4.
81.	बोनजरोल	विद्युतीकृत	106
82.	पमाना	,,	105
83.	करावारी	,,	96
84.	मारकुआ	अविद्युतीकृत	97
85.	भालवाड़ा	विद्युतीकृत	93
86.	हरियाली	,,	98
87.	परावा	,,	92
88.	पालरी सोमकीया	,,	88

एस. एम. एस. हास्पिटल, जयपुर में ऑटो एनेलाईजर का उपयोग

518. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) :–क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एस. एम. एस. हास्पिटल, जयपुर के लिए वर्ष 1981 में करीब पांच लाख रुपयों की लागत से खरीद किए गए एक ग्राटो एनेलाईजर के प्रयोग में लेने को धूलमुक्त वातानुकूलित कमरा उपलब्ध नहीं हो पाने से उसके खराब होने की जांच एक कमेटी द्वारा कराई गई थी ?

(2) यदि हां, तो उस कमेटी की जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? उसमें किन-किन को उत्तरदायी माना गया ग्रौर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इस ग्राटो एनेलाईजर हेतु वांछित स्थल उपलब्ध कराया जाकर उस से कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कब से किस कमरे में लगाया जाकर काम में लिया जा रहा है ? इसकी मरम्मत पर कितना व्यय हुग्रा ?

उत्तर

(1) इस उपकरण के क्रय सम्बन्धित व स्थापना में देरी सम्बन्धित पहलुग्रों पर जांच एक कमेटी द्वारा कराई गई थी।

(2) उक्त कमेटी की जांच रिपोर्ट जो दिनांक 13-12-83 को प्राचार्य सवाई मानसिंह ग्रायुर्विज्ञान महाविद्यालय जयपुर को प्राप्त हुई तथा यह दिनांक 23-4-1984 को राज्य सरकार को प्रेषित हुई, विचाराधीन है।

(3) जी हां, ग्रोटो एनेलाईजर को को उपयुक्त धूलमुक्त, वातानानुकूलित कक्ष में दिनांक 1-3-1984 से प्रयोग में लाया जा रहा है। इसकी मरम्मत में ग्रभी तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

वाहनों की चैकिंग व्यवस्था

519. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रनधिकृत रूप से जो वाहन चलते हैं, उनकी चैकिंग की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) विशिष्ट चैकिंग हेतु कितने दलों का गठन किया गया है, उसमें किस-किस स्तर के कितने-कितने ग्रधिकारी है ? इन्होंने पिछले दो वर्षों में कब-कब किस-किस जगह पर चैकिंग की ? विवरण कृपया निम्नलिखित प्रारूप में जनवरी, 1985 से मार्च, 1985 तक सदन पटल पर रखें :—

(1) जांच दल का नाम

(2) स्थान जांच चैकिंग पार्टी खड़ी रही

(श्री मानसिंह देवड़ा)

(3) समय व दिनांक

(4) विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की संख्या, जिनकी चैकिंग हुई

(5) उन वाहनों की संख्या जिनका कि मौके पर पैसा वसूल करके छोड़ दिया गया।

(3) मोबाईल चैकिंग यूनिट तथा अन्य जो भी इन्सपेक्टर, डी टी. ओ., आर. टी. ओ. वगैरहा जिस-जिस स्थान पर लगे हुए हैं, उनके द्वारा वाहनों की चैकिंग बाबत क्या कोई प्रोग्राम पूर्व निर्धारित किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या क्राइटेरिया है।

(4) क्या ग्राम सड़क पर चलने वाले वाहनों की आकस्मिक चैकिंग हेतु कोई प्रवधान किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसका पालन होता है।

(5) क्या यह सही है कि आकस्मिक चैकिंग में आमतौर पर चालान बहुत ही सीमित मामलों में किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है आकस्मिक चैकिंग के नाम पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारी अनाधिकृत वसूली करते हैं ? यदि हां, तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) अनाधिकृत रूप से चलने वाले वाहनों को चैकिंग के लिए परिवहन निगम के पास 9 उड़न दस्ते तथा सभी जिला कार्यालयों में परिवहन निरीक्षक एवं उप निरीक्षक हैं जो विभिन्न प्रकार के अनाधिकृत संचालन जैसे बिना टैक्स, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स के चलने वाले वाहनों की चैकिंग करते हैं।

(2) वर्तमान में कोई विशिष्ठ चैकिंग दल कार्यरत नहीं है। 1-5-1983 से 29-2-84 तक परीक्षण के तौर पर राज्य सरकार ने 9 राज मार्गों के लिए कम्पोजिट चैकिंग दलों का गठन किया गया था जिनमें पुलिस उप अधीकक्ष, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, परिवहन निरीक्षक और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निरीकक्ष कार्यरत थे। प्रारूप में सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। चैकिंग का कार्यक्रम निर्धारित किये जाये का प्रमुख आधार यह रहता है कि राज्य के सभी शहरों, ग्रामों व राजमार्गों पर संचालित वाहनों की अनिकास्मिक चैकिंग की जाकर अनाधिकृत रूप से संचालन व कर की चोरी को नियन्त्रित किया जा सकें तथा अन्य राज्यों से आने वाले अनाधिकृत वाहनों को भी चैक किया जा सके।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

परिशिष्ट—"क"

दिनांक 1–3–83 से 29–2–84 तक कम्पोजिट चैकिंग दलों द्वारा कि गयी चैंकिग कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	जांच दल का नाम	स्थान जहां चैंकिग पार्टी खड़ी रही।	समय व दिनांक	विभिन्न श्रेणी के वाहनों की संख्या जिनकी चैंकिग हुयी	उन वाहनों की संख्या जिनको मौके पर पैसा वसूल करके छोड़ दिया गया।
1	2	3	4	5	6
1.	बीकानेर से नागौर तथा बीकानेर से सीकर मार्ग	सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी सूचना संकलित किये जाने का प्रावधान नहीं था।	फिलहाल सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सूचना संकलित कराने में काफी समय लगेगा।	फिलहाल सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सूचना संकलित करने में काफी समय लगेगा।	1004
2.	जोधपुर से नागौर तथा जोधपुर से ब्यावर मार्ग	"	"	"	1089

1	2	3	4	5	6
3.	भरतपुर से महुआ तथा भरतपुर से धौलपुर मार्ग	सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी सूचना संकलित किये जाने का प्रवधान नहीं था।	फिलहाल सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सूचना संकलित कराने में काफी समय लगेगा।	फिलहाल सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सूचना संकलित करने में काफी समय लगेगा।	609
4.	जयपुर से महुआ तथा जयपुर से सीकर मार्ग	,,	,,	,,	1031
5.	जयपुर से शाहजहांपुर तथा जयपुर से अजमेर मार्ग	,,	,,	,,	1036
6.	उदयपुर से कांकरोली तथा उदयपुर से तनपुर मार्ग	,,	,,	,,	693
7.	अजमेर से भीलवाड़ा मार्ग अजमेर से कांकरोली मार्ग	,,	,,	,,	777

1	2	3	4	5	6
8.	उदयपुर से भीलवाड़ा तथा उदयपुर से चित्तौड़गढ़ निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा।	सूचना दिया जाना सम्भव नही है क्योंकि ऐसी सूचना संकलित किये जाने का प्रवधान नहीं था।	फिलहाल सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सूचना संकलित करने में काफी समय लगेगा।	फिलहाल सूचना दिया जाना सम्भव नहीं हैं क्योंकि यह सूचना संकलित करने में काफी समय लगेगा।	971
9.	जयपुर से कोटा	,,	,,	,,	482
				योग	7692

हिंडौन भूमि विकास बैंक के बकाया ऋण की वसूली

520. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महुवा विधान सभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक पर काफी लम्बे अर्से से हिन्डौन भूमि विकास बैंक का ऋण बकाया है ? यदि हां तो कितना व कब से ?

(2) क्या ऋण वसूली के लिए भूमि विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या भूमि विकास बैंक इस बकाया की वसूली के लिए को सख्त कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । भूतपूर्व विधायक एवम् उसके भाई के विरुद्ध संयुक्त रूप से कुल 52809.75 रु. बकाया है जिसमें से 20666.69 रु. ही अवधिवार हैं । उन्होंने 1-10-81 को 66000/- रु. व 10-5-82 को 9000/- रु. ऋण लिया था ।

(2) जी हां । राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

(3) जी हां । वसूली नहीं हुई तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

कुम्हेर-जहांगीरपुर-बरताई-उसरानी-बैरावर-जनूथर सड़क

521. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में कुम्हेर से जहांगीरपुर होकर बरताई तक सड़क निर्माण करने के टेन्डर स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो सड़क पर कितना निर्माण कार्य अब तक हो चुका है ?

(2) क्या इस सड़क को बरताई से उसरानी, बैरावर होते हुए जनूथर तक बढ़ाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क पर निर्माण-कार्य के लिये को टेण्डर स्वीकृत नहीं किया है ।

(2) जी हां ।

यह कार्य पंचायत मुख्यालयों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये प्रस्तावित मास्टर प्लान में सम्मिलित हैं ।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 677 की सूची

सूची "अ"

अप्रैल 1983 से जून 1985 तक रानीवाड़ा उपखण्ड में दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्र. सं.	फाइल प्राप्ति का दिनांक	काश्तकार का नाम	प्रायोरिटी संख्या	किये गये किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	30-6-81	श्री धर्मराम/दौलाजी करड़ा	1	29-5-83
2.	,,	श्री बुद्धाराम/विरदाजी करड़ा	2	,,
3.	,,	श्री ठाकुरा/फगलूजी, करड़ा	3	,,
4.	,,	श्री आवसिंह/मलसिंह, करड़ा	6	,,
5.	,,	श्री धनसिंह/सुजानसिंह, करड़ा	7	,,
6.	,,	श्री छेलसिंह/भंवरसिंह, करड़ा	8	,,
7.	,,	श्री खंगारसिंह/वीरसिंह, करड़ा	10	,,
8.	,,	श्री हंसा/रामजी, करड़ा	11	,,
9.	,,	श्री उगमसिंह/अमर्यसिंह, करड़ा	15	,,
10.	,,	श्री जगसिंह/नाथुसिंह, करड़ा	17	,,
11.	,,	श्री खेता/करता, करड़ा	18	,,
12.	,,	श्री जेमता/ओपा, करड़ा	19	,,
13.	,,	श्री मूरा/ओपा, करड़ा	20	,,
14.	,,	श्री दरजा/करता, करड़ा	21	,,

1	2	3	4	5
15.	30-6-81	श्री रंगा/नाथूसिंह, करड़ा	16	29-5-83
16.	"	" कोजा/बिरदा, करड़ा	4	30-5-83
17.	"	" लाखा/गला, करड़ा	5	"
18.	"	" बाघसिंह/प्रदेयसिंह, करड़ा	13	"
19.	"	" भोजराजसिंह/नर्वासिंह, करड़ा	9	"
20.	"	" बगता/सवाजी, करड़ा	24	13-6-83
21.	"	" गैना/केवा, करड़ा	25	"
22.	"	" कपूरखां/जाजूखां, करड़ा	26	"
23.	"	" देवजी/धाराजी, करड़ा	27	14-6-83
24.	"	" केसा/नगा, करड़ा	28	13-6-83
25.	"	" गजा/केरा, करड़ा	31	14-6-83
26.	"	" तेजा/केरा, करड़ा	32	"
27.	"	" प्रतापा/प्रमा, करड़ा	36	"
28.	"	" जोबसिंह/खानसिंह, करड़ा	37	"
29.	"	" भोमा/धीरा, करड़ा	23	"
30.	"	" जानु/परखा, करड़ा	35	"
31.	"	" प्रामा, रणछोड़ा, हरजी, करड़ा	30	"
32.	"	" भुरा/तेजा, करड़ा	33	"
33.	"	" मोडा/भीमा, करड़ा	34	"
34.	"	" धीरसिंह/शिवनाथसिंह, करड़ा	39	"
35.	"	" उका/खुमा करड़ा	12	"
36.	4-8-81	" मनरूपा/तलका, मेड़क कला	38	25-6-83
37.	3-10-80	" भगा/मूला, मेड़क कला	30	"
38.	28-4-81	" छोमा/मनजी, घामतीन	26	"
39.	4-10-79	" पदमा/धरजी, ग्रादरवाड़	6	21-6-83
40.	23-6-81	" तगा/गजा, जोड़वास	41	23-6-83

1	2	3	4	5
41.	23-6-81	श्री मोड़ा/हेमा, जोड़वास	45	23-6-83
42.	26-11-81	,, प्रागा/ग्रोरा, सुरजवाड़ा	28	26-6-83
43.	19-11-80	,, गोदाराम/नवाजी, ग्राजोदर	45	13-8-83
44.	24-9-81	,, काला/ग्रवडा, ग्राजोदर	55	13-8-83
45.	16-7-81	,, सजाराम/गेनाजी, ग्राजोदर	47	15-8-83
46.	16-7-81	,, सोनाराम/धर्मा, ग्राजोदर	48	13-8-83
47.	4-10-80	,, भाता, नगा, भारता, धानोल	77	15-8-83
48.	4-10-80	,, माना/मगवाना, धानोल	80	,,
49.	30-5-81	,, रावता/देवा, धानोल	86	,,
50.	30-5-81	,, गेना/उगरा, धानोल	87	,,
51.	5-10-81	,, सवा/राका, दांतवाड़ा	7	8-9-83
52.	7-9-81	,, राना, भेमा, चाटवाड़ा	3	,,
53.	7-9-81	,, सवा/गेना, ग्राटवाड़ा	4	,,
54.	5-10-81	,, परबुडा/नाथा, दांतवाड़ा	3	,,
55.	5-10-81	,, घीसी/सजा, दांतवाड़ा	1	31-10-83
56.	,,	,, पूरा/तोला, दांतवाड़ा	2	,,
57.	,,	,, हेमा/रूपनाथा, दांतवाड़ा	6	,,
58.	,,	,, खेता/भूरा, दांतवाड़ा	3	19-1-84
59.	4-10-80	,, गणेश/रेखा, धानोल	79	12-3-84
60.	30-5-81	,, राशि/डूंगरा, धानोल	90	,,
61.	26-11-81	,, उत्तमा, दीपा, प्रागला, सूरजवाड़ा	27	31-3-84
62.	6-9-82	,, रतनाराम/छोगाराम, रानीवाड़ा खुर्द	103	11-5-84
63.	13-7-81	,, पाराराम/मगाजी, रानीवाड़	173	29-11-84
64.	19-10-81	,, मानाराम/केवदाजी बड़गांव	100	30-11-84

Page No. 326

1	2	3	4	5
65.	27-1-83	श्रीमती मणी/कमला, घानोल	138	8-12-84
66.	26-14-81	श्री बागा/घनाराम, घानोल	131	,,
67.	,,	,, सवा/पांचा, घानोल	130	,,
68.	2-11-81	,, रेवा/मूता, घानोल	127	,,
69.	12-3-84	,, उम्मेदा/पूना, घानोल	145	9-12-84
70.	2-11-81	,, हजारी/चमना, रामपुरा	28	8.12-84
71.	,,	,, जेता, प्रेमा/उका, रामपुरा	29	,,
72.	22-1-83	,, मनजीत जवा/खुमा, ग्रादरवाड़ा	11	7-12-84
73.	11-4-84	,, केसीरा/ग्रपरिया नट, ग्रादरवाड़ा	12	5-12-84
74.	30-5-81	,, जगा/गोदा, मेडक कला	30	7-12-84
75.	,,	,, पदमा/चिमना, घानोल	96	8-12-84
76.	,,	,, घुकपुरी/तगपुर, घानोल	107	,,
77.	10-12-79	,, भूरसिंह/वाकसिंह, घानोल	55	,,
78.	,,	,, जोइना/बगता, घानोल	61	,,
79.	,,	,, कानाराम/बगताराम, घानोल	62	,,
80.	30-5-81	,, चिमना/गलवा, घानोल	108	,,
81.	,,	,, पारसिंह/बसरसिंह, घानोल	109	,,
82.	,,	,, नारयणा/गोमाजी, घानोल	110	,,
83.	,,	,, केसा/उमा, घानोल	111	,,
84.	18-7-81	,, रूपा/भगवाना, घानोल	116	,,
85.	3-3-81	,, गजा/माला, झालेराखुर्द	37	,,
86.	12-10-81	,, करणी/भगवाना, झालेराखुर्द	52	,,
87.	3-3-81	,, तेजा, जेठा/केवदा, झालेराखुर्द	51	,,
88.	5.8.80	,, राना/केवदा, झालेराखुर्द	33	,,

1	2	3	4	5
89.	5-8-80	श्री हेमाराम/नारिगाराम, सांतू	61	9-12-84
90.	4-11-81	,, जोरा/रंगा, डूंगरी	64	7-12-84
91.	23-9-81	,, जीवसिंह/स्वरूपसिंह, डूंगरी	59	,,
92.	,,	,, मगसिंह/कल्याणसिंह, डूंगरी	60	,,
93.	20-10-81	,, भेमा/पाता, डूंगरी	62	,,
94.	4--11-81	,, देवा/गणेशा, डूंगरी	63	,,
95.	,,	,, प्रागा/चमना, डूंगरी	67	8-12-84
96.	17-11-84	,, मनजीता/माना, डूंगरी	69	7-12-84
97.	15-9-80	,, सोना/किस्तूरा, डूंगरी	51	,,
98.	14-9-81	,, सुरेन्द्रकुमार/रूपचन्द, भ्राजोदर	51	8-12-84
99.	27-10-83	,, नागजी/डायाजी, डोडबाडिया	14	10-12-84
100.	29-6-81	,, भूरा/किशना, सिन्दावास	28	13-12-84
101.	5-5-83	,, तोला, सवा, पदमा, हरसवाड़ा	20	8-12-84
102.	,,	,, काला, सोमा, लवजी/उका हर्षवाढ़ा	18	,,
103.	,,	,, छो/चोपां, हर्षवाड़	19	6-12-84
104.	31-8-82	,, लाला/लाखा, कुड़ा	15	7-12-84
105.	7-4-81	,, प्रतापा/धर्मा, बड़गांव	88	10-12-84
106.	23-6-81	,, केसा, रावता/सवा, बड़गांव	95	,,
107.	,,	,, लच्छा, कपूरा/सूरता बड़गांव	96	,,
108.	4-8-81	,, काला/खूमा, बड़गांव	98	,,
109.	31-7-81	,, जोधा, धन्ना, परखा, झालेरांखुर्द	46ए	7-12-84
110.	31-12-84	,, केरा/बीरा, जांखडी	149	8-12-84

Page No. 328

(328)

1	2	3	4	5
111.	27-1-81	श्री धर्मा, सोना, मैत्रीवाड़ा	73	11-12-84
112.	26-7-83	,, हेमा, समर्था/प्रभा मैत्रीवाड़ा	81	,,
113.	28-1-83	,, ओइता/नाथा, सेवाड़िया	66	9-12-84
114.	,,	,, नरसा/तगा, सेवाड़िया	67	,,
115.	26-6-81	,, ज्वारसिंह/दलसिंह, बड़गांव	94	13-12-84
116.	1-2-79	,, रंगा/मावा, आजोदर	21	,,
117.	15-6-81	,, खेता/जामा, गांग	117	14-12-84
118.	,,	,, रतना/मानीगा, गांग	119	,,
119.	31-3-84	,, धन्ना/चोपा, केडककला	50	15-12-84
120.	15-1-82	,, दरजा/काला, रानीवाड़ा	202	24-12-84
121.	31-3-83	,, वगता/देवा, रानीवाड़ा	209	23-12-84
122.	15-1-82	,, तुनमा, चेला, उगरा, जीवा, रानीवाडा	204	,,
123.	17-9-82	,, जोराराम/हीराजी, बड़गांव	112	9-1-85
124.	21-11-81	,, सूवा/पीथा, बड़गांव	104	5-1-85
125.	2-12-82	,, चैना/रूड़ा, बड़गांव	113	,,
126.	24-4-81	,, गोदा/रखु, बड़गांव	122	,,
127.	4-1-83	,, फूला, वसिया/उमा, रूपावटी	10	4-1-85
128.	26-3-83	,, चैना/लूम्बा, रूपावटी	12	,,
129.	23-5-83	,, कस्तूरी/उगरा, रूपावटी	13	1-1-85
130.	23-7-81	,, हमीरसिंह/भूरसिंह, मेडक कला	37	4-1-85
131.	4-8-81	,, उम्मेदा/पूजा, भवरीया	14	22-1-85
132.	,,	,, काला/धर्मा, भंवरिया	15	,,
133.	2-11-81	,, देवा/चमना, भंवरिया	16	,,
134	16-11-81	,, भूरा, मंगला/मोटा झाखड़ी	143	25-1-85

1	2	3	4	5
135.	16-11-81	श्री मापा/काना, जाखड़ी	144	25-1-85
136.	23-12-81	,, गलबा/जगता, जाखड़ी	148	,,
137.	15-1-85	,, देवला/हीरा, रानीवाड़ा	203	,,
138.	30-12-80	,, सबलीया/रूपनाथा, ग्राखरोड़	17	30-1-85
139.	3-2-81	,, लीला/लखमा ग्राखरोड़ा	18	,,
140.	,,	,, रगा/भाला, ग्राखरोड़	19	,,
141.	10-9-82	,, दला/ग्रखा, जाखडी	152	5-2-85
142.	23-12-81	,, किस्तूरा/डेमा, जाखडी	147	2-2-85
143.	31-12-82	,, लखा/वना, गांम	147	,,
144.	4-12-81	,, बेलाराम/कलाजी, जालेरा खुर्द	54	9-2-85
145.	17-11-89	,, नवा/दर्गा, जालेरा कला	74	15-2-85
146.	27-11-81	,, परखा/दरजा, जालेराकला	75	,,
147.	29-1-85	,, तेजा/जेठा, कोटडा	1	,,
148.	5-11-81	,, गेना/दीपा, बड़गांव	103	28-2-85
149.	2-12-82	,, केसा/चेला, रूपवाटी	9	2-3-85
150.	7-4-81	,, हजारीमल/गणेशा, बड़गांव	89	28-2-85
151.	28-4-81	,, घन्ना/जीवा, चिरपटिया	2	27-2-85
152.	,,	,, वजा/गोदा, चिरपटिया	3	,,
153.	,,	,, मगु/ग्रणदा, चिरपटिया	5	,,
154.	3-3-81	,, केरा/तोला, कागमाला	36	5-3-85
155.	,,	,, हंसा/पूणमा, कागमाला	37	,,
156.	16-4-81	,, भैंरसिंह/गससिंह, कागमाला	43	,,
157.	,,	,, बागसिंह/तर्गसिंह, कागमाला	44	5-3-85
158.	,,	,, हीर/गेमा, कागमाला	45	,,

1	2	3	4	5
159.	16-4-81	श्री सालसिंह/बलवन्तसिंह, कागमाला	46	5-3-85
160.	,,	,, सरूपसिंह/सोनसिंह, कागमाला	48	,,
161.	,,	,, बेनसिंह/सरदारसिंह, कागमाला	49	,,
162.	,,	,, भूरसिंह/जालमसिंह, कागमाला	50	,,
163.	,,	,, ओखसिंह/करणसिंह, कागमाला	51	,,
164.	,,	,, मन्ना/खेमा, कागमाला	52	,,
165.	26-5-83	,, सवा/अचला, धामसीन	40	4-3-83
166.	26-6-81	,, जोरा/गोमा, मारुवाड़ा	10	2-3-85
167.	29-4-81	,, जालमसिंह/मोतीसिंह, रानीवाड़ा	157	3-3-85
168.	20-10-84	,, प्रतापा/केसाजी, रानीवाड़ा	218	,,
169.	7-2-85	,, नगा/किशना, रानीवाड़ा	8	,,
170.	1-2-85	,, गंगाराम/पन्नाराम, कोटडा	2	12-3-85
171.	,,	,, हरजी/सुरजन, कोटडा	3	,,
172.	,,	,, धूडा/खानू, कोटडा	4	,,
173.	,,	,, धूडा/खानू, कोटडा	14	,,
174.	,,	,, धूडा/खानू, कोटडा	15	,,
175.	,,	,, अमरा/ओपा, कोटडा	9	,,
176.	29-5-81	,, जोधा/खंगारा, जाखडी	100	7-3-85
177.	24-8-81	,, रामा/प्रेमा, सिगावास	30	6-3-85
178.	10-4-81	,, सोना/झुंझारा, सेवाड़ा	68	17-3-85
179.	14-4-81	,, जगमाल/सोमाजी, सेवाड़ा	69	,,
180.	18-9-81	,, फीराराम/भरताराम, सेवाड़ा	85	,,

1	2	3	4	5
181.	29-9-81	,, पीरा, प्रभा, छोगा/ग्रांसू, सूरजवाड़ा	35	16-3-85
182.	23-5-80	,, वेला/रावता, रतनपुर	12	15-3-85
183.	8-8-80	,, बजेई/भेमा, रतनपुर	17	,,
184.	3-10-80	,, उमा/मूला, मेड़क खुर्द	12	18-3-85
185.	15-4-81	,, उका/लुम्बा, सेवाडा	70	25-3-85
186.	7-1-82	,, नारणा/पीरा, गांग	136	,,
187.	5-12-81	,, प्रतापा, मसरां/प्रभा, सूरजवाडा	29	24-3-85
188.	31-3-84	,, धन्ना/गेना, मेडक कला	52	,,
189.	11-2-85	,, देवराज/किसना, रतनपुर	68	22-3-85
190.	31-3-84	,, पूनमा/भुर्जा, मेडक कला	53	28-3-85
191.	2-11-81	,, रूड़ा, जगा, पूनमा/हिन्दू, रामपुरा	36	,,
192.	,,	,, हरजो, पूनमा/गलवा, रामपुरा	27	,,
193.	,,	,, रामा/काना, रामपुरा	33	,,
194.	,,	,, छोगा/रूपा, रामपुरा	32	,,
195.	,,	,, रंगा, हरजी/लुम्बा, रामपुरा	31	,,
196.	28-1-83	,, घुखा/राजा, सेवाड़िया	71	,,
197.	3-12-81	,, वजा/धर्मा, मंडारडी	14	29-3-85
198.	1-6-81	,, रतना, हरनाथ, रूड़ा, जैता, रतनपुर	46	28-3-85
199.	,,	,, जवरसिंह/चिमनसिंह, रतनपुर	47	30-3-85
200.	27-5-81	,, उमा/केसरा, रानीवाड़ा	163	28-3-85
201.	22-4-81	,, मंगलसिंह/जयसिंह, सेवाड़ा	71	30-3-85
202.	9-8-82	,, नेपी/प्रणदा, मंडारडी	19	29-3-85
203.	,,	,, उका, सामती/हिन्दू, मंडारडी	18	,,

1	2	3	4	5
204.	9-8-82	श्री मूरा/देवदा, मडारडी	17	29-3-85
205.	,,	,, हीरा, बाबरा/रामजी, मंडारडी	15	,,
206.	,,	,, तलछा, बाबू/बना, मंडारडी	16	,,
207.	23-1-85	,, भीखचन्द/चोपाजी, मंडारडी द्वारा सहायक अभियन्ता (जी. डब्ल्यू. डी.), कागमाला	3	30-3-85
208.	6-6-84	,, नरोत्तम प्रसाद, प्रतापचन्द/पीराराम, भीलवाड़ा	83	,,
209.	14-7-81	,, कर्णसिंह/पहाड़सिंह, करडा	49	,,
210.	12-3-84	,, तेजा/रूडा, भील, धानोल	144	29-3-85
211.	17-11-81	,, जावा/सोना, रानीवाड़ा खुर्द	94	30-3-85
212.	30-7-84	,, दरगा, जोरा, धन्ना, धूड़ा, करडा	70	31-3-85
213.	1-2-85	,, मसा/तेजा कोटड़ा	13	15-4-85
214.	,,	,, रंगा/सवा, कोटड़ा	10	,,
215.	,,	,, रंगा/गेला, कोटड़ा	11	,,
216.	,,	,, जोदा/फूला, कोटड़ा	16	,,
217.	,,	,, लादू/सुखराम, कोटड़ा	17	,,
218.	,,	,, उका/किशना, कोटड़ा	9	,,
219.	,,	,, भगा/सका, कोटड़ा	2	,,
220.	,,	,, सोना/हेमा, कोटड़ा	1	,,
221.	,,	,, प्रभा/धाना, कोटड़ा	14	,,
222.	,,	,, नगा/खेता, कोटड़ा	3	,,
223.	,,	,, तुलछा/जेता, कोटड़ा	15	,,
224.	,,	,, कल्याणसिंह/शिवसिंह, कोटड़ा	4	,,
225.	,,	,, केरा/रणछोड़ा, कोटड़ा	5	16-4-85

1	2	3	4	5
226.	1-2-85	श्री हेमा/देवा, कोटड़ा	6	16-4-85
227.	,,	,, चेला/जूंजा कोटड़ा	16	,,
228.	,,	,, वेला/रणछोड़, कोटड़ा	17	,,
229.	,,	,, सोना/देवा, कोटड़ा	18	,,
230.	,,	,, रामाराम/सोनाजी कोटड़ा	10	,,
231.	,,	,, पदमा/भोला, कोटड़ा	11	,,
232.	,,	,, दला/हेमा, कोटड़ा	13	,,
233	,,	,, तगा/भोगा, कोटड़ा	19	,,
234.	,,	,, छोगा प्रसाद/तुलछा, कोटड़ा	20	,,
235.	,,	,, हरदा/भबुता, कोटड़ा	7	,,

334

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 679 की सूची

सम्बन्धित विभिन्न राजकीय मंदिरों को सहायता एवं वार्षिकी (एन्युटी) की राशि

सम्बन्धित सूची

क्र.सं	नाम मंदिर	श्रेणी	वार्षिकी (एन्युटि)	सहायता वार्षिकी
1	2	3	4	5
1.	श्री राधा गोपालजी, करौली	राज० आत्मनिर्भर	2809	28.00
2.	" प्रताप नवल बिहारी जी	"	2401	—
3.	" गोपीनाथजी, छतपाड़ा मोहल्ला, करौली	"	328	—
4.	" मुरली मनोहरजी, मेला ग्राउण्ड करौली	"	—	—
5.	" गोपालजी अटा किले में	"	—	74.00
6.	" मुरली मनोहरजी, अरवाड़ा किले में	"	324	—
7.	" हरदेवजी व गणेशजी, नकारखाने के सामने करौली	"	401	—
8.	" मठ सुमेर गिरि, हिण्डौन दरवाजे के बाहर	"	746	—
9.	" नरसिंहजी सीतावाड़ी, करौली	"	21	28.000
10.	" कुंज दावु पेयियान, करौली	"	—	—
11.	" अर्जुन सूर्य शिरोमणी, राजोर	"	706	—
12.	" मदन फूल बिहारीजी एवं गोपालजी	"	420	—
13.	" राधाकृष्णजी, बुगडार	"	—	—

1	2	3	4	5
	सुपुर्दगी श्रेणी			
14.	श्री अमर शिरोमणीजी, नगरपालिका के सामने, करोली	सुपुर्दगी श्रेणी	1480.00	—
15.	" सूर्य नारायणजी, करोली	"	—	501.00
16.	" बलदाऊजी	"	—	144.72
17.	" बांके बिहारीजी	"	—	—
18.	" मदनगोबिन्देश्वरजी, करोली	"	—	—
19.	" प्रताप जड़ाव शिरोमणीजी, नाहर दरवाजे के बाहर, करोली	"	750.00	—
20.	" पुष्प बिहारीजी करोली	"	—	102.00
21.	" राधाबल्लभजी, बड़े रावले में	"	—	40.56
22.	" मोहनलालजी, बड़े रावले में	"	—	64.56
23.	" वृज मोहनजी बड़े रावले के पास	"	—	47.50
24.	" जगमोहनजी बड़े रावले के पास	"	—	64.56
25.	" शेषजी, निज रावले में किले में,	"	—	84.00
26.	" लक्ष्मी नारायणजी, गोपालजी	"	—	120.00
27.	" वृज मोहनजी, रावले में	"	—	84.00
28.	" लक्ष्मी नारायणजी रावले अखाड़े में	"	—	120.00
29.	" सत्यनारायणजी रावले में	"	—	264.00
30.	" गंगाजी रावले के दालान में	"	—	97.20
31.	" गोपालजी कच्छवामंबी, करोली	"	—	—
32.	" कुशलमनोहरजी, महल के अन्दर करोली	"	—	—
33.	" केशवरायजी, महल के अन्दर	"	—	—
34.	" मधुसूदनजी, रावले अखाड़े में	"	—	30.00
35.	" आनन्दघनजी, सरीगुर्ज के पास, (किले के पास)	"	—	24.00

Page No. 336

(336)

1	2	3	4	5
36.	श्री हनुमानजी, गोपालसिंहजी के अखाड़े में सुपुर्दगी श्रेणी		—	19.00
37.	" कल्याणरायजी, नकारखाने के सामने	"	1023.62	—
38.	" गोपालजी (मास्सा. चन्द्रापतजी वाला)	"	350.00	—
39.	" मदन धनुष बिहारीजी	"	—	682.00
40.	" रसीक बिहारीजी	"	118.00	—
41.	" भैरू जी, बागुर में	"	—	—
42.	" सुजान मनोहरजी पांडे के कुए के पास, हिण्डौन रोड़	"	—	—
43.	" हनुमानजी, अनाज मण्डी	"	359.46	25.00
44.	" श्री गोपालजी, टकसाल की मण्डी	"	14.00	48.00
45.	" गणेशजी अनाज मण्डी	"	—	—
46.	" हरबख्तावर शिरोमणीजी, पानी की टंकी के पास	"	—	— 600.00
47.	" कृष्ण बलदाऊ जी, सुबेदार की हवेली के पास गुरू दरवाजा	"	—	—
48.	" बालकृष्ण बिहारीजी, पावर हाउस के सामने	"	594.18	—
49.	" लक्ष्मीनारायणजी, गुरू दरवाजे के बाहर	"	—	—
50.	" गणेशजी, गुरु दरवाजे के अन्दर	"	—	96.00
51.	" दाऊजी, गुरू दरवाजा	"	—	—
52.	" गोरधन स्वरूप शिरोमणीजी बाजार नोन वालान	"	—	—
53.	" राधा दामोदरजी बाजार नोन वालान	"	—	—

1	2	3	4	5
54.	श्री शेरूजी, गंज बाजार नोन वालान	सुपुंदगी श्रेणी	—	—
55.	" राधावल्लभजी, पीपल के नीचे, बाजार नोन वालान	"	84.00	—
56.	" अमर उम्मेद बिहारीजी बाजार नोन वालान	"	—	—
57.	" सीतारामजी होली खिड़कियों के पास	"	—	—
58.	" सीताराम हनुमानजी, होली खिड़कियों के पास	"	—	36.00
59.	" मणकलभागेश्वरजी. महादेव नदी दरवाजा	"	—	32.28
60.	" मुरली मनोहरजी, महादेव नदी दरवाजा	"	—	15.72
61.	" छुगी गोपालसिहजी, महादेव नदी दरवाजा	"	—	234.00
62.	" गोपालजी, नदी दरवाजे के बाहर	"	—	44.28
63.	" हर्सिहजी, नयी दरवाने के बाहर	"	—	45.00
64.	" लक्ष्मणजी, नदी दरवाजे के बाहर	"	—	20.28
65.	" अखाड़ा मोजगिरिजी नदी दरवाजे चे बाहर	"	—	22.80
66.	" अखाड़ा जोधपुरीजी, नदी दरवाजे के बाहर	"	—	30.00
67.	" शांतारामजी, तीन दरवाजा	"	—	30.00

1	2	3	4	5
68	श्री गोपालजी सामनाथजी की खिड़की	सुपुर्दगी श्रेणी	—	30.00
69.	" दाऊजी बडवाड़ा	"	—	—
70.	" गोपालजी, छेड़ मादलपुर दरवाजे के पास	"	—	—
71.	" रामलल्लाजी जयकिशन दिवान की हवेली	"	—	—
72.	" महादेवजी बाग, शिकार महल	"	—	36.00
73.	" पंच पूजा रतिगिरिजी गुसाईपाड़ा	"	—	12.00
74.	" महादेवजी, रतिगिरिजी गुसाईपाड़ा	"	—	—
75.	" नर्बदेश्वरजी महाराज भंवर चमनसिंहजी के नोहरे के पास	"	—	25.36
76.	" लक्ष्मीनारायणजी लालदासजी का डांडा शुक्ल खिड़की के पास	"	—	26.28
77.	" सुन्दर सिरताज शिरोमणीजी, बजाज बाजार	"	150	—
78.	" विष्णु बिहारीजी, बजाज बाजार	"	—	96.00
79.	" कुंज बिहारीजी भण्डारा	"	210.83	—
80.	" प्रताप शिरोमणीजी भण्डारा	"	2065.00	65.00
81.	" मुरली मनोहरजी भण्डारा	"	—	24.00
82.	" राधारूप बिहारीजी भण्डारा	"	100.00	—
83.	" जुगलकिशोरजी गुलबदन पातर का मंदिर भण्डारा	"	—	—
84.	" जगन्नाथजी, फूटा कोट	"	—	63.72
85.	" गणेशजी, फूटा कोट	"	—	24.00

1	2	3	3	5
86.	श्री गोपालजी गढन्त	सु. श्रेणी	100.00	24.00
87.	" बांकेबिहारीजी बरियों की गली	"	—	—
88.	" जुगल किशोरजी, वारियों की गली	'	—	27.72
89.	" राधाकृष्णजी चटिकना	"	91.94	—
90.	" महादेवजी भंवरविलास	"	—	161.52
91.	" राधा बल्लभजी भंवर विलास के पास	"	—	200.25
92.	" दरियानाथजी चटिकाना	"	—	92.46
93.	" भैरूजी चटिकाना	"	—	12.00
94.	" जलथम्ब रामजी मंदिर श्री गोपीनाथ के सामने छतबाडा	"	—	15.00
95.	" बलदाऊजी, कायस्तपाड़ा	"	100.00	30.00
96.	" गुर्ज बिहारीजी कायस्त खिड़कियों के पास	"	—	24.00
97.	" कुंज बिहारीजी अखाड़े की खिड़कियों के पास	"	—	30.00
98.	" राधागोपालजी, शर्राफा बाजार	"	—	—
99.	" राधाकृष्णजी चौधरी पाड़ा	"	—	—
100	" कल्याणरायजी वासु वाले	"	1326.00	—
101.	" श्री रघुनाथजी व गोपालजी परशुराम खिड़कियों के पास करोली।	"	—	—
102.	" महादेवजी मेगजीन करोली	"	—	24.00
103.	" प्रतापेश्वरजी प्रताप नवल बिहारीजी के पीछे	"	—	84.00

1	2	3	4	5
104.	श्री मदनराज बिहारीजी, आगरा वालों की सराय	मु. श्रेणी	1200.00	—
105.	" श्री गोपालजी नंदि दरवाजे के बाहर	"	—	42.00
106.	" बिहारीजी ग्राम रोडकला	"	—	—
107.	" नृसिंहजी ग्राम मांच	"	—	—
108.	" गोपालजी ग्राम पण्डितपुरा	"	—	48.00
109.	" बिहारीजी कस्बा व मंडारायल	"	—	42.00
110.	" राधामोहनजी, नाहर दरवाजा	"	—	—
111.	" सीतारामजी, नाहर दरवाजा	"	—	20.00
122.	" मुरली मनोहरजी, नीदर दरवाजा	"	—	12.00
113.	" गोपालजी किले में	"	—	84.00
114.	" भैरूजी कुद्रटी	"	—	48.00
115.	" हनुमानजी किले में	"	—	30.00
116.	" गणेशजी कचहरी	"	—	7.44
117.	" अंजनीजी, विरवास	"	—	95.28
118.	" रघुनाथजी ग्राम गुपेशरी	"	—	—
119.	" राधा बिहारीजी ग्राम नासलपुर	"	127.40	—
120.	" महादेवजी, नासलपुर	"	—	12.00
121.	" सीतारामजी ग्राम कोटा	"	—	—
122.	" बिहारीजी, ग्राम कोटा	"	—	—

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न सं. 690 का समझौता

AGREEMENT

This Deed of Agreement made this Twentyth day of December, 1984 between:—

(1) Mrs. Manorma Gupta wife of Shri R. C. Gupta presently residing at A-45, Bajaj Nagar, Jaipur (which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context mean and include its successors, administrators and assigns) ; here in after referred to as the Party of the First Part ;

and

(2) Rajasthan State Cooperative Land Development Bank Ltd; through its Managing Director Shri D. K. MEHRISHI (which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context mean and include its suceessors, administrators and assigns), here in after referred to as the Party of the Second Part ;

Whereas the party here to of the first part is in possession, and owner of property situated at plot No. A-45, Bajaj Nagar, Jaipur named as 'Gaurav Palace.'

And whereas the party of Second part is willing to avail the facilities of the above said property for hostel and training institute for its trainees.

And whereas the party here to of the first part has agreed to allow the use and occupation of the above said premises to the party here to of the second part on certain terms and conditions.

And whereas the parties here to of the first and second parts have agreed to put those terms and conditions into writing so as to

avoid any dispute or mis–understanding in future amongst themselves or their heirs or their assigns;

Now this indenture witnesses that in persuance of above said Agreement the parties here to agree to allow/use of the above said premises of 'Gaurav Palace' namely property situated at Plot No. A–45, Baiaj Nagar, Jaipur on the following terms and conditions:—

(i) That the party here to of the first part Mrs. Manorma Gupta has agreed to allow the property here to of the second part through its Managing Director (RSLDB) to use and occupy the Gaurav Palace alongwith fittings, fixtures and furniture.

(ii) That the party here to of the second part shall pay to the party hereto of the first part a sum of Rs. 8226/– per month inclusive of all taxes for the use and occupation of the above said building 'Gaurav Palace' alongwith its fittings and fixtures and furniture and for the provision of services like maintenance of lawns Garden, Room services and for provision for supply of water and electricity.

(iii) That the light and water charges of the occupancy period and for occupied premises for training and hostel in full as per bills will be paid by the party here to of the second part to the party of the first part.

(iv) That the maintenance of the building of Gaurav Palace, services of the rooms used for hostel mess, stores. kitchen fittings, fixtures and furniture shall be maintained by the party here to of the first part in full. These items shall be under the supervision and control of First Party or his nominee for purposes like locking/unlocking of rooms etc. This will be as per directions of the Bank/Manager (Training) i.e. II–nd

Party. Any breakage if made out of mishandling from Bank's side or trainees side will be met out by the Bank, otherwise by the first part. For the safety of these items an inventory will be prepared to be signed by the room incharge (who occupy the room) and to be countersigned by the Bank Officer Incharge on behalf of the Bank. Since the locking and unlocking responsibility is of first party it will be in the fitness of things that if any breakage occures then it is being informed to the Manager (Training) before the trainee leaves the room, so that responsibility may be fixed properly.

(v) That the Refrigerator, Geyser provided by the first part for Hostel Mess shall be handled by the staff of the first party only. Similarly, sofasets etc. provided for the purpose, will be used by visitors, guests etc. of the training centre.

(vi) That the party hereto of the first part shall charge a sum of Rs. 15/- per trainee for 4000 trainee days in a year towards his establishment charges irrespective of the number of the trainees who actually attend the training. Similarly Rs. 7.50 will be paid towards the cost of lunch and dinner per day as per attendance of the trainees. Minimum 4000 trainee days are guaranteed by the party here to of the second part to the party of the first part. Regarding food material, the first party will consult Manager (Training) and will fix minu costing Rs. 7.50. Both the above amount i.e. Rs. 15/- and Rs. 7.50 will be paid as per attendance of the Trainees, monthly.

(vii) That the party here to of the Second part shall make the payment of Rs. 99200/- for providing the required furniture for the same cost as the list given to the party of the first part which shall be recovered by the party of the second part (RSLDB) in equal 24 mon-

thly instalments. Since the first party is not charging rent or any profit on the purchase of furniture. It has been mutually agreed that Bank will not charge interest on the above amount. Party of the first part shall provide all the furnishing etc. within one month from the date of payment for which cheque No. 641726 of Rajasthan State Cooperative Bank Ltd; Dt. 20-12-84 for Rs. 99200/- is enclosed.

(viii) That all expenses in respect of taxes will be paid by the party of the first part.

(ix) That the party here to of the first part is free to make any further construction in the premises at their choice provided it dose not cause many hindrance in training programme or Hostel.

(x) That this agreement is valid for a period of two years from the date of its commencement and after that it stands automatically invalid and ineffective. Under unavoidable circumstances this agreement can be terminate by either side on three months notice on due considerations for compensation. Likewise under such above circumstanees this can also be extended on mutual consent of both on the new terms and conditions.

That all matters of difference relating to the said agreement shall be referred to arbitration according to the subject to the provisions of the Arbitration Act in force for the time being.

Whereas in witness of the said parties to these present have set and subscribed their respective hands and seal on the day and year first above written.

(1)	Signed Sealed and Delivered in presence of	Sd/- (R. C. Gupta)	Sd/- (Manorma Gupta)
(2)	Signed Sealed and Delivered in the presence	Sd/- (B. D. Bhandari)	Sd/- (D K. Mehrishi)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं० 694 की शर्तें व विवरण

परिशिष्ट "क"

उत्राव हेतु निविदा दाताओं के नाम, निविदा प्राप्ति दिनांक एवं निविदा में अंकित शर्तों का विवरण:—

क्रम सं०	नाम व्यापारी	निविदा प्राप्ति दिनांक	निविदा में अंकित शर्तें
1.	2.	3.	4.
1.	प्रेमजी हरिदास एण्ड कं०, बम्बई	10.9.84	
2.	बिस्को कं०, बम्बई	21.9.84	
3.	शंकर ट्रेडर्स, अजमेर	21.9.84	
4.	गीता ट्रेडिंग कं०, जयपुर	21.9.84	1. निविदा राशि को सुरक्षा राशि में बदलना होगा। 2. विवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्र जयपुर होगा। 3. कोई भी आईटम स्वीकार नहीं होने पर टेण्डर मनी एक माह में लौटानी होगी। 4. माल रसायन शाला में पहुंचते ही क्रय समिति की बैठक बुलानी पड़ेगी तथा उसी दिन माल तुलवाना पड़ेगा। 5. बिलों का भुगतान माल पास होने पर तुरन्त करना होगा

1	2	3	4
			6. विभाग किसी व्यापारी की अव्यवहारिक शर्तें मानी हैं तो अनुबन्ध से पहले हम भी शर्तें लगाने को स्वतन्त्र है ।
5.	श्रीनाथ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर	21.9.84	—
6.	रामगोपाल शर्मा एण्ड कं०, जयपुर	21.9.84	—
7.	प्यारेलाल गिर्राजप्रसाद डीग, भरतपुर	21.9.84	—
8.	दीनदयाल औषधालय, ग्वालियर	21.9.84	—
9.	सत्यनारायण मालपाणी एण्ड सन्स, जयपुर	21.9.84	1. कानूनी न्यायालय का क्षेत्र जयपुर होगा । 2. हमारी शर्तें वर्ष 1983-84 में मानी गई थी वे ही शर्तें 1984-85 में भी मानी जावें ।
10.	नन्दकिशोर शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर	21.9.84	—

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, रा० अजमेर

क्रमांक:—लेखा(3)/क्रय/84–85/14255 दिनांक—6/7/84

निविदा विज्ञप्ति

वर्ष 1984–85 (दिनांक 1–7–84 से 30–6–85) आयुर्वेद विभाग अजमेर अन्तर्गत संचालित रसायन शालाओं के उपयोगार्थ लगभग 40.00 लाख रुपये मूल्य की आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियां क्रय करने हेतु निम्नांकित सम्भागों की सीलबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।

सम्भाग	नाम औषध/वस्तु	क्रय हेतु अनुमानित राशि (लाख रु० में)	निविदा राशि	निविदा फार्म का शुल्क
1	2	3	4	5
भाग क–1	आयुर्वेदिक/औषधियां/किराने का सामान/जड़ी बूटियों (आई पी/बी पी औषधियों को छोड़कर)	23.00	5000	50.00
भाग क–2	गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों	2.70	1500	50.00
भाग क–3	आई पी/बी पी/औषधियां/जैसे पीपरमेंट. गंधक, आंवलासर, अजवायन सत्व, वैसलीन. अरण्ड तेल आदि (केवल वे ही व्यापारी निविदा दें जिनके पास ड्रग लाइसेंस उपलब्ध हो)	10.35	4000	50.00
भाग क–4	यूनानी औषधियां	0.20	1000	5.00
भाग क–5	लिन्ट, कोटन, एडिसिव प्लास्टर	3.25	4000	50.00

1	2	3	4	5
भाग क—6	उपले, हांडियां	0.50	1000	15.00
	योग	40.00		

प्रत्येक संभाग के निविदा फार्म का मूल्य उनके सम्मुख अंकित है। व्यापारी एक अथवा एक से अधिक सभी संभागों की निविदा दे सकते हैं। निविदा फार्म मय विवरण व शर्तों के व्यक्तिगत रूप से नकद अथवा मनीआर्डर द्वारा सदस्य स्टोर परचेज कमेटी (लेखाधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर) के नाम भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।

(1) निविदा फार्म विक्रय/क्रय करने की अंतिम तिथि	23-8-84	को दोपहर 12 बजे तक
(2) निविदा फार्म कार्यालय में स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	23-8-84	को सांय 4.00 बजे तक
(3) निविदा खोलने की तिथि व स्थान	24-8-84	को प्रात: 11.00 उपशासन सचिव चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग जयपुर के कक्ष में

ह०/—

(एल. एन. पुरोहित)

सदस्य सचिव

एवं

लेखाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

प्रतिलिपि—

1. विभागीय भण्डार समिति के मानद सदस्यगण।
2. व्यवस्थापक/प्रभारी अधिकारी राज० आयु० रसा० (समस्त)।
3. सम्बधित व्यापारीगण 4. नोटिस बोर्ड

ह०/—

सदस्य सचिव

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांक लेखा–3(क्रय)17416 दिनांक 23.8.84

निविदा विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय की निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 14253 दिनांक 6.7.84 द्वारा प्रसारित आयुर्वेदिक औषधियों के लिये भाग (क) के सभी सम्भागों की निविदा विक्रय, प्राप्ति एवं खोलने के दिनांकों में निम्न संशोधन किया जाता है:—

(1)	निविदा फार्म विक्रय की अंतिम दिनांक	10.9.84 को प्रात: 12 बजे तक
(2)	निविदा फार्म कार्यालय में स्वीकार करने की अंतिम तिथि	10.9.84 को सांय 4 बजे तक
(3)	निविदा खोलने का दिनांक	11.9.84 को प्रात: 11.30 बजे।

नोट:—अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

ह०/– 23.8.84.
(एल. एन. पुरोहित)
सदस्य-सचिव,
आयुर्वेद स्टोर परचेज कमेटी
आयुर्वेद विभाग—अजमेर।

प्रतिलिपि:—

(1) समस्त सदस्य गण, आयुर्वेद स्टोर परचेज कमेटी।
(2) व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शालाएं, अजमेर।
(3) समस्त प्रभारी अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शालाएं, अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
(4) संबंधित व्यापारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०/– 23.8.84
सदस्य-सचिव

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : लेखा/3/क्रय/18568 दिनांक 12 सितम्बर, 84

निविदा विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय के पत्रांक 14253, दिनांक 6.7.84 एवं संशोधन क्रमांक 17416, दिनांक 23.8.84 द्वारा प्रसारित निविदा विज्ञप्ति में केवल भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां/किराने का सामान/जड़ी बूटियां (आई. पी. बी. पी. औषधियों को छोड़कर) की निविदा विक्रय, प्राप्ति एवं खोलने के दिनांकों में निम्न संशोधन किया जाता है:—

(1) निविदा फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि	21.9.84 को प्रातः 12 बजे
(2) निविदा फार्म कार्यालय में स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	21.9.84 को सांय 4 बजे तक
(3) निविदा खोलने की दिनांक	22.9.84 को प्रातः 11.30 बजे (उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के कक्ष में)

ह०/–

(एल. एन. पुरोहित)

सदस्य सचिव

आयुर्वेद स्टोर परचेज कमेटी,

आयुर्वेद विभाग, अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग, राज०, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई. पी./बी. पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो. में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	549	अजमेर	प्रति किलो	56–40	छप्पन रुपये चालीस पैसे

वास्ते श्री शंकर ट्रेडर्स
हस्ताक्षर निविदादाता
नारायणलाल
मैनेजर

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राज० अजमेर
जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां किराने का समान, (आई. पी. बा. पी. औषधियों कों छोड़कर)
जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलों में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	459	अजमेर	प्रति किलो	54–25	चौवन रुपये पच्चीस पैसे

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील
For Ram Gopal Sharma & Co.
S/d
भगवानसहाय
Partners

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राज०, अजमेर
जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई. पी./बी. पी. औषधियों को छोड़कर)
जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो. में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	549	अजमेर	प्रति किलो	53–50	तरेपन रुपये पचास पैसे

हस्ताक्षर निविदा दाता
मय सील
For Dindayal Aushadhalya
Sd

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज० अजमेर
जनरल टेण्डर वर्ष 1984-85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां किराने का समान, (आई. पी. बा. पी. औषधियों कों छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	459	अजमेर	प्रति किलो	57-00	सत्तावन रुपये मात्र

(फार गीता ट्रेडिंग कम्पनी)
हस्ताक्षर
पार्टनर
For Geeta Trading & Co.
Sd.
Partner

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग, राज०, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई. पी./बी. पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय-नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो. में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	549	अजमेर	प्रति किलो	56–00	छप्पन रुपये मात्र

वास्ते नन्दकिशोर शर्मा एण्ड कं०

ह०/–

नन्द किशोर

मालिक

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज० अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां किराने का समान, (आई. पी. बा. पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	459	अजमेर	प्रति किलो	60–00	साठ रुपये मात्र

वास्ते श्रीनाथ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर
ह०-
गोपीचन्द
मैनेजर/पार्टनर

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज०, अजमेर
जनरल टेण्डर वर्ष 1984-85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई. पी. बी. पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अकों में.	शब्दों में
15	15	उन्नाव	549	अजमेर	प्रतिकिलो	160/–	One Hundred Sixty only

हस्ताक्षर निविदा दाता
मय सील
Prc–Pro. Premji Haridas & Co.
Sd/–
Constituted Attorny

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राज०, अजमेर
जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क 1, आयुर्वेदिक औषधियां जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई. पी. बी. पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	549	अजमेर	प्रतिकिलो	55–00	Rs. Fifty Five only

हस्ताक्षर निविदा दाता
मय सील
For Bisco Co.
Sd/–
Partner

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज०, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984-85

भाग क–1, आयुर्वेदिक औषधियां जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई. पी. बी. पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	549	अजमेर	प्रतिकिलो	55.00	पचपन रुपया मात्र

ह०/–
प्यारेलाल गिर्राज प्रसाद
कमीशन ऐजन्ट डीग (भरतपुर)
हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

(आंशिक प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राज०, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984-85

भाग क 1, आयुर्वेदिक औषधियां जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई. पी. डी. पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है

क्र. सं.	आ. नं.	नाम औषध	अनुमानित मात्रा (किलो में)	रसायनशालायें जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
15	15	उन्नाव	549	अजमेर	प्रतिकिलो	54.75	चौवन रुपया पिचहत्तर पैसा मात्र

ह०/-
वास्ते सत्यनारायण मालपानी
एण्ड सन्स
हस्ताक्षर निविदा दाता मय सील
ह०/-
प्रोपराईटर

(आंशिक प्रति)

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक : लेखा (3) दिनांक

मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी,
त्रिपोलिया बाजार,
जयपुर।

विषय —जनरल टेण्डर निविदा वर्ष 84-85 के क्रय आदेश

उपरोक्त विषय में आपको आदेश दिये जाते हैं कि जनरल टेण्डर निविदा वर्ष 84-85 में आपके नाम स्वीकृत औषधियों की सप्लाई संलग्न सूची के अनुसार रु० 50780.35 (शब्दों में पचास हजार सात सौ अस्सी रुपये, पैंतीस पैसे) सम्बन्धित रसायनशालाओं में उनके सामने अंकित मात्रा में उत्तम माल व विभागीय नमूने के अनुसार क्रय आदेश दिनांक से 45 दिन (पैंतालिस) दिन की अवधि में करने का श्रम करें।

निश्चित अवधि में उत्तम माल सप्लाई नहीं करने की अवस्था में निविदा वर्ष 84-85 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर
निदेशक

क्रमांक : लेखा 3/ ( ) ( ) 23542-49 दिनांक 3.12.84

प्रतिलिपि :—

1. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालायें, राजस्थान, अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला अजमेर/भरतपुर/जोधपुर/उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. आयकर/बिक्रीकर अधिकारी, जयपुर।

हस्ताक्षर
निदेशक

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क–I

रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर

क्र.सं.	ग्रा.नं.	नाम औषध	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	अनुमानित मात्रा (किलो में)	दर (प्रतिकिलो)	राशि
1.	6	आंबा हल्दी	उदयपुर	98	15.20	1489.60
2.	15	उन्नाव	अजमेर	549	54.25	29783.25
3.	19	कपीला	अजमेर	578	33.75	19507.50
						50780.35

बिक्री कर पृथक से देय है।

हस्ताक्षर
निदेशक

परिशिष्ट-ख

उन्नाव का दिनांक 30-6-85 तक उपयोग एवं निर्मित औषधियों का विवरण

इश्यु दिनांक	उपयोग मात्रा (किलो में)	नाम औषध जिसका निर्माण किया	निर्मित मात्रा (किलो में)	विशेष विवरण
15.1.85	40-000	शर्बत उन्नाव	205-000	
14.5.85	25-500	शर्बत उन्नाव	—	निर्माणाधीन
11.2.85	10-500	मतबुकफसादे खून	151-750	
19.3.85	3-000	जोशान्दा	91-000	
8.2.85	200-000	गोजिव्हादि क्वाथ	2221-000	
18.4.85	80 000	गोजिव्हादि क्वाथ	876-500	

परिशिष्ट—"ग"

उन्नाव से निर्मित औषधियों का औषध वितरण केंद्रों को वितरण करने का विवरण

(मात्रा कि. में)

क्र.सं.	नाम वितरण केन्द्र	शर्बत उन्नाव		मतबुक फसादे खून		जोशान्दा		गोजिन्हादि क्वाथ	
		मात्रा	दिनांक	मात्रा	दिनांक	मात्रा	दिनांक	मात्रा	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उदयपुर	5.000	25.4.85	2.000	28.5.85	2.000	28.5.85	—	— —
2.	बांसबाड़ा	1.000	28.5.85	1.000	28.5.85	1.000	28.5.85	80.000	15.5.85 व 1.6.85
3.	डूंगरपुर	5.000	28.5.85	4.000	28.5 85	4.000	28 5.85	80.000	15.5.85 व 1.6.85
4.	भीलवाड़ा	3.000	5.6.85	—	—	—	—	80.000	8.6.85
5.	चित्तौड़गढ़	3.000	3.6.85	—	—	—	—	80 000	4.5.85 व 8.6.85
6	जयपुर	20.000	29.5.85	15.000	29.5.85	10.000	29.5.85	80.000	25.5.85 व 8.6.86
7.	सीकर	10 000	25.4.85	15.000	29.5.85	20.000	29.5.85	80.000	— व —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.	गंगानगर	1.000	25 4.85	1.000	25.4.85	1.000	25.4.85	45.000	—	व	—
9.	बीकानेर	5.000	1.5.85	5.000	1.5.85	6.000	25.4.85	45·000	—	व	—
10.	चूरू	2.000	25.4.85	2.000	25.4.85	2 000	25.4.85	45.000	—	व	—
11.	टोंक	10.000	1.5.85	10.000	1.5.85	10.000	1.5.85	45.000	—	व	—
12.	पाली	—	—	—	—	—	—	40.000	4.6.85		
13.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—	80.000	—		
14.	सिरोही	—	—	—	—	—	—	40.000	—		
15.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	40.000	7.6.85		
16.	अलवर	—	—	—	—	—	—	40.800	8.5.85		
17.	अजमेर	—	—	—	—	—	—	80.000	4.5.85 8.6.85	व	

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 697 की सूची

1.	डॉ. ओ. पी. आर. शाह	रीडर (इतिहास)
2.	श्री हरदत्त पुरोहित	रीडर (भौतिक विज्ञान)
3.	श्री हुकमराज भण्डारी	रीडर (राजनेतिकशास्त्र)

———

परिशिष्ट—8

(परिशिष्ट "क")

अतारांकित प्रश्न संख्या 698 की सूची

क्र. सं.	उ. मू. की संख्या	दुकान मालिक का नाम	दुकान स्वीकृत करने की दि.	दुकान जहां स्थित है	वार्ड नं. जिसके लिए खोली गई	यूनिट सं./जन सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	श्री हेमराज	16.7.81	ब्ल्यू केसल, अजमेर	23	2948
2.	2	श्री अहमद हुसैन	2.1.78	पन्नीग्रान चौक, अजमेर	19	2372
3.	3	श्री प्रहलाद कुमार	8.6.83	अलवर गेट	32	2259
4.	4	,, रामचन्द्र	5.12.77	पालबीचला	34	3597
5.	5	,, सज्जनसिंह	13.10.80	जवाहर नगर	1	2841
6.	6	,, देवनदास	5.12.77	म. नं. 312/4 लाखन कोटड़ी	4	2317
7.	7	,, कृपाराम	1.12.77	प्रकाश रोड़, नगरा	30	3879
8.	8	,, सुजान मंगवानी	31.10.84	लाखन कोटड़ी, अजमेर	4	1555
9.	9	,, शीतलदास	31.1.78	म. नं. 941/रैगर मोहल्ला	21	2364

Page No. 368

1	2	3	4	5	6	7
10.	0	रेल्वे कन्ज्यूमर ऐसो.	9.12.77	नसीराबाद रोड, अजन्ता टाकीज के पास	32	2481
11.	11	श्री भंवरलाल शर्मा	30.1.78	लोढ़ा भवन गंज, अजमेर	9	2180
12.	12	,, लीलाराम	3.1.78	फाईसागर रोड अजमेर	2	4079
13.	13	,, ब्रह्मदत्त	3.1.78	हाथी भाटा	12	2641
14.	14	,, पारसमल जैन	3.1.82	सिविल लाइन	10	2446
15.	15	,, महेशचन्द टोकनदास	5.1.78	पुरानी मण्डी, अजमेर	16	2549
16.	16	श्रीमती गणेशीबाई बेवा नाथूलाल	3.1.78	पनीगरान चौक, अजमेर	6	2556
17.	17	श्री दिनेशचन्द्र	16.7.81	लांगिया मोहल्ला	3	4057
18.	18	,, प्यारेलाल	5.1.78	केशर गंज, अजमेर	24	2280
19.	19	,, हरसहाय	23.1.84	रामगंज	26	3008
ˊ0.	20	,, आफताब हुसैन	16.7.81	पनीगरान चौक, अजमेर	19	1821
21.	21	,, गोरधन प्रसाद खण्डेलवाल	2.1·78	गुलाबबाड़ी, अजमेर	29	3578

1	2	3	4	5	6	7
22.	22	सिविल डिफेंस सह. समिति	2.1.78	पुलिस लाइन	36	3259
23.	23	श्रीमती रुक्कीबाई	2.1.78	तोपदड़ा, अजमेर	11	2565
24.	24	श्री श्यामसुन्दर	2.1.78	कचेरी रोड	11	2642
25.	25	श्री ताराचन्द	31.1.78	क्रिश्चयन गंज	1	3068
26.	26	,, हरनारायण	2.1.78	देहली गेट, अजमेर	2	2239
27.	27	,, लक्ष्मणदास	16.7.84	हाथी भाटा	12	2696
28.	28	श्रीमती जुम्मीबाई	13.3.85	आदर्शनगर	28	3282
29.	29	श्री ताराचन्द	31.1.78	श्रीनगर रोड	32	2282
30.	30	श्री शंकरलाल	15.5.80	ठठेरा चौक	22	2040
31.	31	,, शीतलदास	3.1.78	मोहल्ला (पन्नीग्रान चौक)	20	2100
32.	32	,, किशन डीडवानियां	20.7.78	घास कटला	13	2894
33.	33	महिला गृह उद्योग	31.1.78	केशरगंज अजमेर	23	3011
34.	34	श्री विनोदकुमार	6.10.80	होली धड़ा	13	2433
35.	35	अजमेर सह. उप. भण्डार	31.1.78	सुन्दर विलास	10	2438

1	2	3	4	5	6	7
36.	36	श्री गोरधनलाल	31.1.78	गुलाब बाडी	29	2387
37.	37	प्राथमिक उप. भण्डार	2.1.78	जोन्सगंज	27	3524
38.	38	श्री राधामल तुलसीदास	3.1.78	ग्राशागंज	25	3153
39.	39	,, मदनसिंह	20.3.84	मून्दडी मोहल्ला	17	3402
40.	40	,, इन्द्रचन्द	3.1.78	धान मण्डी	3	3628
41.	41	,, ब्रह्मदेव	6.10.80	सिविल लाइन्स	10	2736
42.	42	,, चुहड़मल	5.1.78	पल्टन बाजार	35	3273
43.	43	,, माधवदास हरीचन्द	3.1.78	लाजपत मार्ग, ग्रजमेर	22	2451
44.	44	,, जोधा पुत्र देवनदास	13.5.83	लाखन कोटड़ी	4	2198
45.	45	श्री शंकरदास	2.1.78	ट्राम्बे स्टेशन नवाब का बेड़ा	21	2914
46.	46	,, सह. समिति	———	ग्राशागंज	25	2441
47.	47	,, महेन्द्रसिंह	25.1.78	यूग्राईटी कालोनी, ज्वाला प्रसाद नगर	35	2928
48.	48	,, राजकुमार	31.10.79	रामगंज	26	2112

1	2	3	4	5	6	7
49.	49	आदर्श नगर सह. समिति	——		28	3094
50.	50	श्रीमति महमूदा बेगम	4.11.82	पन्नीगरान चौक	6	2112
51.	51	रेल्वे कन्ज्यूमर को. सो.	9.12.77	माल रोड डी. एस. आफिस, अजमेर	32	3571
52.	52	श्री रामदास गुप्ता	2.1.78	आर्यनगर	32	2247
53.	53	,, प्रेमराज सोलंकी	3.1.78	तोपदड़ा	33	3461
54.	54	,, त्रिलोकचन्द पुत्र गोगराम	16.7.81	लोहागल रोड़	—	1052
55.	55	,, शंकरदास शाकूमल	3.1.78	पीर.मीठा गली	8	2645
56.	56	,, पुष्पनारायण	25.12.77	होली दड़ा	7	2262
57.	57	श्रीमति नर्बदा देवी	3.5.78	होली दड़ा	14	2770
58.	58	श्री किशन दास झमटमल	3.10.81	जनता बाजार	23	2451
59.	59	,, किशन माहेश्वरी	4.1.78	भजन गंज	15	3079
60.	60	,, हरिशचन्द्र	10.10.82	नाका मदार	16	2948
61.	61	डाक-तार विभाग उप. भण्डार	4.1.78	जी. पी. ओ. कार्यालय, अजमेर	16	2484

1	2	3	4	5	6	7
62.	62	श्री हगामीलाल हरकचन्द	3.1.78	धान मण्डी	7	2251
63.	63	सह. समिति	3.1.78	पाल बीचला	33	3897
64.	64	श्री कन्हैयालाल मूलचन्द	4.1.78	सुन्दर विलास	16	2941
65.	65	,, सुन्दरलाल पुत्र रूपराम	5.10.82	भगवानगंज	26	2213
66.	66	सह. उप. भण्डार, रामनगर	2.1.78	रामनगर	2	2100
67.	67	श्री जेठानन्द हीरानन्द	2.1 78	नवाब का बेड़ा	25	2235
68.	68	,, भंवरसिंह	3.10.80	किशनगढ़ कोठी	36	3080
69	69	श्री परसराम खण्डेलवाल	3.1.78	नगरा अजमेर	31	3404
70.	70	,, महावीर प्रसाद जैन	3.10.80	आर्य नगर	32	3261
71.	71	,, पदमचन्द	6.10.82	पाल बीचला	34	2442
72.	72	,, पारस चन्द	11.10.82	खजाना गली	14	2629
73.	73	,, चोथमल घीया	27.12.78	नसियां	9	3361
74.	74	,, लक्ष्मण पुत्र हजारी मल	5.10.82	भजनगंज, लिंक रोड	28	3143

1	2	3	4	5	6	7
75.	75	श्री सूरजमल जैन	5.1.78	नहर मोहल्ला	13	2679
76.	76	,, मोतीराम	5.10.82	पहाड़गंज	25	2194
77.	77	,, मेघराज	12.12.83	भगवानगंज	26	3112
78.	78	,, राम महेश्वरी	8.10.84	नगरा अजमेर	31	2967
79.	79	,, अशोक कुमार	20 4.84	क्रिश्चीयन गंज	1	4705
80.	80	,, मोहन लाल	27.4.84	केशरगंज	24	2384
81.	81	,, भगवानदास	3.1.78	नला बाजार	17	2223
82.	82	ग्रा. सेवा. सह. समिति	24.1.78	गढ़ी मालियान	27	3544
83.	84	श्री अर्जुनसिंह	24.1.78	पुरानी मण्डी	16	2087
84.	85	,, नोरतमल जैन	2.1.78	पुरानी मण्डी	15	3038
85.	86	,, खट्टमल	6.12.77	खारी कुई	18	3287
86.	87	,, किशनलाल परसराम	13.1.78	पहाड़गंज	25	2548
87.	88	,, अजमेर सह. उप. भण्डार	31.1.78	सिविल लाईन्स	1	3387
88.	89	,, रतनलाल	3.1.78	रावण की बगीची	21	3111

1	2	3	4	5	6	7
89.	90	श्री सुरेशकुमार विजय	22.2.84	ओसवाल स्कूल के पास	8	3079
90.	92	,, रामदेव पुत्र देवीलाल	16.7.81	धोबी मोहल्ला	7	2127
91.	93	,, भगवानदास	16.7.81	आशा गंज	25	2710
92.	94	,, रणजीतसिंह कटारिया	21.1.78	बिहारी गंज	28	3129
93.	95	,, सीताराम विजय	2.1.75	तोपदड़ा	33	2934
94.	96	भारत उद्योग सह. समिति	12.10.82	विजयनगर	34	2311
95.	97	श्री राजेश मेहता	24.2.84	गोतमनगर	26	2536
96.	98	कन्ज्यूमर को. ग्रा. सो. वे. रेल्वे	12.12 77	कसारीनाड़ी	27	4444
97.	99	श्री बल्लभ दास	16.6.78	गंज, अजमेर	25	2834
98.	100	,, भगवतीचरण	23.2.84	अजय नगर	25	2372
99.	101	,, सीताराम मालू	4.1.78	चौधरी मोहल्ला	5	4030
100.	102	,, रमेश सोमानी	1.3.84	पन्नीग्रान चौक	20	1533
101.	103	,, वासुदेव	16.7.81	गोतमनगर	26	2206

1	2	3	4	5	6	7
102.	104	श्रीमती आशादेवी	16.7.84	अजयनगर	26	2956
103.	105	श्री जितेन्द्र कुमार	16.12.83	डिग्गी बाजार	21	1747
104.	106	,, रवि प्रकाश	17.7.81	पहाड़गंज	25	2423
105.	107	,, कमल कुमार	28.2.84	श्रृंगार चंवरी	30	3030
106.	108	,, लालचन्द	20.7.81	जवाहर नगर	36	1710
107.	109	,, धर्मदास	16.7.81	डिग्गी टंक	21	2109
108.	110	,, कारोमल	2.1.78	पत्नीग्रान चौक	20	2311
109.	112	,, रमेशकुमार तुलसीयानी	13.10.81	कुन्दन नगर	35	2972
110.	113	आदर्शनगर ग्रह. सह. समिति	11.9.80	आदर्श नगर	28	3466
111.	114	श्री कुलदीप कपूर	20.2.84	ब्रह्मपुरी अजमेर	11	2196
112.	माकड़वाली + 115 + चोरलियावास	श्री जसवन्तसिंह सिसोदिया	21.2.84	आनासागर सरक्यूलर रोड	1	4442
113.	116	श्री दिनेशचन्द्र जैन	27.2.84	रेम्बल रोड	3	1719

1	2	3	4	5	6	7
114.	117	श्री महिला गृह उद्योग	31.1.78	गोतमनगर	26	2709
115.	118	श्रीमति सीतादेवी	21.2.84	भांग बावड़ी	25	2298
116.	119	श्री मन्नुमल ठाकूमल	5.4 84	मेयो लिंक रोड	29	2333
117.	120	,, जोगेन्द्रसिंह	8.3.84	बंगाली गली कचहरी रोड	12	2082
118.	121	श्री किशनलाल	20.7.81	बिहारी गंज	28	2506
119.	123	,, जगदीश प्रसाद	5.3 84	चमारघाटी पुष्कर रोड़	2	1755
120.	126	,, नानगराम	25.2.84	चांद बावड़ी	24	2412
121.	127	,, दयालदास	27.3.84	डिग्गी बाजार	20	2245
122.	128	,, शिवचरण विजय	21.3.84	लाखन कोटड़ी	4	1967
123.	129	,, प्रकाशचन्द जैन	3.3.84	अलवर गेट अजमेर	32	1696
124.	132	,, शशिप्रकाश	19.6.84	मुस्लिम मोची मोहल्ला	7	1244
125.	133	,, सत्यनारायण गोयल	4.4.84	छीपा गली	19	2148
126.	134	,, हीरानन्द बाधवानी	19.3.83	डिग्गी बाजार	20	1701
127.	135	,, हेमनदास	30.3.84	संजय मार्केट सिनेमा रोड	17	2217

1	2	3	4	5	6	7
128.	136	श्रीमति गीता पारासर	8.5.84	बोरोज रोड छोटी नारायणी	2	2106
129.	137	श्री मुकेशचन्द	6.3.85	रामनगर	2	2309
130.	138	,, सतीशचन्द जैन	2.3.84	आर्यनगर	32	2236
131.	96आर	एम. टी. सी. को. आ. सो. अजमेर	27.12.77	एम. टी. सी. कोलोनी	26	1716
132.	1ए	श्री अशोक कुमार	7.10.82	जवाहर नगर	36	3521
133.	4ए	,, रामचन्द्र	2.7.83	रावडिया मोहल्ला	30	3629
134.	5ए	,, नत्थीलाल	2.1.78	पुरानी मण्डी	29	2507
135.	6ए	,, दामोदर प्रसाद	3.1.78	नवाव का वेड़ा	22	2589
136.	8ए	,, राजेन्द्रप्रसाद	3.5.84	मोरशायली जयपुर रोड	35	2766
137.	9ए	,, कल्याणपुरा ग्रा.से.सह.स.	3.1.78	कल्याणीपुरा	28	3352
138.	10ए	,, नथमल	3.1.78	नला बाजार	5	2629
139.	12ए	,, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	23.1.77	गुलाब बाडी	29	4075
140.	13ए	,, मोहनलाल	27.7.81	ठठेरा चौक	21	3065

1	2	3	4	5	6	7
141.	15ए	,, तेजसिंह शाखला	27.2.84	रामगंज	26	2074
142.	16ए	,, सुवालाल जैन	2.1.78	कुत्ताखानागंज	2	2394
143.	17ए	,, मोहनलाल	28.12.77	रामगंज	26	2871
144.	51ए	,, रामेश्वरलाल	3.1.78	गंज	3	2785
145.	22ए	,, प्यारेलाल प्रेमचन्द	3.1.78	रावड़िया मौहल्ला	30	3344
146.	23ए	,, श्रीमती शारदा भार्गव	4.1.78	नाका मदार	35	4561
147.	25ए	,, किशन गोपाल	5.10.80	झिग्गी चौक	14	2939
148.	26ए	,, चेतनराम चोईथराम	3.1.78	सब्जी मण्डी	25	2383
149.	74ए	,, केसरसिंह	2.1.78	बिहारीगंज	28	3763
150.	18ए	,, वासुदेव	3.3.84	नवाब कावेड़ा	21	1992
151.	14ए	,, हरनारायण	15.7.77	देहली गेट	3	3004
152.	33ए	,, अनिलकुमार बंसल	6.10 80	बाबू मौहल्ला	24	2468
153.	2ए	,, देवीलाल	16.7.81	सुखाड़िया नगर	36	2758
154.	71ए	,, करतारसिंह	3.1.78	घोला भाटा	29	2495

1	2	3	4	5	6	7
155.		तवीजी ग्रा. से. स. स.	16.12.77	तबीजी	ग्रा. तबीजी	2461
156.	कोटड़ा घूघरा	श्री भगवानदास	15.10.82	कोटडा	,, कोटडा	2873
157.	हटून्डी	,, मांगीलाल	12.12.77	हटून्डी	,, हटून्डी	2160
158.	रसूलपुरा मारेली	ग्रा.से.सह.स. रसूलपुरा	12.12.77	रसूलपुरा	रसूलपुरा	5836
159.	बडल्या	श्री किशनसिंह	27.9.84	बडल्या	बडल्या	4414
160.	माखुपुरा-पालरा परवतपुरा	ग्रा.से.सह.स. परवतपुरा	2.1.78	परवतपुरा	परवतपुरा	4285
161.	शोपतपुरा	श्री रूपचन्द	1.3.78	सोनपुरा-खानपुरा	खानपुरा	8800
162.	वायुपुरा (अमरसिंह)	,, अमरसिंह	11.10.82	माखुपुरा	माखुपुरा	2008

(परिशिष्ट "ख")

क्र. सं.	माह का नाम	राशन सामग्री जो उचित मूल्य के दुकानदारों को उपलब्ध कराई गई					
		लेवी चीनी	खाद्य तेल	गेहूं	चावल	नियंत्रित कपड़ा	केरोसीन (कि.ली.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अप्रैल. 1984	1997 क्वि.	3092 टीन	—	—	—	706 कि.ली.
2.	मई, 1984	2164 ,,	682 ,,	—	—	—	661 ,,
3.	जून, 1984	334 ,,	4078 ,,	—	—	—	678 ,,
4.	जुलाई, 1984	3911 ,,	1372 ,,	—	—	750 धोती जोड़े 8692 मी.	706 ,,
5.	अगस्त, 1984	5505 ,,	8640 ,,	—	—	4640 जोड़े, 7554 मी. कपड़ा	677 ,,
6.	सितम्बर, 1984	7711 ,,	7030 ,,	—	—	1340 जोड़ 6828 मी. कपड़ा	671 ,,
7.	अक्टूबर, 1984	2943 ,,	4109 ,,	—	—	—	659 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	नवम्बर, 1984	3836 ,,	1460 ,,	—	—	—	772 ,,
9.	दिसम्बर 1984	2571 ,,	2048 ,,	—	—	—	730 ,,
10.	जनवरी, 1985	4637 ,,	1364 ,,	—	—	864 जोड़े, 842 मीटर	730 ,,
11.	फरवरी, 1985	—	5901 ,,	—	—	—	721 ,,
12.	मार्च, 1985	3048 ,,	4860 ,,	—	—	4770 पोलिस्टर, 1346 मी. कपड़ा	661 ,,

परिशिष्ट—"ग"

क्र.सं	दिनांक शिकायत	नाम शिकायत कर्ता	किसके विरुद्ध शिकायत किस बात की	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	20-6-84	भारतीय जनता पार्टी, किशनगढ़	सांवतसर किशनगढ़ की दुकान गोलमाल बाबत ।	शिकायत सही पाये जाने पर दिनांक 23-1-85 को प्रथम सूचना दर्ज कराई गई ।
2.	30-6-84	श्री ग्रार. के. सिंह युवक भ्रष्टाचार मिटाग्रो समिति, ग्रजमेर ।	उचित मूल्य की दुकान नं 25 द्वारा गलत राशन कार्ड रखने बाबत ।	दिनांक 18-7-85 को दुकान तीन माह के लिए निलम्बित की गई ।
3.	18-7-84	सुधार संगठन समिति, ग्रजमेर,	उचित मूल्य की दुकान नं 13 द्वारा मई, 84 की शक्कर नहीं देना ।	दिनांक 24-7-84 को शिकायत निराधार होने से संग्रहीत की गई ।

1	2	3	4	5
4.	10-10-84	राबड़िया मौहल्ला निवासी, अजमेर,	उचित मूल्य की दुकानों द्वारा खराब शक्कर देने बाबत ।	जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दिनांक 17-10-84 को संग्रहित की गई, क्योंकि कोटे के अनुसार शक्कर ऐसी ही प्राप्त होना पाया गया ।
5.	12-9-84	गजराजसिंह, अजमेर	पाम आयल को ब्लेक करने बाबत ।	शिकायत कनिन्दा का पता नहीं चलने एवं बाद जांच शिकायत निराधार पाने से दिनांक 3-11-84 को संग्रहित की गई ।
6.	5-12-84	राज्य कर्मचारी पुलिस लाईन, अजमेर,	उचित मूल्य की दुकान नं. 108 नहीं खुलने बाबत ।	शिकायत सही पाये जाने पर दिनांक 25-5-85 को दुकानदार की जमा प्रतिभूति में से रु. 50/- जब्त सरकार किये गये ।
7.	27-12-84	श्री लक्खूमल चूल्हीराम, अजमेर	उचित मूल्य की दुकान नं. 52 बाबत माह नवम्बर, 1984 व दिसम्बर, 1984 की शक्कर नहीं देने बाबत ।	शिकायत सही पाये जाने पर दिनांक 15-4-85 को दूकानदार की जमा प्रतिभूति में से रु 100/- जब्त सरकार किये गये ।

1	2	3	4	5
8.	8-1-85	अजयनगर निवासी, अजमेर	उचित मूल्य की दुकान नं. 117 बन्द रहने बाबत ।	जांच सही पाये जाने पर दिनांक 13-2-85 को दुकानदार की जमा प्रतिभूति में से रु. 125/- जब्त सरकार किये गये ।
9.	14-1-85	गुमनाम	उचित मूल्य की दुकान नं. 75 द्वारा शक्कर नहीं देने बाबत ।	जांच रिपोर्ट दिनांक 25-1-85 द्वारा शिकायत निराधार पाये जाने पर संग्रहित की गई ।
10.	23-2-85	श्री जे. पी. माथुर, अजमेर	उचित मूल्य की दुकान नं. 59 समय पर न खोलने बाबत ।	बाद जांच दिनांक 23-5-85 को दुकानदार के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया ।
11.	19-3-85	ब्लाक युवक कांग्रेस (आई) अजमेर	उचित मूल्य की दुकान नं. 117 नहीं खोलने बाबत ।	आदेश दिनांक 6-5-85 द्वारा दुकान के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया ।

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 700 की सूची

1. श्री रामप्रसाद गर्ग, विधि अधिकारी, नगर परिषद, ब्यावर

————

परिशिष्ट— 10

अतारांकित प्रश्न सं० 701 की प्रति

खेतानाड़ी योजना में 27 दुकानों का निर्माण/दुकान की नीलामी द्वारा निष्पादन अथवा किराये पर नहीं देने से नगर सुधार न्यास की पूंजी रु० 4,02,694/– अवरुद्ध अथवा रु० 1,28,832/– ब्याज की हानि/नीलामी तथा चौथाई राशि के विरुद्ध में अनियमितता से रुपये, 34 450/– + 24,4410 = रुपये 58,860/– की हानि:—

न्यास द्वारा खेतानाड़ी, कृषि मण्डी मण्डोर के बाहर 27 दुकानों का निर्माण वर्ष 1979–80 में करवाया गया था तथा व्यय निम्न प्रकार किया गया है:—

वर्ष 1979-80	रुपये	2,45,300.00	निर्माण व्यय आदि
वर्ष 1980-81	रुपये	19,773.00	विद्युत व्यय आदि
वर्ष 1981-82	रुपये	2,621.00	निर्माण कार्य का अंतिम भुगतान
	रुपये	2,67,694.00	
भूखण्डों का मूल्य 27 × 5000/- =	रुपये	1,35,000 00	
	रुपये	4,02,694.00	

उपरोक्त अनुसार निर्माण एवं भूखण्डों की राशि कुल रु० 4,02,694/– व्यय 27 दुकानों खेतानाड़ी कृषि मण्डी प्रांगण मण्डोर के बाहर पर किया गया है तथा 1980–81 से आज तक ये दुकानें न तो किराये पर दी गई तथा न इनको नीलामी द्वारा ही निष्पादन किया गया है। इस प्रकार यह राशि रुपये 4,02,694/– अवरुद्ध पड़ी है तथा इससे प्राप्ति कुछ भी नहीं हो रही है। इस योजना पर इस प्रकार प्रति वर्ष ब्याज रुपये 12% से रुपये 48,312/– की प्रति वर्ष हानि हो रही है। इस कार्य का मूल निर्माण का अन्तिम बिल बाऊचर संख्या 48 दिनांक 14.5.81 के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 10.1.80 है। अतः जनवरी, 80 से अगस्त 82 तक 32 माह में मात्र ब्याज के रुपये 1,28,832.00 की हानि न्यास को हुई है।

उपरोक्त 27 दुकानों में से 8 दुकानों की दिनांक 8.3.81 को नीलामी निम्न प्रकार की गई थी।

खेतानाड़ी योजना निर्मित दुकानें साईज 15′ × 10′ = 150 वर्ग फुट

दुकान सं०	उच्चतम बोलीदाता नाम व पता	उच्चतम बोली की राशि	एक चौथाई राशि व जमा की तिथि	तीन चौथाई राशि	ब्याज सहित जमा कराना की अन्तिम तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
20.	श्री जय प्रकाश पुत्र कन्हैया मनिहार	26,200/–	6500/– 8.3.81	19,700/–	7.6.81
21.	श्री कमल किशोर घूत	31,200/–	7500/– 8.3.81	23,700/–	,,
24.	श्री हरीकिशन राठी पुत्र केदारदास	35,100/–	8800/– 8.3.81	26,300/–	,,
25.	श्री काशीराम पुत्र भागीरथ राठी	31,300/–	7800/– 8.3.81	23,500/–	,,
22.	श्री हरीश कुमार	35,500/–	8875/– जमा नहीं	26,625/–	,,
23.	श्री राधाकिशन राठी	36,100/–	9925/– ,,	27,075/–	,,
24.	श्री शिव प्रसाद	32 200/–	8050/– ,,	24,150/–	,,
25.	श्री लूणकरण रांकावत	34,000/–	8500/– ,,	25,500/–	,,
		2,61,600/-	65,050/-	1,96,550/-	

उपरोक्तानुसार कुल 8 दुकानें 8.3.81 को नीलाम की गई थी जिसमें से मात्र चार बोली देने वालों ने चौथाई राशि के पेटे रुपये 30,600/– जमा कराये थे। शेष

चार से न तो बोली देने के पूर्व अर्नेस्टमनी जमा करवाई गई है, और न ही एक चौथाई राशि ही जमा करवाई गई है। इस प्रकार अर्नेस्टमनी के बगैर बोली स्वीकार कर एक गम्भीर अनियमितता की गई तथा बोली समाप्ति पर भी चौथाई राशि वसूल नही कर द्वितीय गम्भीर अनियमितता की गई है। एक चौथाई नीलामी मूल्य की राशि मौके पर ही प्राप्त नहीं कर रु० 34,450/- की हानि अधिकारियों द्वारा न्यास को पहुंचाई गई है। शेष तीन चौथाई राशि जमा नही होने की दशा में राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 के नियम 14(एफ) के तहत एक चौथाई राशि जब्त की जा सकती थी।

शेष चार बोलीदाताओं ने एक चौथाई राशि रुपये 30,600/– जमा करवाये थे ये भी न्यास द्वारा बोली का 5% (जमा की पांच भाग) काटकर, 29,410/- निम्न प्रकार पुन: लौटा दिये गये हैं:—

दुकान नं०	चौथाई जमा राशि	काटी गई राशि	लौटाई गई राशि	वाउचर नं०	दिनांक
20.	6500/-	1310/-	5190/-	105	26.8.81
21.	7500/-	1560/-	5940/-	58	10.7.81
24.	8800/-	1755/-	7045/-	104	21.8.81
27.	7800/-	1565/-	6235/-	57	10.7.81
	30,600/-	6,190/-	24,410/-		

यह राशि राज्य के प्रपत्र एफ. 2(96) यूडीएच/77, दिनांक 20.8.78 के सन्दर्भ में लौटाना लिखा है।

उपरोक्त पत्र में यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को समर्पित करे तो सम्पूर्ण राशि का (जिसमें 1/4 राशि भी सम्मिलित है) निर्धारित प्रतिशत लौटाया जा सकता है किन्तु इन मामलों में बोली देने वाले में "सम्पूर्ण राशि" न्यास में जमा नहीं कराई है। अत: एक/चौथाई राशि में से कोई राशि लौटाने का प्रश्न ही नहीं बनता है, साथ ही यह भी लेख है कि "भूखण्ड को समर्पित करे", समर्पित तो जब होता जब कि बोली देने वाले का आधिपत्य या अधिकार उस दुकान का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् हो गया होता। चूंकि बोली देने वाले ने बोली की तीन चौथाई राशि जमा करवा कर दुकान का कब्जा प्राप्त ही नहीं किया तो वो उस दुकान को समर्पित करने का पात्र ही

कैसे हो सकता था। उपरोक्तानुसार नगर विकास न्यास, द्वारा दुकानों को समर्पित मान कर रुपये 24,410/- (रिफण्ड) पुनर्भुगतान अनियमित ही नहीं गम्भीर अनियमितता है, तथा न्यास को रुपये 24,410/- की हानि पहुंचाई है।

साथ ही यदि उपरोक्त आठ दुकानों की निलामी कार्यवाही को नियमानुसार दृढ़ता से पालन किया गया होता तो शेष दुकानें भी नीलामी में उठ जाती तथा न्यास को ब्याज या किराये की अप्राप्ति से हो रही निरन्तर हानि से भी बचाया जा सकता था। इन दुकानों के निष्पादन हेतु 8.3.81 की निलामी के पश्चात् अन्य कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से भी न्यास को निरन्तर हानि हो रही है।

उपरोक्तानुसार रुपये 4,02,694/- की अवरुद्ध राशि पर न्यास को ब्याज की हानि रुपये 1,28,832/- दिनांक 31.8.82 तक (तत्पश्चात निरन्तर हानि) निलामी के समय 1/4 राशि प्राप्त नहीं करने से रुपये 34,450/- की हानि तथा अनियमित रूप से रिफण्ड करने से रुपये 24,410/- की हानि न्यास को हुई है, तथा आगे निरन्तर हो रही है जिस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु सम्पूर्ण प्रकरण अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, जोधपुर एवं आयुक्त/सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है।

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न सं० 704 की सूची

सन् 1973 से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सूची

क्र० सं०	नाम व पिता का नाम	पद	नियुक्ति तिथि
1.	श्री प्रेमनारायण आत्मज देवलाल	बेलदार	20.9.78
2.	श्रीमती कस्तूरी आत्मज माधो लाल	कुली	1.8.79
3.	श्री प्रभूलाल आत्मज राम लाल	बेलदार	1.9.79
4.	श्री नाथूलाल आत्मज श्रवण लाल	बेलदार	4.10.70
5.	श्री रामलाल आत्मज	बेलदार	2.6.80
6.	श्री भवर लाल आत्मज पन्ना लाल	बेलदार	20.9.80
7.	श्री अब्दुल मजीद आत्मज अब्दुल जबार	बेलदार	1.12.80
8.	श्री ग्यारसी राम आत्मज जमना लाल	बेलदार	1.12.80
9.	श्री हरीशचन्द्र आत्मज देवकरण	बेलदार	10.12.80
10.	श्री हरलाल आत्मज रामचन्द्र	बेलदार	1.1.81
11.	श्री गौरी शंकर आत्मज रामनारायण	बेलदार	1.1.81
12.	श्री लक्ष्मीनारायण आत्मज गंगाविशन	बेलदार	1.1.81
13.	श्री देवीलाल आत्मज जगन्नाथ	बेलदार	18.4.81
14.	श्री रामदयाल आत्मज कन्हैयालाल	बेलदार	18.4.81
15.	श्री ब्रिजमोहन आत्मज गोरीलाल	बेलदार	1.5.81
16.	श्री सत्यनारायण आत्मज नाथूलाल	बेलदार	15.6.81
17.	श्री अब्दुल सलाम आत्मज मंजूखां	बेलदार	1.7.81
18.	श्री अशोक कुमार आत्मज रामनारायण	बेलदार	20.12.82
19.	श्री रमेश चन्द्र आत्मज रामगोपाल	बेलदार	1.2.83
20.	श्री रविप्रकाश आत्मज कामेश्वर प्रसाद	बेलदार	1.3.83

उपरोक्त श्रमिकों में क्र० सं० 1 से 17 तक के श्रमिकों को जुलाई, 82 से कार्य मुक्त कर दिया गया था तथा पी. डब्ल्यू. डी. यूनियन की मांग के अनुसार पुनः 1.9.82 से कार्य पर लिया गया।

———

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न सं० 707 की सूची

भाग 1 की सूची

पंचायत समिति क्षेत्र सिलोरा के ग्रामों की सूची जहां हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं एवं चालू हालत में हैं:—

क्र० स०	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्प का स्थान/नम्बर
1.	2.	3.
1.	मंडावरिया	1. स्कूल के पास
2.	नोहरिया	1. तेजाजी का चौक
3.	पालडी भोपसान	1. ढाणी में
4.	कुचील	1. स्कूल के पास
		2. मुस्लिम मोहल्ला
		3. नाडिया की ढाणी
		4. मस्जिद के पीछे
		5. बाबरी बस्ती
5.	खाजपुरा	1. मीणा एवं हरिजन के मकान के बीच
6.	फलोदा	1. हरिजन मोहल्ला
7.	मूपून	1. गांव के चौड
8.	बिलावट	1. माली मोहल्ला
		2. गुजरों की ढाणी
9.	रूपनगढ़	1. हरिजन बस्ती
10.	तिलोनिया	1. सरपंच के मकान के पास
		2. स्कूल के पास
11.	बरना	1. पाबूजी के चबूतरे में

1	2	3
12.	मुवाड़ा	1. स्कूल के पास
13.	टिकावडा	1. रेंगर बस्ती
		2. रेंगर बस्ती (चमार)
14.	नया गांव	1. चमारों का वास
		2. तेजूराम बैरवा के मकान के पास
15.	मोजियावास	1. राजपूत बस्ती
16.	मुंडोती	1. रेंगर मोहल्ला
17.	डिडवाडा	1. स्कूल के पास
18.	खडाच	1. मूजर मोहल्ला देवजी के मन्दिर के पास
19.	काकनियावास	1. राजपूत बस्ती
20.	सरगांव	1. जोधों की ढाणी

——————

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 708 की सूची

क्र. सं.	नाम थाना	कत्ल के अपराध एफ.आई.आर. नं. दिनांक व धारा	कत्ल में बन्दी बनाये गये अभियुक्तों के नाम	कितने अभियोग सी०आई०डी० में तफतीश के लिए भेजे जिनमें से तफतीश पूरी हुई उनका नतीजा
1	2	3	4	5
1.	मालपुरा	6/21-1-84		— —
2.	दूनी	31/31-1-84	1–गंगल्या 2–हिम्मतसिंह	— —
3.	टोंक	93/17-4-84	1–प्यारा उर्फ अच्छू उर्फ अब्दुल रहीम	— —

1	2	3	4	5
4.	मालपुरा	48/28-4-84	—	दिनांक 15-5-84 को सी० आई० डी० (सीबी) रेन्ज सेल जयपुर में भेजी गई तफतीश पर यह मुकदमा अदम-सबूत पाया जाने पर दिनांक 22-11-84 को एफ. आर. दी गई ।
5.	धाड़	27/16-5-84	1–शिवजीलाल 2–जगदीश 3–पूंदा 4–नन्दा	उपरोक्तानुसार
6.	लाम्बा हरिसिंह	40/23-5-84	1–रिद्धकरण 2–रामकरण 3–हरकरण 4. हंसराज 5–अम्बायान	,,
7.	देवली	54/25-5-84	1–बाबूलाल 2–पूर्ण 3–लक्ष्मण	सी०आई०डी० (सीबी) रेन्ज सेल जयपुर में दिनांक 19-7-84 को भेजी गई थी, जो बाद तफतीश सी० ओ० देवली के पास 13-5-85 को वास्ते तफतीश भेजी गई । मुकदमें में तीनों मुलाजिमान सी० ओ० देवली ने गिरफ्तार किये ।

1	2	3	4	5
8.	टौंक कोतवाली	119/29-5-84	—	— —
9.	कोतवाली टौंक	120/29-5-84	—	दिनांक 27-6-84 को सी०आई०डी० (सीबी) गबन सैल में भेजी गई, अभी तक नतीजे के आदेश नहीं मिले हैं। पत्रावली सी० आई० डी० में तफतीश के लिए है।
10.	दूनी	61/2-7-84	—	— —
11.	अलीगढ़	33/5-7-84	—	— —
12.	लाम्बा	49/19-7-84	1–गोपाल 2–मांगीलाल 3–रतना	— —
13.	बरोनी	79/6-8-84	1–हुजारी 2–बजरंगा 3–बद्री 4–रामचन्द्र 5–हरिकिशन 6–मंगला 7–मु. कंचन 8–मु.दाखा	— —

1	2	3	4	5	
			9-मु. गंगा 10-मु. गंगा पत्नि कल्याण 11-मु. फूला 12-मु. बर्नी 13-मु. मूल्या 14-मु. गुलाब 15-मु. दाखा 16-मु. शांती 17-रामकन्या 18-मूल्या 19-नाथ 20-बाबू		
14.	निवाई	123/11-9-84	—	—	—
15.	टोडारायसिंह	89/19-9-84	1-जगदीश	—	—
16.	उनियारा	91/27-9-84	1-मु. सूवा, कैलाश	—	—
17.	डिग्गी मालपुरा	77/28-9-94	1-मु. गोपाल	—	—

वर्ष 1985

1	2	3	4	5
1.	मालपुरा	14/9.3.85	1. कैलाशचन्द्र, 3. रामस्वरूप, 3. बालकिशन	—
2.	टोडारायसिंह	18/18.3.85	—	
3.	निवाई	33/21.3.85	1. कालू 2. मोजहरिया, 3. लाल्या	—
4.	बरोनी	27/25.3.85	1. रामफूल, 2. कर्णा, 3. प्रहलाद, 4. केशरनाथ 5. रामसहाय 6. बालू 7. सूरज 8. बद्री	—
5.	मालपुरा	24/25.4.85	—	—
6.	देवली	45/9.6.85	—	—
7.	टोडारायसिंह	51/21.6.85	1. धासी, 2. काना	—

आत्म हत्या :—

1	2	3	4	5
1.	निवाई	27/20.3-84	1. सुचिता पुत्री श्रीमती एस० डो० रेडी, छात्रा वनस्थली विद्यापीठ	6.4.84 को एफ० आर दी गई ।
2.	टोडारायसिंह	82/2.9.84	1. मुकना पुत्र कल्याण मीना, रायपुरा	24.9.84 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
3.	मालपुरा	61/12.7.85	1. श्री रमीद पुत्र चान्दमोहम्मद पटवा मालपुरा	तफतीश जारी है ।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 717 की सूची

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, खैरथल पर कार्यरत महिला चिकित्सकों का नामजद विवरण

1.	डॉ. (सुश्री) शील शपड़ा	20 5-77 से 30-7-80
2.	डॉ. (श्रीमती) लाजवन्ती	1-8-80 से 31-10-80
3.	डॉ. (श्रीमती) मीरा सेठी	29-10-82 से 31-10-83
4.	डॉ. (श्रीमती) कमलेश वर्मा	10-10-83 से 31-10-83
5.	डॉ. (श्रीमती) रेणु पोरूष	3-11-83 से निरन्तर

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न सं. 726 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों के नाम व पते निम्नानुसार हैं :—

1.	श्री ए. के. सक्सेना	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन बोर्ड
2.	श्री पी. के. लोरिया	सदस्य	,, ,,
3.	श्री नरेन्द्रचन्द्र वित्त शासन सचिव राजस्थान सरकार	सदस्य	
4.	श्री आर. रामाकृष्णन शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन राजस्थान सरकार	सदस्य	
5.	श्री एच. एस. माथुर मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद् सलाहकार राजस्थान सरकार	सदस्य	
6.	श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य	पत्रकार, महावीरजी, जिला सवाई माधोपुर
7.	श्री शंकरलाल	सदस्य	भूतपूर्व विधायक, पाली (मारवाड़)
8.	डॉ० हाकिमसिंह अंचला	सदस्य	रायसिंह नगर मण्डी, श्री गंगानगर
9.	श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य	जसवन्त सराय जोधपुर
10.	श्री रामचन्द्र त्यागी	सदस्य	शास्त्री बस्ती, श्रीगंगानगर
11.	श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	सदस्य	मोहल्ला व्यापारियान वार्ड नं० 25, सीकर

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की 109वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 109. 19 द्वारा गठित उपसमितियों की सूची

109.19 बोर्ड की द्वारा विभिन्न उपसमितियों का गठन किया जिसमें निम्न प्रकार सदस्य होंगे :—

1. वित्त एवं कोस्टिंग कमेटी

1. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	अध्यक्ष
2. श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य
3. वित्त सचिव, राज्य सरकार	सदस्य
4. आवासन आयुक्त, आवासन बोर्ड	सदस्य
5. मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य सचिव

2. लैण्ड निगोशियेसन कमेटी

1. श्री धर्मनारायण माथुर	अध्यक्ष
2. सचिव, नगरीय वि. एवं आवासन विभाग	सदस्य
3. डॉ. हाकिमसिंह	सदस्य
4. मुख्य नगर नियोजक, राज्य सरकार	सदस्य
5. मुख्य लेखाधिकारी, रा. आ. मण्डल	सदस्य
6. आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल	सदस्य
7. श्री शंकरलाल	सदस्य
8. सचिव, आवासन मण्डल	सदस्य सचिव

3. वरिष्ठ चयन समिति

1. अध्यक्ष, आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. डॉ. हाकिमसिंह अंचला	सदस्य
3. श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य
4. आवासन आयुक्त	सदस्य
5. 2 विषय विशेषज्ञ (सीधी भर्ती हेतु)	सदस्य
6. सचिव आवासन मण्डल	सदस्य

4. कनिष्ठ चयन समिति

1. श्री शंकरलाल	अध्यक्ष
2. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	सदस्य
3. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)	सदस्य
4. मुख्यलेखाधिकारी आवासन मण्डल	सदस्य
5. सचिव, आवासन मण्डल	सदस्य सचिव
6. आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल	सदस्य

5. सम्पत्ति आवंटन समिति (अपोलिय)

1. अध्यक्ष, आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री रामचन्द्र त्यागी	सदस्य
3. श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
4. आवासन आयुक्त. आवासन मण्डल	सदस्य
5. सचिव, आवासन मण्डल	सदस्य सचिव

6. प्रोजेक्ट कमेटी

1. श्री रामचन्द्र त्यागी	अध्यक्ष
2. आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल	सदस्य
3. मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
4. आर्किटेक्ट प्लानर, आवासन मण्डल	सदस्य सचिव

7. वर्क्स कमेटी

1. अध्यक्ष, आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल	सदस्य
3. श्री शंकरलाल	सदस्य
4. मुख्यलेखाधिकारी	सदस्य
5. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)	सदस्य सचिव

8. अभाव अभियोग एवं नियमोपनियम सलाहकार समिति

बोर्ड की 116वीं बैठक दिनांक 22-3.85 के बिन्दु संख्या 116. 15 के द्वारा

गठित की गई "अभाव अभियोग एवं नियमोपनियम सलाहकार समिति" के सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1. श्री गजानन्द डेरोलिया	अध्यक्ष
2. श्री मोहम्मद हनीफ	सदस्य
3. श्री धर्म नारायण माथुर	सदस्य
4. उप आवासन आयुक्त, (मुख्यालय)	सदस्य
5. जन-सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल	सदस्य
6. विधि सलाहकार, राज. आवा. मण्डल	सदस्य सचिव

9. **गुणवत्ता नियन्त्रण समिति**

गुणवत्ता नियन्त्रण समिति का गठन बोर्ड की 110वीं बैठक दिनांक 25.4.84 में किया गया जिसके सदस्य निम्न प्रकार है :—

1. डॉ. हाकिमसिंह भंचला	अध्यक्ष
2. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	सदस्य
3. श्री धर्म नारायण माथुर	सदस्य
4. आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल	सदस्य
5. संबंधित क्षेत्र के उप आवासन आयुक्त	सदस्य
6. उप आवासन आयुक्त (ट्रेड)	सदस्य सचिव

———

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

एक वर्ष (1984–85) में संचालक मण्डल एवं मण्डल की विभिन्न उपसमितियों की बैठकों की तिथियां निम्न प्रकार हैं :—

(अ) संचालक मण्डल

क्र.	बोर्ड बैठक	तिथि
1.	110	25.4.84
2.	111	19.6.84
3.	112	16.8.84
4.	113	15-10.84
5.	114	27.11.84
6.	115	24.1.85
7.	116	22.3.85

(ब) उप समितियां

1. वित्त एवं कोस्टिंग कमेटी :

1. 17.4.84	5. 13.8.84
2. 19.4.84	6. 7.1.85
3. 26-4-84	7. 15-1-85
4. 6.8.84	8. 21-1-85
	9. 12-1-85

2. लैण्ड नेगोशियेशन कमेटी :

1. 2.5.84	2. 18.5'84	3. 20.6.84
4. 7.7.84	5. 10 9.84	6. 8.10-84
7. 29-11.84	8. 3.1.85	9. 20.3.85

3. कनिष्ठ चयन समिति :

1. 18.4.84	2. 7.6.84	3. 18.7.84
4. 29.6.84	5. 2.7.84	6. 3.7.84
7. 5.7.84	8. 7-7-84	9. 14.7.84
10. 18.7.84	11. 19.7.84	12. 27.7.84
13. 27.8.84	14. 1.8.84	15. 9.8.84
16. 18.7.84	17. 18.8.84	18. 20.2.85
19. 18.3.85		

4. सम्पत्ति आवंटन समिति :

1. 14.5.84	2. 17.5.84	3. 16.6.84
4. 12.4.84	5. 23.19.84	6. 19.12.84
7. 25.1.85	8. 31.1.85	9. 15.2.85
10. 19.2.85	11. 25.2.85	12. 26.2.85

5. प्रोजेक्ट समिति :

1. 11.4.84	2. 6.7.84	3. 30.8.84
4. 20.9.84		

6. प्रभाव अभियोग समिति : कोई बैठक नहीं हुई

7. वरिष्ट चयन समिति : कोई बैठक नहीं हुई।

8. वर्क्स कमेटी : कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

9. गुणवत्ता नियंत्रण समिति :—

1. 8 5.84	2. 18.5.84	3. 4.6.84
4. 17.7.84	5. 12.9.84	6. 18.1.85

———

परिशिष्ट—16

अतः प्रश्न सं० 723 की सूची

कार्यालय नगर पालिका केशवराय पाटन

विद्युत सामान क्रय की सूची वर्ष 1983–84

क्र.	सामान का विवरण	तादाद	बिल नं०	दिनांक	फर्म का नाम	भुगतान तिथि	राशि	नकद/चैक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ट्यूब डन्डे 4 फुट	25	3792	6-3-84	यूनाईटेड ईले.	26-3-84	825.00	नकद
	,, ,,	12	3805	29-3-84	यूनाईटेट ईले. के. पाटन	7-4-84	396.00	नकद
2.	ट्यूब डेन्ड 2 फुट	25	3792	6-3-84	,,	26-3-84	800.00	नकद
	,, ,,	15	3797	13-3-84	,,	26-3-84	480.00	नकद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	ट्यूब होल्डर	36	3792	6-3-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	26-3-84	126.00	नकद
4.	स्टार्टर 40 वाट	25	3792	6-3-84	,,	26-3-84	91.25	नकद
5.	स्टार्टर 20 वाट	25	3792	6-3-84	,,	26-3-84	170.00	नकद
	,, ,,	12	3805	29-3-85	,,	7-4-84	81.60	नकद
	,, ,,	100	118	31-3-84	बाकलीवाल ट्रेडिंग क. कोटा	25-4-84	650.00	नकद
6.	तार कोयल	2	3792	6-3-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	26-4-84	138.50	नकद
7.	बल्ब 40 वाट	100	3792	6-3-84	,,	26-3-84	495.00	नकद
8.	होल्डर	24	3792	6-3-84	,,	26-3-84	48.00	नकद
9.	चोक	12	3792	6-3-84	,,	26-3-84	445.20	नकद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चोक	12	118	31-3-84	बाकलीवाल ट्रेडिंग क. कोटा	25-4-84	444.00	नकद
10.	नट बोल्ट	50	3793	6-3-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	26-3-84	25.00	नकद
11.	टेप रोल	1	3793	6-3-84	,,	26-3-84	7.50	नकद
12.	ट्यूब फिक्चर	12	3819	9-4-84	,,	25-5-85	5082.00	चैक
	तार कोयल	1	4012	23-6-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	30-10-84	69.25	नकद
	,,	3	4052	13-8-84	,,	30-10-84	278.50	नकद
	,,	2	4093	10-9-84	,,	7-12-84	139.50	नकद
	,,	2	40537	30-11-84	प्रकाश ईले. कोटा	1-1-85	84.00	नकद
	,,	4	4111	12-2-85	,,	13-2-85	168.00	नकद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	तार कोमल	2	4240	2-11-84	यूनाईटेड ईले.	20-2-85	220.00	नकद
	,,	2	4278	16-12-84	के. पाटन	20-2-85	220.00	नकद
	बल्ब 40 वाट	25	3847	26-4-84	यूनाईटेड ईले.	1-5-84	122.50	नकद
	,,	50	4021	30-6-84	के. पाटन	30-10-84	247.50	नकद
	,,	100	4093	10-9-84	,,	7-12-84	455.00	नकद
	,,	100	40537	30-11-84	प्रकाश ईले.	1-1-85	440.00	नकद
	,,	100	4111	12-2-85	कोटा	13-2-85	440.00	नकद
	स्टाटर 40 वाट	10	4012	30-6-84	यूनाईटेड ईले.	30-10-84	36.50	नकद
	बल्ल 40 वाट	10	4021	30-6-84	के. पाटन	30-10-84	36.50	नकद
	स्टाटर	25	4096	10-9-84	,,	31-12-84	87.50	नकद
	,,	12	4268	5-12-84	,,	8-1-85	42.00	नकद
	,,	25	4274	11-12-84	,,	20-2-85	87.50	नकद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	,,	100	3016	13-2-85	ए एनपी ईई ईले. जयपुर	11-2-85	300.00	बैंक बिल्टी
	स्टार्टर 20 वाट	10	4068	3-8-84	यूनाईटेड ईले.	30-10-84	70.00	नकद
	,,	25	4093	7-12-84	के. पाटन	7-12-84	187.50	नकद
	,,	25	4274	11-12-84	,,	20-2-85	187.50	नकद
	,,	10	4075	13-8-84	,,	30-10-84	375.00	नकद
	,,	55	3016	13-2-85	ए एनपी ईई ईले. जयपुर	11-2-85	196.00	बैंक बिल्टी
	स्टार्टर शीट	20	4030	5-7-84	यूनाईटेड ईले.	30-10-84	75.00	नकद
	,,	24	4274	11-12-84	के. पाटन	20-2-85	90.00	नकद
	टेप	1	4012	23-6-84	,,	30-10-84	7.50	नकद
	,,	2	4093	10-9-84	,,	7-12-84	15.00	नकद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	टेप	1	4334	26-1-85	के. पाटन	20-2-85	7.50	नकद
	दीवार वेंकिट	2	4214	1-10-84	,,	20-2-85	1130.00	नकद
	,,	1	4240	2-11-84	,,	20-2-85	65.00	नकद
	,,	2	4404	26-3-84	,,	,,	130 09	नकद

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका केशवराव पाटन

(कार्यालय नगर पालिका केशवराय पाटन (बून्दी–राज०)

विद्युत सामान क्रय किये गये की सूची वर्ष 1984–85

सामान का विवरण	तादाद	बिल नं०	दिनांक	फर्म का नाम	भुगतान तिथि	राशि	नकद/ चैक
1	2	3	4	5	6	7	8
ट्यूब डन्डे 4 फुट	25	3847	26-4-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	1-5-84	825.00	नकद
,,	5	4021	30-6-84	,,	30-10-84	165.00	नकद
,,	5	4026	3-7-84	,,	30-10-84	165.00	नकद
,,	5	4028	4-7-84	,,	30-10-84	165.00	नकद
,,	5	4030	5-7-84	,,	30-10-84	165.00	नकद

1	2	3	4	5	6	7	8
ट्यूब डण्डे 4 फुट	5	4048	24-7-84	यूनाइटेड ईल. के. पाटन	30-10-84	165.00	नकद
,,	5	4063	30-7-84	,,	30-10-84	165.00	नकद
,,	2	4072	5-8-84	,,	30-10-84	66.00	नकद
,,	10	4075	13-8-84	,,	30-10-84	330.00	नकद
,,	30	4093	10-9-84	,,	7-12-84	990.00	नकद
,,	25	40536	30-11-84	प्रकाश ईले. कोटा	1-1-85	750.00	नकद
,,	25	4274	11-12-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	20-2-85	825.00	नकद
,,	25	4393	18-3-85	,,	21-3-85	775.00	चैक
ट्यूब डन्डे 2 फुट	25	3847	26-4-84	,,	1-5-84	800.00	नकद
,,	5	4048	24-7-84	,,	30-10-84	160.00	नकद

1	2	3	4	5	6	7	8
ट्यूब डन्डे 2 फुट	10	4065	31-7-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	30-10-84	320.00	नकद
,,	10	4075	13-8-84	,,	30-10-84	320.00	नकद
,,	30	4093	10-9-84	,,	7-12-84	960.00	नकद
,,	25	4273	11-12-84	,,	20-2-84	820.00	नकद
होल्डर	6	4080	25-8-84	,,	30-10-84	12.00	नकद
होल्डर	24	4093	10-9-84	,,	7-12-83	48.00	नकद
होल्डर	24	40536	30-11-84	प्रकाश ईले. कोटा	1-1-85	27.00	नकद
ट्यूब होल्डर	12	4021	30-6-84	यूनाईटेड ईले. के. पाटन	30-10-84	42.00	नकद
,,	24	4093	10-9-84	के. पाटन	7-12-84	84.00	नकद

1	2	3	4	[illegible]	6	7	8
ट्यूब होल्डर	72	40536	30-11-84	प्रक[illegible] कोट[illegible]	1-1-85	216.00	नकद
ट्यूबस	50	4028	4-7-84	यूनाइटेड ईले. के. पाटन	30-10-84	25.00	नकद
चौक मरकरी	5	3016	13-2-85	ए. एन. पी. ईई जयपुर	11-2-85	725.00	नकद
मरकरी बल्ब	1	3814	1-4-84	यूनाइटेड ईले.	1-1-85	119.90	नकद
,,	1	3814	1-4-84	के. पाटन	1-5-84	125.00	नकद
,,	3	3857	29-4-84	,,	5-5-84	370.00	नकद
,,	10	4393	18-3-85	,,	21-3-85	1160.00	चैक द्वारा
ट्यूब फिक्चर 4 फुट मय ब्रेकिट	12	10	18-4-84	सुरेश ईले. निगम	3-5-85	3897.60	चैक द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8
ट्यूब फिक्चर 4 फुट मय ब्रेकिट	15	38736	28-8-84	राज. राज्य संघ. उपभोक्ता म. जयपुर	21-2-85	4327.50	चैक द्वारा
मरकरी फिक्चर मय ब्रेकिट	5	28739	25-8-84	,,	5-2-85	3892.00	चैक द्वारा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका केशवराय पाटन